महानगर नई दिल्ली गुरुवार 8 मई, 2025, रु. 6.00 (20 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

आपरेशन सिंदूर के तहत सेना की बड़ी कार्रवाई

नौपाक ठिकाने ध्वस्त

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

भारतीय लड़ाकू विमानों ने 'आपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के नौ ठिकानों को मंगलवार देर रात हमले कर ध्वस्त कर दिया। इनमें जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण शिविर और मुख्यालय शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि इन हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 57अन्य घायल हो गए।

अधिकारियों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तानी हवाई सीमा पार किए बिना जब आधी रात के बाद ये हमले किए तब पाकिस्तान और पीओजेके में इन नौ महत्त्वपूर्ण स्थलों पर बड़ी संख्या में आतंकवादी मौजूद थे। इन हमलों के दौरान बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद पलटवार करते हुए ये हमले किए गए।

> *भारत* ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, जैश और लश्कर को निशाना बनाया।
> *पाकिस्तानी* सेना ने कहा कि इन हमलों में कम से कम 31 लोग मारे गए और 57 अन्य घायल हो गए।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ मीडिया से चर्चा में दो महिला अधिकारियों- सेना की सिग्नल कोर की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की हेलिकाप्टर पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि सशस्त्र बलों ने इन स्थलों पर संचालित हो रहे आतंकी शिविरों के बारे में 'गुप्त खुफिया जानकारी' के आधार पर पाकिस्तान में चार और पीओजेके में पांच स्थानों को चुना। पाकिस्तानी सशस्त्र बल के प्रवक्ता ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में पुष्टि की है कि भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर और मुरीदके को निशाना बनाया। आपरेशन के दौरान लाहौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुरीदके में लश्कर के मुख्य ठिकाने पर लगातार चार बार हमला किया गया। मुरीदके, 1990 से बाकी पेज 8 पर

लक्ष्य : जैश और लश्कर के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र

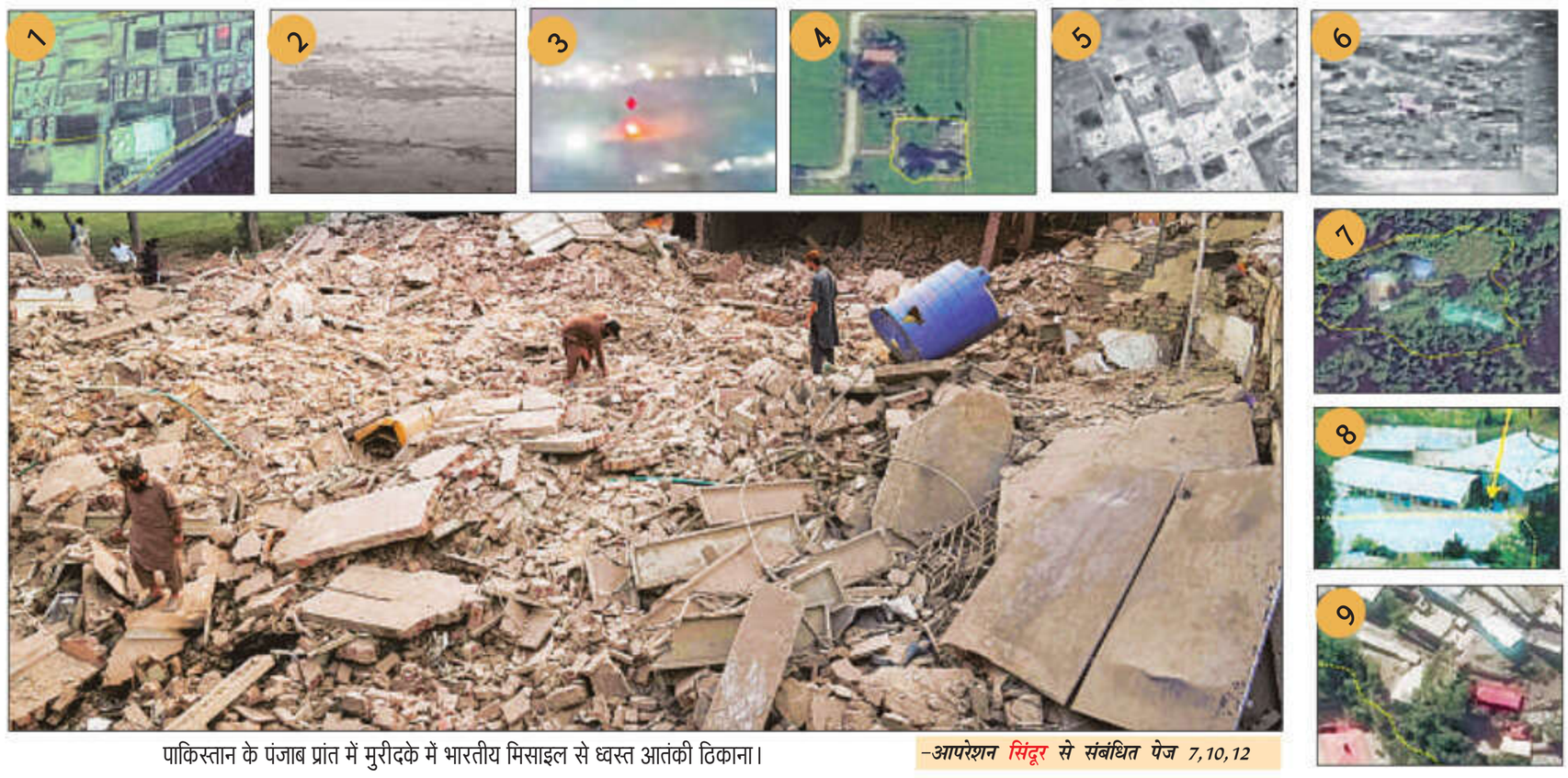

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरीदके में भारतीय मिसाइल से ध्वस्त आतंकी ठिकाना।

-आपरेशन सिंदूर से संबंधित पेज 7,10,12

प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों की तारीफ की

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमले करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

-पूरी खबर पेज 7 पर

भारत ने इन ठिकानों को लक्ष्य बनाया (तस्वीरें ऊपर)

1. मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, पाकिस्तान, 2. मरकज तैयबा, मुरीदके 3. सरजाल सियालकोट 4. मेहमोना जोया सियालकोट 5. बरनाला भिम्बर (पीओके) 6. अब्बास कोटली (पीओके) 7. गुलपुर कोटली (पीओके) 8. सवाई नाला मुजफ्फराबाद 9- सईदना बिल्ल मुजफ्फराबाद (पीओके)

सैन्य अभियान से संतुष्ट, आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो : हिमांशी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने भारतीय सेना की ओर से मंगलवार देर रात चलाए गए आपरेशन सिंदूर पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि वह यह भी चाहती हैं कि यह सिर्फ यहीं खत्म न हो, बल्कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। वहीं, हमले में मारे गए लोगों में शामिल कानपुर के व्यवसायी शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी, मंत्रियों और वायुसेना और सेना प्रमुख जनरल सहित सशस्त्र बलों के प्रमुखों को मेरे पति की मौत का बदला लेने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं।

हिमांशी नरवाल

हिमांशी ने उम्मीद जताई कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि कभी भी इस तरह के हमले दोबारा किसी और पर न हों। उन्होंने कहा कि वह जिस दौर से गुजर रही हैं, उस दौर से किसी और को न गुजरना पड़े।

-पूरी खबर पेज 10

पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी

जवान, चार महिलाओं व चार बच्चों समेत 13 लोगों की मौत

पाकिस्तान की सेना की तरफ से गोलाबारी में पुंछ के मेंढर में क्षतिग्रस्त घर।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की और मोर्टार गोले दागे जिसमें चार महिलाएं, चार बच्चों एवं एक सैनिक सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 57 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पाकिस्तानी सेना द्वारा यह गोलाबारी भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद की गई। यह बाकी पेज 8 पर

पाक के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने कहा, हमलों का बदला लेने के लिए सेना को छूट

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने को कहा कि भारतीय सैन्य हमलों में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए सेना एवं सशस्त्र बलों को 'समय, स्थान और तरीके से' जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

-पूरी खबर पेज 12

नारी शक्ति — आपरेशन सिंदूर का ब्योरा देने वालीं सैन्य अधिकारी

देश की आवाज : कर्नल सोफिया-विंग कमांडर व्योमिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को भारत के 'आपरेशन सिंदूर' का ब्योरा दिया। दोनों भारत की आवाज बन गईं, जब उन्होंने एक-एक कर आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने के सबूतों के साथ ब्योरे साझा किए।

कुरैशी और सिंह ने छह-सात मई की रात को एक बजे से डेढ़ बजे तक निशाना बनाए गए स्थानों के नाम और विवरण साझा किए। सिग्नल कोर की अधिकारी कुरैशी ने हिंदी में बात की, जबकि भारतीय वायुसेना की हेलिकाप्टर पायलट सिंह ने अंग्रेजी में विवरण साझा किया। वर्ष 2017 में आयोजित एक सामूहिक परिचर्चा में, कुरैशी ने सशस्त्र बलों में अपने सफर के बारे में बताया कि कैसे वह सेना में बाकी पेज 8 पर

विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी

> *कुरैशी* और सिंह ने छह-सात मई की रात को एक बजे से डेढ़ बजे तक निशाना बनाए गए स्थानों के नाम और विवरण साझा किए। सिग्नल कोर की अधिकारी कुरैशी ने हिंदी में बात की, जबकि भारतीय वायुसेना की हेलिकाप्टर पायलट सिंह ने अंग्रेजी में विवरण साझा किया।

KALINGA INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY (KIIT)
Deemed to be University
(Established U/S 3 of UGC Act 1956), Bhubaneswar, Odisha, India

15th nirf Among Indian Universities Ranked by NIRF, Govt. of India
A++ Grade Accredited by NAAC
Tier 1 Re-accredited by NBA All Engineering Programs for 6 Years

KIITEE 2025 PHASE - 2
APPLY ONLINE through KIIT Websites www.kiitee.ac.in / www.kiit.ac.in
Last Date to Apply 4th June 2025 | No Examination Fee (Computer-Based Test)
KIITEE 2025 Online Test (Phase -2) starts from 8th June to 12th June 2025

Special Consultative Status by the UN-ECOSOC
ABET (US) Accreditation
THE 601-800 University Ranking 2024 World University Rankings
IET Accredited Programme The Institute of Engineering and Technology

ACADEMIC PROGRAMMES AVAILABLE

UG (3 years/4 years)/Integrated (5 years) Programmes [All 4 years Programmes are with Honors/Research]

B.Tech Programmes
- Civil
- Construction Technology
- Electrical
- Electrical & Computer Science
- Mechanical
- Mechanical (Automobile)
- Aerospace
- Mechatronics
- Electronics & Telecommunication
- Electronics & Computer Science
- Electronics & Electrical
- Electronics (VLSI Design & Technology)
- Chemical
- Computer Science & Engineering (CSE)
- CSE (Artificial Intelligence & Machine Learning)
- CSE (Artificial Intelligence)
- CSE (Cyber Security)
- CSE (Data Science)
- CSE (Internet of Things & Cyber Security including Block Chain Technology)
- CSE (Internet of Things)
- Information Technology
- Computer Science & System
- Computer Science & Communication

UG Programmes in other Disciplines
- B.Design (Automobile/ Graphic/Product)
- B.Design (Fashion / Textile)
- B.Tech & M.Tech Biotechnology (5yrs)
- B.Tech (Lateral Entry)
- B.Arch
- BCA
- BBA
- B.Sc (Hospitality & Tourism)
- Bachelor of Film & Television Production
- Bachelor of Communication & Journalism
- Bachelor of Physical Education & Sports
- BA Economics
- BA Sociology
- BA English
- BA Psychology
- BA French
- BA Spanish
- BA Japanese
- BA German
- B.Com
- B.Sc (Economics & Data Analytics)
- B.Sc Computer Science
- B.Sc Nursing
- B.Pharma
- D.Pharma
- BA LLB/BBA LLB/B.Sc LLB (Hons) 5yrs

PG (1 year/2 years)/Integrated (5 years) Programmes
- M.Tech
- LLM (1yr)
- MCA
- M.Sc Biotechnology
- M.Sc Applied Microbiology
- M.Arch
- MBA
- MBA in Rural Management
- MBA in Agribusiness Management
- MBA-IEV (Innovation, Entrepreneurship and Venture Development)
- Master of Communication & Journalism
- Master in Urban & Regional Planning
- Master in Yoga & Naturopathy
- Master of Hospital Administration
- Master of Public Health
- MA in Fashion Management
- M. Design (Interior)
- M.Sc Computer Science
- MA Economics
- MA Sociology
- MA English
- MA Psychology
- Master in Public Policy
- M.Com
- M.Sc Physics
- M.Sc Chemistry
- M.Sc Mathematics & Data Science
- Master in Library & Information Sciences
- Master in Physical Education & Sports
- M.Sc Nursing
- Integrated M.Tech & Ph.D
- Ph.D

CAMPUS PLACEMENT 2024 HIGHLIGHTS
700+ Companies
5585+ Job Offers
₹53 LPA Highest Salary Offered
₹8.50 LPA Average CTC
1500+ Paid Internships
1000+ Students with multiple job offers

Director, Admissions : Admission Cell, Koel Campus, Po- KIIT, Bhubaneswar-751024, Odisha, India,
Ph: 8080 735 735, Fax : 0674 - 2741465, Email: admission@kiit.ac.in, Website: www.kiitee.ac.in

KIIT (Deemed to be University) has only one permanent campus in Bhubaneswar, Odisha.
It has no other campus / off campus anywhere else in the country and globe.

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Jasbeer Singh S/o Hukam Singh R/o Shivpuri, Nagar Panchayat, Rampur Maniharan, Saharanpur have changed my name to Jasbir Singh. 0070966103-1

I, Bir Singh S/o Tara Chand R/o Khasra No.-801, Near Lal Baba Gali, Behind Iswa Hotel, Kapashera, Delhi-110037, have changed my name to Bir Singh Yadav S/o Tara Chand Yadav, for all purposes. 0040787420-1

I, Bhawna Handa D/o,Late Kapil Handa and W/o Mr.Nitin Monga R/O-WZ-3545 Raja-Park, Shakurbasti Rs, North-West Delhi-110034,have changed my-name to Bhawna Monga. 0040787491-2

I, Asha Devi W/o Amar Singh R/o G-535 Shakur Pur Delhi-110034 have changed my name from Asha Devi to Asha permanently 0040787422-1

I hitherto known as LT COL ANIL K S/o Sabastian KJ R/o Kunniparambil House, Mampoyil, Chungathara (PO), Malappuram District, Kerala, PIN-679334, have changed my name and shall hereafter be known as LT COL ANIL KUNNI-PARAMBIL. 0070966107-1

I Ranjana Rani W/O, Navdeep Chaudhary R/o # 2634, Sector 21 Panchkula have changed my name to Ranjana Chaudhary. 0040787335-2

I Arnavie Sharma D/o Shri. Arun Sharma R/o C1-203, Sovereign 1, Vatika City, Sohna Road, Sector-49, Haryana-122018, have changed my name from Arnavie to Arnavie Sharma for all future purposes. 0040787421-2

I Aashvi Sharma D/o Shri. Arun Sharma R/o C1-203, Sovereign 1, Vatika City, Sohna Road, Sector-49, Haryana-122018, have changed my name from Aashvi to Aashvi Sharma for all future purposes. 0040787421-1

I,SHOUKAT ALI, SHAUKAT, SHAUKAT ALI,S/O-KUDRET TULLA,H,No,C-84,Gali.No.4 C-Block, J.J.Colony Welcome-Seelampur Iv Kabootar-Market Shahdara,North-East Delhi-110053,Changed My Name To SHAUKAT ALI. 0040787491-5

I,Moyra W/O-Shubham Wadhawan,R/O H.no-25,Sec. 15, Sonipat-131001,Have Change My Name Moyra To Moyra Wadhawan Permanently. 0040787464-3

It is for general information that I, Sunny Singh Bhatia,S/o-Harjeet Singh Bhatia, Residing at,87-A,Gali No.13,West Azad Nagar, Krishna Nagar, Delhi-110051, declare that name of mine and my minor son has been wrongly-written as Sunny Bhatia,Arshdeep Singh Bhatia in my-minor son Arshdeep Singh Aged-13Years School Record.The actual name of mine and my minor son are Sunny Singh Bhatia, Arshdeep Singh respectively. which may be amended accordingly. 0040787462-9

I,NISHA DAGAR W/o,No 3187479L Rank NK (LATE) PARVINDER Kumar,R/o-Plot.No-15,Gali.no.3 Sainik Enclave Uttam-Nagar PO-D.K.Mohan Garden,Delhi-59,have changed my minor daughter's name from Muskan to Muskan Dagar VIDE-AFFIDAVIT DATE 7.5.25,BEFORE DELHI. 0040787490-5

It is for general information that I,SHWETA KUMARI,D/o-Sunil Kumar,R/o-RZ-101/108, Gali No-5,Mohan-Nagar, South -West Delhi-110046,declare that name of my father has been wrongly-written as Sunil Kumar Aggi in my 10th-class and 12th-class marksheet cum certificate educational documents,The actual name of my father is Sunil Kumar, Which may be amended accordingly. 0040787491-8

I, Kanhaiya Kumar Kharwar S/o Mohan Singh Kharwar R/o Rz-724, 3Rd floor, kh no-61/71/1, Raj Nagar-2 palam Colony, New Delhi-110077, confirm that in my Daughters Janvi School record my name has been wrongly written as Kanhaiya Kumar instead of Kanhaiya Kumar Kharwar. My Correct name is Kanhaiya Kumar Kharwar for all future purposes 0070966110-1

I, Pooja Popley W/O Kuldeep Singh R/O-A-34,South Extn, Part-1, Andrewsganj, South-Delhi, Delhi-110049,have changed my name to Pooja Poply. 0040787436-2

I, Manoj Singh Yadav S/o Ramesh Singh Yadav R/o RC-18, RAJEEV VIHAR, KHORA COLONY, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201309 have changed my name to Manoj Yadav for all future purposes 0070966092-1

I, Leena Pankaj Savita W/o Pankaj Savita R/o D-201, C-58/25, Jagdambe Apartment, Sector-62, Noida, UP-201301 have changed my name to LEENA SAVITA for all future purposes. 0070966096-1

I, Vipin Kumar S/o Jasbir Singh R/o 750/3, Shree Ram Vihar, Meerut have changed my name to Vipin Kumar Meghlan. 0070966091-1

व्यक्तिगत

I,Vishal Saxena,S/o-Sushil Kumar Saxena,R/o-H2202, Amaatra Homes,Vaidpura, Sector-10,Greater-Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh-201306,Have Changed My Name to Vishal Kumar Saxena,for All,Future Purposes. 0040787492-1

I,VISAKH VIJAYAKUMARAN NAIR,S/O VELAYUDHAN NAIR VIJAYA KUMARAN NAIR,R/O-22/303 NURSES RESIDENTIAL COMPLEX SRINIWASPURI DELHI-110065,HAVE CHANGED MY NAME TO VISAKH .V FOR FUTURE,PURPOSES. 0040787490-4

I,VINOD MAHENDRU,S/O RAM NATH MAHENDRU,R/O-C-235 STREET NO-8,MAJLIS-PARK DELHI-110033,HAVE CHANGED MY NAME TO VINOD KUMAR MAHENDRU. 0040787462-8

I,Tannu W/o-Manish Taneja,R/o F-114,GF, Sudershan Park, Delhi-15 have changed my name to Tannu Taneja 0040787470-8

I,Syed Mohd Shafi,S/o-Syed Ghulam Mohiuddin,R/o H-708,R/S,3rd Floor,Samshul-25 Feet-Road,Mustafa Masjid, Jaitpur Extn.,Part-2, Badarpur, Delhi-110044,have changed my name to Syed Mohammad Shafi. 0040787491-7

I,Sushila Devi W/o Satish Chandra Gupta,R/o A-2204, Heritage One,Sector-62, Ulhawas (83), Gurgaon, Haryana-122101,have changed my name to Sushila Gupta. 0040787490-1

I,Shweta Arunkumar Gour/ Gour Shenta Arunkumar,W/o-Pawan R/o.Flat.no.C-004, Greenwich Tower C,Grand Omaxe,Sector 93B,Noida, Gautam Budh-Nagar,U P 201304,have changed my name to Shweta Gour. 0040787470-9

I,Satish Chander Gupta,S/o Late Diwari Lal Gupta,R/o-A-2204,Heritage One,Sector 62, Ulhawas (83),Gurgaon, Haryana-122101,have changed my name to Satish Chandra Gupta. 0040787490-2

I,Sanjay Diwan,S/o Chaman Lal,R/o House No-275/175 G-3,Gali No-A-1,Village Wazirabad,Delhi-110084,have changed my name to Sanjay Kumar permanently 0040787489-4

I,Rupa Shri Dhar,W/o-Rajeev Ranjan Sinha,R/o,Flat.No.703, Tower-8,CHD Avenue-71, Sector -71,Gurgaon (Haryana) -122101, have changed my name to Rupashri Sinha. 0040787462-1

I,RIDHI GOYAL D/O SURESH GOYAL R/O H.NO-148 B-8 SEC-3 ROHINI DELHI -110085, HAVE CHANGED MY NAME TO RISH GOEL. 0040787490-3

I,Rohit Nikhil Shah s/o-Nikhil Ganeshmal Shah,R/o-7/35, Subhash-Nagar,New delhi-110027,have change my name to Rohit Shah,permanently 0040787470-7

I,Rishabh Jain,R/o 21/6,Ground Floor,Shakti Nagar, Delhi-110007,have change my minor son's name,from Divyaan Jain to Divyaan Rishabh Jain permanently. 0040787489-5

I,Rathi Kamla Shankerlal,W/o Shankerlal Prabhulal Shah, R/o-8/B Ashray,Society Nr.Tulsidham Apt.Manjalpur, Vadodara-Gujrat 390011,have changed my name to Sudhakumari Shanker Lal Shah. 0040787470-2

I,Rajeev Singh S/o Sh.Baij Nath Singh,R/O,A-95,Vivek-Vihar Phase-2,Delhi-110095,have changed my name to Rajeev Kumar, permanently. 0040787470-6

I,RIYA KAPOOR W/O SUNIL KAPOOR R/O 23A/11B THIRD-FLOOR NR.MOTHER DAIRY TILAK NAGAR DELHI -110018. HAVE CHANGED MY NAME TO POOJA. 0040787490-6

I,Priyanka,D/O-Surender R/O Jhuggi 89,C D Park,Jahangir Puri,Delhi-110033,have changed my name to Priyanka Singh for all future purposes. 0040787490-9

I,Priya Singh W/o Ambuj Shukla R/o,H.No-485,Sector-1,Vaishali, Ghaziabad Uttar Pradesh-201010,have changed my name to Priya Shukla. 0040787462-2

I,Priya Dubey W/o Vinay Kumar Dubey,aged-37Yrs, R/o-G-1704, Antriksh Golfview, Plot-No.GH0054, Sector-78, Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar-Pradesh-201305, That in my passport Bearing-No.U6214750 my husband name has been wrongly-mentioned as Vinay Dubey instead of Vinay Kumar Dubey,which may be amended accordingly,for all future purposes. 0040787488-1

I,PALAK AGARWAL,D/O-RAJESH AGGARWAL,R/O-FLAT.NO-714 TOWER-7,JAYPEE GREEN-WISH TOWN PH-4,SEC-128,NOIDA GAUTAM-BUDDHA NAGAR,U.P.-201304,HAVE CHANGED MY NAME TO 0040787462-6

I, PRAVANSHU MANDAL, Father of No.15263674H(GNR) BISWA-JIT MANDAL, resident of Village-Abasbari, P.O.-Bar Simulbari, P.S.-Chandipur, District-Purba Medinipur, West Bengal-721659 have changed my name from PRA-VANSHU MANDAL to PRAVAN-SU KUMAR MANDAL, vide affi-davit IN-DL80492830041356X, dated:07/05/2025, before Notary, Advocate: Rajkumar, Regd.No.-6536, New Delhi. 0070966115-1

I,Manohar Lal S/o Wapar Mal R/o BFH-3 Shalimar Bagh Delhi-110088,have changed my name to Monahar Lal Tejwani. 0040787489-2

I,NIHAL SINGH,S/o-Dalip Singh Yadav,R/o Flat.Number A 39,third floor,Golden-Villa NH-8,Near-village Khijuri,82 Mile-Stone Rewari,Haryana-123401,have changed my name to NIHAL SINGH YADAV. 0040787489-7

I,Mohd Mustaquim,S/O Haji Raisuddin,House.no-1309 D-1 Gali no-13,Govind Puri Kalkaji New-Delhi-110019,have Changed my Name to MOHD MUSTAQIM Permanently 0040787462-5

I,Mohammad Sadique Ansari, s/o Mukhtar Ahmad Ansari, R/o D-241/B,second Floor, Abul-Fazal Enclave Part-1, Jamia Nagar, Delhi-110025, have change my name to Mohd Sadique Ansari permanently. 0040787464-2

I,Menka Sharma w/o-Manohar Kant,R/o H.No.534,Jawahar Colony,Faridabad-121001, Haryana,have changed my name to Menka Paliwal Permanently. 0040787464-6

I,Madhumita w/o,Rajiv Amarnath Kunwar,R/o,T7 301-Zion-Lake View Apartment, Sector-48, Faridabad-121001, Haryana, have change my name to Madhumita Kuanwar, permanently 0040787464-4

I,MAHINDER PAL SINGH DUA S/O-BALWANT SINGH R/O-103,SWARAN APARTMENT, NEAR MADHUBAN CHOWK, PITAMPURA,DELHI-110034, have changed my name to MAHINDER PAL SINGH 0040787489-8

I,LAXMI SIDHU W/o DHEERAJ KUMAR R/o H No-05 First Floor, Gali No-09, Mohan Garden, Uttam Nagar Delhi-110059,have changed my name to LAXMI MEHRA. 0040787470-3

I,Kamal Kumar Sharma,S/o Bhagwati Sharma,R/o AD-121C,Pitampura, Delhi-110034,have changed my name to Kamal Sharma 0040787491-1

I,Kamal Kharera S/o Rajender Singh R/o B-3,First flFloor, hastsal Vihar,uttam Nagar, Mohan Garden,Delhi-110059, have changed my name to Kamal Kumar. 0040787470-5

I,KURIAKOJE MAN-GALATHUKARI VARKEY S/o VARKEY R/o-152-C Pocket A-2,Mayur Vihar Phase-3, Vasundhra Enclave,Delhi-110096,have changed my name to KURIAKOSE MAN-GALATHUKARI VARKEY. 0040787470-4

I,KUMAR SHIVAM,S/O SANJEEV KUMAR, HOUSE.NO.103-A, FLAT NO.B4, CHANDANHOLA, SOUTH DELHI,DELHI-110074, DECLARE THAT GIVEN NAME KUMAR SURNAME SHIVAM. 0040787489-9

I,KRISHAN S/O SURENDER R/O C-35 SUBHASH PARK UTTAM NAGAR DELHI-110059.HAVE CHANGED MY NAME TO KRIS-HAN KUMAR JINDAL. 0040787489-1

I,Jai Kishan S/O-Shree Girdhari Lal R/O-House No-A3/4,Rana Pratap Bagh,Delhi-110007, have changed,my name,to Jai Kishan Singhal for,all future,purposes. 0040787490-8

I,Innu w/o-Vijay Sharma,R/o 22/22,Ground Floor,Moti Nagar, Ramesh Nagar,Delhi-110015,have changed my name to Innu Lal Permanently. 0040787464-5

I,Dharmender,s/o Girdhari Lal,R/o H.No.4805/44-R,Regar Pura, Karol Bagh,Delhi-110005, have change my name to Dharmender Kumar permanently 0040787464-1

I,Binod Kumar S/o Ram Kishun Gupta,R/o,H.No.D-48,Gali-No.9, Rishi Kardam-Marg, Jagjeet-Nagar,Tisra-Pusta, Ghonda, Bhajanpura, North-East Delhi-110053,have changed my-name to Vinod Kumar. 0040787491-4

I,Baby Bai W/o Monahar Lal Tejwani R/o BFH-3,Shalimar Bagh Delhi-110088,have changed my name to Baby Tejwani. 0040787489-3

I,BIRJESH DEVI W/O-PREMVIR SINGH R/O-260,GROUND-FLOOR SARSWATI SECTOR-5,VAISHALI I E SAHIBABAD, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201010,HAVE CHANGED MY NAME TO BRIJESH SINGH. 0040787464-7

I,BHANWAR LAL SHARMA,S/o-RADHE SHYAM SHARMA,R/o-98,2nd Floor,Pocket-13,Sec-20,Rohini,Delhi-110085,have changed the name of my minor daughter namely Manvi aged-13-years and she shall hereafter be known as Manvi saraswat. 0040787489-6

I,Arushi Gulati,D/o-Deepak Gulati R/o&Flat No.504,Mavilla Appartment Mayur-Vihar Phase-1,Delhi-110091,have changed my name to Aarushi Gulati 0040787470-1

I, Palak Gumber W/O Shresht Khullar, R/o-A-4/34,Rohini Sector-16, North-West Delhi-110085,have changed my name to Palak Khullar 0040787436-3

I, Simranjeet Singh S/o Sh. Jagmohan Singh, R/o WZ-J-36-C, Upper Second Floor, Gali No-9, Beri Wala Bagh, Hari Nagar, N.D.-64. My Son Harshit Vedi and Harshit Singh Same Person. 0040787457-2

I, Khushi D/o No 3187479L Rank NK (LATE) PARVINDER Kumar R/o Plot No-15, Gali no.3 Sainik Enclave Uttam Nagar PO-D.K.Mohan Garden, Delhi-59 have changed my name to KHUSHI DAGAR VIDE AFFI-DAVIT DATE 7.5.25 BEFORE DELHI. 0070966129-1

सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए स्टारलिंक को आशय पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

सरकार ने उपग्रह संचार सेवाओं के लिए अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक को आशय पत्र जारी कर दिया है। स्टारलिंक एक उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता है, जिसे एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्थापित किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्टारलिंक को आशय पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले, सरकार ने यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को भी लाइसेंस जारी किए थे।

व्यक्तिगत

I,Anju Surjitsingh Vaid,D/O Bhalla Banarsilal,R/O-117,Gali no-2,Gopal-Park,Krishna-Nagar Delhi-110051,Have Change My Name From Anju Surjitsingh Vaid To Anju Vaid,For All,Future purposes. 0040787491-6

I,Ahmad Khan S/o Azaz Khan R/o RZ-G-33, Nihal Vihar, Nangloi,New Delhi-110041, have changed my-name to Ahamad Miyan for all-purposes. 0040787491-3

I,AVINASH KASHYAP,S/o Late Sh.SHER SINGH,R/o A-271/3, NEAR BANKEBIHARI MANDIR, RAJENDRA NAGAR,BAREILLY, U.P-243122,have changed my name from ABNASH KUMAR to AVINASH KASHYAP,for all,future purpose. 0040787490-7

I,JITESH BEHAL S/O RAMESH PAL BEHAL,R/O, HOUSE.NO. 123-124, UPPER GROUND-FLOOR, POCKET-2,SECTOR-25,ROHINI, DELHI-110085,have changed my name to JITESH BEHEL. 0040787462-3

I,ALI S/O-MOHAMMAD ABBAS R/O,6717/18,KOTHI MEM BARA HINDU RAO,DELHI-110006, HAVE CHANGED MY NAME TO' ALI MEHNDI',FOR ALL, PURPOSES. 0040787462-4

I,AJAY KUMAR CHOWHAN,Son of,SHANKAR LAL,H.NO-A-20, GALI.NO-5/4,SHAKTI VIHAR, I-BLOCK ROAD,BEHIND NUM-BERDAR-COLONY,METHA-PUR,BADARPUR, DELHI-110044,Have changed my name to AJAY KUMAR,for all,future purpose. 0040787470-10

I,AAKANKSHA KHOSLA,M/O SAMANYU SAKHUJA,R/O-H.NO-12 KASTURBA-APART-MENT PITAMPURA, DELHI-110034,HAVE CHANGED MY-MINOR SON NAME TO SATVIK ARORA 0040787462-7

I, hitherto known as KANCHAN KUMAR S/O JAGAT SINGH R/O H. No-66, Khaira Village, South West Delhi-110043 have changed my name and shall hereafter be known as VISHAL KUMAR. 0070966112-1

I, Surender Singh s/o Sardar Singh r/o B-2/134, 3rd floor, Janak Puri, New Delhi-110058 have changed my name to SURINDER SINGH permanently. 0040787424-2

I, Priyanka Jha W/o Bhanu Prakash R/o 1768, Tower-I, Gaur Atulyam, Omicron-1, Greater Noida, UP-201310 have changed my name to PRIYANKA SHARMA for all purposes. 0070966085-1

I, Rajeev Kumar Gupta S/o Ved Prakash Gupta R/o Bt-23, Bt Block, West Shalimar Bagh, North West Delhi, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as Rajeev Gupta. 0070966084-1

It is for general information that I, HARSHITA D/O AJAY KUMAR GUPTA EX. WIFE OF LATE SH. AVICHAL JAIN R/O B-28, FLAT NO. 6, SECOND FLOOR, NEAR PALI FACTORY, EAST UTTAM NAGAR, D.K. MOHAN GARDEN, WEST DELHI, DELHI-110059 declares that my husband AVICHAL JAIN expired on dated 17.09.2019 and death Certificate was issued with Registration No. MCDOLIR-0219-004971303 dated 24.09.2019. Further I remarried with RAJAT KOCHHAR S/O ARUN KOCHHAR vide mar-riage certificate No. 90730000162438 Henceforth, I have changed the name of my minor son RUDRANSH JAIN ALIAS ATHARV JAIN aged 13 years and he shall here-after be known as ATHARV KOCHHAR Further, I declare that the name of the father of my minor son known as RAJAT KOCHHAR in future for all purposes. 0070966121-1

खोया+पाया

I,Ramesh Kumar S/o-Tarsem Lal, have Lost My Original Allotment Letter of E-361, Budh-Nagar, J.J.Colony Inderpuri,New Delhi Finder Contact#7678323103. 0040787462-10

This is to Inform you that My Original Apartment Buyer Agreement DT-03/07/2013 and Allotment Letter DT-02/05/2013 of Flat NO- 1001 Tower- 8, PH-2, Greenopolis Project Sec- 89, Gurgaon Misplaced on 26/3/2025. IF Found Pl Contact- Jitendra-9811136176. Mail Id- JEETU. OMNICIENT@GMAIL.COM 0040787479-1

I, KIRAN SHARMA, W/o SHRI RAJESH SHARMA, R/o-143, SECOND-FLOOR, SAVITA VIHAR, DELHI-110092,have lost.(a) Order of Delhi High Court in respect of sale per-mission of share of property of minor child (b).Death Certificate of Smt.Vinay Bhatia and,(c) Surviving Member-Certificate of Late Smt.Vinay Bhatia, which are related to my Property-No.143, Savita Vihar, Delhi.I have lodged a complaint in this regard vide-LR.No.2810016/2025, dated-05/05/2025 ,P.S.Crime Branch,Delhi.9810053002 0040787436-1

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती रेखा भण्डारी पत्नी स्व० श्री मंगत सिंह भण्डारी पता फ्लैट नं0 394, सी–ब्लाक, वीर आवास, सेक्टर–18पु, द्वारका, नई दिल्ली–110075 ने अपने पुत्र **नीरज सिंह भण्डारी व पुत्रवधु श्रीमती ज्योति** के अवज्ञाकारी / नियन्त्रण में न तथा अभद्र व्यवहार के होने के कारण अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिये हैं और सारे संबंध विच्छेद कर लिये हैं। अगर उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधु कोई नैतिक व अनैतिक तथा अपराधिक कार्य करते हैं तो वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी तरह का लेन देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा इसमें मेरी मुविक्कला व मेरी मुविक्कलों के परिवार की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

हस्ता./–
अजय राय
अधिवक्ता

PUBLIC NOTICE

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री नरेश कुमार शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री फूल सिंह शर्मा, निवासी आरजेड–ई–54, न्यू रोशन पुरा, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043 ने अपने बेटे श्री सोनू शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती मनु शर्मा, निवासी गाजियाबाद, यूपी में उनके कुकर्मों के कारण सभी संबंधों को अस्वीकार कर दिया है और तोड़ दिया है। गैरजिम्मेदाराना व्यवहार और कृत्यों के लिए, इसलिए, मेरे मुवक्किल ने उन्हें अपने स्वामित्व वाली सभी चल और अचल संपत्तियों से वंचित कर दिया है। भविष्य में, मेरे मुवक्किल उनके द्वारा किए गए कार्यों या कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

Sd./-
(PAWAN KUMAR JAKHU)
ADVOCATE
Mob. 9810362196

PUBLIC NOTICE

My client Rajender Kumar s/o sh. Ram Asrey r/o 6130, Gali Chunni wali Sadar Bazar, Delhi-110006 hereby **DEBAR** his son Rajesh from all their movable and immovable properties and severed all relations with her being disobedient, and indulging in illegal activities, and she is out control of my client (s). My Client (s) shall not be responsible for Civil and criminal liabilities, for his intolerable act and conduct. If any person or persons make any dealing with her he himself will be responsible.

Sd/-
Surjeet Singh
Advocate
Ch No 618, Western Wing
Tis Hazari courts Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my clients **Jagdish Kumar** son of Shri Bala Din and **Mrs. Ramakanti Devi** wife of Shri Jagdish Kumar both residents of Plot No.C-39-A,Viaks Vihar, Kakrola, South West Delhi, Delhi-110078, have disowned/ debarred their son namely **DILIP alias VINOD** and his wife namely **Nanhee** and their Children from their movable and immovable properties due to his/their disrespectful behavior, out of control and have severed their relations with him/them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with him/them will do so at his/their own risk and responsibility.

SURESH KUMAR
(Advocate)
Enrollmant No.D/7888/2020
Shop No-1, Ground Floor, B-57, Vishwas Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या 015 ब्लॉक एसयू (ग्राम सुथियाना) के सेक्टर 71 नोएडा क्षेत्रफल 96.99 स्क्वायर मीटर के अंतरण पत्र धारक आवेदक की पत्नी अर्चना शुक्ला उर्फ़ अर्चना मिश्रा थी इस भूखण्ड से संबंधित वसीयत मेरी पत्नी ने मेरे पक्ष में दिनांक 25–10–2024 को निष्पादित की जो उपनिबंधक कार्यालय प्रथम नोएडा गौतम बुद्ध नगर में बही संख्या 3 जिल्द संख्या 1159 के पृष्ठ 235 से 248 तक क्रमांक 1083 पर दिनांक 25–10–2024 को पंजीकृत है। मेरी पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 05–12–2024 को हो गया है मैं उक्त भूखण्ड को वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में कराना चाहता हूं अगर उक्त अंतरण पर किसी को कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति इस प्रकाशन से 30 दिन के अंदर आवासीय भूखण्ड विभाग नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 6 नोएडा में प्रस्तुत करे।

निवेदक – अतुल शुक्ला निवासी मकान संख्या 51, ब्लाक–डी, सेक्टर–52, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

SD./-
HK VASHISTH
ADVOCATE
NOIDA

PUBLIC NOTICE

It is to inform to all public that **I, MANOJ DOGRA, S/O MR. UTTAM CHAND (LATE), R/O B-80, SECTOR-22, NOIDA 201301 and a Registered WILL holder of my FATHER LATE UTTAM CHAND (AADHAR NO. 2321 3862 4625) S/O LATE BIDHI CHAND, R/O B-80, SECTOR-22, NOIDA (U.P.) IN RESPECT OF RESIDENTIAL LIG HOUSE NO. 80, BLOCK-B, SECTOR-22, NOIDA (U.P.) DULY REGISTERED IN THE OFFICE OF REGISTRAR-I, NOIDA BEARING BAHI NO. 3, REGISTRATION NO. 500 ON 21/10/2023.** Whereas further inform that the above mentioned Residential LIG House No. 80, Block-B, Sector-22, Noida is to be mutated/transferred in my name from the office of Noida Authority, if anyone has/have any Objection in this regard, kindly lodge his/her/their Objection before the office of the concerned Housing Department of Noida Authority within 30 (thirty) days from the date of this Publication without any delay.

Sd/-
VISHAL KANAUJIYA
Advocate
Chamber No.--483
Western Wing Tis hazari Courts

PUBLIC NOTICE

I, MANISH VERMA S/O LATE SHRI GAJINDER SINGH R/O-1/6949, SHIVAJI PARK SHAHDARA, DELHI-110032. THAT THE MY CLIENT SHRI SAHIL JAIN S/O SHRI SUNIL KUMAR JAIN WAS THE ACTUAL AND ABSOLUTE OWNER AND IN PHYSICAL POSSESSION BUILT UP DLF FREE HOLD PROPERTY FOR AREA MEASURING 203,17 SQ. MTR. (243SQ.YARDS), BEARING THE PROPERTY NO.F-1, PLOT NO.1, FORMING PART OF THE KHASRA NO.531/303, TOEGTHER WITH CONSTRUCTION BUILT THERE ON WITH RIGHTS UP TO THE LAST STOREY, SITUATED AT THE ABADI OF F-BLOCK, NAVEEN SHAHDARA, IN THE AREA OF VILLAGE ULDHANPUR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110032, THAT THE ORIGINAL PREVIOUS PROPERTY PAPER/ REGISTRY OF MY CLIENT IN THE NAME OF SMT. NAND KAUR W/O SHRI JASSA SINGH D/O SHRI BHADUR SINGH VIDE SALE DEED DULY REGD. AS DOCUMENT NO.17505, ADDL. BOOK NO.1, VOLUME NO.491, ON PAGE NO.108-109, DATE 04.12.1971 WITH THE OFFICE OF S.R. DELHI AND ANOTHER DOCUMENT A GENERAL POWER OF ATTORNEY DULY REGD. AS DOCUMENT NO.42, ADDL. BOOK NO.4, VOLUME NO.174, ON PAGE NO.179-186, DATE 16.03.1981, REGISTERED IN SUB REGISTRAR HAPUR, U.P. IS MISSING AND NOT TRACEABLE TOWARDS MY BEST EFFORTS SO ANY BODY FOUND MY PAPERS PLEASE CONTACT ME. **contact us:- SAHIL JAIN MOBILE No.9811236236,**

MANISH VERMA
(ADVOCATE),
9899923094, 9810195004

IAS | RAS FOUNDATION
Sikar | Jaipur
तैयारी एक साथ करें !
New Batch 19 May
KALAM IAS ACADEMY
✧ IAS cum RAS Course
✧ Library Access
86963-44044
AIR 14 Abhishek Vashishtha
AIR 63 Chougule Aditi Sanjay

एक नवंबर से दूसरे राज्यों के गैर बीएस-6 वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बताया गया कि राजधानी दिल्ली में एक नवंबर, 2025 से केवल बीएस–6 अनुरूप सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल (लाइट, मीडियम और हैवी) को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके इतर उन्हीं वाहनों को छूट रहेगी जो दिल्ली में पंजीकृत होंगे।

अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को पुराने हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के उपायों और स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए केंद्र की ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ दिल्ली एनसीआर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमित्र वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने न्यायालय को सूचित किया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के उपायों पर सकारात्मक हलफनामा दायर किया है। एएसजी भाटी ने पीठ को दिल्ली में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध (निर्देश 88) और जीवन–काल समाप्त हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने (निर्देश 89) के संबंध में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के साथ–साथ स्वच्छ ईंधन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए केंद्र के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को ले जाने वाले गैर–भारत–6 अनुपालक वाणिज्यिक परिवहन वाहनों को केवल 31 अक्तूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दस साल से ज्यादा पुराने

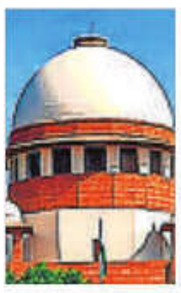

बीएस-6 अनुरूप सीएनजी, एलएनजी व इलेक्ट्रिक गुड्स व्हीकल को प्रवेश मिलेगा। *ईंधन* स्टेशनों पर नंबर प्लेट रिकाग्निशन कैमरों से की जाएगी वाहनों की।

डीजल वाहन और 15 साल से ज़्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मामले को संबोधित करते हुए भाटी ने सीएक्यूएम द्वारा जारी निर्देश 89 पर प्रकाश डाला। उन्होंने अदालत को बताया कि दिल्ली में अभी भी 61 लाख मियाद पूरी कर चुके वाहन मौजूद हैं। हरियाणा में 27 लाख, उत्तर प्रदेश में 12 लाख और राजस्थान में छह लाख हैं। इससे निपटने के लिए ईंधन स्टेशनों पर लगाए गए आटोमेटेड नंबर प्लेट रिकाग्निशन कैमरा सिस्टम नंबर प्लेट को पढ़ेगा और ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ईंधन स्टेशनों पर नंबर प्लेट रिकाग्निशन कैमरों या अन्य सिस्टम के ज़रिए पहचाने जाने वाले इन वाहनों को ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यातायात पुलिस और एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर भी इन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने में सहायता करेंगे। हालांकि ये निर्देश उन वाहनों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें विशेष अदालती निर्देशों या कानून के तहत छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सरकारी विभागों को पट्टे या किराए पर आधिकारिक उपयोग के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट संबंधी दिवंगत प्रोफेसर की याचिका पर खुद लिया संज्ञान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिवंगत प्रोफेसर शमनाद बशीर द्वारा 2015 में दायर रिट याचिका पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। याचिका में नेशनल ला यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए कामन ला एडमिशन टेस्ट (क्लैट) आयोजित करने के लिए स्थायी निकाय के गठन की मांग की गई थी।

चूंकि प्रोफेसर बशीर का 2019 में निधन हो गया था, इसलिए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने उनकी रिट याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया और प्रतिवादियों केंद्र, बार काउंसिल व एनएलयू को नोटिस जारी कर दिया।

पीठ दिसंबर 2024 में आयोजित क्लैट व यूजी 2025 परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रश्नों में कई गलतियों को देखते हुए पीठ ने नेशनल ला यूनिवर्सिटी के संघ द्वारा प्रश्नपत्र तैयार करने के लापरवाह तरीके पर निराशा व्यक्त की। जजों ने कहा– सबसे पहले, हमें इस बात पर पीड़ा व्यक्त करनी चाहिए कि एनएलयू क्लैट परीक्षा के लिए प्रश्नों को किस तरह से तैयार कर रहा है, जिसमें देश के लाखों छात्रों की आकांक्षाएं शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक रूप से पूछा कि क्लैट को एनएलयू के बजाय रोटेशन के आधार पर स्थायी निकाय द्वारा क्यों नहीं आयोजित किया जा सकता है। न्यायमूर्ति गवई ने पूछा– क्या आपके पास इस तरह का संघ है? सभी कुलपति एक साथ बैठकर खुद को सर्वोच्च प्रतिष्ठा वाले शिक्षाविद कहते हैं? आपके पास स्थायी तंत्र क्यों नहीं है? नीट या जेईई जैसा कोई स्थायी तंत्र क्यों नहीं हो सकता? कौन से कुलपति ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं?

'आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गार

नई दिल्ली
राजधानी

मौसम
तापमान
अधिकतम-36.5
न्यूनतम- 24.8
नई दिल्ली
सूर्योदय- 05:35
सूर्यास्त- 06:59

3

जनसत्ता | 8 मई, 2025

दिल्लीवालों को गर्मी से राहत, तीन दिन बारिश के आसार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2.8 डिग्री कम है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है। इससे पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने बुधवार को गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया था।

दिल्ली में बुधवार को दिनभर हल्की हवाओं और आंशिक तौर पर बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिलने का सिलसिला जारी रहा। देर शाम को राजधानी में बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया। दिल्लीवालों के लिए

दिल्ली सहित एनसीआर के शहरों में बुधवार शाम हुई बारिश

अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट

अच्छी बात यह है कि यह सिलसिला 13 मई तक ऐसा ही रहेगा, जिसमें बारिश के साथ तेज हवाएं भी सुकून देंगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने गुरुवार और शुक्रवार को भी आंधी तूफान के साथ बारिश होने की पूर्वानुमान जताया है। साथ ही बिजली कड़क ने और मजबूत सतही हवाएं चलने का अनुमान जताते हुए पीली चेतावनी भी जारी की है।

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, आठ-नौ मई को आंधी तूफान के साथ बारिश आने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। नौ मई को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रेकार्ड होने की संभावना है। जबकि 10 मई को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। इसके अलावा 11 से 13 मई को भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया गया है जिसके चलते अधिकतम तापमान जरूर 37 से 38 के बीच रहने की संभावना है, लेकिन न्यूनतम तापमान के 27 से 28 डिग्री के बीच रेकार्ड होने का अनुमान जताया गया है। आइएमडी ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 69 फीसद दर्ज की गई जबकि शाम साढ़े पांच बजे 47 फीसद रेकार्ड हुई।

ई-रिक्शा पलटने से बच्ची की मौत, मां और दो भाई घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

हर्ष विहार इलाके में मंगलवार शाम को एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा के पलट जाने से आठ वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी मां और दो छोटे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक बच्ची की पहचान दिव्यांशी के रूप में हुई है, जो ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने परिवार के साथ घर लौट रही थी।

पुलिस ने बुधवार को जानकारी दी कि दिव्यांशी की मां समीना (28) ने आरोप लगाया है कि ई-रिक्शा चालक तेज गति से वाहन चला रहा था और बार-बार कहने के बावजूद उसने गति कम नहीं की। समीना और उसके दोनों बेटे भी रिक्शा में सवार थे। जब वाहन एक मोड़ पर पहुंचा, तो चालक नियंत्रण खो बैठा और ई-रिक्शा पलट गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने दिव्यांशी को मृत घोषित कर दिया।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए कृत्रिम वर्षा के परीक्षण का प्रस्ताव मंजूर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक की हुई। बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के लिए क्लाउड-सीडिंग का तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण और कम बारिश से प्रभावी ढंग से निपटना है। इस पूरी परियोजना पर दिल्ली सरकार 3.21 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि हर क्लाउड-सीडिंग ट्रायल यानी कृत्रिम बारिश परीक्षण की लागत लगभग 55 लाख रुपए होगी। पांच परीक्षण के लिए कुल अनुमानित खर्च 2.75 करोड़ रुपए आंका गया है। इसके अलावा, एक बार की व्यवस्था जैसे एअरक्राफ्ट की कैलिब्रेशन (विमान का अंशांकन), कैमिकल स्टोरेज और लाजिस्टिक

आइआइटी कानपुर की देखरेख में होगा परीक्षण। परियोजना पर दिल्ली सरकार 3.21 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

(रासायनिक भंडारण और रसद) के लिए 66 लाख रुपए का खर्च तय किया गया है।

इस परियोजना को आइआइटी कानपुर के दिशा निर्देश में संचालित किया जाएगा, जो पूरे परियोजना की योजना, विमान की तैनाती, रसासन के छिड़काव, वैज्ञानिक माडलिंग और परीक्षण (ट्रायल्स) की निगरानी करेगा। दिल्ली सरकार इस परीक्षण के लिए आइआइटी कानपुर को फंड जारी करेगी।

पहला परीक्षण मई के अंत या जून 2025 में हो सकता है, जो लगभग 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, मुख्यतः दिल्ली के बाहरी इलाकों में किया जाएगा। परीक्षण के बाद वैज्ञानिक रूप से इसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कृत्रिम बारिश वायु गुणवत्ता और वर्षा पर कितना प्रभाव डालती है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को ओखला गांव में अवैध निर्माण ढहाने का आदेश दिया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को राष्ट्रीय राजधानी के ओखला गांव में अतिक्रमण और अवैध निर्माण को ढहाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने प्राधिकरण को तीन महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा कि हम डीडीए को दो बीघा और 10 बिस्वा क्षेत्र में अनधिकृत संरचनाओं के संबंध में कानून के अनुसार ढहाने की

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने प्राधिकरण को तीन महीने के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा।

कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हम कानून की उचित प्रक्रिया की बात करते हैं, तो किसी भी संरचना को ढहाने से पहले संबंधित व्यक्ति को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुल तीन बीघा और आठ बिस्वा जमीन, जो डीडीए को नहीं सौंपी गई थी, में से एक बीघा और आठ बिस्वा का क्षेत्र पीएम-उदय योजना के दायरे में आता है और शेष क्षेत्र योजना के दायरे से बाहर है।

इसने कहा कि हम राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वह तीन बीघा आठ बिस्वा क्षेत्र के संबंध में अवैध संरचनाओं को ढहाए जाने की कार्रवाई करे, जो कानून के अनुसार पीएम उदय योजना के अंतर्गत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के विरुद्ध अपने 2018 के निर्देशों के उल्लंघन के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

आइएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा संभालेंगे दिल्ली जल बोर्ड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

उत्तर प्रदेश के आइएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा को दिल्ली सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है। 2002 बैच के आइएएस अधिकारी कौशल राज शर्मा दिल्ली जल बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आयुक्त रहे कौशल राज शर्मा को हाल ही में लखनऊ स्थानांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सचिव नियुक्त किया गया था। वहीं, मंगलवार को केंद्र सरकार के आदेश पर उनको दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया गया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर उनको दिल्ली सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की जिम्मेदारी इससे पहले एजीएमयूटी कैडर की 2006 बैच की वरिष्ठ आइएएस अधिकारी शिल्पा शिंदे संभाल रही थीं।

मिट्टी ढहने से दबे एक मजदूर की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

द्वारका में बुधवार को 20 फुट गहरा गड्ढा खोदते समय मिट्टी ढहने से 22 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पिंटू और दो अन्य मजदूर गड्ढे में फंस गए, जिससे वे घायल हो गए। अधिकारी ने बताया कि सुरुखपुर रोड पर भूमिगत सीवर लाइन के लिए 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी मिट्टी ढह गई और तीन मजदूर उसमें फंस गए। उन्होंने बताया कि बचाव दल को तुरंत घटनास्थल पर भेज दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापनसंख्या. 41/2025
भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
में
निदेशक (तकनीकी)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि
29/05/2025 (15:00 बजे तक) है।
नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों को
लोक उद्यम चयन बोर्ड में अग्रेषित करने की अंतिम तिथि
09/06/2025 (17:00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
https://pesb.gov.in
में लॉग इन करें।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शेयर विभाग, बोर्ड और समन्वय प्रभाग, प्लाट संख्या-4, द्वारका सेक्टर 10, नई दिल्ली-110075 (ई-मेल: hosd@pnb.co.in, दूरभाष: 011-28044857)
सार्वजनिक सूचना
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित बैंक का शेयर प्रमाण पत्र खोने/गुम/चोरी होने के रूप में रिपोर्ट किया गया है और इसके पंजीकृत धारक/दावेदार ने डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया है:

क्रम सं.	शेयरधारक/दावेदार का नाम	फोलियो संख्या	प्रमाण-पत्र संख्या	शेयरों की विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
1.	विजय कुमार गुप्थ (मृतक) गरिमा गुप्ता (दावेदार)	0116652	7602	6393991-6395490	1500

किसी व्यक्ति द्वारा उक्त शेयरों के संबंध में कोई दावा/उपरोक्त उल्लिखित शेयरधारक/दावेदार के पक्ष में डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में किसी भी आपत्ति के मामले में उसे/उन्हें इस सूचना के प्रकाशन तिथि के 15 दिन के भीतर अपने दावे या आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रमाण पत्र के संबंध में बैंक द्वारा कोई दावा प्राप्त नहीं किया जाता है तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र/पुष्टिकरण पत्र जारी किए जाएंगे। सामान्य जन को उपर्युक्त प्रमाण पत्र के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से सावधान किया जाता है।
दिनांक: 06.05.2025
स्थान: नई दिल्ली
कृते पंजाब नैशनल बैंक
(बिक्रमजीत शोम)
कंपनी सचिव

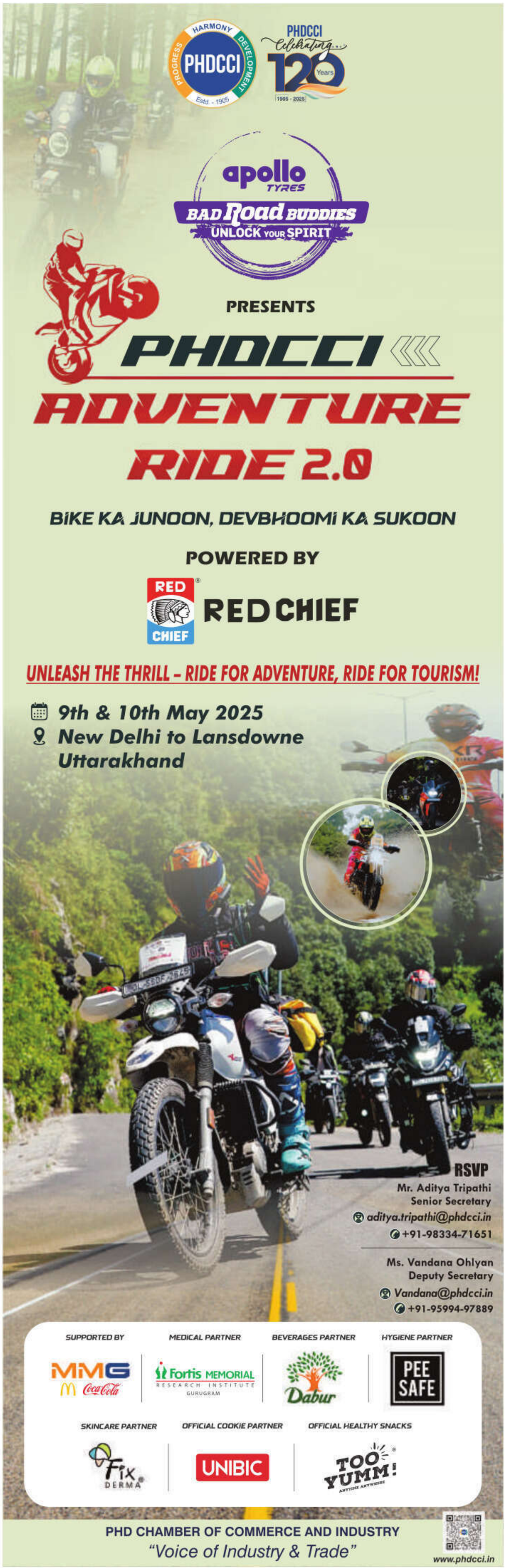

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	34.8	33.4	33.4	35.1
न्यूनतम	25.1	24.2	24.4	24.4

हमले की स्थिति को लेकर सतर्कता

राजधानी में 55 स्थानों पर किया गया सुरक्षा अभ्यास

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बने तनावपूर्ण माहौल के चलते दिल्ली में बुधवार को 55 जगहों पर सुरक्षा अभ्यास (माक ड्रिल) किया गया।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से आयोजित इस सुरक्षा अभ्यास के दौरान तेज आवाज में बजते सायरन, सुरक्षित स्थानों की ओर भागते लोग, स्ट्रेचर पर घायल लोगों को लेकर जाने जैसी स्थिति देखने को मिली। हालांकि, पहले से सुरक्षा अभ्यास के बारे में जानकारी मिलने से आम जनता में इसके प्रति कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई दी।

यह सुरक्षा अभ्यास मंगलवार देर रात को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किए गए आपरेशन सिंदूर के बाद किया गया। इस दौरान हवाई हमलों, एक साथ कई जगहों पर आग लगने की घटनाओं और खोज व बचाव अभियान जैसे विभिन्न परिदृश्यों का किस तरह सामना करना है, इसको सुरक्षा अभ्यास के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया। कई स्थानों पर पीसीआर वैन और दमकल गाड़ियां तैनात की गईं, जबकि सुरक्षा कर्मियों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की भी भारी तैनाती की गई। नई दिल्ली जिला के खान मार्केट में, सायरन बजाए गए और लोगों को निकासी अभ्यास के तहत भागने के लिए कहा गया। इसी तरह से मध्य जिला के चांदनी चौक में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, कर्मियों और एनसीसी कैडेट की मौजूदगी में सुरक्षा अभ्यास किया गया।

टाउन हाल के पास चांदनी चौक में निकासी अभ्यास शुरू होते ही बाजार क्षेत्र में सायरन बजने लगे, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। बचाव कार्य शुरू करने का संकेत देते हुए दूसरा सायरन बजाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों को घायलों को बचाने जबकि लोगों से शांत रहने और घायलों की मदद करने का अभ्यास कराया गया। दिल्ली अग्निसेवा की क्रेन का इस्तेमाल ऊंची इमारतों तक पहुंचने और फंसे हुए लोगों को निकालने को दर्शाया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सायरन बजाया गया। चिकित्सकों का एक दल और कई एम्बुलेंस के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचीं। दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर, रामलीला मैदान के पास भी अभ्यास किया गया। राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस दिल्ली सहित कई इलाकों में बुधवार शाम को 15 मिनट का ब्लैक आउट रखा गया। राष्ट्रव्यापी अभ्यास के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में संसद, इंडिया गेट, दूतावासों और प्रमुख प्रशासनिक भवनों में लाइट बंद कर दी गयीं। इससे पहले, एनडीएमसी के एक अधिकारी ने कहा, सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और स्थिति का सामना करें।

नई दिल्ली के खान मार्केट में सुरक्षा अभ्यास में भाग लेते एनडीआरएफ के सदस्य।

दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा

आपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बुधवार को राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के अलावा अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी को भी कानून-व्यवस्था भंग करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि महत्त्वपूर्ण स्थानों और खासकर सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावनी क्षेत्र और आइजीआइ हवाई अड्डे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दिल्ली के पर्यटन स्थलों और बाजारों समेत विभिन्न इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। कनाट प्लेस, इंडिया गेट, जनपथ, यशवंत पैलेस, गोल मार्केट और अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए विशेष गश्ती इकाइयों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस दलों ने प्रमुख प्रवेश और निकास बिंदुओं पर वाहनों की जांच तेज कर दी है।

नोएडा-ग्रेनो में भी तैयारियां

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 मई।

पुलिस आयुक्तालय ने सुरक्षा परख को लेकर बुधवार को नोएडा-ग्रेनो में कई अहम स्थानों पर अभ्यास किया गया। गौड़ सिटी माल में आयोजित अभ्यास के दौरान सायरन बजते ही माल की बिजली बंद कर दी गई। माल में मौजूद लोगों को तुरंत सतर्क कर बाहर निकाला गया। इस दौरान बम निरोधक दस्ते और पुलिस टीम पूरी तरह सक्रिय रही। मौके पर दमकल की गाड़ी भी पहुंची और बचाने की योजना (इवैक्यूएशन प्लान) का अभ्यास किया।

इसी तरह नोएडा के कई स्कूलों में भी इस अभियान के तहत विशेष अभ्यास किए गए। सेक्टर-12 स्थित राजकीय इंटर कालेज में दमकल टीम ने बच्चों को आग लगने की स्थिति में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि आपदा के समय कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्षित निकाला जाए। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि ऐसे अभ्यास लोगों को सजग बनाने के लिए जरूरी हैं। हम चाहते हैं कि हर नागरिक किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हो।

एनटीपीसी दादरी में हुए व्यापक पूर्वाभ्यास में सीआइएसएफ इकाई, उत्तर प्रदेश पुलिस, अग्निशमन विभाग और संयंत्र की विभिन्न टीमों के साथ मिलकर भाग लिया। जिसमें एक काल्पनिक वायु हमले की स्थिति में संयंत्र के तेल (आयल) टैंक में आग लगने का दृश्य रचा गया। सीआइएसएफ के जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 कर्मचारियों को बचाकर एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया।

सायरन के साथ अस्पतालों में एंबुलेंस का तांता

आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को राजधानी के कई अस्पतालों में गहन पूर्वाभ्यास किया गया। केंद्र के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल और दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल, बाबू जगजीवन राम अस्पताल, सरकारी अस्पताल बुराड़ी, चरक अस्पताल और ईएसआइसी सहित विभिन्न अस्पतालों में घायलों के त्वरित इलाज का अभ्यास आयोजित किया गया। दिल्ली में राज्य स्तरीय अभ्यास शाम चार बजे शुरू हुआ। लोक नायक अस्पताल में ठीक चार बजे आपातकालीन वार्ड के फोन घनघनाने लगे, जिसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बम धमाकों और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की सूचना दी गई। इसके तुरंत बाद, सायरन बजाती एंबुलेंस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंचने लगीं। अभ्यास परिदृश्य के अनुसार, वजीराबाद जल उपचार संयंत्र में विस्फोट स्थल से दो पुरुष मरीज और सिविक सेंटर में विस्फोट स्थल से छह मरीज (एक महिला और पांच पुरुष) लोक नायक अस्पताल लाए गए।

दोस्तों की हत्या का बदला लेने के लिए नाबालिग को मारी गोली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

गीता कालोनी थाना क्षेत्र में दो दोस्तों की हत्या का बदला लेने के लिए दो लोगों ने मंगलवार रात 17 वर्षीय किशोर को गोली मार कर घायल कर दिया। इसमें नाबालिग के पेट और सिर में गोली लगी है।

पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, देसी कट्टा किया बरामद।

घायल हालत में नाबालिग को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। गीता कालोनी थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी की है। पुलिस ने वारदात में शामिल एक नाबालिग समेत दो लोगों को दबोचा है। बालिग आरोपित की पहचान रानी गार्डन निवासी अमान और 17 वर्षीय नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से वारदात मे इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा बरामद किया है। शाहदरा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रानी बाग का रहने वाला किशोर अपनी चाची से मिलने के लिए रानी गार्डन इलाके में आया हुआ था। वह अपने दोस्त के साथ मंगलवार रात करीब 9:15 बजे स्कूटी से लौट रहा था, तभी दो हमलावरों ने उस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें उसके सिर और पेट में गोली लगी है। घटना के बाद उसके साथ मौजूद दोस्त आटो की मदद से उसे पास के अस्पताल में लेकर पहुंचा, जहां उसे भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि उसके दोस्त ने ही फोन कर घटना की जानकारी दी थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची तो पता चला कि किशोर की हालत गंभीर है।

सभी दलों ने की सैन्य कार्रवाई की सराहना

किसी माथे का सिंदूर ना मिटने देंगेः रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 7 मई (संवाददाता)।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आपरेशन सिंदूर के पोस्टर को साझा करते हुए लिखा, 'भारत माता की जय।' मैं भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करती हूं क्योंकि उनके निर्णय और निर्णायक शक्ति ने 140 करोड़ भारतीयों का मान बढ़ाया है। उन्होंने लिखा, 'किसी माथे का सिंदूर ना मिटने देंगे, मिटाया तो घर में घुस के मार देंगे। 'आपरेशन सिंदूर', पहलगाम में मारे गए बेगुनाह 26 लोगों को श्रद्धांजलि है। देश के वीर सैनिकों को नमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को नमन।'

हमें सेना और वीर जवानों पर गर्व : केजरीवाल

नई दिल्ली, 7 मई (संवाददाता)।

आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए बुधवार को भारतीय सेना की सराहना की। सैन्य कार्रवाई पर केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़ा है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा,'हमें भारतीय सेना और अपने वीर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं।

पहलगाम हमले का बदला सेना ने लिया : देवेंद्र

नई दिल्ली, 7 मई (संवाददाता)।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि भारत की तीनों सेनाएं बहुत मजबूत हैं और जो भी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को देश में प्रायोजित करेगा। उसका माकूल जवाब देने के लिए सेनाएं पूरी तरह से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने देश के 26 निहत्थे लोगों को निशाना बनाया था। उनकी शहादत का बदला सेनाओं ने कल आपरेशन सिंदूर के तहत बखूबी ले लिया।

हाई कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले में कहा

आरोपी खुद की तुलना भगत सिंह से नहीं कर सकते

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

संसद भवन को भारत का गौरव बताते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 2023 में इसकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने के लिए गिरफ्तार किए गए लोग खुद की तुलना भगत सिंह जैसे शहीदों से नहीं कर सकते।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दिल्ली पुलिस से यह बताने को कहा कि आरोपियों पर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला क्यों दर्ज किया गया। पीठ ने कहा कि संसद भवन में किसी भी तरह की शरारत या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये (संसद) निश्चित रूप से देश का गौरव है। इस बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूएपीए के तहत अपराध बनता है, जिसमें जमानत के लिए सख्त प्रावधान हैं? ऐसे अन्य अधिनियम भी हो सकते हैं जिनके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या यूएपीए के तहत अपराध का मामला बनता है। अदालत इस मामले में गिरफ्तार नीलम आजाद और महेश कुमावत की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालतने पुलिस से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या संसद के अंदर और बाहर धुआं फैलाने वाला उपकरण ले जाना या उनका उपयोग करना यूएपीए के अंतर्गत आता है और क्या यह आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

मुठभेड़ में दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

नोएडा, 7 मई (संवाददाता)।

सेक्टर-14 नाले के पास बुधवार दोपहर बाद थाना फेज वन पुलिस की मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जिसमें एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दूसरे को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। थाना फेज वन पुलिस बुधवार को वाहन जांच कर रही थी।

इस दौरान दिल्ली की तरफ से एक मोटर साइकिल पर सवार दो लोग आते हुए दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जिस पर मोटरसाइकिल सवार वापस पीछे मोड़कर सेक्टर 14 के पीछे से दिल्ली की तरफ जाने वाले गंदे नाले की पटरी पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने चेतावनी देकर उन्हें रुकने को कहा। पुलिस के पीछा करने पर मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई। अपने आप को पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने तमंचे से गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसकी पहचान नीरज के रूप में हुई। इसके साथी को घेराबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। जिसकी पहचान सूरज निवासी सेक्टर-20 के रूप में हुई।

शिकायत निस्तारण में गौतमबुद्ध नगर आयुक्तालय पूरे प्रदेश में अव्वल

नोएडा, 7 मई (संवाददाता)।

आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में आयुक्तालय गौतमबुद्ध नगर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस बार जनपद के 24 थाने की रैंक पहली रही।

मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अप्रैल महीने की मूल्यांकन रपट बुधवार को जारी हुई। आइजीआरएस टीम प्रभारी, सभी थाने के प्रभारी और आपरेटरों को पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने पुरस्कृत करने की बात कही है।

सख्ती

डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सिंचाई विभाग की चेतावनी

बाढ़ में क्षति होने पर नहीं मिलेगी सुरक्षा और मुआवजा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 मई।

सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया है कि गौतमबुद्ध नगर जनपद के कई ग्रामों की भूमि हिंडन और यमुना नदियों के डूब क्षेत्र की परिधि में आती है, जहां अवैध रूप से भवन, स्कूल, फार्म हाउस, क्रेशर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट और बदरपुर की धुलाई की होदियां आदि बनाए गए हैं।

इन सभी निर्माणों को अवैध घोषित करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के दौरान यदि इन निर्माणों को कोई क्षति होती है तो इसकी कोई जिम्मेदारी शासन या प्रशासन नहीं लेगा। डूब क्षेत्र में आने वाले प्रमुख ग्रामों में छजारसी, चोटपुर, यूसुफपुर, चकशाहबेरी, बहलोलपुर, गढीचीखंडी, हैबतपुर, परथला, खंजरपुर, सोरखा, जहीदाबाद, ककराला, अलीवर्दीपुर, जलपुरा, हल्द्वानी, कुलेसरा, हिंडन-यमुना दोआब बंध के पास इलाहाबास, सूथियाना, शहदरा, लखनावली, बेगमपुर, मुबारकपुर, गुर्जरपुर, झट्टा, बादोली बांगर, सफीपुर, चुहडपुर और मोमनाथल शामिल हैं।

सभी निर्माणों को अवैध घोषित करते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि बाढ़ के दौरान यदि इन निर्माणों को कोई क्षति होती है तो इसकी कोई जिम्मेदारी शासन या प्रशासन नहीं लेगा।

यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित मोतीपुर, तिलवाडा, गढ़ी समस्तीपुर, बादौली खादर, कोंडली खादर, कामबक्शपुर, गुलावली, दोस्तपुर मंगरौली, छपरौली, असदुल्लापुर और दाएं किनारे पर हरियाणा के औरंगाबाद, दलेलपुर, याकूतपुर ग्राम भी इस परिधि में आते हैं।

अधिशासी अभियंता ने कहा है कि इन अवैध निर्माणों के कारण बाढ़ के समय जान-माल की भारी हानि हो सकती है। चूंकि ये निर्माण नियमों के विरुद्ध हैं, इसलिए बाढ़ के दौरान सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और शासन द्वारा किसी प्रकार की सुरक्षा, बचाव कार्य या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में यदि किसी तरह की क्षति होती है, तो उसकी वसूली भी अवैध निर्माणकर्ताओं से की जाएगी।

खबर कोना

मुसलिम संगठनों ने सेना के साथ पूर्ण एकजुटता की घोषणा की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

मुसलिम संगठनों ने आतंकवाद के खिलाफ देश की सशस्त्र सेनाओं और सुरक्षा एजंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया है। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद और जमीयत उलमा-ए-हिंद ने देश और सेना के साथ पूर्ण एकजुटता की घोषणा की। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि भारत की इस कार्रवाई में पूरा देश और विशेष रूप से मुसलमान, अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जमाअत का मानना है कि आतंकवाद एक गंभीर खतरा और मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध है।

एम्स में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय परामर्श आयोजित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के सहयोग से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की देखभाल के लिए दिशानिर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के कार्यान्वयन पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। यह परामर्श आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित हुआ, जिसमें देश भर के चिकित्सा विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कानूनी विशेषज्ञों और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डाक्टर मनीष सिंघल ने की। डाक्टर सिंघल ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक ही स्थान पर व्यापक देखभाल केंद्र की आवश्यकता पर जोर दिया।

मद्रासी कैंप में तोड़फोड़ और निवासियों को बेदखल करना बंद करें : माकपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 7 मई।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य समिति ने बुधवार को दिल्ली सरकार से जंगपुरा में मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने और वहां के निवासियों को बेदखल करने की कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह किया और इस कार्रवाई को अवैध और अक्षम्य बताया है। पार्टी ने एक बयान में कहा,'मद्रासी कैंप, जंगपुरा दिल्ली की सबसे पुरानी मान्यता प्राप्त बस्तियों में से एक है और डीयूएसआइबी की अधिसूचित झुग्गी-बस्तियों की सूची का हिस्सा है तथा दिल्ली विशेष प्रावधान अधिनियम, 2011 के अनुसार कानूनी संरक्षण के लिए पात्र है।' करीब 60 साल से अस्तित्व में रहीं इन झुग्गी-झोपड़ियों में मजदूर वर्ग के 400 से ज्यादा परिवार रहते हैं, जिनमें से कई को पिछले महीने बेदखली के नोटिस भेजे गए थे। माकपा ने आरोप लगाया,'वैध दस्तावेज होने के बावजूद, एक तिहाई परिवारों को मनमाने ढंग से पुनर्वास से वंचित कर दिया गया है, जबकि 'पात्र' माने जाने वाले लोगों को सभी प्रोटोकाल का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए 50 किलोमीटर दूर नरेला में भेजा जा रहा है।'

चोरी की तीन मोटरसाइकिल के साथ दो बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 7 मई।

रेकी कर दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को थाना सेक्टर-39 पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और दो चाकू बरामद हुए हैं। आरोपियों की पहचान राजस्थान के भरतपुर निवासी चिंटू मीणा (20) और रवि कुमार (26) के रूप में हुई। एसीपी-1 प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वाहन चोरी की शिकायतें मिलने के बाद गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए थाना प्रभारी की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। टीम जब सोम बाजार के पास जांच कर रही थी, तभी उधर से दो लोग गुजरे। संदिग्ध लगने पर पुलिस टीम ने दोनों से पूछताछ की। जिसमें पता चला कि दोनों व्यक्ति शातिर वाहन चोर हैं, जो रेकी करने के लिए निकले हैं। वर्तमान में दोनों सलारपुर गांव में किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं।

नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरुद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क्र. सं.	ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखा: दिल्ली रोड, हापुड़** श्री दीपक सिंघल पुत्र श्याम किशोर सिंघल **(ऋणी एवं बंधककर्ता)**, पता 1: 327, ब्रह्मानान हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101, पता 2: मकान नं0 75, मौहल्ला- कानूनी गोयन, चाह कमाल, हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101, श्रीमती आरती सिंघल पत्नी दीपक सिंघल **(सह-ऋणी)**, 327, ब्रह्मानान हापुड़, उत्तर प्रदेश- 245101	बंधक आवासीय मकान के सभी भाग व भूखंड, मकान स्वामी श्री दीपक सिंघल स्थित मकान नं0 75 (नया नं0 9-3/428/68), मौहल्ला- कानून गोयन (चाह कमाल), तहसील एवं जिला- हापुड़। ट्रिपल स्टोरी, माप क्षेत्रफल 42.96 वर्ग गज, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस हापुड़, दिनांक 24.08.2016 पर, पंजीकृत नं0 5635, बही नं0 1, जिल्द नं0 10025 पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्व: 26 फीट 08 इंच/ राजेन्द्र प्रसाद का मकान, पश्चिम: 26 फीट 08 इंच/ विजय वर्मा का मकान, उत्तर: 14 फीट 06 इंच/ रास्ता, दक्षिण: 14 फीट 06 इंच/ नरेश का मकान।	आपको दिनांक **28.04.2025** को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रू0 **9,03,369.04** दिनांक 31.03.2025 से + प्रभावी ब्याज + कानूनी एवं अन्य खर्चे भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था जो कि अप्राप्त वापस आ गया **एनपीए की तिथि** **30.12.2024**	**31.03.2025** को रु0 **9,03,369.04** + भविष्य ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांक– 07.05.2025 **स्थान – मेरठ** **प्राधिकृत अधिकारी**

केनरा बैंक Canara Bank

संपत्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) शाखा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन- 011-28751723, 28754731 ई-मेल: cb2365@canarabank.com

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एक मांग सूचना दिनांक 19.02.2025 जारी कर ऋणधारकों /गारंटर/गिरवीदार (1) **मैसर्स शिव ट्रेडर्स (उधारकर्ता), (2) श्रीमती कविता पत्नी श्री राजेश कुमार (मालिक), (3) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रती राम (गारंटर)** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु. 16,69,941.17 (सोलह लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ इकतालीस रुपये और सत्रह पैसे केवल)** + आगे ब्याज + खर्च के भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था।

ऋणधारक उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्दवारा ऋणधारकों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित नियम 8 एवं 9के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक3 मई, 2025को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्दवारा विशेष रूप से ऋणधारकोंएवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन-देन 31.01.2025 **तक रु. 16,69,941.17 (सोलह लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ इकतालीस रुपये और सत्रह पैसे केवल)** + आगे ब्याज + खर्च (-) यदि कोई वसूली हुई है, सभी बकाया की वसूली तक की राशि के लिए केनरा बैंक के प्रभार के अधीन होगा।उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	टाइटल धारक का नाम
1.	खाता संख्या 365, खसरा संख्या 464, ग्राम बैदपुरा, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 200 वर्ग गज अर्थात167.22 वर्ग मीटर। सीमाएं: उत्तर – पीएचसी बैदपुरा का प्लॉट, दक्षिण – श्री राजेश कुमार का प्लॉट, पूर्व – 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम – श्री ओम दत्त शर्मा का प्लॉट।	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रती राम (गारंटर)

स्थान: दिल्ली, दिनांक:03.05.2025 अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

केनरा बैंक Canara Bank

संपत्ति वसूली प्रबंधन (एआरएम) शाखा, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 फोन –011–28751723, 28754731 28754731 ई–मेल: cb2365@canarabank.com

कब्जा सूचना [धारा 13(4)]

जबकि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा)के तहत अधोहस्ताक्षरी केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.02.2025 को एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं– **(1) मेसर्स चौधरी राजे मेडिकल स्टोर (उधारकर्ता), (2) श्री राजेश कुमार (प्रोपराइटर), (3) श्री विजय पाल (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि रु.74,10,393.51 (चौहत्तर लाख दस हजार तीन सौ तिरानबे रुपये और इक्यावन पैसे मात्र)** आगे का ब्याज+खर्च का भुगतान उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा था।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 मई, 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर केनरा बैंक को 31.01.2025 तक रु.74,10,393.51(चौहत्तर लाख दस हजार तीन सौ तिरानबे रुपये और इक्यावन पैसे मात्र) सभी बकाया राशि की वसूली तक अतिरिक्त ब्याज+व्यय (–) वसूली, यदि कोई हो,का भुगतान करना होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

अचल संपत्ति का विवरण

क्र.सं	संपत्ति विवरण	शीर्षक धारक का नाम
1.	आवासीय प्लॉट खाता संख्या 365 खसरा संख्या 464, गांव बैदपुरा, तहसील दादरी जिला जीबी नगर, उत्तर प्रदेश, माप क्षेत्र 200 वर्ग गज या 167.22 वर्ग मीटर। चौहदी :उत्तरी –पीएचसी बैदपुरा का प्लॉट, दक्षिण श्री राजेश कुमार का प्लॉट, पूर्व 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम श्री ओम दत्त शर्मा का प्लॉट	**श्री राजेश कुमार पुत्र श्री रति राम**

दिनांक: 03.05.2025 स्थान: दिल्ली **अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

मुथूट माइक्रोफिन लि. | स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 13th तल, परीनी क्रेस्केन्ज़ो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051
प्रशासनिक कार्यालय: 5th तल, मुथूट टॉवर, M.G. रोड, कोच्चि, केरल-682035
दूरभाष: +91-484-4277500, फैक्स: +91-484-2351494. CIN: L65190MH1992PLC066228

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एमएसजीबी और एमएमजीएल ऋणों के तहत 12-07-2021, 24-05-2022, 01-10-2022, 16-01-2024, 12-02-2024, 08-03-2024 क्रमशः जिनकी समय पर पुनर्भुगतान नहीं की गई है और बार-बार सूचना देने के बावजूद अब तक पुनर्भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें नीचे दिए गए मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड की शाखाओं में प्रातः 10:00 बजे नीलाम किया जाएगा।

भोपाल जिला: नीलामी केंद्र: करोंद-भोपाल-भूतल, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, प्लॉट नं. H-1, शिव नगर, बेरसिया रोड, SBI बैंक के पास, करोंद, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462038 नीलामी तिथि: 20-05-2025, करोंद-भोपाल एमएमएल-1104780105148476. नीलामी केंद्र: कोलार-भोपाल-भूतल, श्री राम प्लाजा, प्लॉट नं. 51, बनजारी कॉलोनी, कोलार रोड, CANARA बैंक के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462042 नीलामी तिथि: 20-05-2025, भोपाल एमएमएल-1109650105002227. कटनी जिला: नीलामी केंद्र: कटनी-मध्य प्रदेश-भूतल, देश भंडार, प्लॉट नं. 31, 85, 86, 87/2 और 88, जयदयाल रोड, आंध्र बैंक के पास, कटनी, मध्य प्रदेश, 483501 नीलामी तिथि: 16-05-2025, जबलपुर एमएमएल-1103840105142968, कटनी एमपी एमएमएल-1103850105142245. शिवपुरी जिला: नीलामी केंद्र: शिवपुरी-भूतल, वर्धमान कॉम्प्लेक्स, एबी रोड, होटल लक्ष्मी निवास के पास, शिवपुरी, मध्य प्रदेश, 473551 नीलामी तिथि: 21-05-2025, शिवपुरी एमएमएल-1107260105140753. उज्जैन जिला: नीलामी केंद्र: उज्जैन-वेदनगर-भूतल, डॉ. विमल गर्ग डोल्से प्लाजा, A1, B-26/6, वेद नगर, इंदौर रोड, दीनदयाल कॉम्प्लेक्स के सामने, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456010 नीलामी तिथि: 17-05-2025, उज्जैन एमएमएल-1110070105002850.

कृपया ध्यान दें, यदि उपरोक्त उल्लिखित तिथि को किसी कारणवश नीलामी आयोजित नहीं की जाती है, तो वही मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड शाखाओं में सुबह 10:00 बजे आयोजित की जाएगी। 27-05-2025 को नीलामी केंद्र: कटनी-मध्य प्रदेश, 28-05-2025 को नीलामी केंद्र: उज्जैन-वेदनगर, 30-05-2025 को नीलामी केंद्र: भोपाल-इन्द्रपुरी-ग्राउंड फ्लोर, MFL, 16/B, इन्द्रपुरी, सेक्टर-B, रायसेन रोड, ज्यूबली गेट के सामने, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462021, 31-05-2025 को नीलामी केंद्र: शिवपुरी। यह नोटिस उन संबंधित ऋण खातों पर लागू नहीं होगा जहाँ पहले ही सोने के आभूषण की मुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के लिए
अधिकृत नीलामीकर्ता

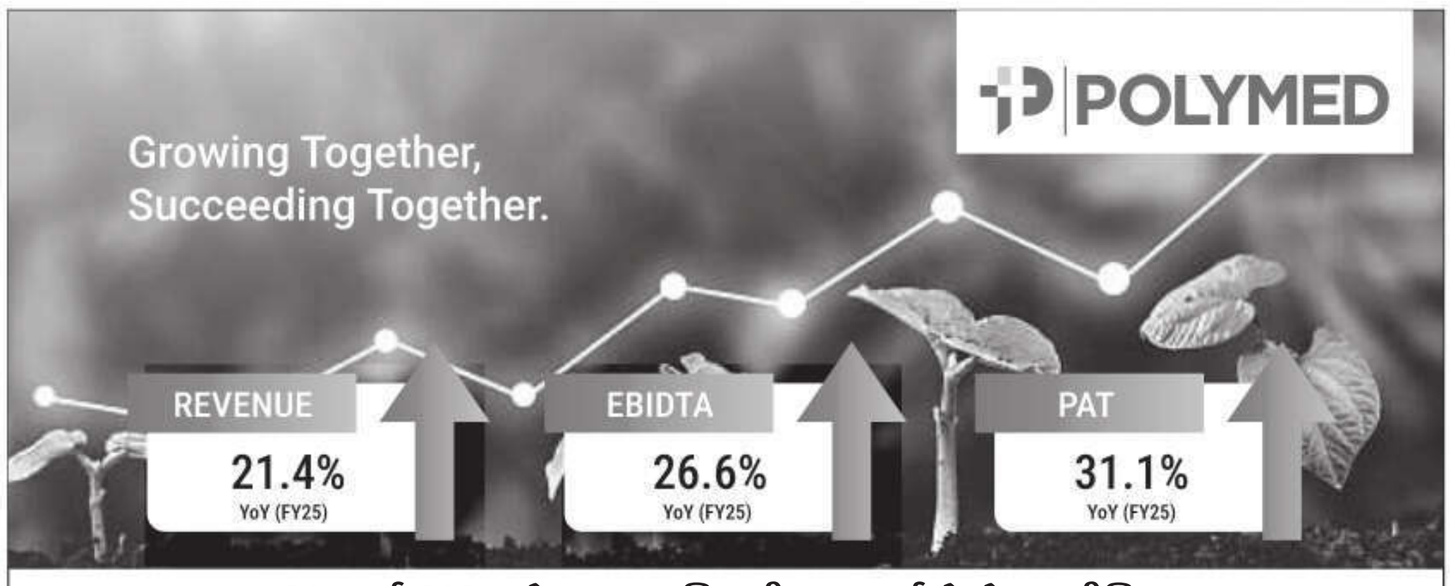

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रू. लाख में, प्रति अंश आँकड़ा छोड़कर)

	विवरण	पृथक				समेकित			
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
		(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	169,157.22	136,542.58	44,491.80	37,658.75	175,895.92	143,454.44	46,513.77	39,304.72
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	44,289.10	33,489.39	11,649.63	9,397.23	45,251.51	34,426.91	12,284.92	9,245.67
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	44,289.10	33,489.39	11,649.63	9,397.23	45,251.51	34,426.91	12,284.92	9,245.67
4.	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	33,133.47	25,172.34	8,666.02	7,053.25	33,855.72	25,825.97	9,183.42	6,835.78
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरांत) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट]	32,978.76	25,087.82	8,662.06	7,053.13	33,720.25	25,737.61	9,197.53	6,827.37
6.	समता प्रदत्त अंश पूंजी	5,066.29	4,798.58	5,066.29	4,798.58	5,066.29	4,798.58	5,066.29	4,798.58
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यॉकन आरक्षित छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार	269,355.60	141,026.25			271,499.50	142,206.77		
8.	आय प्रति अंश (रु. 5/– प्रत्येक का अंकित मूल्य) (त्रैमासिक रूप में अवार्षिकीकृत) :								
	मूलभूत (रु.)	33.40	26.24	8.40	7.35	34.13	26.92	8.92	7.12
	तरलीकृत (रु.)	33.39	26.22	8.40	7.35	34.11	26.90	8.92	7.12

टिप्पणियाँ :-

1. उपरोक्त लेखापरीक्षित पृथक एवं समेकित परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई थी तथा निदेशक मंडल द्वारा 06 मई 2025 को आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन किया गया था। सॉविधिक लेखापरीक्षकों ने इन पृथक एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर एक असंशोधित लेखापरीक्षण राय प्रकट की है।
2. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित पृथक एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारॉश हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों यथा **(www.bseindia.com), (www.nseindia.com)** पर तथा कंपनी की वेबसाइट **(www.polymedicure.com)** पर उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./-
हिमॉशु बैद
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनॉक : 06 मई 2025

पॉली मेडिक्योर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 232–बी, तृतीय तल, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली– 110020 (भारत)
दूरभाष : + 91–11–33550700, 47317000 **फैक्स :** + 91–11–26321894
ई : investorcare@polymedicure.com डब्ल्यू : www.polymedicure.com
सीआईएन : L40300DL1995PLC066923

ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालय: एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) और 9 (1) के ("नियम") प्रावधान के साथ पठित।

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, जिसे पहले मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएफएल/असाइनर) के नाम से जाना जाता था, की वित्तीय सुविधाओं को एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "ईएआरसीएल/असाइनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) को सौंपा गया है, जो ईएआरसी ट्रस्ट एससी–425 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है, जिसका उल्लेख कॉलम में स्पष्ट रूप से किया गया है। उक्त असाइनमेंट के अनुसार, ईएआरसी असाइनर के स्थान पर आ गया है और सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। उस ईएआरसी ने सुरक्षित लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) और उसके तहत नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था। आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी, सह–ऋणी, कानूनी उत्तराधिकारियों तथा गारंटर (गारंटरों) को 30 दिन का नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सुरक्षित संपत्तियां, जो सुरक्षित ऋणदाता के पक्ष में बंधक रखी गई हैं, जिनका भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा ले लिया गया है, उन्हें "जहां है, जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ईएआरसी को देय नीचे उल्लिखित राशियों की वसूली की जा सके, साथ ही ईएआरसी द्वारा ऋणी तथा गारंटर से प्राप्त किसी भी राशि के लिए काटे गए ब्याज तथा अन्य व्ययों/लागतों की वसूली की जा सके। संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है। इसके द्वारा किसी भी पूर्व नीलामी नोटिस को तत्काल प्रभाव से वापस लिया/वापस लिया जाता है तथा इस नोटिस पर विचार किया जाएगा।

नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण:

क्र. सं	ऋण खाता संख्या/विक्रेता संख्या का नाम	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम	ट्रस्ट का नाम	07.05.2025 तक कुल बकाया राशि	आरक्षित मूल्य (रुपये में)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) रुपये में	नीलामी की तिथि और समय	कब्जे का प्रकार
1	HM/0031/H/17/100212	श्री प्रदीप कुमार बहेरा (उधारकर्ता) के साथ श्रीमती ममता बहेरा (सह–उधारकर्ता) और श्री प्रवीर कुमार बहेरा (सह–उधारकर्ता)	ईएआरसी ट्रस्ट एससी–425	रु. 80,76,109.87/–	रु. 24,00,000/–	रु. 2,40,000/–	10.06.2025 और 12.30 बजे	भौतिक

संपत्ति का विवरण: – "भगवान नगर, नई दिल्ली–110014 में स्थित, एमसीडी नंबर 52 की संपत्ति का तीसरा तल, बाईं ओर–सामने की ओर, (छत के अधिकार के बिना) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, एक बाइक पार्किंग के साथ, लगभग 63 वर्ग गज की निर्मित भूमि। यानी 526743 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 12/437 मिनट और 11/437 मिनट में शामिल किकोरकारी गांव का खेवट नंबर 123। सीमा: पूर्व से: साइट के अनुसार उत्तर से: साइट के अनुसार पश्चिम से: साइट के अनुसार दक्षिण से: साइट के अनुसार"

नीलामी प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी:

1	सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) "एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड–ईएमडी अकाउंट" के पक्ष में तैयार किए जाएंगे और मुंबई में देय होंगे।	
2	आरटीजीएस के माध्यम से किए गए ईएमडी भुगतान निम्नलिखित को किए जाएंगे: खाता संख्या का नाम: एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड – ईएमडी खाता" खाता संख्या 000405159902 बैंक का नाम: आईसीआईसीआई बैंक आईएफएससी कोड: आईएफएससी आईसीआईसी0000004	
3	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि से 1 दिन पहले प्राप्त की गई
4	बोलियाँ प्रस्तुत करने का स्थान	प्रथम तल, एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड के पास, कलिना, मुंबई–400098
5	नीलामी का स्थान (नीलामी के लिए वेब साइट)	**E-Auction (https://auction.edelweissarc.in)**
6	सम्पर्क व्यक्ति का फोन नम्बर	टोल फ्री नंबर– 18002666540 **Website - https://auction.edelweissarc.in/**
7	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	पूर्व नियुक्ति के अनुसार

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **EARC** की वेबसाइट पर दिए गए लिंक **https://auction.edelweissarc.in** देखें।

स्थान: मुंबई **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक: 08.05.2025 **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के लिए**

Edelweiss Asset Reconstruction

सवोर्टेक रीन्यूवेबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड

(पूर्व की सवोर्टेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड)
सीआईएन: L31200DL2004PLC129379
पंजीकृत कार्यालय: 806, 8वीं मंजिल, क्रॉउन प्लाइस, होटल क्राउन प्लाजा, सेक्टर-10, रोहिणी, नई दिल्ली -
टेलीफोन नंबर: 011-41183119 | ईमेल: investor.relations@servotechindia.com | वेबसाइट: www.servotech.in

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही				
		31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	14745.97	21669.18	13665.44	67580.00	35528.47
2	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	1050.56	1282.51	464.62	4480.56	1616.60
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	1050.56	1282.51	464.62	4480.56	1616.60
4	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	771.62	918.94	345.41	3283.70	1180.21
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय/हानि	1736.60	918.94	345.41	4228.89	1181.49
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 1/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)	2246.45	2229.45	2168.04	2246.45	2169.04
7	आय प्रति शेयर रु. 1/– प्रत्येक					
	(क) बेसिक	0.35	0.41	0.16	1.48	0.54
	(ख) डाइल्यूटेड	0.34	0.41	0.16	1.45	0.55

टिप्पणियाँ:

1. वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार और उसके तहत प्रासंगिक और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (यथासंशोधित) के विनियमन 33 और 5 जुलाई, 2016 के सेबी परिपत्र के अनुसार तैयार किए गए हैं।
2. उपरोक्त समेकित वित्तीय परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा 6 मई, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में समीक्षा की गई है और 6 मई, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षक ने इन परिणामों पर एक असंशोधित लेखा परीक्षा राय व्यक्त की है।
3. उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत एनएसई के साथ दाखिल 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.servotech.in और एनएसई www.nseindia.com पर उपलब्ध है।

चौथी तिमाही और वित्त वर्ष 2025 के वित्तीय परिणाम देखने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें

4. प्रमुख स्टैंडअलोन वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	
		31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	12674.03	18185.68	12119.46	58910.94	30721.04
2	कर पूर्व लाभ/(हानि)	1051.00	1309.36	430.14	4528.68	1553.00
3	कर पश्चात लाभ/(हानि)	784.68	949.93	319.58	3346.72	1132.54

सवोर्टेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के लिए
हस्ता./- रमन भाटिया, प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00153827

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 06-05-2025

SOMANY TILES | BATHWARE — ZAMEEN SE JUDEY

SOMANY CERAMICS LIMITED

(Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata, West Bengal - 700001, CIN: L40200WB1968PLC224116)
EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2025

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Standalone					Consolidated				
	Quarter ended			Year ended		Quarter ended			Year ended	
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations	74,268	62,328	71,371	256,942	253,449	76,899	64,486	73,752	265,876	259,135
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	3,684	2,039	4,069	10,325	14,285	2,496	1,919	4,833	8,721	14,486
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	3,684	2,981	4,396	11,267	14,405	2,496	1,719	5,160	8,521	14,281
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	2,847	2,310	2,962	8,568	10,378	1,871	967	3,388	5,798	9,938
Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2,793	2,310	2,990	8,496	10,386	1,819	967	3,435	5,730	9,978
Equity Share Capital	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)				79,208	71,497				76,346	71,194
Earning per share										
Basic (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item)-in Rs.	6.94	5.63	7.18	20.89	24.64	5.20	2.26	7.45	14.65	23.01
Diluted (Face Value of Rs. 2/- each) (before/after Extraordinary item)-in Rs.	6.94	5.63	7.18	20.89	24.61	5.20	2.26	7.45	14.65	22.98

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Year ended Financial Results are available on Company's website (http://www.somanyceramics.com) and the Stock Exchange webs

कल्पमेधा

दुर्जन एक गुट बना लें, तो सज्जनों को भी संगठित हो जाना चाहिए, वरना एक-एक करके उन सबकी बलि चढ़ जाएगी।

– एडमंड बर्कले

निर्णायक कदम

आपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले करके भारतीय सेना ने न केवल पहलगाम हमले का कड़ा जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने अपनी रणनीतिक क्षमता का कुशल प्रदर्शन भी कर दिया है। इस हमले के बाद भारत सरकार को कूटनीतिक कामयाबी भी मिलती दिखने लगी है। इस अभियान की रणनीति तीनों सेनाओं ने मिल कर बनाई थी। हालांकि पाकिस्तान शुरू से शोर मचा रहा था कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है और इसके मद्देनजर उसने अपनी सामरिक तैयारियां तेज कर दी थी। मगर भारतीय सेना ने इतनी कुशलता से हवाई हमले किए और इतने सटीक निशाने साधे कि उसे समझने का मौका भी नहीं मिल पाया। यह सेना और सरकार की बड़ी सूझबूझ है कि पाकिस्तान के किसी नागरिक, सैन्य और आर्थिक ठिकाने पर निशाना लगाने के बजाय सिर्फ आतंकी ठिकानों को लक्ष्य कर ध्वस्त किया गया। इस तरह दुनिया में किसी को इसके विरोध में कुछ कहने का मौका नहीं रह गया है। चीन तक समझ नहीं पा रहा कि भारत के इस कदम को कैसे गलत ठहराया जाए। हमले के तुरंत बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों के अपने समकक्षों को फोन कर हमले की जानकारी दी। इस तरह पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी भी कर दी गई है।

आपरेशन सिंदूर के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों तथा आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हमले किए गए। उसके प्रमाण भी दुनिया के सामने पेश किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि इस हमले में इन आतंकी संगठनों से जुड़े काफी लोगों की जान गई है। भारतीय सेना ने वहां के जिन नौ आतंकी ठिकानों पर हमले किए, उनमें से चार पाक अधिकृत कश्मीर में और बाकी उसके पंजाब प्रांत में स्थित थे। शायद पाकिस्तानी सेना को अंदाजा नहीं था कि भारतीय सेना पंजाब प्रांत के भीतर भी हमला कर सकती है। उसने इस हमले की प्रतिक्रिया में भारत की सीमा पर कुछ नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं, पर उससे उसकी बौखलाहट ही जाहिर होती है। वह कुछ दिन पहले तक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी कर भारतीय सेना को ललकार और अपनी परमाणु ताकत का धौंस दे रही थी, अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दरअसल, उसे लग रहा था कि चीन का समर्थन मिलेगा और भारत उसके भय से दब जाएगा। मगर अब आतंकवाद के खिलाफ हमले पर चीन कैसे पाकिस्तान का समर्थन करेगा, देखने की बात होगी।

इस हमले के बाद उचित ही भारतीय सेना की देश भर में सराहना हो रही है। विपक्षी दलों ने भी एक बार फिर सरकार के साथ अपनी एकजुटता जताई और सेना के कौशल की तारीफ की है। हालांकि अमेरिका जैसे कुछ देशों ने कहा है कि यह तनाव जितना जल्दी खत्म हो, उतना ठीक होगा। पर भारतीय जनभावना है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ उठाया गया यह कदम निर्णायक होना चाहिए। सरकार भी इस भावना को गंभीरता से समझती है। इसलिए जिस तरह उसने सेनाध्यक्षों को निर्णय लेने की खुली छूट दी और सेना ने सूझबूझ से रणनीति तैयार की, उससे जाहिर है कि वह सधे कदम बढ़ाते हुए आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को गहरे घाव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

साख का सवाल

न्यायाधीश यशवंत वर्मा मामले में शीर्ष न्यायालय की ओर से नियुक्त तीन न्यायाधीशों की जांच समिति का निष्कर्ष बेहद गंभीर है। समिति की जांच रपट से उजागर तस्वीर चिंताजनक है। गौरतलब है कि आरोपी न्यायाधीश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को षड्यंत्र बताया था, लेकिन जांच समिति ने गहन छानबीन के बाद उन सभी आरोपों की पुष्टि कर दी है। साथ ही, प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें पद छोड़ने को कह दिया है। अब इस प्रकरण को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर किसी मामले में जजों पर उंगली उठे तो त्वरित कार्रवाई न्यायपालिका की साख के लिए आवश्यक है। न्यायाधीश वर्मा के घर में आग लगने के बाद वहां से जली हुई नोटों की गड्डियां मिलने पर शीर्ष न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया था। उससे उम्मीद बंधी थी कि इसमें पारदर्शिता के साथ कदम उठाए जाएंगे। दरअसल, बीते मार्च में दिल्ली उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश वर्मा के सरकारी निवास पर आग लगी थी, जिसे बुझाते वक्त वहां भारी मात्रा में नकदी मिली थी। इस पर उनसे जवाब तलब किया गया, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। प्रारंभिक जांच के बाद उनसे न्यायिक कार्य वापस लेकर उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था।

इस प्रकरण में जांच शुरू होने और जांच समिति का निष्कर्ष आने तक पूरे घटनाक्रम पर शीर्ष न्यायालय ने अपनी नजर बनाए रखी। इस मामले में उसका कड़ा रुख था। समिति को तार्किक नतीजे पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है। उसने इस मामले से संबंधित सभी लोगों से पूछताछ की और तमाम साक्ष्यों का विश्लेषण किया। इसके बाद कुछ छिपा नहीं रह गया। अंततः समिति ने न्यायाधीश पर लगे आरोपों को सही बताया। जब भी किसी न्यायाधीश पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगता है, तो उससे आम आदमी का न्याय प्रणाली से भरोसा डगमगाने लगता है। इसलिए ऐसे मामलों की न केवल तुरंत पारदर्शी जांच, बल्कि उचित कार्रवाई की अपेक्षा भी की जाती है। जांच समिति की रपट के बाद उम्मीद बनी है कि न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ त्वरित, उचित और मिसाल बनने लायक निर्णय होगा।

प्रदूषण पर निगरानी और हकीकत

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित चालीस से अधिक सतत निगरानी केंद्र समूचे शहर में कार्यरत हैं। कागज पर यह व्यवस्था व्यापक लगती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक है।

कुशाग्र राजेंद्र

दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। शहरीकरण, वाहनों की भीड़, औद्योगिक गतिविधियों और अनियंत्रित निर्माण कार्यों से स्थितियां जटिल हो गई हैं। वायु प्रदूषण अब केवल एक मौसमी समस्या नहीं, बल्कि वर्ष भर के लिए सतत स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। मगर अफसोस कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से सार्वजनिक स्वास्थ्य से बचाव के लिए जिन जरूरी कदमों की दरकार थी, उनके बजाय सरकारी तंत्र आंकड़ों की चमक-दमक के पीछे भागता दिख रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए बहुस्तरीय ढांचा मौजूद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संचालित चालीस से अधिक सतत निगरानी केंद्र समूचे शहर में कार्यरत हैं। कागज पर यह व्यवस्था व्यापक लगती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कहीं अधिक जटिल और चिंताजनक है। कई निगरानी केंद्र उन जगहों पर हैं, जहां वैज्ञानिक मानकों के मुताबिक नहीं होना चाहिए। नतीजतन, प्रदूषण के वास्तविक स्तर का पता नहीं लग पाता। केंद्रीय एजंसियों और नियंत्रकों और महालेखापरीक्षक (कैग) की ताजा रपट के मुताबिक निगरानी नेटवर्क में पारदर्शिता और वैज्ञानिक ईमानदारी का अभाव है।

दिल्ली की नई सरकार प्रदूषण के मसले पर संजीदा दिख रही है, चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर राजधानी की खराब हवा। इसी कवायद में छह नए सतत वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने की पहल ने विवाद पैदा कर दिया है। गहन विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नए स्टेशनों के लिए चयनित स्थान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली छावनी, राष्ट्रमंडल खेल परिसर और इसरो अर्थ स्टेशन जैसे इलाके, अपेक्षाकृत स्वच्छ और हरित क्षेत्र हैं। इन स्थानों में वायु गुणवत्ता पहले से ही औद्योगिक या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर रहती है। जबकि असली संकट घनी आबादी और भारी प्रदूषण वाले इलाकों में पसरा हुआ है, तब निगरानी का विस्तार अपेक्षाकृत स्वच्छ क्षेत्रों तक करना एक तरह से वायु प्रदूषण के विकराल होते संकट को छिपाने की चतुराई है।

ऐसे में, छह नए स्टेशनों के चयन से दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक कृत्रिम रूप से सुधरता दिखाई देगा, जबकि धरातल पर प्रदूषण की भयावहता जस की तस बनी रहेगी। यह आंकड़ों का सौंदर्यीकरण महज कागजी राहत प्रदान कर सकता है, वास्तविकता में दिल्ली वालों की उखाड़ती सांसों में कोई सुकून नहीं ला सकता। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों में सुधार दिखाने की रणनीति प्रदूषण और शहरी निकाय के नीतिगत निर्णयों को भी भ्रमित करने वाला हो सकता है।

अभी दिल्ली में वायु गुणवत्ता निगरानी वाले चालीस स्टेशन हैं, जिनमें कम से कम दस औद्योगिक इलाकों में, सात हरित क्षेत्रों, आठ रिहायशी इलाकों और बाकी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हैं। कई रपटें अपर्याप्त वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क की ओर इशारा कर चुकी हैं। सघन जनसंख्या वाले आवासीय क्षेत्र, भीड़भाड़ और भारी यातायात वाले क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कूड़ा निस्तारण के इलाके और निर्माण वाले क्षेत्रों में अधिकांश लोग, विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग प्रदूषित हवा के लंबे समय तक संपर्क के प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। दिल्ली में वायु निगरानी तंत्र के विस्तार के लिए उपरोक्त स्थानों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। मसलन, ओखला और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्से में अभी भी चौबीस घंटे निगरानी नहीं है। दिल्ली के निगरानी स्टेशन के भौगोलिक विस्तार को देखें तो दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के बाहरी इलाकों में निगरानी स्टेशन बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का वितरण असमान और असंतुलित है।

> **दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निगरानी नेटवर्क का पुनर्गठन एक प्राथमिक आवश्यकता है। यहां वायु निगरानी ढांचे का विस्तार एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को मुख्य रूप से अपेक्षाकृत स्वच्छ, हरे-भरे क्षेत्रों में स्थापित करने की वर्तमान रणनीति भ्रामक दृष्टिकोण प्रतीत होती है, जिससे न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियां, बल्कि प्रदूषण कम करने के प्रयास गलत दिशा में जा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां वायु प्रदूषण का संकट नीतिगत चूक और इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रहा है। आंकड़ों को सुधार कर न तो हवा साफ होगी और न ही दमघोंटू हवा से निजात मिलेगी।**

अपेक्षाकृत साफ हरित इलाकों और स्वच्छ परिसरों में वायु प्रदूषण निगरानी तंत्र स्थापित करने का वैज्ञानिक औचित्य हो सकता है, क्योंकि ये दीर्घकालिक रुझानों और तुलनात्मक शोध के लिए एक प्रकार के नियंत्रण समूह की भूमिका निभा सकते हैं। मगर जब पूरा शहर वायु प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल का सामना कर रहा हो, तब नीतिगत रूप से प्राथमिकता उन इलाकों को मिलनी चाहिए, जहां वायु प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है और जहां सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान परिदृश्य में आंकड़ों के सौंदर्यीकरण की कोशिश तकनीकी समझ की कमी का परिणाम हो सकती है। इससे तत्कालीन राजनीतिक लाभ दिखने भी लगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से दिल्ली वासियों को शायद ही कोई सकारात्मक परिणाम मिले।

दिल्ली का सरकारी अमला वायु गुणवत्ता निगरानी, खासकर स्वास्थ्य संबंधी तकनीकी पहलू को दरकिनार कर औसत वायु गुणवत्ता के हिसाब-किताब के केवल सांख्यिकी पहलू पर जोर देता दिख रहा है। वायु प्रदूषण पर चिंता का महत्त्वपूर्ण कारण है, उसका स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव। औसत वायु गुणवत्ता निर्धारण में अक्सर दो किस्म की विसंगतियां होने की संभावना रहती है। कम प्रदूषण के बदले ज्यादा प्रदूषण की गणना और इसका उल्टा यानी ज्यादा प्रदूषित के बदले कम प्रदूषण की गणना हो जाना। दूसरी वाली विसंगति में अधिक प्रदूषण वाले क्षेत्र में कम प्रदूषण दर्ज होगा।

निगरानी स्टेशनों के स्थान चयन में पारदर्शिता का अभाव दिखता है। ऐसा लगता है कि प्रदूषण के असली स्रोतों को उजागर करने से बचने के लिए जानबूझ कर कम प्रदूषित इलाकों को चुना गया है। स्वास्थ्य नीति का मूल सिद्धांत यही होना चाहिए कि समस्या की पहचान पूरी ईमानदारी और वैज्ञानिक विधि से की जाए। अगर मूलभूत आंकड़ा ही गड़बड़ हो जाए, तो न कोई प्रभावी हस्तक्षेप संभव है और न ही स्वास्थ्य आपदा को टाला जा सकता है।

सरकारी स्तर का यह फैसला खराब या प्रदूषित हवा को केवल कम प्रदूषित हवा मान लेने भर का मामला नहीं है। शहर की औसत वायु गुणवत्ता, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शों, गंभीर प्रदूषण के दौरान स्कूल-कालेज बंद करने, कार्यालयों में आनलाइन गतिविधि संबंधी निर्णय शहरी नियोजन के दूरगामी रणनीतियों के निर्धारण सहित अनेक सरकारी और गैर-सरकारी निर्णयों के लिए आधार का काम करता है। खासकर सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद 2016 से दिल्ली में 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (ग्रैप) लागू होने के बाद शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एक पैमाना बन गया है। ग्रैप एक तरह से दिल्ली-एनसीआर में बढ़े हुए वायु-प्रदूषण के स्तर को तात्कालिक रूप से नियंत्रित करने की आपातकालीन व्यवस्था है।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निगरानी नेटवर्क का पुनर्गठन एक प्राथमिक आवश्यकता है। यहां वायु निगरानी ढांचे का विस्तार एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन को मुख्य रूप से अपेक्षाकृत स्वच्छ, हरे-भरे क्षेत्रों में स्थापित करने की वर्तमान रणनीति भ्रामक दृष्टिकोण प्रतीत होती है, जिससे न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियां, बल्कि प्रदूषण कम करने के प्रयास गलत दिशा में जा सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां वायु प्रदूषण का संकट नीतिगत चूक और इच्छाशक्ति की परीक्षा ले रहा है। आंकड़ों को सुधार कर न तो हवा साफ होगी और न ही दमघोंटू हवा से निजात मिलेगी। ऐसे में नीति निर्माताओं की प्राथमिकता जनस्वास्थ्य हो, न कि आंकड़ों की चमकती तस्वीरें दिखाना। सरकार पारदर्शी तरीके से और तकनीकी पक्ष के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण की नीति लागू करे।

आशंका के बादल

राजेंद्र बज

दुनिया मेरे आगे

जब कभी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, दिल और दिमाग में आशंकाओं के बादल गहरा जाते हैं। ऐसे में कमजोर मनोबल के चलते आदमी मानसिक दृष्टि से टूट जाता है और इसका प्रभाव शारीरिक तौर पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अनिष्ट की आशंका आमतौर पर सकारण होती है, लेकिन अत्यधिक विचारशील होने के चलते कई बार अकारण भी हो जाती है। कभी-कभी तो अपने ही विचारों में खोकर इंसान अनजानी आशंका से भी घिर जाता है, जिसे वह स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं कर सकता। बस, ऐसे ही और यों ही उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसके साथ कुछ गलत घटने वाला है।

अनेक अवसरों पर इंसान की एकतरफा सोच उसे तमाम तरह की आशंकाओं के घेरे में ले लेती है। कभी-कभी तो विचार-चक्र का सिलसिला ऐसा चलता है कि बिना किसी ठोस कारण के भी आदमी भारी अनिष्ट की आशंका से घिर जाता है। ऐसे मामले आसपास देखे जा सकते हैं जिनमें किसी गंभीर बीमारी के साधारण लक्षण जैसा कुछ पाए जाने पर भी खयालों ही खयालों में अपने जीवन की पारी समाप्त होने की आशंका से त्रस्त हो जाता है। चाहे यह उसकी भ्रांति हो कि उसे गंभीर रोग है। वैसे अनेक अवसरों पर देखा गया है कि गंभीर बीमारी के प्रारंभिक लक्षण पाए जाने पर भी आदमी परिजनों से यह बात छिपा कर चलता है और भीतर ही भीतर घुलने लगता है।

ऐसे में जब कभी आदमी आशंकाओं के बादल से घिर जाता है, सीधे तौर पर उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरत से ज्यादा जानकारी किसी के लिए अपने जीवन में भारी पड़ सकती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि नकारात्मक तथ्यों के प्रति काफी हद तक तटस्थ दृष्टिकोण रखना चाहिए। दरअसल, हर एक समस्या के निवारण के लिए सामाजिक परिवेश में अलग-अलग प्रकार के प्रकल्प हुआ करते हैं। सबका अपना-अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपनी अपेक्षित भूमिका के निर्वहन के लिए ये पूरी तरह से पारंगत हुआ करते हैं। सीधी-सी बात है कि हमें अपने मर्ज का डाक्टर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

समस्या चाहे जो हो, लगभग हर समस्या का समाधान है। इसलिए जो समस्या का निराकरण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, उसका आसरा लेना ही वह एकमात्र रास्ता है, जिसके माध्यम से हम अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से केवल चिंता के भंवरजाल में उलझे रहने का कोई अर्थ नहीं है। वैसे भी हर एक आदमी के कार्य क्षेत्र की अपनी अलग-अलग सीमाएं होती है। हर एक आदमी हर एक काम कर सके, यह कतई संभव नहीं। हम सामाजिक परिवेश में अपनी योग्यता के अनुरूप काम करते हुए अन्य की योग्यता के अनुरूप किए गए काम से लाभान्वित होते हैं। ठीक इसी तर्ज पर हमें यह मानकर चलना चाहिए कि केवल हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है।

अगर यह मान भी लिया जाए कि होनी होकर रहती है, तो अनहोनी को टालने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। यह सोचकर चुप नहीं रहा जा सकता कि जब-जब जो-जो होना है, तब-तब वह तो होना है। दरअसल, आदमी ने हर किसी क्षेत्र में अपने विजेता भाव को दर्शाया है। चांद सितारों की दुनिया भी अब उसकी पहुंच में दिखाई देने लगी है। कल तक जो कुछ असंभव था, आज लगभग संभव होता जा रहा है। यह सब परिवर्तन लीक से हटकर किए गए प्रयासों का ही सुखद परिणाम है। ऐसी स्थिति में विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना मनोबल कायम रखने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सशक्त मनोबल असंभव को संभव सिद्ध कर सकता है। इसलिए परिस्थितियों से जूझने का माद्दा हर चुनौती से पार ले जा सकता है।

हर तरह की गलती और अपराध को लेकर प्रायश्चित की प्रक्रिया अंतरात्मा के बोझ को उतार फेंकती है। गलती और अपराध की स्वीकृति हर हाल में सकारात्मक परिणाम की कारक सिद्ध होती है। हालांकि कुछ गलती और अपराधों को लेकर कानून और व्यवस्था में प्रावधान है, लेकिन हमारी अंतरात्मा पर बोझ बनी कोई गलती या अपराध ऐसा है जो कानून और व्यवस्था की जद में नहीं है, उसके साक्षी तो केवल हम ही हैं। इसलिए भी मन बोझिल हो जाता है। इसलिए अंतरात्मा के इस बोझ को स्वीकृति के माध्यम से उतारा जा सकता है। यकीनन ऐसा करने पर चित्त को इतना सुकून मिलता है, जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता।

एक प्रकार से गलती या अपराध की स्वीकृति के चलते हृदय में निर्मल परिणाम बनने लगते हैं और इंसान देखते ही देखते अजातशत्रु के रूप में अपनी छवि निर्मित कर लेता है। मनोविकार सर्वथा लुप्त हो जाते हैं और दिल और दिमाग में एक विशेष प्रकार की रचनात्मकता का बोध होने लगता है। इस स्थिति में आने पर ऐसे भाव जागृत होते हैं, जैसे मैं संसार का और संसार मेरा। कोई पराया नहीं, सब अपने ही अपने हैं। ऐसा भी लगने लगता है कि सचमुच यह जमाना जीने के लायक है। निश्चित रूप से जब आशंका के बादल छंट जाते हैं, अंतर्मन की कली-कली खिल जाती है, तब फिर हम जमाने को दोष नहीं देते और अपने मूल स्वभाव के अनुरूप उत्तम विचारों से लबरेज हो जाते हैं। यों कहें कि जिंदगी का आनंद लेने लगते हैं।

> **अगर यह मान भी लिया जाए कि होनी होकर रहती है, तो अनहोनी को टालने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। यह सोचकर चुप नहीं रहा जा सकता कि जब-जब जो-जो होना है, तब-तब वह तो होना है। दरअसल, आदमी ने हर किसी क्षेत्र में अपने विजेता भाव को दर्शाया है।**

मर्यादा के विरुद्ध

अभी कुछ समय पहले समय रैना का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एजाज खान ने अपने कार्यक्रम 'हाउस अरेस्ट' में मर्यादाओं की सारी हदें पार कर दीं। आनलाइन शो में कपड़े उतारने के लिए कहना और उस पर प्रतिभागियों द्वारा ताली बजाना दूषित मानसिकता है। क्या हम इसे आधुनिकता कहेंगे। आजकल कई मंचों पर अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। मगर इन पर लगाम नहीं लगाई जा रही। बीते कुछ वर्षों में भारत सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। कुछ ऐप को प्रतिबंधित भी किया था, परंतु न जाने कैसे इन पर नजर नहीं गई। सोचने की बात है कि आखिर क्या कारण है कि ऐसी सामग्री परोसने वालों का मनोबल बढ़ रहा है। इन पर नियंत्रण की जगह प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसका जवाब यह होगा कि लोग ऐसी चीजें देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी सामग्री परोसी जा रही है। पता ही नहीं चलता कि कब मर्यादा की सीमा टूट गई। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके कड़े नियमन की बात कही है। मगर ओटीटी पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। अब समय आ गया है कि इसके लिए भी सेंसर बोर्ड बनाया जाए।

– मंगल सिंह, लखनऊ

बिन पानी सब सून

हर साल गर्मियों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गर्मी के पहले हम जल की काफी बर्बादी करते हैं। जब इन दिनों संकट बढ़ जाता है, तो जल स्तर बहुत नीचे चला जाता है। ऐसी परिस्थिति में ट्यूबवेल और मोटर से कम पानी आने की समस्या आम बात हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि कई जगह नलों से पानी का रिसाव होता रहता है, जिससे जल की काफी बर्बादी होती है। आज जरूरत है कि हम किसी भी तरह पानी कम खर्च करें। बारिश के दिनों में वर्षा जल संग्रह पर गंभीरता से काम होना चाहिए। खेद की बात है कि इस दिशा में कभी ठोस काम नहीं किया गया। सिंचाई के लिए 'ड्रिप सिस्टम' का उपयोग कर जल को बचाया जा सकता है। इस दिशा में कृषि मंत्रालय को पहल करनी चाहिए। पानी का बेवजह इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि पानी के बिना सब सूना है। सच कहें तो इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती है।

– जफर अहमद, मधेपुरा

विश्व व्यापार में चुनौतियां

भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति महत्त्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। इस नीति ने भारत-म्यांमा-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान पारगमन परिवहन परियोजना को बढ़ावा दिया है। आसियान के साथ व्यापार वर्ष 2022-23 में 131 अरब डालर तक पहुंचा, लेकिन भारत का वैश्विक व्यापार में हिस्सा अभी कम है। दरअसल, इसके पीछे कई चुनौतियां हैं। त्रिपक्षीय राजमार्ग में देरी, म्यांमा में अशांति और चीन का बढ़ता प्रभाव आदि कई बाधाएं हैं। लिहाजा सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। कई कदम उठाने होंगे। औद्योगिक केंद्रों, कौशल कार्यक्रमों और पर्यटन से पूर्वोत्तर का विकास करना होगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत को एकीकृत करने के लिए डिजिटल और समुद्री संपर्क बढ़ाना होगा। क्वाड जैसे मंच से रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना होगा।

– चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

भाषा भेद

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का बड़ी संख्या में चयनित होना यह दर्शाता है कि इस प्रणाली में भाषा स्वयं एक अघोषित कसौटी बन गई है। भारतीय भाषाओं के अभ्यर्थी लगातार उपेक्षित हो रहे हैं। प्रश्नपत्रों का अनुवाद तकनीकी रूप से कमजोर, प्रश्नपत्र अस्पष्ट और कभी-कभी त्रुटिपूर्ण होता है। इससे अभ्यर्थी ठीक से जवाब नहीं दे पाते। भाषा की यह असमानता अभ्यर्थियों के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ती है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं में लिखने-पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को निरंतर यह बोध कराया जाता है कि अंग्रेजी ही बौद्धिक श्रेष्ठता की भाषा है। यह धारणा न केवल उनके आत्मविश्वास को तोड़ती, बल्कि एक ऐसी प्रशासनिक मानसिकता को जन्म देती है जो अपने ही नागरिकों की भाषा से कट जाती है।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

आपरेशन सिंदूर
जनसत्ता | 8 मई, 2025

'आपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद राष्ट्रपति के नाम से बद्रीनाथ में पूजा होगी

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' की सफलता के बाद सेना की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से आठ मई को बद्रीनाथ में पूजा की जाएगी। उन्होंने 'आपरेशन सिंदूर' की सफलता को भारतीय सैन्य बलों की विजय के साथ देश की नारी का सम्मान बताया। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री महाराज ने कहा कि भारतीय सैन्य बलों की इस बहादुरी और कौशल की कहानी ने गौरवान्वित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में सशस्त्र बलों को सराहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में आतंकी शिविरों पर लक्षित हमले करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को 'आपरेशन सिंदूर' के बारे में जानकारी दी। वहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप के तीन देशों की यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान और पीओजेके में नौ आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों के हमले का नाम 'आपरेशन सिंदूर' प्रधानमंत्री मोदी ने चुना था। प्रधानमंत्री ने आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 'आपरेशन सिंदूर' चलाए जाने के कुछ घंटे बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'आपरेशन सिंदूर' के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी, पूरे मंत्रिमंडल ने मेजें थपथपाकर इस कार्रवाई और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी अलग से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को स्थिति से अवगत कराया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 से 17 मई तक क्रोएशिया, नार्वे और नीदरलैंड की यात्रा का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री को नार्वे में नार्डिक सम्मेलन में भाग लेना था। सूत्रों ने कहा कि यात्रा को अब रद्द कर दिया गया है। संबंधित देशों को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी जिनमें सभी पुरुष थे और अनेक मृतकों की पीड़ित पत्नियों को ध्यान में रखते हुए जवाबी अभियान के लिए 'आपरेशन सिंदूर' नाम सबसे मुफीद समझा गया।

नई दिल्ली में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य कैबिनेट मंत्री।

प्रधानमंत्री ने मौजूदा हालात को देखते हुए यूरोप के तीन देशों की यात्रा को रद्द कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना 'आपरेशन सिंदूर' नाम। *जैसे* ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'आपरेशन सिंदूर' के बारे में कैबिनेट को जानकारी दी, पूरे मंत्रिमंडल ने मेजें थपथपाकर इस कार्रवाई और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।

खबर कोना

भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद प्रयागराज में बुधवार को जश्न मनाते लोग।

आगे कोई हमला नहीं हो, इसलिए भारतीय सेना ने नपी-तुली कार्रवाई की : मिसरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को नष्ट करने और भविष्य में ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए 'नपी-तुली, टकराव को नहीं बढ़ाने वाली, संतुलित और जिम्मेदाराना' कार्रवाई की। मिसरी ने संवाददाताओं से कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकियों और इसकी साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाना जरूरी माना जा रहा था। उन्होंने कहा कि हमले के बाद एक पखवाड़ा गुजरने पर भी पाकिस्तान की सरजमीं पर और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसकी ओर से कोई कदम उठता नहीं दिखा। इसके बजाय वह आरोप लगाने और सच्चाई को नकारने में लगा रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कुख्यात हो गया है। मिसरी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को लेकर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया कि भारत के खिलाफ और हमलों की आशंका है। इसलिए इन्हें रोकने और धता बताने की अनिवार्यता थी। उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी संवाददाताओं को संबोधित किया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में, भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह 'आपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान स्थित जिन आतंकी ठिकानों पर हमला किया उनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीदके शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार के दो सप्ताह बाद ये मिसाइल हमले किए गए।

पुंछ जिले में पर्याप्त सुविधाओं के साथ नौ आश्रय शिविर स्थापित किए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में अधिकारियों ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित सीमावर्ती गांवों से हटने के इच्छुक लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ नौ आश्रय शिविर स्थापित किए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय सशस्त्र बलों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने पुंछ जिले में बुधवार को भारी गोलाबारी की। पाकिस्तान द्वारा की गयी भारी गोलीबारी में 12 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। अधिकारी ने बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पहले ही प्रबंध कर दिए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने दिन में विभिन्न आश्रय शिविरों में तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने शिविर स्थलों का दौरा किया, ताकि सुविधाओं का आकलन किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि रसद व सहायता मौजूद हों। स्थानांतरित होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरामेल स्कूल (चांडक), डिंगला विश्वविद्यालय परिसर (इशात उल उलूम, चांडक), उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (चांडक), सरकारी हाई स्कूल (सनाई), सरकारी मिडिल स्कूल (सनाई), जीएचएसएस सेरी ख्वाजा और पालिटेक्निक कालेज (साथरा) में आश्रय शिविर स्थापित किए गए हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने कहा

जांबाज सैनिकों को सलाम, हम उनके साथ खड़े हैं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले के लिए कांग्रेस ने बुधवार को भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सलाम किया और कहा कि वह सरकार एवं जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 'आपरेशन सिंदूर' को लेकर चर्चा और सशस्त्र बलों की सराहना की गई। बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए कांग्रेस ने बैठक में यह फैसला भी किया कि उसकी प्रस्तावित 'संविधान बचाओ रैलियां' और अन्य कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक स्थगित रहेंगे। कार्य समिति की बैठक के बाद खरगे ने संवाददाताओं से कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने 'आपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुहंतोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अपने सशस्त्र बलों पर उन्हें बहुत गर्व है और वह उनके साथ खड़े हैं। सरकार जो कदम उठा रही है, हम समर्थन करते हैं।

'हमने वही किया जो हनुमान ने अशोक वाटिका में किया था'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' के तहत निर्धारित लक्ष्यों को योजना के अनुसार सटीकता के साथ आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की ओर से पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर किए गए हमले के बारे में कहा कि हमने हनुमान के उस आदर्श का पालन किया है, जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। 'जिन मोहि मारा, तिन मोहि मारे' अर्थात केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' के तहत निर्धारित लक्ष्यों को योजना के अनुसार सटीकता के साथ नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान और पीओजेके में नौ आतंकवादी ठिकानों पर हमले के कुछ घंटों बाद सिंह ने यह बात कही। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ सशस्त्र बलों की जवाबी कार्रवाई की सराहना करते हुए सिंह ने कहा कि भारत ने अपनी धरती पर हुए हमले का जवाब देने के अपने अधिकार का उपयोग किया है। हमारी कार्रवाई बहुत सोच-समझकर और नपे-तुले तरीके से की गई है।

राजनाथ सिंह ने छह राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि हमने केवल उन लोगों को मारा, जिन्होंने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की। आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से यह कार्रवाई उनके ठिकानों और अन्य बुनियादी ढांचे तक ही सीमित थी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने सटीकता, सतर्कता के साथ अभियान को अंजाम दिया।

मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए पाक सेना के जवान

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

पाकिस्तानी सेना के कर्मी और हाफिज सईद के प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (जेयूडी) के सदस्य लाहौर से 40 किलोमीटर दूर मुरीदके में आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर भारतीय सैन्य हमले में मारे गए तीन लोगों के जनाजे की नमाज में बुधवार को शामिल हुए।

जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुसलिम लीग के प्रवक्ता तबीश कय्यूम ने बताया कि कारी अब्दुल मलिक, खालिद और मुदस्सिर की जनाजे की नमाज मुरीदके में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। जनाजे की नमाज में सिविल नौकरशाही के सदस्य भी मौजूद थे। कय्यूम ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारत को दिनदहाड़े जवाब मिलेगा।

पाक रक्षा मंत्री ने कहा, हम पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और पंजाब प्रांत में आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमले के कुछ घंटों बाद बुधवार को कहा कि इस्लामाबाद पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश कर रहा है।

आसिफ ने कहा, इस संघर्ष के पूर्ण युद्ध में बदल जाने की संभावना है, जिसे हम टालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने मंगलवार रात अंतरराष्ट्रीय सीमा पार की। आसिफ ने कहा कि मंगलवार देर रात को हुआ हमला स्पष्ट उल्लंघन है तथा संघर्ष को बढ़ाने तथा कहीं अधिक व्यापक तथा अधिक खतरनाक बनाने का निमंत्रण है।

पाकिस्तान ने प्रमुख मार्गों पर हवाई यातायात बहाल किया

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

पाकिस्तान ने बुधवार शाम प्रमुख मार्गों पर हवाई यातायात बहाल कर दिया, जबकि कुछ मार्ग 24 घंटे के लिए और बंद रहेंगे। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने संशोधित नोटिस (नोटम) के अनुसार यह घोषणा की।

इससे पहले बुधवार को भारत द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को हवाई यातायात के लिए 48 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की थी। संशोधित नोटम में सीएए ने कहा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में हवाई क्षेत्र अब पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है।

अजहर मसूद ने माना, हमले में परिवार के 10 लोग और चार करीबी मारे गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने बुधवार को कबूल किया कि बहावलपुर में उसके संगठन के मुख्यालय पर भारतीय मिसाइल हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और चार करीबी सहयोगी मारे गए हैं।

अजहर के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया कि बहावलपुर में जामिया मस्जिद सुब्हानअल्लाह पर हमले में मारे गए लोगों में जैश सरगना की बड़ी बहन और उसका पति, एक भांजा और उसकी पत्नी, एक भांजी और परिवार के पांच अन्य बच्चे शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हमले में अजहर के एक करीबी सहयोगी और उसकी मां तथा दो अन्य करीबी साथियों की भी जान चली गई। इसमें कहा गया कि क्रूरता के इस कृत्य ने सारी हदों को पार कर लिया है। अब दया की कोई उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अजहर को 1999 में विमान आइसी-814 के अपहृत यात्रियों की रिहाई के ऐवज में जेल से छोड़ा गया था। उसके बाद से बहावलपुर जैश का अड्डा बना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने मई 2019 में अजहर को 'वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया था। तब चीन ने जैश प्रमुख को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर अपनी रोक को हटा लिया था। उस समय नई दिल्ली ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र से इस बाबत संपर्क किया था।

पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय की शुरुआत : आरएसएस

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बुधवार को कहा कि 'आपरेशन सिंदूर' पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए न्याय की शुरुआत है।

भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें बहावलपुर का जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना शामिल है। आरएसएस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख सुनील आंबेकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पहलगाम के पीड़ितों के लिए न्याय की शुरूआत 'आपरेशन सिंदूर'। न्याय हुआ। राष्ट्र समर्थन करता है। जय हिंद। भारत माता की जय।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने कहा कि भारत ने 'आपरेशन सिंदूर' के जरिए पहलगाम आतंकवादी हमले का सफलतापूर्वक बदला लिया। विहिप ने ह्यआपरेशन सिंदूरह्ल की सफलता के लिए भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जिहादी पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाकर हमारी जाबांज सेना ने यह बता दिया है कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं।

इन मिसाइलों ने तबाह किए आतंकी ठिकाने

आपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों ने रफाल विमान और ड्रोन की मदद से दागे गए स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल ने पाकिस्तान में आतंकियों के नौ ठिकानों को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई। इन मिसाइलों के जरिए भारतीय सेना ने सटीक निशाना लगाकर पहलगाम हमले का बदला लिया। आइए जानते हैं कितनी खास है ये मिसाइलें...

स्कैल्प क्रूज मिसाइल

250 से 560 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम

1300 किलोग्राम होता है मिसाइल का वजन

1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने की क्षमता

खासियत : इस मिसाइल में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिससे यह बिल्कुल सही रास्ते पर चलकर लक्ष्य को निशाना बनाती है। यह 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ती है।

हैमर मिसाइल

25 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक होता है वजन

20 से 70 किलोमीटर तक के लक्ष्य को करने की क्षमता

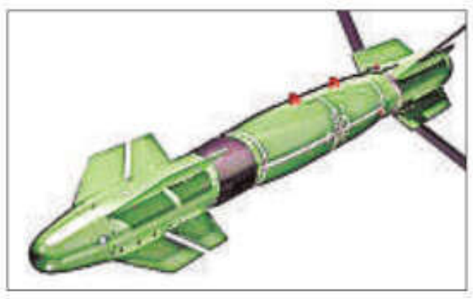

खासियत : हैमर मिसाइल में भी जीपीएस होता है जिससे यह सटीक और लंबी दूरी तय करती है। इस मिसाइल में लेजर गाइडेंस भी होती है जिससे इसे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाने में आसानी होती है। यह मिसाइल इलेक्ट्रानिक जैमिंग का भी आसानी से सामना कर लेती है।

रफाल की इन खासियतों ने पूरा किया अभियान

1. रफाल की खासियत है कि यह लंबी दूरी पर भी सटीक मारक क्षमता रखता है। रफाल ने स्कैल्प मिसाइलों के जरिए वायुसेना को पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किए बिना दुश्मन के इलाके में गहराई तक हमला करने में सक्षम बनाया।
2. रफाल में स्पैक्ट्रा इलेक्ट्रानिक वाकफेयर सूट ने रफाल को दुश्मन की नजरों से बचाने में कारगर भूमिका निभाई।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान

मुठभेड़ में मार गिराए गए 22 नक्सली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जारी नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों ने बुधवार को 22 नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित पहाड़ियों में 21 अप्रैल को 'मिशन संकल्प' नाम से अभियान शुरू किया गया था जिसमें लगभग 24 हजार जवान शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत आज सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले सोमवार को सुरक्षाबलों ने एक वर्दीधारी महिला नक्सली को मार गिराया था तथा घटनास्थल से हथियार और अन्य सामान बरामद किए थे। वहीं 24 अप्रैल को तीन महिला नक्सली के शव बरामद किए गए थे। इस अभियान में सुरक्षाबलों ने अब तक कुल 26 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के बाद सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया था।

अधिकारियों ने बताया कि जिले के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों और छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित पहाड़ियों में 21 अप्रैल को 'मिशन संकल्प' नाम से अभियान शुरू किया गया था जिसमें लगभग 24 हजार जवान शामिल हैं। अभियान में अब तक 26 नक्सली मारे गए।

बस्तर क्षेत्र में शुरू किए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियानों में से एक इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स और छत्तीसगढ़ पुलिस के एसटीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कमांडो बटालियन फार रेसोल्यूट एक्शन (कोबरा) के जवान समेत विभिन्न इकाइयों के जवान शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान अंतरराज्यीय सीमा पर बीजापुर (छत्तीसगढ़) व मुलुगु तथा भद्राद्री-कोठागुडेम (तेलंगाना) के दोनों ओर लगभग आठ सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले दुर्गम इलाके और घने जंगल में जारी है। यह स्थान राजधानी रायपुर से 450 किलोमीटर दूर है। जिस इलाके में अभियान चल रहा है वह पहाड़ियों के अलावा घने जंगलों से घिरा हुआ है तथा इसे माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की बटालियन नंबर एक का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। बटालियन नंबर एक माओवादियों का सबसे मजबूत सैन्य इकाई है।

अधिकारियों ने बताया कि जानकारी मिली है कि माओवादियों की पीएलजीए की बटालियन नंबर एक, तेलंगाना राज्य समिति और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (डीकेएसजेडसी) के पांच सौ से अधिक नक्सली अपने नेताओं के साथ इलाके में बैठक के लिए एकत्र हुए थे तथा छिपे हुए थे। इनमें केंद्रीय समिति के सदस्य चंद्रना, रामचंद्र रेड्डी, सुजाता, हिडमा और पीएलजीए बटालियन का कमांडर बरसे देवा शामिल है। बस्तर संभाग में सुरक्षाबलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पिछले चार माह में 151 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। बस्तर संभाग में बीजापुर समेत सात जिले शामिल हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद

श्रीनगर में सौ से अधिक संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई : पुलिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद पर नकेल कसने के मकसद से बुधवार को शहर में 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद से श्रीनगर पुलिस द्वारा 100 से अधिक आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के मकसद से तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। ये तलाशी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सहयोगियों और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ केंद्रित थी। अब तक 100 से अधिक आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के घरों की तलाशी ली गई है। पुलिस ने बुधवार को आतंकवादियों के 31 सहयोगियों के घरों पर छापेमारी की, जिसमें समरबग निवासी अमीर अहमद गोजरी का घर भी शामिल है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिले में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के मकसद से तलाशी अभियान तेज कर दिया है।

गोजरी को राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने अक्तूबर 2021 में आतंकियों को रसद और अन्य सहायता प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रवक्ता ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी ली गई। हथियार, दस्तावेज और डिजिटल उपकरणों को जब्त करने, किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के मकसद से तलाशी ली गई।

सीबीआइ निदेशक प्रवीण सूद को दिया गया एक साल का सेवा विस्तार

नई दिल्ली, 7 मई (ब्यूरो)।

केंद्र ने बुधवार को सीबीआइ निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया। सूद ने 25 मई, 2023 को दो साल के कार्यकाल के लिए सीबीआइ निदेशक का पदभार संभाला था।

प्रवीण सूद

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सोमवार को हुई बैठक में सूद के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने 24 मई से एक वर्ष के लिए सूद के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी।

सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारी हैं। जब उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किया गया था, तब वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के पद पर तैनात थे। वर्ष 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जन्मे सूद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद 22 वर्ष की आयु में आइपीएस अधिकारी बन गए थे।

हवाई हमले की आशंका को लेकर सतर्कता

देश भर में हुआ खतरे से बचाव का अभ्यास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले महीने हुए आतंकी हमले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए जाने के बाद विभिन्न राज्यों में बुधवार को अभ्यास किया गया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच 'नए और जटिल खतरे' सामने आए हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया था।

सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मंगलवार देर रात को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हमले किए। झारखंड के छह राज्यों में सायरन बजने के बाद 'माक ड्रिल' की शुरुआत हुई। तीन घंटे का यह अभ्यास रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गोड्डा और साहिबगंज में नागरिक सुरक्षा संगठनों के समन्वय से किया जा रहा है।

हरियाणा के सभी 11 जिलों में 'आपरेशन अभ्यास' के तहत 'माक ड्रिल' की गई। प्रदेश के गुरुग्राम, पंचकूला, अंबाला और रोहतक में व्यस्त शापिंग माल, बाजारों और अन्य प्रतिष्ठानों में अभ्यास किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) सुमिता मिश्रा ने बताया कि 'माक ड्रिल' 11 जिलों के लिए अनिवार्य थी और तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए सभी जिलों में शाम चार बजे सायरन बजने के साथ शुरू करने का निर्णय लिया गया था। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस अभ्यास के साथ-साथ जनता से अनुरोध किया है कि वे शाम सात बजकर 50 मिनट से आठ बजे तक अपने घरों की सभी लाइटें बंद रखें।

महाराष्ट्र के मुंबई में छत्रपति शिवाजा महाराज टर्मिनल और दक्षिण मुंबई के क्रास मैदान में 'माक ड्रिल' की गई। छत्रपति शिवाजा महाराज टर्मिनल पर 26 नवंबर 2008 को आतंकियों ने हमला किया था। मुंबई पुलिस ने बताया कि जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रूट मार्च, गश्त और जांच की। अभ्यास की शुरुआत एक नकली विस्फोट के बाद आग लगने से हुई। कर्नाटक के बंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर अभ्यास किया गया। विभिन्न स्थानों पर अपराह्न तीन बजकर 48 मिनट पर सायरन बजने के तुरंत बाद नागरिक सुरक्षा कर्मी, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी हरकत में आ गए।

बचाव

कोच्चि में बुधवार को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत बारिश के बीच आयोजित अभ्यास में भाग लेते अग्निशमन कर्मी।

शोध छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में आइआइटी का प्रोफेसर बर्खास्त

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 7 मई।

उत्तराखंड के रूड़की स्थित भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आइआइटी) के एक वरिष्ठ प्रोफेसर को उनके अधीन रहकर पीएचडी कर रही एक शोध छात्रा द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के सच पाए जाने के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

आइआइटी रूड़की ने बयान जारी करके बर्खास्तगी की पुष्टि की है। बयान के मुताबिक, रहमान को सोमवार को बर्खास्त किया गया। एक शोध छात्रा ने जनवरी में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। एक आंतरिक जांच पैनल द्वारा दोषी पाए जाने के बाद उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त किए जाने के समय उनके अधीन 15 से ज्यादा शोधार्थी पीएचडी कर रहे थे। संस्थान के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि जिलुर रहमान (60) रूड़की स्थित आइआइटी के कुछ सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर में से एक थे और पूर्व में अग्रणी संस्थान में प्रबंधन अध्ययन विभाग के प्रमुख भी रहे थे।

आइआइटी रूड़की ने मंगलवार शाम को एक बयान जारी करके कहा कि संस्थान के एक संकाय सदस्य को उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद सेवा से बर्खास्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि आइआइटी रुड़की पेशेवर नैतिकता और संस्थागत अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेलवे ने अपने कर्मचारियों को किया सतर्क, कहा

पाक जुटा सकता है रेलगाड़ियों की जानकारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

रेल मंत्रालय ने कर्मचारियों को पाकिस्तानी खुफिया एजंसियों द्वारा सैन्य रेलगाड़ियों की आवाजाही की जानकारी प्राप्त करने के प्रयास के प्रति आगाह किया है तथा कहा है कि गोपनीय जानकारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए।

पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले करने से एक दिन पहले छह मई को जारी अपने परामर्श में मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी जानकारी का खुलासा करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा।

रेलवे अधिकारियों की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा मिल रेल स्टाफ (रेलवे की सैन्य शाखा) के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी जानकारी का खुलासा करना सुरक्षा का उल्लंघन माना जाएगा।

रेलवे बोर्ड की ओर से सभी रेलवे जोन के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधकों को भेजे गए संदेश में कहा गया है, 'पाकिस्तानी खुफिया जासूस रेलवे अधिकारियों को फोन कर सैन्य विशेष रेलगाड़ियों की आवाजाही के बारे में गोपनीय जानकारी मांग सकते हैं।'

इसमें कहा गया है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा मिल रेल स्टाफ (रेलवे की सैन्य शाखा) के अलावा किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी जानकारी का खुलासा करना सुरक्षा का उल्लंघन माना जाएगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। मिल रेल भारतीय रेलवे की एक विशेष शाखा है जो रक्षा बलों को रसद सहायता प्रदान करती है। इसलिए, यह वांछित है कि रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को सैन्य विशेष रेलगाड़ियों की आवाजाही और मुद्दे की गंभीरता के बारे में जानकारी की महत्त्वपूर्ण प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया जाए।

मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों से सभी कर्मचारियों को निर्देश देने का आग्रह किया है कि 'यदि कोई व्यक्ति सैन्य गतिविधि के बारे में जानकारी चाहता है, तो कोई भी जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों को नहीं दी जानी चाहिए।'

पेज 1 का बाकी

नौपाक ठिकाने ध्वस्त

आतंक का गढ़ है, जहां अजमल कसाब और नौ अन्य आतंकियों को मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले से पहले प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, 26/11 हमले के आरोपी डेविड हेडली और तहव्वुर राणा भी वहां गए थे। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में 2011 में मारे गए अल कायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने मुरीदके में एक अतिथिगृह के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए का दान दिया था। हाफिज सईद के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा ने जम्मू-कश्मीर, बंगलुरु और हैदराबाद समेत देश के कई अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी हमले किए हैं। मुरीदके में स्थित तैयबा के मरकज (केंद्र) को 'आतंक की फैक्ट्री' कहा जाता है, यह लश्कर-ए-तैयबा का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण केंद्र है। यहां भर्ती किए गए लोगों को बरगलाया और प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस शिविर में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लगभग 1,000 छात्र नामांकित हैं। दूसरा बड़ा लक्ष्य बहावलपुर था, जो 1999 में आइसी-814 के अपहृत यात्रियों के बदले मसूद अजहर की रिहाई के बाद जैश-ए-मोहम्मद का केंद्र बन गया था। यह समूह भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में संसद पर हमला, 2000 में जम्मू - कश्मीर विधानसभा पर हमला, 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला और 2019 में पुलवामा आत्मघाती हमला शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जा चुके अजहर को अप्रैल 2019 के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। अजहर ने जनवरी 2000 में आतंकवादी संगठन शुरू किया था और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ), अफगानिस्तान में तत्कालीन तालिबान नेताओं, बिन लादेन और पाकिस्तान में सुन्नी सांप्रदायिक संगठनों से उसे सहायता मिली थी। बहावलपुर में मरकज सुब्हानअल्लाह वह जगह है जहां जैश-ए-मोहम्मद अपने लड़ाकों को प्रशिक्षित करता है और उन्हें अपने विचारों से प्रेरित करता है। अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की योजना इसी शिविर में बनाई गई थी जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत हुई थी।

अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के पंजाब के नारोवाल जिले के सरजाल तेहरा कलां में जैश-ए-मोहम्मद का शिविर आतंकी समूह का केंद्रीय ठिकाना था और इसका संचालन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किया जा रहा था, जिसकी देखरेख शिविर का वास्तविक प्रमुख अब्दुल रऊफ असगर करता था। जम्मू के सांबा सेक्टर से सिर्फ छह किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का उपयोग स्थानों की पहचान करने, घुसपैठ के लिए सीमा पार सुरंग खोदने और सीमा पार हथियार व नशीले पदार्थ भेजने के ड्रोन के संचालन के लिए किया जाता है। अधिकारियों के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बुधवार को किए गए आपरेशन के तहत निशाना बनाए गए अन्य ठिकानों में कोटली में मरकज अब्बास और पीओजेके के मुजफ्फराबाद में सैयदना बिलाल शिविर (सभी जैश-ए-मोहम्मद के शिविर) शामिल हैं। इसके अलावा, बरनाला में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद में शवावाई नाला शिविर (सभी लश्कर-ए-तैयबा से संबंधित) और कोटली में मरकज राहिल शाहिद और सियालकोट में (प्रतिबंधित हिज्बुल मुजाहिदीन के) महमूना जोया को भी निशान बनाया गया।

पीओजेके के मुजफ्फराबाद में शवाई नाला शिविर एक महत्त्वपूर्ण लश्कर शिविर है, जहां 26/11 के हमलावरों को प्रशिक्षण दिया गया था। 2000 में शुरू हुए इस शिविर में पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ के अधिकारी अक्सर आते रहते हैं, जहां एक समय में 200-250 आतंकवादी रह सकते हैं। इन शिविरों से आतंकवादी मुख्य रूप से दक्षिणी कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। पीओजेके के कोटली में स्थित मरकज अब्बास शिविर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसका नेतृत्व असगर का करीबी सहयोगी कारी जरार कर रहा हैं और यहां जैश-ए-मोहम्मद के 100-125 आतंकवादी मौजूद हैं। एनआइए ने जरार को वांछित घोषित कर रखा है। अधिकारियों के अनुसार, मुजफ्फराबाद में स्थित मरकज सैयदना बिलाल के नाम से मशहूर जैश-ए-मोहम्मद के एक और शिविर में 50-100 आतंकवादी मौजूद हैं।

जवान, चार महिलाओं व चार बच्चों समेत 13 लोगों की मौत

पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलाबारी में से एक है। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलाबारी में सैकड़ों निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने या सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गोलाबारी में मकान, वाहन और एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न इमारतें नष्ट हो गईं। इससे सबसे अधिक प्रभावित पुंछ जिले और राजौरी तथा उत्तरी कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में सीमावर्ती निवासियों में दहशत उत्पन्न हो गई।

अधिकारियों ने कहा कि भारतीय सेना गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप दुश्मन पक्ष के कई लोग हताहत हुए हैं, क्योंकि गोलीबारी में शामिल उनकी कई चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। दोनों देशों के बीच 25 फरवरी, 2021 को संघर्षविराम समझौते के नवीनीकरण के बाद यह पहली बार है कि इतनी भारी गोलाबारी देखी गई है। सभी 13 लोगों की मौत पुंछ जिले में हुई, जबकि 42 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई गई है। पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास बालाकोट, मेंढर, मनकोट, कृष्णा घाटी, गुलपुर, केरनी और यहां तक कि जिला मुख्यालय से भी गोलाबारी की, जिसके परिणामस्वरूप दर्जनों आवासीय मकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। सीमा पार से गोलाबारी दोपहर तक तेज रही और बाद में रुक-रुक कर जारी रही, जो अगले कुछ घंटे तक ज्यादातर पुंछ सेक्टर तक ही सीमित रही।

अधिकारियों ने बताया कि भारी गोलाबारी के कारण स्थानीय लोगों को पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गोलाबारी में पुंछ बस स्टैंड भी क्षतिग्रस्त हो गया और कई बसें क्षतिग्रस्त हो गईं। पुंछ नगर में एक गुरुद्वारा और आस-पास के मकानों पर तोप का गोला गिरने से तीन सिखों की मौत हो गई। पंजाब की कई पार्टियों ने इस घटना की निंदा की है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि पुंछ में पवित्र केंद्रीय गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अमानवीय हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें भाई अमरीक सिंह जी (एक रागी सिंह), भाई अमरजीत सिंह और भाई रणजीत सिंह सहित तीन निर्दोष गुरसिखों की जान चली गई। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में सीमा पार से हुई गोलाबारी में पांच बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए जबकि राजौरी जिले में तीन अन्य घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा जिले के करनाह सेक्टर में गोलाबारी के कारण कई घरों में आग लग गई। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान बलविंदर कौर उर्फ 'रूबी' (33), मोहम्मद जैन खान (10), उसकी बड़ी बहन जोया खान (12), मोहम्मद अकरम (40), अमरीक सिंह (55), मोहम्मद इकबाल (45), रणजीत सिंह (48), शकीला बी (40), अमरजीत सिंह (47), मरियम खातून (7), विहान भार्गव (13) एवं मोहम्मद रफी (40) और सेना के एक लांस नायक के रूप में की है।

पहलगाम हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की यह लगातार 13वीं रात थी। इससे पहले, एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा था कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात्रि के दौरान, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा और जम्मू कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार स्थित चौकियों से तोपखाने के जरिए गोलाबारी की। भारतीय सेना गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन सेना की कई चौकियां नष्ट कर दीं और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया जिसके उसके कई हताहत हुए हैं। अधिकारियों ने जम्मू क्षेत्र के पांच सीमावर्ती जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया था।

देश की आवाज : कर्नल सोफिया-विंग कमांडर व्योमिका

जाने के लिए प्रेरित हुईं। कुरैशी ने कहा था, 'एक फौजी के बच्चे के रूप में, मैं सेना के माहौल से वाकिफ थी। मेरी मां चाहती थी कि हम दोनों बहनें सेना में शामिल हों। मैंने इसके लिए आवेदन किया और मैं इसमें शामिल हो गई।

उन्होंने कहा कि मेरे दादा भी सेना में थे, और वह कहते थे कि यह हमारी, हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और अपने देश के लिए खड़े हों और राष्ट्र की रक्षा करें। यह गरिमापूर्ण और सम्मानजनक पेशा है।' जब वह (सैन्य) अकादमी में शामिल हुईं, तो करगिल युद्ध चल रहा था। उन्होंने 2016 में बहुराष्ट्रीय क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में सेना के प्रशिक्षण दल का नेतृत्व भी किया था। दूसरी ओर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विभिन्न प्रकार के विमान उड़ाये हैं और नागरिकों को निकालने के लिए जटिल परिस्थितियों में बचाव अभियानों में हिस्सा लिया है। व्योमिका के पति भी भारतीय वायुसेना में पायलट हैं। व्योमिका ने 2023 में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित पैनल चर्चा के दौरान यह बताया था कि कैसे उनका नाम-व्योमिका, पायलट बनने की उनकी नियति में सहयोगी रहा।

व्योमिका ने बताया था, 'मैं कक्षा-6 में थी तभी एक 'यूरेका' क्षण आया। मुझे अहसास हुआ कि मैं पायलट बनना चाहती हूं और आसमान में उड़ान भरना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि हम नामों के अर्थ को लेकर कक्षा में चर्चा कर रहे थे। तभी कोई चिल्लाया कि 'तुम व्योमिका हो, जिसका अर्थ है व्योम (आकाश) तुम्हारा है'। उसी दिन से मैं पायलट बनना चाहती थी। यह 1990 के दशक की शुरुआत की बात है।' 'नारी शक्ति' के विषय पर हुई उस चर्चा में व्योमिका ने वायुसेना में शामिल होने और पायलट बनने की अपनी यात्रा के बारे में भी बताया था।

केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के संचालन पर अभी रोक जारी रहेगी

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 7 मई।

केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की बीमारी से मौत के बाद उनके संचालन पर लगाई गयी रोक फिलहाल जारी रहेगी। प्रदेश के पशुपालन सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि केदार घाटी में घोड़े-खच्चरों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्थानीय लोगों, घोड़े-खच्चर व्यवसायियों व अन्य संगठनों द्वारा यात्रा मार्ग पर उनके संचालन पर लगी रोक को आगे बढाने का अनुरोध किया गया है ताकि जानवरों में संक्रमण बढ़ने की स्थिति उत्पन्न न हो।

उन्होंने बताया कि पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों के पुनः संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। रविवार और सोमवार को यात्रा में 13 घोड़े खच्चरों के मरने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनमें से आठ घोड़ों की मृत्यु 'डायरिया' एवं पांच घोड़ों की मृत्यु 'एक्यूट कोलिक' से हुई है। विस्तृत रपट के लिए इन घोड़ों के नमूने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) भेजे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 से अधिक चिकित्सकों की टीम को यात्रा मार्ग में तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि अस्वस्थ घोड़े-खच्चरों को यात्रा मार्ग में नहीं चलने दिया जाएगा जबकि स्वस्थ घोड़ों के नमूनों की जांच रपट नेगेटिव आने पर ही उन्हें यात्रा मार्ग में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।पुरुषोत्तम ने बताया कि एक माह पहले रुद्रप्रयाग जिले के दो गांवों में घोड़े-खच्चरों के नमूने लिए गए थे जिनमें से कुछ घोड़ों में एव्हाइन इन्फलूएंजा के लक्षण मिले थे। इसके बाद 30 अप्रैल तक 26 दिनों में रेकार्ड 16 हजार घोड़ों की जांच की गई थी।

YES BANK

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : यस बैंक भवन, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज पूर्व, मुंबई– 400055, भारत,
वेबसाइट : www.yesbank.in ई–मेल : communications@yesbank.in,
सीआईएन : L65190MH2003PLC143249

सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

एतद्द्वारा अधोवर्णित उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि वे बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन एवं ब्याज का प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं तथा फलतः उनके ऋण सुविधा खाता को अनार्जनकारी परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस संबंध में उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञातव्य पतों पर सूचनायें निर्गत की गयी थीं किंतु वे सूचना–प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आयी हैं तथा एतद्द्वारा उन्हें अब उन सूचनाओं के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, बंधककर्ताओं के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	सूचना तिथि	एनपीए की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया
1. श्री माइकल लालनुनसांग ("उधारकर्ता और बंधककर्ता") पुत्र श्री लालफकथंग, निवासी 6058/8, तृतीय तल, पॉकेट–8, डी–6, वसंत कुंज, दिल्ली– 110070, 2. श्रीमती लालरामनघक ("सह–उधारकर्ता") पत्नी श्री माइकल लालनुनसांग, निवासी 6058/8, तृतीय तल, पॉकेट–8, डी–6, वसंत कुंज, दिल्ली–110070 ऋण का प्रकार :– गृह ऋण सुविधा खाता संख्या : **HLN000300102095**	स्वामित्वधारक आवासीय फ्लैट नंबर 4, जो भू तल पर, ब्लॉक– एफ4, पॉकेट नंबर 3 में, आवासीय योजना रोहिणी, सेक्टर 34, नई दिल्ली– 110087 में स्थित है	**01–मई–2025**	**15–अप्रैल–2025**	आईएनआर 9,67,770.23/– (रुपये नौ लाख सड़सठ हजार सात सौ सत्तर और तेईस पैसे मात्र) 17.04.2025 के अनुसार देय

उपरोक्त उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) / बंधककर्ता(ओं) (जब भी जहां कहीं लागू योग्य) को एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर उक्त 60 दिवसों के समापन के उपरांत सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत भविष्य की कार्यवाहियां की जायेंगी। इसके अतिरिक्त, यह सूचना भी आपके संज्ञान में लायी जानी अपेक्षित लगती है कि अधिनियम की धारा 13(8) के अंतर्गत, तब जबकि हमारे द्वारा देयकृत समस्त लागतों, शुल्कों एवं व्ययों के साथ हमारी संपूर्ण बकाया राशि का सार्वजनिक नीलामी / विक्रय हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है, तो तब हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जायेगा तथा प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय अथवा हस्तांतरण करने हेतु हमारे द्वारा कोई भी भावी कार्रवाई नहीं की जायेगी।

दिनांक : 08–05–2025, स्थान : दिल्ली **हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी) यस बैंक लिमिटेड**

SMFG Grihashakti Naya Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालय:503 एवं 504, 5वां तल, जी–ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई–400051
पंजीकृत कार्यालय : कॉमर्सजोन आईटी पार्क टावर बी, प्रथम तल, सं.111, माउन्ट पूनामल्ली रोड, पूरू चेन्नई – 600116 तमिलनाडु

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड), एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहां इसमें इसके उपरांत ''एसएमएचएफसी'' के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु ''एसएमएचएफसी'' के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम, एलएएन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	एलएएनः– 611239510907293 1. गुलाब सिंह 2. राज पति	राम नगर घरौंडा तहसील घरौंडा जिला करनाल में स्थित पुइड नं.102620310/10/01,संपत्ति नं. 392/ 10 प्लॉट/संपत्ति माप क्षेत्र 163 वर्ग गज। हस्तांतरण विलेख विस्का नं. 7219 दिनांक 12–10–2021 एस.आर. घरौंडा के कार्यालय में पंजीकृत।	19.04.2024, रु. 14,79,157/– (चौदह लाख उन्नयासी हजार एक सौ सत्तावन मात्र) 18.04.2024 तक	07.05.2025

स्थान : करनाल , हरियाणा **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 07.05.2025 **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**
(पूर्ववर्ती फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः 347–एल मॉडल टाउन, बावल रोड रेवाड़ी, हरियाणा पिनः 123401

डिमांड नोटिस

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद यहां अधिनियम के तौर नामित) की धारा 13(2) के अंतर्गत नोटिस

उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 60 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित उधारकर्ताओं को बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा उनके खातों के एनपीए के कारण ऋण राशि और भविष्य के ब्याज को जमा करने के लिए दिनांक **24.04.2025** को नोटिस दिए गए थे। नोटिस के अनुसार यदि ऋण राशि 60 दिनों के भीतर जमा नहीं की जाती है, तो सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्जा लिया जाएगा। शाखा को उक्त अधिनियम के तहत आपको भेजे गए अवितरित लौटाए गए उक्त नोटिसों की रसीद प्राप्त नहीं हुई है। अतः सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ऋण की राशि 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज और व्यय के साथ नीचे अनुसूची के अनुसार जमा करें। इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के बाद बैंक सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करेगा।

उधारकर्ता और गारंटरों के नाम	नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) की तिथि
(1) मेसर्स शुभाष चंद डेयरी अपने मालिक के माध्यम से (2) श्री सुभाष चंद पुत्र श्री बाबू राम गुप्ता (मालिक और गारंटर) निवासी नंबर 5, शनि देव मंदिर के सामने, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पलवल रोड, सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा–1122103। (3) श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री बाबू राम गुप्ता (गारंटर) निवासी नंबर 5, शनि देव मंदिर के सामने, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पलवल रोड, सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा–1122103। (4) श्री दीप चंद पुत्र श्री बाबू राम गुप्ता (गारंटर) निवासी नंबर 5, शनि देव मंदिर के सामने, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पलवल रोड, सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम, हरियाणा–1122103।	22.04.2025

ऋण स्वीकृति राशि (रुपये में)

सुविधा की प्रकृति और प्रकारः– ऋण सुविधाएं, 06–01–2018 को 225 लाख रुपये स्वीकृत किए गए

नोटिस की तिथि और राशि

नोटिस दिनांक 24.04.2025, 2,28,75,561.53/– रु. (केवल दो करोड़ अठाईस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ इकसठ रुपए तथा तिरेपन पैसे) जो 23.04.2024 को है, 31.03.2025 तक ब्याज जमा अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार।

रेहन संपत्तियों का विवरण

1. श्री दिनेश कुमार, श्री सुभाष चंद और श्री दीप चंद के नाम पर वार्ड नंबर 4 की आबादी के भीतर 61.33 वर्ग गज की संपत्ति/दुकान प्रवेश का सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018, जो सब रजिस्ट्रार सोहना के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 1380, बुक नंबर 1 दिनांक 04.12.1991 के रूप में पंजीकृत है और श्री दिनेश कुमार, श्री सुभाष चंद और श्री दीप चंद के नाम पर वार्ड नंबर 4 की आबादी के भीतर 20.44 वर्ग गज की संपत्ति/दुकान प्रवेश का सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018, जो सब रजिस्ट्रार सोहना के कार्यालय में दस्तावेज संख्या 1379, बुक नंबर 1 दिनांक 04.12.1991 के रूप में पंजीकृत है। दिशा–निर्देश?? सुरक्षित परिसंपत्ति की सीईआरएसएआई आईडी 400018377495 है, सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018 और
2. वार्ड संख्या 07, पलवल सोहना रोड, झेवत/खाता संख्या 745/1041, रेक्ट संख्या 247, किला संख्या 11)3–15), गांव सोहना में श्री दिनेश कुमार, श्री सुभाष चंद और श्री दीपचंद के नाम पर 13 मरला भूमि का सम्यक बंधक, जो दिनांक 25.04.2007 को दस्तावेज संख्या 387 बुक संख्या 1 के रूप में पंजीकृत हुआ और दिनांक 26.09.2008 को म्यूटेशन संख्या 17368 द्वारा परिवर्तित किया गया। श्री दिनेश कुमार ने जिला नगर नियोजित गुरुग्राम के कार्यालय में सोहना के मास्टर प्लान और क्षेत्रीय योजना और भूमि की स्थिति जारी करने के लिए एक आवेदन दायर किया है और डीटीपी ने 21.10.2015 को ज्ञापन संख्या 6080 के साथ एक पत्र जारी किया है जिसमें बताया गया है कि प्रकाशित योजना 2031 एडी के अनुसार सोहना जिला गुरुग्राम का रेक्ट नंबर 247 किला नंबर 15 आवासीय सेक्टर 7 का हिस्सा है और जैसा कि दिखाया गया है सोहना टाउन की एक मौजूदा आबादी सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम के राजस्व संपदा के भीतर स्थित है। दिशा–निर्देश?? सुरक्षित संपत्ति की सीईआरएसएआई आईडी 400018414683 है, सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018 और
3. संपत्ति/प्लॉट रकबा 11 मरला संख्या 1208/15, वार्ड संख्या 4, पलवल सोहना रोड, खेवट/खाता संख्या 162, म्यूटेशन संख्या 24, किला संख्या 24, किला संख्या 15/2/1(4–6) गांव सोहना का सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018 को श्री दिनेश कुमार, श्री शुभाष चंद और श्री दीप चंद के नाम पर दस्तावेज संख्या 5799, बुक संख्या 1 दिनांक 18.11.2011 के रूप में पंजीकृत हुआ और 25.05.2015 को म्यूटेशन संख्या 21078 द्वारा म्यूट किया गया। श्री दिनेश कुमार ने जिला नगर नियोजन कार्यालय गुरुग्राम में सोहना के मास्टर प्लान और जोनल प्लान तथा भूमि की स्थिति जारी करने के लिए आवेदन किया है तथा डीटीपी ने 21.10.2015 को ज्ञापन संख्या 6080 के तहत एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि सोहना जिला गुरुग्राम के प्रकाशित प्लान 2031 एडी के अनुसार रेक्ट संख्या 247 किला नंबर 15 आवासीय सेक्टर 7 का हिस्सा है तथा जैसा कि दिखाया गया है, यह सोहना टाउन की मौजूदा आबादी है जो सोहना, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम के राजस्व संपदा के भीतर स्थित है। दिशा–निर्देश?? सुरक्षित संपत्ति की सीईआरएसएआई आईडी 400018416949 है, सम्यक बंधक दिनांक 09.01.2018 है।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

तिथिः 07.05.2025 **स्थानः रेवाड़ी** **मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी**

Chola Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001156222) 1. शशि देवी 2. सोनू ठाकुर (सह–आवेदक) उपरोक्त सभी का पता : खसरा नंबर 1403, ब्लॉक–सी, लोनी गिरि मार्किट, गाजियाबाद–201001	12–06–2021	रु. 40,70,812.62/– 09–06–2021	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** आवासीय सम्पत्ति सं. 36–सी, परिमाप 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 1403, स्थित : ब्लॉक–सी, सेक्टर–3, गिरि मार्किट, ग्राम लोनी क्षेत्र, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	06–05–2025 सांकेतिक
2.	ऋण खाता सं. HEO1XBQ00000032885, X0HEELD00001579224) 1. सन्नी साध (आवेदक) पता : भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053 अन्य पता : ए–12, खसरा नंबर 99, गली नंबर 3,जौहरीपुर, निकट पाइप फैक्ट्री, दिल्ली–110094 2. दिनेश कुमार (सह–आवेदक) पता : भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053 अन्य पता : 697/16, आदर्श मोहल्ला, कृष्णा गली, मौजपुर, दिल्ली–110053 3. भावना साध (सह–आवेदक) पता : भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053 अन्य पता : 697/16, आदर्श मोहल्ला, कृष्णा गली, मौजपुर, दिल्ली–110053 4. सनील कुमार साध (सह–आवेदक) भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053 5. चेतना कुमारी साध (सह–आवेदक) भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053 7. मैसर्स डीएस एंटरप्राइजेज (इसके स्वामी – सन्नी साध के माध्यम से) (सह–आवेदक) भू तल, मकान नंबर 697, केएच. नंबर 40, गली नंबर 16, आदर्श मोहल्ला, निकट कैंटरबरी स्कूल, मौजपुर भजनपुरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली–110053	06–02–2025	रु. 23,99,051/– 06–02–2025 तक	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** निर्मित सम्पत्ति सं. 2/1/डी/आईबी, क्षेत्रफल परिमाप 28 वर्ग गज यानी 23.41 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 224/1 का भाग, पुराने प्लॉट नंबर23 पर निर्मित, ब्लॉक नंबर डी, उक्त सम्पत्ति साइट के अनुसार निर्मित है, उक्त सम्पत्ति की आखिरी अनुमत्य/स्वीकृत मंजिल तक ऊपर/आगे निर्माण के अधिकार सहित, बिजली और वाटर टैप कनेक्शन फिटेड, स्थित : आबादी गली नंबर 8, ईस्ट आजाद नगर, कृष्ण नगर, राजस्व सम्पदा ग्राम घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051, उक्त सम्पत्ति में सभी अधिकार, स्वामित्व तथा हितों सहित (इसमें आगे उक्त सम्पत्ति कही गई है) तथा जो निम्नानुसार परिबद्ध है – पूरब : गली, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति	06–05–2025 सांकेतिक

तिथि : 06–05–2025 स्थान : दिल्ली/एनसीआर **प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सिंडिकेट Syndicate

वसूली अनुभागः क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार, चंदवानी मार्केट, आर्यनगर, स्मार्ट रिलायंस पॉइंट के ऊपर फोनः 0135–2716905

डिमांड नोटिस

धारा 13 (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुर्ननिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत नोटिस

केनरा बैंक, हरिद्वार संबंधित शाखा द्वारा निम्न सम्पत्ति को साम्यिक बंधक रखते हुये ऋण प्रदान किया गया। **ऋणी/सह–ऋणी /गारंटर,** नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी करने में असफल रहे फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक देयों की वसूली हेतु सरफेयसी के अन्तर्गत मॉग नोटिस जारी किया गया एवं रजिस्टर्ड पोस्ट /स्पीड पोस्ट के माध्यम से उधारकर्ता/गारंटर को भेजा गया। **ऋणी/सह–ऋणी /गारंटर** को सूचित किया जाता है कि इस मॉग नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर बैंक के समस्त देयों (ब्याज, वसूली व्यय एवं प्रभार आदि) को भुगतान करें अन्यथा समस्त देयों की वसूली हेतु **केनरा बैंक, हरिद्वार संबंधित शाखा** सरफेयसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की कब्जा एवं नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। इसके अलावा, उक्त अधिनियम 13(13) के माध्यम से बिक्री/पट्टे या अन्यथा सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करना निषेद्ध होगा। **"उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"**

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	ऋण का प्रकार	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	शाखाः भगवानपुर **ऋणीः 1.** भगवानपुर एन्टरप्राइजेज, (प्रोपराईटर श्री महताब पुत्र सलीम) पताः एचडीएफसी बैंक के सामने, भगवानपुर, भगवानपुर हरिद्वार, उत्तराखण्ड-247661 2. श्री महताब पुत्र सलीम, पताः शाहपुर, भगवानपुर, हरिद्वार, जिला हरिद्वार- 247661, गारन्टरः **3.** शराफत पुत्र इदरीश, पताः 90 शाहपुर, भगवानपुर, हरिद्वार, जिला हरिद्वार-247661	बंधक सभी आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल माप पूर्व- 28 फीट, पश्चिम- 27 फीट, उत्तर-43.74 फीट, और दक्षिण 43.74 खसरा नं. 95 का भाग, मौजा शाहपुर, मुस्तकीम, परगना एवं तहसील जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड/ कुल भूमि माप 1203 वर्गफीट अर्थात् 111.802 वर्गमीटर सीमाएँ- पूर्व- 9 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- हनीफ का मकान, उत्तर- 8 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण- जाहिद हसन मकान, Cersai ID: 400057304840. शीर्षक धारक का नामः श्री महताब पुत्र सलीम।	MSME-OD/OCC GECL	03.05.2025 एनपीए की तिथि 24.04.2025	रू0 **25,82,773.27** दिनांक 03.05.2025 खाता संख्या 2909261010169 रू0 **1,09,528.19** एवं **03.05.2025** साथ ही के देय ब्याज और आकस्मिक व्यय एव लागत। खाता सं. 170001682811
2.	शाखाः श्रीनगर **ऋणीः 1.** सूर्या प्रकाश भट्ट पुत्र शिव प्रसाद भट्ट, म.नं. 66, उफल्दा पौड़ी गढ़वाल- 8120000009, श्रीनगर, उत्तराखण्ड, **2.** नदीम अहमद पुत्र रईस दूल्हा, म.नं. 146, मोची टमटा मौहल्ला, श्रीनगर पी, गढ़वाल मो. 9412032561, **3.** सुनील दत्त काला, पुत्र एस पी काला, ग्राम डांग- 9058640963	बंधक सभी आवासीय भूमि और भवन स्थित खेत नं. 184, खाता खतौनी नं. 44, फसली वर्ष 1415 से 1420, ग्राम उफल्दा, पट्टी एडवाल्सयुन, तहसील श्रीनगर, जिला- पौड़ी गढ़वाल, कुल भूमि माप क्षेत्रफल 350.00 वर्गमीटर। सीमाएँः- पूर्व- हीरा सिंह की भूमि, पश्चिम- धर्म सिंह का मकान, उत्तर- कुन्दन सिंह का मकान, दक्षिण- सड़क। Cersai ID: 400087114555. शीर्षक धारक का नामः श्री सूर्या प्रकाश भट्ट पुत्र श्री शिव प्रसाद भट्ट।	OSL Syndnivas New Construction -BR	05.05.2025 एनपीए की तिथि 01.05.2025	रू0 **5,47,042.89** दिनांक 05.05.2025 साथ ही आगे के देय ब्याज और आकस्मिक व्यय एव लागत। खाता सं. 86727740000059

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE") (TOGETHER, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

MOURI TECH®

MOURI TECH LIMITED

Our Company was incorporated on December 19, 2005, at Hyderabad, Andhra Pradesh, India as 'MOURI Soft Solutions Private Limited', a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Assistant Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad. Our Board further approved the change in the name of our Company from 'MOURI Soft Solutions Private Limited' to 'MOURI Tech Private Limited' by their resolution dated January 4, 2012, which was thereafter approved by the Shareholders through their special resolution dated January 25, 2012 and a fresh certificate of incorporation, under the Companies Act, 1956, was issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh at Hyderabad on January 31, 2012. Thereafter our Company was converted to a public limited company pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on June 6, 2024 and the name of our Company was changed to 'MOURI Tech Limited' and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion to a public limited company dated July 4, 2024 was issued by the Central Processing Centre, Manesar. For details of changes in our name and the Registered Office, see ***"History and Certain Corporate Matters – Brief history of our Company"*** and ***"History and Certain Corporate Matters – Changes in the registered office of our Company"*** on page 253 of the draft red herring prospectus dated May 5, 2025 filed by the Company with Securities and Exchange Board of India, and the Stock Exchanges (the "**DRHP**" or the "**Draft Red Herring Prospectus**").

Registered Office: 6-3-83, 3rd floor, Loukya Towers, Mallampet Road, Bachupally, Hyderabad 500 090, Telangana, India. **Corporate Office:** Vaishnavi's Iconic, SY No. 62, Unit 1A, 1st floor and Unit 4A, 4th floor, Madhapur, Hyderabad 500 081, Telangana, India. **Contact Person:** Chiranjeevi Raju Dharma, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** 040-67254104; **E-mail:** cs@mouritech.com; **Website:** www.mouritech.com; **Corporate Identity Number:** U72200TG2005PLC048486

OUR PROMOTERS: ANIL REDDY YERRAMREDDY AND SUJAI PATURU

INITIAL PUBLIC OFFERING OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MOURI TECH LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 15,000 MILLION, COMPRISING A FRESH ISSUE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AGGREGATING UP TO ₹ 2,500 MILLION ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH (THE "OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹ 12,500 MILLION, COMPRISING [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH BY SUJAI PATURU AGGREGATING UP TO ₹ 7,263 MILLION, [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH BY ANIL REDDY YERRAMREDDY AGGREGATING UP TO ₹ 3,706 MILLION AND [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH BY SRINIVASU RAO SANDAKA AGGREGATING UP TO ₹ 1,531 MILLION (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS") AND SUCH EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [●]% OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL. OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, AGGREGATING UP TO ₹ 500 MILLION PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE.

**IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED

पाक के सरजाल में जैश-ए-मोहम्मद का संचार तंत्र नष्ट

पीओके में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए सटीक हमले का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सरजाल के तेहरा कलां गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गोपनीय तरीके से संचालित जैश-ए-मोहम्मद का संचार तंत्र भी था, जो लंबे समय से सुरक्षा एजंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ थ। बुधवार को आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के दौरान इस नेटवर्क को भी नष्ट कर दिया गया।

खबर कोना

नई दिल्ली में सैन्य अभियान के बाद पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर नारे लगाते लोग।

कश्मीर के तीन सीमावर्ती जिलों में स्कूल, कालेज बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद के हालात के मद्देनजर कश्मीर के तीन सीमावर्ती जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कश्मीर विश्वविद्यालय ने बुधवार को आयोजित होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि जिन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है उनके दोबारा आयोजन के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। क्लस्टर विश्वविद्यालय ने भी बुधवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने आदेश दिया कि बारामूला और कुपवाड़ा जिलों के साथ-साथ बांदीपोरा जिले के गुरेज में सभी शैक्षणिक संस्थान बुधवार को बंद रहेंगे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज आज बंद रहेंगे।

'कार्रवाई ऐसी हो कि फिर किसी का सिंदूर न उजड़े, कोई अनाथ न हो'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए आसूचना ब्यूरो (आइबी) के अधिकारी मनीष रंजन की पत्नी जया मिश्रा ने भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में किए गए मिसाइल हमलों को 'जरूरी' कदम बताया और साथ ही कहा कि कार्रवाई ऐसी हो कि 'फिर किसी का सिंदूर न उजड़े और कोई बच्चा अनाथ न हो।' उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जया ने अपने पति को 'शहीद' का दर्जा दिए जाने की भी मांग की। मैं चाहती हूं कि मेरे पति को शहीद का दर्जा मिले। अपने पति की मौत के गम में डूबी जया ने कहा कि सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि फिर किसी का सिंदूर न उजड़े और फिर किसी के बच्चे अनाथ न हों।

'पाकिस्तान का सफाया होने तक कार्रवाई जारी रहे'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति और पुत्र को खोने वाली एक महिला ने बुधवार को 'आपरेशन सिंदूर' के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। गुजरात के भावनगर की काजलबेन परमार ने सरकार से अनुरोध किया कि जब तक पाकिस्तान का सफाया नहीं हो जाता, उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। सूरत की रहने वाली एक अन्य महिला, जिनके पति की भी आतंकी हमले में मौत हो गई थी, ने सेना की कार्रवाई पर खुशी जताई और कहा कि उसे सरकार पर पूरा भरोसा है। काजलबेन परमार ने भावनगर में कहा कि पाकिस्तान पर हवाई हमले को लेकर मुझे बहुत गर्व है। मैं सशस्त्र बलों को सलाम करती हूं और भारत माता की जयकार करती हूं। काजलबेन परमार ने कहा कि मेरा बेटा 12वीं कक्षा में था। वह अक्सर मुझसे कहता था कि वह सेना में शामिल होना चाहता है और देश के लिए लड़ना चाहता है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिया आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश

हर बार मुंह की खाई है पाकिस्तान ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सैन्य तनाव के घटनाक्रम में एक और अध्याय है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई इस कार्रवाई को 'आपरेशन सिंदूर' के नाम से अंजाम दिया गया।

वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध को प्रथम कश्मीर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह तब शुरू हुआ, जब नव स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के बीच तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत को लेकर संघर्ष छिड़ गया। इसकी शुरुआत अक्तूबर 1947 में हुई जब पाकिस्तान समर्थित कबायली मिलिशिया ने रियासत पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह द्वारा जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के बाद, भारत ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी, जिससे दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर संघर्ष हुआ। यह संघर्ष जनवरी 1949 तक जारी रहा, जब संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा (एलओसी) का अस्तित्व सामने आया।

पांच अगस्त, 1965 को कश्मीर को लेकर भारत-पाकिस्तान के मध्य दूसरा सशस्त्र संघर्ष छिड़ गया। यह तब शुरू हुआ जब हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने स्थानीय विद्रोहियों के वेश में जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। 'आपरेशन जिब्राल्टर' के नाम से जाना जाने वाला गुप्त अभियान, इस क्षेत्र को अस्थिर करने और स्थानीय विद्रोह को भड़काने के उद्देश्य से चलाया गया था। भारत ने सैन्य हमला करके जवाब दिया, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह जंग में बदल गया। युद्ध 23 सितंबर, 1965 तक जारी रहा, जब दोनों पक्ष तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम पर सहमत हुए।

वर्ष 1971 का भारत-पाक युद्ध पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में पाकिस्तानी सेना के दमन की कार्रवाई और उस हिस्से से उठी स्वतंत्रता की मांग के कारण शुरू हुआ था। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समर्थन में युद्ध में हिस्सा लिया और फिर, पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भीषण लड़ाई के बाद, 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध के कारण बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया।

वर्ष 1999 का करगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में हुआ संघर्ष था, जो उस साल मई से जुलाई तक लड़ा गया था। तब पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के करगिल क्षेत्र में पर्वत चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारत ने वायु सेना के 'आपरेशन सफेद सागर' के समर्थन के साथ क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए 'आपरेशन विजय' शुरू किया। 26 जुलाई, 1999 को भारत के इस क्षेत्र पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के साथ युद्ध समाप्त हो गया। इस दिन को अब 'करगिल विजय दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

अट्ठारह सितंबर, 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के एक केंद्र पर हुए आतंकवादी हमले में 19 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को नियंत्रण रेखा के पार 'लक्षित हमला' किया। भारतीय सेना ने पीओजेके में कई आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें घुसपैठ की तैयारी कर रहे कई आतंकवादी ढेर हो गए।

छब्बीस फरवरी, 2019 को, भारतीय वायु सेना ने पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमले किए। पुलवामा आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे। बालाकोट 'हवाई हमला' में लड़ाकू विमानों का उपयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तानी क्षेत्र में अंदर तक आतंकी शिविर को निशाना बनाया। यह 1971 के युद्ध के बाद पहला ऐसा हवाई हमला था।

फाइल फोटो

वर्ष 1947 को अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है. कई बार उसने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान भी छेड़ा है, लेकिन हर बार बुरी तरह भारत से हारा है।
वर्ष 1971 में पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था।
26 जुलाई, 1999 को भारत अपने क्षेत्र पर कब्जा करने में सफलता पाई।
इसकी शुरुआत अक्तूबर 1947 में हुई जब पाक समर्थित कबायलियों ने रियासत पर आक्रमण कर दिया।

जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्पेन के विदेश मंत्रियों से बात की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को जापान, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के अपने समकक्षों से बात की और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में आतंकी ढांचे पर भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनानी होगी।

जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया के साथ फोन पर बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने एक्स पर कहा कि जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से बातचीत हुई। मैं जापान द्वारा 22 अप्रैल के हमले की निंदा किए जाने की सराहना करता हूं। आज सुबह सीमा पार आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर उनकी एकजुटता और समर्थन की सराहना की गई।

स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अलबरेस के साथ फोन पर हुई अपनी वार्ता के बारे में जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ एवं संतुलित प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। जयशंकर ने एक्स पर कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दिखानी चाहिए।

एनआइए ने लोगों से की अपील, कहा

पहलगाम हमले से संबंधित तस्वीरें, वीडियो साझा करें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने बुधवार को सभी पर्यटकों, आगंतुकों और स्थानीय लोगों से अपील की कि जिनके पास पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित कोई और जानकारी, तस्वीरें या वीडियो हैं, वे तुरंत एजंसी से संपर्क करें। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजंसी ने हमले के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली बड़ी संख्या में तस्वीरें और वीडियो अपने कब्जे में ले लिए हैं और उनकी जांच कर रही है।

आतंकी हमले की आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा संभालने वाली एनआइए हमलावरों और उनके काम करने के तरीकों के बारे में किसी भी संभावित सुराग की तलाश के लिए संबंधित चीजों की गहन जांच करने को उत्सुक है। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों और अन्य लोगों ने जाने-अनजाने में कुछ प्रासंगिक विवरण देखे, सुने या क्लिक किए होंगे, जो एनआइए को कश्मीर में पर्यटकों पर हुए अभूतपूर्व हमले के पीछे की साजिश को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। एनआइए ने एक बयान में कहा कि अब इसने अपने प्रयासों को और भी अधिक तीव्रता से बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवता के खिलाफ इस जघन्य अपराध की जांच में कोई भी उपयोगी जानकारी या सबूत न छूट जाए। एनआइए ने ऐसे सभी लोगों से एजंसी को काल करने और जानकारी साझा करने का आग्रह किया है। एनआइए का एक वरिष्ठ अधिकारी काल करने वाले से संपर्क करेगा और एजंसी के साथ साझा की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी/फोटो/वीडियो आदि की व्यवस्था करेगा।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में 22 अप्रैल, 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद कई तस्वीरें और वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर प्रसारित पाए गए हैं। बयान में कहा गया है कि एनआइए की कई टीम पहलगाम में हमले की जगह की जांच करने के लिए डेरा डाले हुए हैं और इस जघन्य अपराध के गवाहों से भी पूछताछ कर रही हैं।

आतंकी हमले की आधिकारिक तौर पर जांच का जिम्मा संभालने वाली एनआइए हमलावरों और उनके काम करने के तरीकों के बारे में किसी भी संभावित सुराग की तलाश के लिए संबंधित चीजों की गहन जांच करने को उत्सुक है।

'मेरे पिता को शांति मिली, ऐसी और कार्रवाई की उम्मीद है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

हर्षल लेले

पहलगाम आतंकी हमले में अपने पिता और दो नजदीकी रिश्तेदारों को खोने वाले हर्षल लेले ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मंगलवार देर रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ 'आपरेशन सिंदूर' को अंजाम दिए जाने के बाद संतोष जताया है।

लेले ने कहा कि मैं संतुष्ट हूं, मेरे दिवंगत पिता अतुल मोने को अब शांति मिली होगी। आतंकियों ने 22 अप्रैल को लेले की आंखों के सामने उनके पिता और दो नजदीकी रिश्तेदारों को गोली मार दी थी। उन्होंने ठाणे जिले के डोंबिवली में कहा कि आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के तरीके से मैं खुश हूं। हम इस तरह की और कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। हर्षल के पिता संजय लेले और उनके रिश्तेदार अतुल मोने और हेमंत जोशी 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों में शामिल थे।

अतुल मोने की पत्नी अनुष्का मोने ने कहा कि जिन्हें हमने खो दिया है, वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन सेना की यह कार्रवाई और मुहंतोड़ जवाब, उनके बलिदान के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। आतंकियों ने सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं किया, उन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया था।

सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे सीमा के निकट रहने वाले लोग

जम्मू, 7 मई (भाषा)।

पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आइबी) के पास रहने वाले सैकड़ों लोगों को बुधवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इससे पहले दिन में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू क्षेत्र के पुंछ व राजौरी तथा उत्तरी कश्मीर के बारामूला व कुपवाड़ा के अग्रिम गांवों पर गोलाबारी और मोर्टार से हमला किया जिसमें चार बच्चों और दो महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई तथा 50 से अधिक घायल हो गए।

भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकियों के नौ ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसके तुरंत बाद सीमापार से गोलीबारी हुई। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित जोरियन गांव के निवासी लियाकत अली ने कहा कि हालांकि, हमारे गांव में सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन हमें आरएस पुरा में स्थित आइटीआइ कालेज में स्थानांतरित होने को कहा गया है, जहां मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार ने हमारे रहने के लिए आवश्यक प्रबंध किए हैं।

अली ने कहा कि गांव को अतीत में बहुत नुकसान हुआ है और पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण यह गांव तबाह हो गया था। हमें अपनी सुरक्षा के लिए बाहर जाने को कहा गया है और हम सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे हैं।

सुरक्षा पुंछ जिले में बुधवार को भारतीय सेना के आपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से हो रही गोलाबारी के बीच लोग सुरक्षित स्थानों जाते हुए।

'आतंकियों का सफाया हो, निर्दोषों को कुछ नहीं होना चाहिए'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ राव की मां सुमति ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों का स्वागत किया और कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास था।

उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके बेटे का बलिदान व्यर्थ जाए। यह संतोष की भावना नहीं है, क्योंकि उनका बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसी घटना दूसरों के बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए।मंजूनाथ की मां सुमति ने कहा कि निर्दोषों को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारे खिलाफ अत्याचार या दुष्टता करते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।

आतंकवादी कुछ भी करने से पहले सौ बार सोचेंगे : नरवाल के पिता | **सराहना** | 'आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले हमेशा उनके दिमाग में गूंजते रहेंगे'

सैन्य अभियान से संतुष्ट, आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो : हिमांशी

चंडीगढ़, 7 मई (ब्यूरो)।

पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल ने भारतीय सेना की ओर से मंगलवार देर रात चलाए गए आपरेशन सिंदूर पर संतुष्टि जताई है। उन्होंने कहा कि वह यह भी चाहती हैं कि यह सिर्फ यहीं खत्म न हो।

वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई की बुधवार को सराहना की और कहा कि मोदी सरकार ने एक कड़ा संदेश दिया है तथा अब 22 अप्रैल के हमले के साजिशकर्ता भविष्य में ऐसे हमले दोहराने से पहले '100 बार सोचेंगे।'

भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना भी शामिल है। राजेश नरवाल ने करनाल में अपने आवास पर कहा कि जब यह (पहलगाम) घटना हुई थी, तब भी आप (मीडिया) मेरे घर आए थे और पूछा था कि मुझे सरकार से क्या उम्मीद है। मेरा जवाब था कि मुझे अपनी सरकार पर भरोसा है। और आज सरकार ने उस भरोसे को सही साबित किया है। मैंने कहा था कि ऐसा (जवाबी हमला) किया जाना चाहिए ताकि कोई दोबारा ऐसा कायराना कृत्य करने की हिम्मत न कर सके... आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले हमेशा उनके दिमाग में गूंजते रहेंगे।

मिशन के नाम पर पूछे गए सवाल के जवाब में राजेश ने कहा कि इस अभियान का नाम 'आपरेशन सिंदूर' रखा जाना एकदम उपयुक्त है।

वहीं, नरवाल की मां आशा ने करनाल में कहा कि यह बिलकुल सही किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने (पहलगाम) हमले का बदला लिया। मैं उनके साथ हूं, लोग उनके साथ हैं, और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। मैं अपनी सेना से कहना चाहती हूं कि वह मुंहतोड़ जवाब दे ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आशा ने कहा कि जिन लोगों ने पहलगाम हमले में जान गंवाई, उन्हें आज न्याय मिला है। लेफ्टिनेंट नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम में हनीमून मनाने गए थे जहां आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। हमले के बाद हिमांशी की एक भावुक तस्वीर ने लोगों को आतंकियों के प्रति गुस्से और आक्रोश से भर दिया था।

'मेरे बेटे की हत्या का बदला है अभियान'

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के पिता ने कहा कि पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई ने उनके बेटे की हत्या का बदला लिया है। शाह के पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि उनकी (हमले में मारे गए लोगों की) आत्मा को आज शांति मिलेगी। शाह के भाई सैयद नौशाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनके और अन्य 25 परिवारों को न्याय दिलाया है।

'दहशतगर्दों का खात्मा किया जाना चाहिए'

पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली एक महिला ने भारतीय सशस्त्र बलों के 'आपरेशन सिंदूर' को बुधवार को उचित करार दिया। इस महिला ने जोर देकर कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल उन चार दहशतगर्दों का भी खात्मा किया जाना चाहिए जिन्होंने उसके पति की जान ली थी।पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में ज्यादातर पर्यटक थे जिनमें इंदौर के सुशील नथानियल (58) शामिल थे। नथानियल की पत्नी जेनिफर नथानियल (54) ने कहा कि जो हुआ, वह सही हुआ, लेकिन उन चारों (पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल चार दहशतगर्द) का भी खात्मा किया जाना चाहिए। इन चारों ने वह काम किया है जो एक जानवर भी नहीं करता।

सूचना

मेरे मुवक्किल के निर्देश पर यह सूचना दी जाती है कि **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** के नीचे उल्लिखित इक्विटी शेयरों के प्रमाणपत्र खो गए हैं/गलत जगह पर रख दिए गए हैं। बिना ट्रांसफर डीड के और उन्हें आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया है। **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और मेसर्स **नेस्ले इंडिया लिमिटेड** को इसकी उचित सूचना दे दी गई है। मैंने/हमने डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है।

क्र सं	शेयरधारक का नाम	कंपनी का नाम	फोलियो	प्रमाणपत्र नंबर	विशिष्ट नंबर	शेयर की संख्या
1	स्वर्णा वल्ली एस	कोफोर्ज लिमिटेड	NTL2517	2546	10940203 - 10940253	56 शेयर 10/- रुपये का भुगतान
				7532	39246736 - 39246763	28 शेयर 10/- रुपये का भुगतान
2	एम. शशिकला लुनावत और मदन लाल जैन संयुक्त रूप से	नेस्ले इंडिया लिमिटेड	Z51362	838928	91185004 - 91185028	25 शेयर 10/- रुपये का भुगतान

किसी भी व्यक्ति को, जिसका उक्त शेयरों के संबंध में दावा है, उसे ऐसा दावा अलग से कंपनी के पास दस्तावेज प्रमाण के साथ **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** के पंजीकृत कार्यालय नंबर 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरु रविदास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली- 110019 और **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** के पंजीकृत कार्यालय नंबर 100/101 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाराखंभा लेन, नई दिल्ली 110 001 पर दर्ज कराना चाहिए तथा दोनों कंपनियों के लिए इसका आरटीए मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, अलंकित हाउस, 4ई/2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 को इस तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा **मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड** और/या **मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड** क्रमशः उपरोक्त फोलियो के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

स्थान: चेन्नई
दिनांक : 07.05.2025

वकील/अधिवक्ता का नाम
श्री शिवसुब्रमण्यम

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

निगमित कार्यालय / प्रधान कार्यालय : जीआईसीएचएफएल, नेशनल इंश्योरेंस बिल्डिंग, 6ठवां तल, 14, जमशेदजी टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 400020, दूरभाष सं.: 022- 43041900, ईमेल : corporate@gichf.com, वेबसाइट : www.gichfindia.com
दिल्ली शाखा कार्यालय : यूजीएफ-10 ए ई कंचनजंगा बिल्डिंग, 18, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, दिल्ली- 110001,
कार्यालय दूरभाष : 011-23356430 / 23731669, शाखा मेल आईडी : delhi@gichfindia.com,
संपर्क विवरण : प्रदीप सिंह - 8851292527 / 6396538102

ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी तिथि : 10-06-2025 / बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 09-06-2025

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उनसे उक्त सूचना में उल्लिखित बकाया देय राशि का प्रतिभुगतान करने का आह्वान किया गया था। हालाँकि, उधारकर्ता / बंधककर्ता उक्त देय राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत एवं धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / गारंटर का नाम / ऋण फाइल नं. / शाखा का नाम	संपत्ति पता / संपत्ति क्षेत्रफल (वर्ग फुट में निर्मित)	मांग सूचना निर्गतन तिथि	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	06.05.2025के अनुसार कुल बकाया (पीओएस, ब्याज एवं अन्य शुल्कों सहित) (रूपये में)	आरक्षित मूल्य (रूपये में)
1.	**जया प्रदीप / प्रदीप नायर /** UP0110610004890	सेक्टर 1, वसुंधरा, गाजियाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में स्थित फ्री होल्ड प्लॉट संख्या 1/496 पर फ्लैट संख्या एफ.एफ.-3, एल.आई.जी. टाइप, प्रथम तल पर, पीछे की ओर, (बिना छत के अधिकार के), जिसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग- कम-डाइनिंग रूम, एक रसोई, एक शौचालय और बालकनी है, निर्मित **क्षेत्रफल 376.76 वर्ग फुट है।**	17.09.2018	24.04.2024	44,91.139/-	19,50,540/-
2.	**उमेश अरोड़ा / प्रोमिला अरोड़ा /** HR0110610004463	फ्लैट संख्या-एफएफ-202, नीचे के भूखंड में आनुपातिक हिस्सा, खसरा संख्या 4236/1748 के अंतर्गत निर्मित प्लॉट संख्या 69/8 पर, आवासीय कॉलोनी जिसे ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, तहसील और जिला गुड़गांव हरियाणा में स्थित **(निर्मित क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट।)**	20.04.2023	22.10.2024	62,51,201/-	35,34,638 /-
3.	**आशीष अग्रवाल/ श्रीमती सुषमा अग्रवाल /बालमुकुंद अग्रवाल (मृतक) अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से /** DL0111300107218	ब्लॉक-ए, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन II, गांव पासोंडा, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित भूतल पर आवासीय फ्लैट नंबर जी-7, बिना छत अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 800 वर्ग फीट, एमआईजी टाइप, जिसमें एक लिविंग-कम- डाइनिंग रूम, दो बेडरूम, दो बाथरूम-कम-शौचालय, एक किचन शामिल है, जो फ्री होल्ड प्लॉट नंबर ए-13 का हिस्सा है। **निर्मित क्षेत्र 700 वर्ग फुट।**	12.10.2022	27.08.2024	34,77,660/-	24,50,762/-
4.	**जिनेन्द्र कुमार / नीतू सेहरावत /** DL0110610003061	फ्लैट नंबर यूजीएफ-105ए, फ्लोर नंबरः ऊपरी भूतल , खसरा नंबर 774/26 और 774/27 (पुराना नंबर- 774/11 मिन) बिल्डिंग का नामः रॉयल रेजीडेंसी, टॉवर ए, लैंड माकः पटेल विद्या निकेतन के पास, गांवः डेरा मंडी, तालुकाः महरौली, राज्यः दिल्ली, पिन कोडः 110047 **(निर्मित क्षेत्र 1032 वर्ग फीट)**	27.07.2023	08.10.2024	42,38,115/-	33,39,250/-
5.	**अनूप जेम्स /** DL0111300105041	ए-78/जी -2, भूतल,केवल सीलिंग लेवल तक, एलआईजी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नंबर ए-78 का हिस्सा होने के नाते, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन, गांव के क्षेत्र में :ब्रह्मपुरा उर्फ घ्घ्मोपुरा, तहसील और जिला गाजियाबाद यू.पी.-201005 **(निर्मित क्षेत्र 400 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	13.09.2024	7,37,137/-	14,36,875/-
6.	**मनोज सिंह /** UP0110610003369	खसरा नं. 11 पर गुलशन होम्स, साईं गार्डन कॉलोनी, गांव शाहबेरी, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201009 में स्थित प्लॉट नंबर 189 में फ्लैट नं. 202 द्वितीय तल (छत के अधिकार के बिना) **(निर्मित क्षेत्र 535 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	09.12.2024	19,67,226/-	9,11,250/-
7.	**चेतन वर्मा /** UP0110610002943	साईं गार्डन गांव शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 में स्थित- खसरा संख्या-143ए, प्लॉट संख्या 62 और 63 में से, फ्लैट संख्या एफएफ 03 प्रथम तल, (1 बीएचके) (बिना छत अधिकार के) **(निर्मित क्षेत्रफल 333.67 वर्ग फुट।)**	18.06.2021	18.02.2025	16,22,987/-	7,20,000/-
8.	**गुरुशरण सिंह / नीतू कुमारी /** UP0110610004600	फ्लैट नं. 300 (तीसरी मंजिल) (बिना छत अधिकार के), प्लॉट नंबर 94, 95 और 96 खसरा नंबर 139, कॉलोनी साई गार्डन 2, एपीएस रॉयल होम्स, शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009 **(निर्मित क्षेत्र 405 वर्ग फुट।)**	10.07.2021	18.02.2025	17,09,759/-	8,52,840/-
9.	**मुकेश कुमार झा /** UP0110610003217	फ्लैट संख्या टीएफ-04, तीसरी मंजिल (बिना छत के) प्लॉट संख्या 62 और 63, खसरा संख्या 143 ए, साई गार्डन गांव शाहबेरी परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201009। **(निर्मित क्षेत्रफल 473.58 वर्ग फुट)**	17.09.2018	18.02.2025	30,48,475/-	7,77,600/-
10.	**मनीष कुमार सिन्हा/ रंजीता कुमार/** UP0110610003426	''फ्लैट नं. 203 द्वितीय तल (छत के अधिकार के बिना); यानी 41.80 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर-7,खसरा नंबर-11 महावीर हंस, साईं गार्डन कॉलोनी गांव शाहबेरी, परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर यू.पी. - 201009 **(निर्मित क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट)**	04.11.2019	18.02.2025	16,76,139/-	6,52,320/-
11.	**राजेश कुमार /** UP0110610005043	''फ्लैट नंबर जीएफ -1, भूतल,(फ्रंट साइड) बिना छत अधिकार के(एमआईजी),प्लॉट नंबर-जी-9/2,आवासीय कॉलोनी डीएलएफ, अंकुर विहार, गांव सादुल्लाबाद, परगना लोनी तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उ.प्र. - 201102 **(निर्मित क्षेत्र 550 वर्ग फुट)**	10.07.2023	23.01.2025	22,23,933/-	16,20,000/-
12.	**शेखर/ उमा देवी /** DL0110610007467	निर्मित संपत्ति प्लाट संख्या 83-बी का बिना छत/छत के अधिकार के सम्पूर्ण ऊपरी तल, खसरा संख्या 66/3 ग्राम हस्तसाल के राजस्व संपदा में, दिल्ली राज्य दिल्ली, कॉलोनी ओम विहार, ब्लॉक-जी, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 **(निर्मित क्षेत्र 675 वर्ग फुट)**	07.11.2023	24.03.2025	30,38,102/-	21,26,250/-

ई-नीलामी की तिथि और समय : 10-06-2025, वेब-पोर्टल (https://www.bankauctions.in) पर अप. 3.00 बजे से 04:00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ।

ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र में या तो ऑनलाइन माध्यम से अथवा उपरोक्त वर्णित जीआईसीएचएफ कार्यालय में निविदा / मुहरबंद बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 09-06-2025 को सायं 5.00 बजे से पहले।

उपरोक्त परिसंपत्तियों / संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अलावा (सरफेसी, अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) जीआईसीएचएफएल उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए सीलबंद लिफाफे/फों में या ऑनलाइन मोड में "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" ऑफर आमंत्रित करती है।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :-

1. ई-नीलामी **'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर', 'जो कुछ है'** और 'बिना किसी सहारा के' के आधार पर आयोजित की जा रही है और "ऑनलाइन" आयोजित की जायेगी। ई-नीलामी, जीआईसीएचएफ द्वारा अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता "मैसर्स.4 क्लोजर" के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. **इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल https://bankauctions.in/ पर पंजीकृत करना चाहिए और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर,** # 605 **ए, 6वीं मंजिल मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-** 500038, **तेलंगाना कार्यालय लैंड लाइन नंबरः** 040-23736405; **बैक एंड टीमः** 8142000062 / 66, **श्री प्रकाश** - 8142000064/8142000725, **prakash@bankauctions.in, श्री शैलेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर** 9515160061, **ईमेल : shailendra@bankauctions.in से संपर्क कर सकते हैं, संपत्ति संबंधी पूछताछ हेतु इनसे संपर्क करें : प्रदीप सिंह** - 8851292527 / 6396538102,
3. ई-नीलामी बिक्री सरफॉएसि अधिनियम/नियमावली 2002 में निर्धारित शर्तों के अधीन है और यहां/वेबसाइट के तहत उल्लिखित नियम और शर्तें इच्छुक/भागीदारीकर्ता बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों की शर्तों के भी अधीन हैं।
4. ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना ईमेल पता होना आवश्यक है।
5. एक बार जब इच्छुक बोलीदाता औपचारिक रूप से जीआईसीएचएफ के अधिकृत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो उसे दस्तावेज़ जमा करके ई-नीलामी बोली मंच के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
6. उपरोक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्यों का 10 प्रतिशत बयाना राशि (ईएमडी) जमा करना आवश्यक है। **बैंक का नाम : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या : 005111010000039 - खाता नाम : जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नीलामी खाता, शाखा का नाम : एलसीबी, फोर्ट पता : यूबीआई, 239 बैकबे रिक्लेमेशो नरीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र पिनकोड** 400021 **आईएफएससी कोड - यूबीआईएन0800511**
8. सफल बोलीदाताओं के मामले में उक्त जमा राशि को समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा। उक्त बयाना राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
9. उपरोक्त बयाना राशि (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव को पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से **"ऑनलाइन"** जमा किया जा सकता है। ईएमडी और पैन कार्ड और पते के प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति, सेवा प्रदाता को या बोली फॉर्म, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों वाले सीलबंद कवर को जमा करके जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालयों तक ऊपर उल्लिखित है या ईएमडी जमा करने की नियत तिथि से पहले पहुंचनी चाहिए
10. कि, निविदाएं खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने न्यूनतम आरक्षित मूल्य के बराबर की कीमत पर अपनी बोलियां जमा की हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बोली राशि बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर तुरंत, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य की राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा, अन्यथा जमा की गई बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय है। निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोली लगाने वाले को ज़ब्ती का कोई और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. बोलीदाता "कैविएट एम्प्टर" (क्रेता सावधानी) के सिद्धांत से बंधे हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बाधा, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, आयकर, उत्पाद शुल्क, श्रम बकाया, बिजली और रखरखाव का पता लगाने के लिए अपना उचित परिश्रम करें। फर्म या सुरक्षित संपत्ति का बकाया आदि। सफल बोलीदाताओं को सभी आउटगोइंग यानि नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसाइटी शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, और अन्य सभी आकस्मिक शुल्क, बिक्री मूल्य के अलावा संबंधित संपत्तियां लागत से संबंधित सभी आउटगोइंग सहित वहन करना होगा।
13. सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाणपत्र पर देय शुल्क/शुल्क, जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर, या सुरक्षित संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए देय कोई अन्य शुल्क वहन करना होगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम पर और संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
15. एतद्द्वारा उधारकर्ता, बंधककर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुसार, ऊपर उल्लिखित संपत्तियों को खरीदने के लिए इच्छुक खरीदार/क्रेता को साथ ला सकते हैं।
16. उपरोक्त संपत्तियों का निरीक्षण करने का अवसर अनुरोध पर एवं प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा के अनुसार दिया जा सकता है।
17. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
18. जीआईसीएचएफएल ऊपर उल्लिखित संपत्तियों पर लंबित किसी भी तरह की देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", जो कुछ है" के आधार पर और बिना किसी शर्त के की जाएगी।**
19. यदि उधारकर्ता/बंधककर्ता बिक्री की पुष्टि से पहले जीआईसीएचएफएल से संपर्क करते हैं, तो अनुबंध संबंधी बकाया + व्यय + बिक्री की घोषणा की तिथि से 15: की दर से ब्याज + खरीद राशि का 5 प्रतिशत (बिक्री के बाद की स्थिति में जो सफल बोलीदाता को भुगतान किया जाना है) की पेशकश करते हैं और बिक्री को रद्द करने का अनुरोध करते हैं, तो जीआईसीएचएफएल राशि स्वीकार करेगी और बंधककर्ता को कब्ज़ा सौंप देगी।
20. उच्चतम बोलीदाता को बिक्री नोटिस के अनुसार बोली राशि के 25 प्रतिशत (जमा की गई बयाना राशि सहित) का तुरंत भुगतान करना होगा और बोली राशि का शेष 75 प्रतिशत राशि 15 दिनों में या पार्टियों (एओ और सफल बोलीदाता) के बीच सहमत किसी अन्य विस्तारित अवधि में देय होगा। हालाँकि, अधिकृत अधिकारी को बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद बिक्री प्रमाण पत्र की पुष्टि करनी होगी और किसी भी मामले में बिक्री की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से पहले बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही बिक्री की पुष्टि की जानी चाहिए और बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
21. **न्यूनतम बोली वृद्धि मूल्य रू. 10,000/- है।**

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत 30 दिवसीय साँविधिक विक्रय सूचना

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों और संपत्तियों के पूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदात्री मैसर्स 4 क्लोजर की वेबसाइट https://bankauctions.in देखें।

कृते जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी

दिनाँक : 08-05-2025
स्थान : दिल्ली

फॉर्म डब्लूआईएन 43 [नियम 100 देखें]

क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय नई दिल्ली के समक्ष

एजीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी) के संबंध में

फाइल संख्या 5/RD(NR)/361/Summ.Pro/T83356857

लेनदारों और कामगारों को उनके दावे साबित करने के लिए सूचना का विज्ञापन

उपर्युक्त कंपनी के सभी लेनदारों (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदारों के साथ-साथ कामगारों, यदि कोई हो, को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के पास उपर्युक्त कंपनी के प्रति अपनी संबंधित ऋणों या दावों को साबित करने के लिए अपने संबंधित नाम, पते और विवरण और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 326/327 के तहत प्राथमिकता का कोई दावा या टाइटल से शामिल फॉर्म डब्लूआईएन-44 में एक शपथ पत्र 12.06.2025 को या उससे पहले आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में सुपुर्द करें या डाक द्वारा आधिकारिक परिसमापक को इस तरह से भेजें ताकि वह उक्त तारीख तक उनके पास पहुँच जाये । कोई भी लेनदार (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदार, साथ ही कामगार, यदि कोई हो, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, उसे उसके ऋण साबित होने से पहले, या जैसा भी मामला हो, लाभांश के ऐसे वितरण पर आपत्ति करने से या किसी भी लाभांश के वितरण के लाभ से बाहर रखा जाएगा।

कोई भी लेनदार (सुरक्षित और असुरक्षित), अधिमान्य लेनदार, साथ ही कामगार, यदि कोई हो, जिसने अपने साक्ष्य भेजे हों, यदि आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली से लिखित सूचना द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा ऐसे समय और स्थान पर ऐसे ऋण या दावे की जांच में उपस्थित होंगे जैसा कि ऐसे सूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा और अपने ऋण या दावे का ऐसा और साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जैसा आवश्यक होगा। कंपनी (समापन) नियम, 2020 के फॉर्म संख्या 44 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट **www.mca.gov.in, www.delhiol.com** पर जाएं।

दिनांक 7 मई, 2025

हस्ता/-
(एस. मीनाक्षी)
आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध
8वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
फोन नंबर 011-24693393-94

Dr Lal PathLabs

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1995PLC065388
पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक ई, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
कॉर्पोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा
दूरभाषः +91-124-3016500; **फैक्सः** +91-124-4234468
वेबसाइटः www.lalpathlabs.com; **ई.मेलः** cs@lalpathlabs.com

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु सूचना

इक्विटी शेयरों का इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में स्थानांतरण करना

एतदद्वारा उन शेयरधारकों को सूचना दी जाती है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम लाभांश) से अपने लाभांश का दावा/नकदीकरण नहीं किया है और यह लगातार सात वर्षों की अवधि के लिए अदावाकृत और अप्रदत्त रहा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) के अनुसार, इक्विटी शेयर जिसके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक लाभांश अदावाकृत और अप्रदत्त रहे हैं, उन्हें कंपनी द्वारा केंद्र सरकार के स्थापित आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिम लाभांश) से अपने लाभांश का दावा न करने वाले सभी शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

इस संबंध में, सभी संबंधित शेयरधारकों को कंपनी/डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध उनके नवीनतम पते पर व्यक्तिगत नोटिस/पत्र भेजे गए हैं और ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.lalpathlabs.com पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी संबंधित शेयरधारकों से एतदद्वारा पुनः अनुरोध किया जाता है कि कंपनी और/या इसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आवेदन करके 12 अगस्त, 2025 तक या उससे पहले अपने अदावाकृत लाभांश राशि का दावा करें। उपर्युक्त तिथि के बाद किए गए किसी भी दावे को वैध नहीं माना जाएगा और इसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकार आईईपीएफ को हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव पर व्यक्तिगत राशि, शेयरों और उस पर होने वाले अन्य लाभों के संबंध में कंपनी या उसके आरटीए के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, यदि लाभांश और/या शेयर पहले से ही आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिया गया है तो शेयरधारक, आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने अदावाकृत लाभांश(शों) और शेयर(रों) का दावा कर सकते हैं।

विषय वस्तु पर अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए, आप cs@lalpathlabs.com पर ई-मेल भेजकर अधोहस्ताक्षरी या हमारे आरटीए, मैसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दूरभाषः 011-41410592, ई-मेलः iepf.shares@linkintime.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

डा. लाल पैथलैब्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
विनय गुजराल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 07 मई, 2025

फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार
एलसीआरडी डिविजन / नई दिल्ली, यू.जी.एफ., फेडरल टावर्स, 2/2, वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008
फोन नं.: 011-40733977, 78, 79 एवं 80 ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

चल सम्पत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत चल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित वाहन/प्रतिभूत आस्तियां **फेडरल बैंक लिमिटेड** (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/प्रभारित है, जिनका वास्तविक कब्जा **फेडरल बैंक लिमिटेड** (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 25-04-2025 को लिया जा चुका है - श्री/श्रीमती उमेश कुमार पुत्र भगवान राय मकान नं. ए-27/25, फ्लैट नंबर 17, साई अपार्टमेंट-1, खानपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110062 की तरफ **फेडरल बैंक लिमिटेड** (सुरक्षित लेनदार) की पर्सनल कार लोन खाता नंबर 13027400003958 के तहत 09-06-2025 तक बकाया राशि **रु. 8,13,334/- (रूपये आठ लाख तेरह हजार तीन सौ चौंतीस मात्र)** तथा उस पर वसूली की तिथि तक लागत और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है" और "जो कुछ भी है वहां है"** के आधार पर 10-06-2025 को बेची जाएगी।

सुरक्षित मूल्य **रू. 9,35,000/- (रूपये नौ लाख पैंतीस हजार मात्र)** और धरोहर राशि (ईएमडी) **रू. 93,500/- (रूपये तिरानवे हजार पांच सौ मात्र)** है, जो सुरक्षित मूल्य की 10: है। सुरक्षित मूल्य से नीचे की बोलियां तत्काल अस्वीकार कर दी जाएंगी।

वाहन/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन

ह्यांडई वेन्यू 1.5 सीआरडीआई एमटी एस प्लस बीएस VI, रंग - पोलर व्हाइट, चेसिस नंबर - MALFC81DLNM345454, इंजन नंबर - D4FANM592806, 2022 माडल, डीजल, रजिस्ट्रेशन नंबर DL12CV7878

वाहन फेडरल बैंक के अधिकृत अधिकारी की देखरेख में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)** के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा। ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें युक्त ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट : **https://federalbank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध हैं। संभावित बोलीदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), हेल्पलाइन नंबर : 9265

आपरेशन सिंदूर
जनसत्ता | 8 मई, 2025

सूचकांक 106 अंक और मजबूत हुआ

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को कारोबार बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा। हालांकि, मानक सूचकांक और निफ्टी मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के अंत में 105.71 अंक यानी 0.13 फीसद चढ़कर 80,746.78 अंक पर बंद हुआ।

खबर कोना

आतंकवाद से निपटना अधिक जरूरी : कृष्णमूर्ति

न्यूयार्क, 7 मई (भाषा)।

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में भारतीय-अमेरिकी सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आतंकवाद से लड़ने और भविष्य में हिंसा को रोकने की जरूरत पर बल दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में व्यापक संघर्ष और तनाव को और बढ़ाने से बचना आवश्यक है। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव को और बढ़ने से रोकने का आ''ान करते हुए कृष्णमूर्ति ने बुधवार को कहा कि पिछले महीने पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के मद्देनजर आतंकवाद से लड़ने तथा भविष्य में हिंसा को रोकने की जरूरत और भी अधिक बढ़ गई है।

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मी।

सीमावर्ती गांवों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों का रुख किया

अमृतसर, 7 मई (भाषा)।

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुछ सीमावर्ती गांवों के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित अमृतसर व तरनतारन के गांवों में स्थिति शांत है और लोग रोजमर्रा के अपने काम करते नजर आए। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले के दो सप्ताह बाद सख्त जवाबी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें आतंकवादी समूहों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ भी शामिल हैं। फिरोजपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपना सामान स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है, हालांकि सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना या किसी भी सरकारी एजेंसी ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है।

बैंकों ने साइबर सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत किया

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर मिसाइल हमले किए जाने के बीच बैंकों ने किसी भी साइबर खतरे से बचने के लिए अपने सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत किया है। जवाबी हमले के बढ़ते खतरे बीच बैंकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के पास की शाखाओं में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी अशोक चंद्रा ने कहा कि हमने साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है। हमने किसी भी साइबर हमले को रोकने के लिए 24 घंटे का 'वार रूम' बनाया है। हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ने सीमावर्ती क्षेत्रों की शाखाओं में सुरक्षा भी बढ़ा दी है।

वैश्विक नेताओं ने उम्मीद जताई कि शत्रुता 'बहुत जल्द' समाप्त हो जाएगी

भारत-पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान

वाशिंगटन/मास्को/लंदन, 7 मई (भाषा)।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं ने बुधवार को भारत और पाकिस्तान से संयम बरतने का आह्वान किया तथा उम्मीद जताई कि शत्रुता 'बहुत जल्द' समाप्त हो जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस ने भारत और पाकिस्तान से 'अधिकतम सैन्य संयम' बरतने का आह्वान करते हुए कहा कि दुनिया दोनों देशों के सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने का आह्वान किया है। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि आतंकवादी ढांचे पर भारत का हमला उचित है। आतंकवादियों को किसी भी तरह की छूट नहीं दी जा सकती।

जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले और उस पर भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों की ओर से जिम्मेदारी से कार्रवाई किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि तनाव को बढ़ने से रोकना होगा और नागरिकों की सुरक्षा करनी होगी। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-नोएल बैरोट ने कहा कि हम आतंकवाद के खतरे से स्वयं को बचाने की भारत की इच्छा को समझते हैं, लेकिन हम भारत और पाकिस्तान दोनों से आग्रह करते हैं कि वे तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए संयम बरतें और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा करें।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के एक बयान के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत और पाकिस्तान से 'संयम बरतने, तनाव कम करने और आगे इस तरह के तनाव को बढ़ने देने से बचने के लिए कहा, जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है।'

पाकिस्तान के बहावलपुर में एक मदरसे पर भारतीय हमले में मारे गए लोगों के शव।

यह लड़ाई जल्द खत्म हो : ट्रंप

न्यूयार्क/वाशिंगटन, 7 मई (भाषा)।

भारत द्वारा मंगलवार को आधी रात के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमले के तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह लड़ाई 'बहुत जल्द' समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है।

ट्रंप ने आगे कहा कि हमने इसके बारे में तब सुना जब हम ओवल (अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय) जा रहे थे। मुझे लगता है कि लोगों को पता था कि अतीत में जो कुछ हुआ है उसके आधार पर कुछ होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि वे लंबे समय से लड़ रहे हैं। वास्तव में, अगर आप वास्तव में इसके बारे में सोचें तो वे कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास दोनों देशों के लिए कोई संदेश है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस उम्मीद करता हूं कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाए।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कदम पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के मद्देनजर उठाए गए हैं, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या कर दी गई थी। बयान में कहा गया है कि हम इस प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) से आग्रह किया है कि संवाद के रास्ते खुले रखें और टकराव की स्थिति से बचें। रुबियो के कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। इससे पहले सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर विदेश विभाग ने पोस्ट किया कि आज विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से बात की। उन्होंने दोनों देशों से संवाद के रास्ते खुले रखने और तनाव नहीं बढ़ने देने का आग्रह किया।

वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 'हमलों के तुरंत बाद' रुबियो से बात की और उन्हें भारत द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी।

रूस ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता जताई

मास्को, 7 मई (भाषा)।

रूस ने बुधवार को पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

सरकारी समाचार एजंसी तास ने रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा के हवाले से कहा कि पहलगाम शहर के निकट आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से हम बेहद चिंतित हैं। जाखारोवा ने कहा कि रूस आतंकवाद की कड़ी निंदा करता है, इसके सभी स्वरूपों का विरोध करता है तथा इस बुराई से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पूरे विश्व समुदाय के प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर देता है।

उन्होंने कहा कि हम संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं। जाखारोव ने एक बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र के प्रावधानों के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर शांतिपूर्ण, राजनीतिक व कूटनीतिक तरीकों से सुलझाया जाएगा।

चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है : जियान

बेजिंग, 7 मई (भाषा)।

चीन ने भारत और पाकिस्तान से क्षेत्र में 'शांति और स्थिरता के व्यापक हित' को ध्यान में रखते हुए संयम बरतने का बुधवार को आह्वान किया और कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर तनाव कम करने में 'रचनात्मक भूमिका' निभाएगा।

भारत की कार्रवाई के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि हम मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। वे दोनों चीन के पड़ोसी भी हैं।

पहलगाम आतंकवादी हमले का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि चीन हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से शांति व स्थिरता के व्यापक हित के लिए काम करने, शांति कायम रखने, संयम बरतने और ऐसी कार्रवाई करने से बचने का आग्रह करते हैं जिससे स्थिति और जटिल हो सकती है। लिन ने कहा कि चीन मौजूदा तनाव को कम करने में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बयान में कहा गया कि आज सुबह भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई चीन की नजरों में खेदजनक है।

भारत के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि उसने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया है, लिन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत और पाकिस्तान के बीच जारी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि चीन शांति के लिए बातचीत को बढ़ावा देने और क्षेत्र को शांतिपूर्ण और स्थिर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने यह भी देखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने कहा है कि उन्हें स्थिति के और बिगड़ने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान संयम बरतेंगे, एक ही दिशा में काम करेंगे और बातचीत के जरिए मतभेदों को ठीक से सुलझाएंगे।

अमेरिकी मिशन ने पाक में अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया

न्यूयार्क, 7 मई (भाषा)।

पाकिस्तान में अमेरिका के मिशन ने बुधवार को एक सुरक्षा अलर्ट जारी कर अमेरिकी नागरिकों को संघर्ष वाले क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी मिशन ने कहा कि वह 'आपरेशन सिंदूर' के बाद 'घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहा है'।

'सैन्य गतिविधि और बंद हवाई क्षेत्र' शीर्षक वाली सुरक्षा चेतावनी में कहा गया है कि हमें भारत द्वारा पाकिस्तान में सैन्य हमलों की रिपोर्ट के बारे में पता है। यह एक उभरती हुई स्थिति है और हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा के आस-पास के क्षेत्रों के लिए 'यात्रा नहीं करें' के परामर्श और आम तौर पर पाकिस्तान के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की 'यात्रा पर पुनर्विचार करें'।

हम तनाव घटाने के लिए समर्थन देने को तैयार : ब्रिटेन

लंदन, 7 मई (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने कहा कि ब्रिटेन भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बातचीत करने और तनाव कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बढ़ता तनाव ब्रिटेन में कई लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम दोनों देशों के साथ-साथ अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ तत्काल संपर्क कर रहे हैं। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव गंभीर चिंता का विषय है और उन्होंने दोनों देशों से 'संयम बरतने और आगे बढ़ने के लिए एक त्वरित, कूटनीतिक रास्ता खोजने के लिए सीधी बातचीत करने' का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के दोनों देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। मैंने भारत और पाकिस्तान में अपने समकक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर तनाव और बढ़ता है, तो कोई भी जीत नहीं पाएगा।

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित

लाहौर, 7 मई (भाषा)।

भारत की ओर से मिसाइल हमले किए जाने के मद्देनजर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बुधवार को आपातकाल घोषित कर दिया गया और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए।

पंजाब प्रांत की सरकार ने एक बयान में कहा कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पूरे प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया है। पंजाब पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के अस्पतालों में सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।

बयान में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर आने का आदेश दिया है और पंजाब के सभी जिलों में प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा सहित सभी संबंधित संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया गया है।

खुशी 'आपरेशन सिंदूर' की सफलता पर प्रयागराज में शंख बजाती महिला।

पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने कहा

हमलों का बदला लेने के लिए सेना को छूट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पाकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा निकाय ने बुधवार को कहा कि भारतीय सैन्य हमलों में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए सेना एवं अन्य सशस्त्र बलों को 'समय, स्थान और तरीके से' जवाबी कार्रवाई करने का विधिवत अधिकार दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में आनन-फानन में बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की बैठक में कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी सेवाओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

एनएससी ने एक बयान में चेतावनी दी कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप पाकिस्तान को भारतीय हमलों में निर्दोष पाकिस्तानी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आत्मरक्षा में 'समय, स्थान और तरीके से' जवाब देने का अधिकार है।

बयान में कहा गया है, 'पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को इस संबंध में संबंधित कार्रवाई करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है।' एनएससी ने अपने बयान में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह भारत के बिना उकसावे के किए गए अवैध कार्यों की गंभीरता को समझे और अंतरराष्ट्रीय नियमों एवं कानूनों के खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराए। विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने इस्लामाबाद स्थित राजदूतों को भारतीय हमलों के बारे में जानकारी दी।

भारत ने जो किया, वह युद्ध की कार्रवाई : शरीफ

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारतीय मिसाइल हमले को युद्ध की कार्रवाई करार दिया था और कहा था कि उनके देश को इसका मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है। किसी भी समय भारतीय विमान को पाकिस्तान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई और किसी भी पाकिस्तानी विमान ने भारत में प्रवेश नहीं किया। पीएएफ की सभी संपत्तियां सुरक्षित हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत ने एक जल भंडारण बांध पर हमला करके नीलम झेलम परियोजना को भी निशाना बनाया, जिसे उन्होंने खतरनाक संकेत बताया। बाद में संसद के एक सत्र में प्रधानमंत्री शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने पांच भारतीय विमानों को नष्ट कर दिया। हालांकि, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया।

भूमिगत बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा | भयावह | भारी गोलाबारी से रातभर टूटती रही लोगों की नींद

कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के लोगों ने चिंता में बिताई रात

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण लोगों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने तनाव में पूरी रात बिताई। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर बिना उकसावे के गोलाबारी की यह लगातार 13वीं रात थी। स्थानीय निवासी मोहम्मद जाहिद ने कहा कि यहां युद्ध जैसा माहौल था। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी पड़ी। तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा सकता था।

पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकी ढांचे पर भारतीय सशस्त्र बलों के मिसाइल हमलों के बाद नियंत्रण रेखा के पार से बंदूकों की गड़गड़ाहट के बीच कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों ने चिंता में रात बिताई।

नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास रहने वाले लोगों के लिए यह एक लंबी रात थी, क्योंकि भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में नौ आतंकी ठिकानों पर 'आपरेशन सिंदूर' के तहत मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की, जिसमें चार बच्चों सहित कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 57 अन्य घायल हो गए। अंधाधुंध गोलाबारी के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा, वाहन जल गए, दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़कों पर खून व मलबा बिखर गया। पुंछ का ऐतिहासिक किला और कई प्राचीन मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गए।

पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण लोगों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां उन्होंने तनाव में पूरी रात बिताई। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पर बिना उकसावे के गोलाबारी की यह लगातार 13वीं रात थी। स्थानीय निवासी मोहम्मद जाहिद ने कहा कि यहां युद्ध जैसा माहौल था। घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और परिवारों को सुरक्षित ठिकानों की तलाश करनी पड़ी। तबाही का मंजर हर तरफ देखा जा सकता था।

उरी के स्थानीय निवासी आतिफ अहमद ने कहा कि गोलाबारी तेज होने के कारण निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। भारी गोलाबारी के कारण रातभर हमारी नींद टूटती रही। हमने बहुत लंबे समय के बाद इतनी भीषण गोलाबारी देखी। कुपवाड़ा जिले के करनाह में निवासियों को गोलाबारी से बचने के लिए भूमिगत बंकरों में शरण लेनी पड़ी। नियंत्रण रेखा के पार से भारी गोलाबारी के कारण कुछ घरों और अन्य इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ में आग लग गई।

स्थानीय निवासी नसीर अहमद ने कहा कि हमने बहुत लंबी रात बिताई। ऐसा लग रहा था कि रात कभी खत्म ही नहीं होगी। जब भी हम भारी गोलाबारी की तेज आवाज सुनते थे, तो हमारा दिल बैठ जाता था। हमें भारी गोलेबारी के बीच अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा और शरण लेनी पड़ी।

रुपया 42 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ 84.77 प्रति डालर पर

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों पर भारत के सैन्य हमलों के बाद सीमापार तनाव बढ़ने से स्थानीय मुद्रा पर दबाव पड़ने के कारण बुधवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डालर के मुकाबले रुपया 42 पैसे लुढ़ककर 84.77 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि भारतीय सेना द्वारा 'आपरेशन सिंदूर' चलाए जाने और पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी शिविरों पर हमला करने के बाद बुधवार को भारतीय रुपये में गिरावट आई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 84.65 पर खुला और डालर के मुकाबले 84.47 के दिन के उच्चतम स्तर और 84.93 के निचले स्तर के बीच घूमता रहा। कारोबार के अंत में रुपया 84.80 प्रति डालर (अस्थायी) पर बंद हुआ, जो अपने पिछले बंद स्तर से 45 पैसे की गिरावट है।

यूको बैंक UCO Bank

अंचल कार्यालयः पलॉट नं0 5, आईटी पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)–248001, फोन नं0 0135–6518904

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उधारकर्ता को नोटिस

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अतर्न्गत सार्वकजनि मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं

क्र. सं.	ऋणी/पार्टनर/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखा : हरिद्वार (0344)** **ऋणी : मैसर्स राज फैशन, प्रोपराइटर :** श्री गौरव लखानी, **पता :** दुकान नंबर 87 पूर्वी अंबर तालाब, रूड़की–247667, उत्तराखंड, **गारंटर : 1.** श्रीमती साक्षी लखानी पत्नी श्री सुमित लखानी, **पता :** मकान नंबर–658, गैल नंबर 14 रामनगर, रूड़की–247667, उत्तराखंड, **पता :** दुकान नंबर 87 पूर्वी अंबर तालाब, रूड़की–247667। उत्तराखंड, **2.** श्री सुमित लखानी पुत्र श्री राम जी लखानी, **पता :** मकान नंबर–658, गली नंबर 14 रामनगर, रूड़की– 247667, उत्तराखंड, **पता :** दुकान नंबर 87 पूर्वी अंबर तालाब, रूड़की–247667, उत्तराखंड।	**अनुसूची – सी** सभी दृष्टिबंधक परिसंपत्तियां अर्थात स्टॉक, बुक ऋण, प्राप्य सहित चालू परिसंपत्तियां, उपभोज्य भंडार और स्पेयर्स तथा बंधक चल संयंत्र और मशीनरी उपकरण और अन्य अचल परिसंपत्तियां। सभी स्टॉक, बुक ऋण, प्राप्य, उपभोज्य भंडार और स्पेयर्स व अन्य । **सम्पत्ति नं0 1.** बंधक सभी व्यावसायिक दुकान, जिसका दुकान नं0 87 (पुराना 52/1), क्षेत्रफल 19.23 वर्ग मीटर या 207 वर्ग फुट है, जो मोहल्ला पूर्वी अंबर तालाब, रुड़की– 247667, उत्तराखंड में श्री गौरव लखानी पुत्र श्री राम जी लखानी के नाम पर स्थित है।	**25.04.2025** **एनपीए की तिथि** **20.03.2025**	रु0 **34,70,477.98** देय राशि दिनांक 24.04.2025 तक + ब्याज 28.02.2025 तक + भविष्य ब्याज एवं अन्य खर्चे

विलेख विवरणः बुक संख्या 1, खंड 6287 पृष्ठ 167–194 पर, क्रमांक 802, 31/01/2022 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की–1 में पंजीकृत है, **सीमाएं :– पूर्व**– विक्रेता की संपत्ति, **पश्चिम**– 16 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर**– राम जी लखानी की दुकान, **दक्षिण**– 6 फीट चौड़ी।

संपत्ति नं0 2. बंधक सभी व्यावसायिक दुकान, जिसका खाता संख्या 52 (पुराना 52/1) क्षेत्रफल 71.096 वर्ग या या 765 वर्ग फिट जो मोहल्ला पूर्वी अंबर तालाब, रुड़की–247667 उत्तराखंड में श्रीमती साक्षी लखानी पत्नी श्री सुमित लखानी के नाम पर पंजीकृत है। विक्रय विवरणः पुस्तक संख्या 1, वाल्यूम 6287, पृष्ठ 139–166 पर, क्रमांक 801 दिनांक 31/01/2022 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय रुड़की–1 में पंजीकृत। **सीमाएंः– पूर्व**–हितेश सचदेवा की संपत्ति, **पश्चिम**– राम जी लखानी की दुकान एवं रास्ता, **उत्तर**– हितेश सचदेवा की सम्पत्ति, **दक्षिण**– नवीन कुमार और रामकिशन की सम्पत्ति।

दिनांक–07.05.2025 स्थान–देहरादून **प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक**

RattanIndia Power Limited

Extract from the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2025

(Rs. Crore)

Sr. No	Particulars	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	936.25	733.32	913.96	3,283.83	3,364.00
2	Net profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	125.94	4.33	(20.04)	221.92	(1,758.70)
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	125.94	4.33	10,615.04	221.92	8,876.38
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	125.94	4.33	10,665.75	221.92	8,896.75
5	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	126.16	4.33	10,666.21	221.15	8,896.80
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11	5,370.11
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet				(785.08)	(1,006.23)
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 10 per Equity Share)					
	- Basic (Rs.)	0.23*	0.01*	19.86*	0.41	16.57
	- Diluted (Rs.)	0.23*	0.01*	19.86*	0.41	16.57
	*(EPS for the quarter are not annualised)					

Notes:

(a) **Additional information on standalone financial results is as follows:**

Sr. No	Particulars	Quarter ended 31.03.2025 (Audited)	Quarter ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2024 (Audited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)	Year ended 31.03.2024 (Audited)
1	Total income from operations	936.25	733.32	913.96	3,283.83	3,364.00
2	Net profit for the period (before tax and exceptional items)	124.43	2.86	100.06	215.97	196.87
3	Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	124.43	2.86	(1,145.08)	215.97	(1,048.27)
4	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	124.43	2.86	(1,094.37)	215.97	(1,027.90)
5	Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	124.65	2.86	(1,093.90)	215.20	(1,027.82)

(b) The above is an extract of the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the company's website www.rattanindiapower.com and on the Stock Exchanges website at BSE (www.bseindia.com) & NSE (www.nseindia.com) and the same can be accessed by scanning the QR code provided below.

(c) **The Auditors in their Independent Auditor's Report on Consolidated Annual Financial Results have brought out as below:**

Sinnar Thermal Power Limited (STPL) had ceased to be a subsidiary of the Group with effect from 19 January 2024 pursuant to the re-initiation of Corporate Insolvency Resolution Process ('CIRP') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Consequently, the assets and liabilities of STPL had been de-recognised at their respective carrying values as at 18 January 2024 in accordance with the requirements of Ind AS 110 - Consolidated Financial Statements and the resultant gain on loss of control was recorded, which had been presented as an 'exceptional item' in the Consolidated Statement of Profit and Loss for the quarter and year ended 31 March 2024.

As further described in the said note, STPL's other current financial liabilities as at 18 January 2024 de-recognised as above, included balances amounting to Rs. 6,652.38 crores, in respect of which confirmations from the respective lenders were not received for balances as at 31 December 2023 while in case of certain lenders, the balance of borrowings and accrued interest confirmed by the lenders as compared to balance as per books as at 31 December 2023 was higher by Rs. 379.99 crores and Rs. 396.22 crores, respectively.

Our audit report dated 22 May 2024 on the consolidated financial results for the quarter and year ended 31 March 2024 was qualified with respect to adjustments, if any, that may have been required to 'gain on loss of control' of subsidiary recorded as exceptional item by the Group in the previous year on account of aforesaid matters.

Our opinion, therefore, on the accompanying Statement for the quarter and year ended 31 March 2025 is also qualified on account of possible effects of the aforesaid matters on the comparability of the corresponding figures of the quarter and year ended 31 March 2024 included as comparative financial information in the accompanying Statement, with current period figures.

Registered Office : A-49, Ground Floor, Road No. 4, Mahipalpur, New Delhi - 110037
CIN: L40102DL2007PLC169082

Date : 07 May 2025
Place : New Delhi

For and on behalf of the Board of Directors
RattanIndia Power Limited

Himanshu Mathur
Whole Time Director
DIN : 03077198

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः 27–ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई –600 032, तमिलनाडु
ई–मेलः auction@hindujahousingfinance.com

संपर्क नंबर श्री अरूण मोहन शर्मा, मोबाइल नंबर 8800898999, श्री अमित कौशिक मोबाइल नंबर 9587088333, श्री अभिजीत कुमार राय मोबाइल नंबर 9131485773 और श्री श्वेता आनंद मोबाइल नंबर- 8076830437

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के अंतर्गत मांग सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (एचएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया जाता है। ऋणकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय शामिल है। विशेष रूप से ऋणकर्ता तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन एचएचएफएल द्वारा ब्याज सहित यहां उल्लिखित राशि के प्रभार के अधीन होगा।

क्र.सं.	ऋणकर्ता(ओं) /सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	**DL/MNR/VSEN/A000000019** **1. श्री अभिषेक सिंह 2. श्री संरिता सिंह।** एएन–411 जय दुर्गा देवी अपार्टमेन्ट समर पल्ली कृष्णा पुर पी.एस. बगुई हाटी ग्रामीण, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत – 700102	17–02–2025 और रु. 12,67,004/– 17–02–2025 तक **एनपीए की तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः जल निगम रोड एनएच–24 तहसील और जिला गाजियाबाद (यूपी) में गोविंद पुरम एक्सटेंशन में स्थित परियोजना ''एसपीएलएस आवासीय योजना'' (गृह आवास) में टावर नंबर डी की 9वीं मंजिल पर फ्रीहोल्ड आवासीय यूनिट नंबर डी–902 जिसका माप क्षेत्र 1011 वर्ग फुट और कारपेट क्षेत्र 541,10 वर्ग फुट है।

2	**DL/SDR/SDRA/A000000883.** **1. श्री आकाश दीप 2. श्री कमलेश कमलेश।** एच नं. जी–28, टाइप 4, 5, दिलशाद गार्डन, शांदरा, ईस्ट दिल्ली, शांदरा, मेट्रो, दिल्ली, भारत – 110032	17–02–2025 और रु. 23,48,455/– 17–02–2025 तक **एनपीए की तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर 9/78 (एमआईजी), दूसरी मंजिल, छत के दाईं ओर, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट यानी 60.38 वर्ग मीटर, गांव पसौंडा, शालीमार गार्डन एक्स. 1, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। **सीमाएः पूर्व–** रोड, **पश्चिम–** फ्लैट नंबर 10, **उत्तर–** रोड, **दक्षिण–** फ्लैट नंबर

3	**DL/BDP/BDRP/A000001059.** **1. श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव 2. श्रीमती मंजू श्रीवास्तव** मकान नंबर 30–ए, शक्ति खंड–1, इंदिरापुरम, आशीष डिजिटल फोटो स्टूडियो, सेमीअर्बन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201014।	17–02–2025 और रु. 7,52,265/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–नवंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर एसके–आई/30ए (एलआईजी) (टी/एस) प्रथम तल पर 28.90 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्थित कॉलोनी इंद्रपुरम तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। **सीमाएंः पूर्व–** फ्लैट नंबर 29ए और सड़क 25 फीट चौड़ी, **पश्चिम–** फ्लैट नंबर 19ए, **उत्तर–** फ्लैट नंबर 31ए **दक्षिण–** फ्लैट नंबर 27ए

4	**DL/LON/LONI/A000000039.** **1. श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर 2. श्री सावित्री कुमारी** गालंद तहसील धौलाना गाजियाबाद, सेमीअर्बन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201001	17–02–2025 और रु. 10,93,477/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 6–जनवरी –2025**

संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 264 में से 111.15 वर्ग गज यानी 92.96 वर्ग मीटर का मकान भूमि क्षेत्र, गांव गालंद परगना दसाना, तहसील धौलाना, जिला– हापुड़ यूपी में स्थित है। **सीमाएंः पूर्व–** दूसरे का प्लॉट, साइड 58 फीट, 5 इंच, **पश्चिम–** दूसरे का घर, साइड 58 फीट, 5 इंच, **उत्तर–** दूसरे का प्लॉट, साइड 17 फीट, 1 इंच, **दक्षिण–** सड़क 18 फीट, चौड़ी, साइड 17 फीट, 1 इंच

5	**DL/NCU/GHAU/A000001559.** **1. श्री जितेन्द्र इटावरी 2. श्री ममता जितेन्द्र।** फ्लैट नं.–ए–303 केशव कुंज–10, प्लॉट नं.–सी–77/80, सेक्टर–5, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत 201005	17–02–2025 और रु. 20,04,569/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः राजेंद्र नगर आवासीय कॉलोनी तहसील और जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में सेक्टर–5 में स्थित प्लॉट नं. 1/22 पर निर्मित द्वितीय तल पर फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नं. ए–3, बिना छत के दाईं ओर (सामने की ओर आरएचएस) जिसका सुपर एरिया 900 वर्ग फीट (83.61 वर्ग मीटर) है। **सीमाएंः पूर्व–** 40 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम–** प्लॉट संख्या 14 और 15, **उत्तर–** प्लॉट संख्या 21, **दक्षिण–** प्लॉट संख्या 23

6	**GZ/GNR/GNRN/A000000141** और **CO/CPC/CPOF/A000003930** **1. श्री मनीष कुमार 2. श्रीमती भावना रानी भगत।** 3सी, एमयू ब्लॉक, प्रीतम पुरा दिल्ली, मेट्रो, दिल्ली, भारत – 110034	17–02–2025 और रु. 24,78,330/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 3 की पूरी पहली मंजिल, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नंबर 1579 मिन का हिस्सा, आवासीय कॉलोनी कैलाशपुरम –2, गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

7	**GWKAP/KUNJ/A000000193** **1. श्री मोहम्मद सौकीन श्री सुहैल श्री शाहीन।** बी–142, 80 फुटा रोड, शालीमार गार्डन, विक्रम एन्क्लेव, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201005	17–02–2025 और रु. 26,55,835/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः प्रथम तल, फ्लैट संख्या बी 142 बिना छत के अधिकार के 750 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला हुआ आवासीय कॉलोनी विक्रम एन्क्लेव, गांव पसौंडा, तहसील और जिला गाजियाबाद यूपी में स्थित है। **सीमाएंः पूर्व–** अन्य संपत्ति **पश्चिम–** अन्य संपत्ति **उत्तर–** प्रवेश/80 फीट सड़क **दक्षिण–** अन्य संपत्ति

8	**DL/MTG/MTNG/A000000137** और **CO/CPC/CP0F/A000004093.** **1. श्री पप्पू पप्पू 2. श्री बीना बीना।** ई–पी पॉकेट ए113 गेट नंबर 4 हंसराज स्कूल के पास दिलशाद गार्डन, मेट्रो, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110095	17–02–2025 और रु. 22,64,907/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः फ्लैट नंबर 9/78 (एमआईजी), दूसरी मंजिल, छत के साथ, क्षेत्रफल 650 वर्ग फीट यानी 60.38 वर्ग मीटर, गांव पासोंडा, शालीमार गार्डन एक्स. 1, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। **सीमाएंः पूर्व–** रोड, **पश्चिम–** फ्लैट नंबर 10, **उत्तर–** रोड, **दक्षिण–** फ्लैट नंबर 7

9	**DL/NCU/GHAU/A000000795.** **1. श्री रवि दत्त शर्मा 2. सुश्री सुमनलता शर्मा।** मकान संख्या–242, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा, विजय नगर पाल बिल्डर्स के पास, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत – 201009	17–02–2025 और रु. 8,08,506/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः खसरा संख्या 31 मिन में से 80 वर्ग गज, (30+50 वर्ग गज) का प्लॉट क्षेत्र, गाँव–डूंडाहेड़ा, परगरिया–लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है,

10	**DL/MNWTLPR/A000000014.** **1. श्री सागर कुमार 2. श्रीमती सरोज शर्मा।** एचएस–574, इंद्रपुरन शिप्रा सनसिटी गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201014	17–02–2025 और रु. 18,68,845/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर बी–5 पर निर्मित बिना छत के अधिकार वाली दूसरी मंजिल, खसरा नंबर 984 के 100 वर्ग गज के हिस्से में स्थित है, जिसे बैंक एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है, परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **सीमाएः पूर्व–** अन्य, **पश्चिम–** रास्ता 20 फीट चौड़ा, **उत्तर–** पार्क, **दक्षिण–** प्लॉट नंबर बी–1/4

11	**DL/SDR/SDRA/A000000735.** **1. श्री सम्राट सम्राट 2. श्री रिचा रिचा।** बी–73, गली नंबर 2, संदीप एन्क्लेव, अकबरपुर बहरामपुर, बाला जी मंदिर बुध विहार मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत–201001	17–02–2025 और रु.32,48,521/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर बी–93 क्षेत्रफल 100 वर्ग गज का खसरा नंबर 112 का हिस्सा है, जिसे आशु एन्क्लेव, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। **सीमाएंः पूर्व–** दूसरों का प्लॉट, **पश्चिम–** दूसरों का प्लॉट, **उत्तर–** रास्ता 15 फीट चौड़ा, **दक्षिण–** रास्ता 15 फीट चौड़ा

12	**DL/MNR/MNGR/A000000427.** **1. श्री संदीप संदीप 2. श्री पूजा अहिरवार।** एनएच एन 412 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी फ्रीहोल्ड गुलधर 2 सेक्टर 23 गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201002।	17–02–2025 और रु. 15,53,092/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 6–मार्च–2024**

संपत्ति का विवरणः 675 वर्ग फीट या कहें 62.71 वर्ग मीटर का फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट, खसरा संख्या 279एम आई से संबंधित, ग्राम धरगल, प्रागना जलालाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित है। **सीमाः पूर्व–** प्रवेश/18 फीट चौड़ी गली, **पश्चिम–** अन्य, **उत्तर–** खाली, **दक्षिण–** आरकेजीआईटी कॉलेज

13	**DL/NCU/GHAU/A000000690.** **1. श्री सुशील कुमार प्रेमी 2. श्री अनीता देवी।** मकान संख्या 558 गली नंबर 1 घूकना मोड़ ना, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201001	17–02–2025 और 17–02–2025 तक रु. 7,69,119/– **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट क्षेत्र 82 वर्ग रकबा, खसरा नंबर 558 का हिस्सा, गांव ढुकना, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित, **सीमाएंः पूर्व–** तेजराम का घर, **पश्चिम–** राजिन का घर। **उत्तर–** शिशोदफा का घर **दक्षिण–** सड़क 10 फीट चौड़ी।

14	**DL/DEL/DWND/A000000887** **1. श्री विशाल कुमार कोरी 2. श्रीमती नेहा रानी।** मकान 151 ए गली नंबर 3 ए, ओल्ड आर्य नगर, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत – 201001।	17–02–2025 और रु. 22,32,309/– 17–02–2025 तक **एनपीए तिथिः 5–दिसंबर–2024**

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर बी–181 पर निर्मित 479 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाला दूसरा तल (आरएचएस) 145.53 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला खसरा नंबर 1336 का हिस्सा है जो गांव डूंडाहेड़ा कॉलोनी में स्थित है जिसे पंचवटी कॉलोनी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। **सीमाएंः पूर्व–** रोड 24 फीट **पश्चिम–** प्लॉट नंबर बी–180 **उत्तर–** प्लॉट नंबर बी–181ए **दक्षिण–** रोड 24 फीट चौड़ी

स्थानः **गाजियाबाद** **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 08.05.2025 **हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए**

उपरोक्त उधारकर्ता/ओं को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार ऊपर उल्लिखित धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: SG Centre, 37C, Block B, Sector 132, Noida, U.P. 201304
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-6918000

APLAPOLLO STEEL PIPES

REVENUE +16% Y-O-Y | EBITDA +50% Y-O-Y | PAT +72% Y-O-Y

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

(₹ in Crs. except earning per share data)

S. No	Particulars	Quarter ended March 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	5,508.60	4,765.74	20,689.54	18,118.80
2	EBITDA (Including other income)	448.61	298.94	1295.04	1,267.04
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	358.73	221.22	960.44	977.72
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	358.73	221.22	960.44	977.72
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	293.11	170.44	757.06	732.44
6	Total Comprehensive income for the period	268.92	161.71	742.36	734.78
7	Equity Share Capital	55.51	55.51	55.51	55.51
8	Other Equity	-	-	4,153.21	3,549.11
9	Earnings Per Share (face value of ₹2/-not annualised for quarterly figures) Basic: Diluted:	 10.56 10.56	 6.14 6.14	 27.28 27.28	 26.40 26.40

Notes: (₹ in Crs.)

1. Brief of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025:

Particulars	Quarter ended March 31, 2025 (Unaudited)	Quarter ended March 31, 2024 (Unaudited)	Year ended March 31, 2025 (Audited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
Income from Operations	3,756.51	3,339.47	14,360.71	13,858.81
Profit Before Tax	179.41	74.52	424.54	611.63
Profit After Tax	150.89	57.34	335.59	453.71

2. The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". The Same can be accessed by scanning the QR Code provided below.

Place: Noida
Date: 07 May, 2025

For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Sanjay Gupta
Chairman and Managing Director

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 30.06.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 30.09.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथित शाखाओं में गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार–बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उनकी नीलामी 22.05.2025 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी।

BHILWARA DISTRICT - BHILWARA: 209401331, 209401332, 209401338, 209401346, 209401352, 209401388, 209401392, 209401393, 209401400, 209401414, 209401424, 209401432, 209401436, 209401451, 209401453, 209401482, 209401489, 209401493, 209401494, 209401498, 209401501, 209401502, 209401519, 209401521, 209401526, 209401528, 209401529, 209401540, 209401551, 209401571, 209401573, 209401578, 209401579, 209401582, 209401588, 209401597, 209401598, 209401606, 209401608, 209401609, 209401618, 209401620, 209401623, 209401624, 209401626, 209401633, 209401641, 209401645, 209401646, 209401658, 209401662, 209401663, 209401671, 209401677, 209401683, 209401690, 209401695, 209401698, 209401706, 209401712, 209401713, 209401715, 209401717, 209401726, 209401740, 209401745, 209401764, 209401773, 209401777, 209401783, 209401785, 209401787, 209401788, 209401789, 209401793, 209401794, 209401795, 209401799, 209401802, 209401807, 209401811, 209401813, 209401815, 209401816, 209401828, 209401829, 209401830, 209401831, 209401837, 209401840, 209401842, 209401854, 209401856, 209401858, 209401862, 209401879, 209401880, 209401896, 209401900, 209401907, 209401918, 209401924, 209401925, 209401934, 209401937, 209401944, 209401949, 209401961, 209401963, 209401972, 209401981, 209401985, 209401990, 209401991, 209402001, 209402002, 209402005, 209402008, 209402027, 209402031, 209402036, 209402043, 209402050, 209402062, 209402063, 209402067, 209402073, 209402078, 209402090, 209402096, 209402102, 209402111, 209402112, 209402114, 209402118, 209402124, 209402137, 209402140, 209402144, 209402160, 209402172, 209402174, 209402186, 209402197, 209402206, 209402212, 209402216, 209402219, 209402225, 209402227, 209402236, 209402240, 209402242, 209402247, 209402259, 209402262, 209402266, 209402267, 209402289, 209402299, 209402303, 209402305, 209402308, 209402321, 209402324, 209402345, 209402349, 209402350, 209402356, 209402357, 209402358, 209402359, 209402360, 209402363, 209402372, 209402374, 209402375, 209402377, 209402381, 209402383, 209402384, 209402388, 209402390, 209402391, 209402392, 209402395, 209402405, 209402406, 209402407, 209402408, 209402409, 209402410, 209402417, 209402420, 209402421, 209402427, 209402431, 209402432, 209402433, 209402440, 209402442, 209402444, 209402445, 209402447, 209402450, 209402451, 209402453, 209402454, 209402455, 209402458, 209402463, 209402464, 209402465, 209402471, 209402473, 209402478, 209402482, 209402484, 209402486, 209402488, 209402492, 209402507, 209402513, 209402517, 209402520, 209402528, 209402529, 209402530, 209402535, 209402542, 209402544, 209402557, 209402567, 209402569, 209402575, 209402601, 209402604, 209402610, 209402626, 209402640, 209402643, 209402644, 209402647, 209402656, 209402659, 209402664, 209402668, 209402671, 209402673, 209402681, 209402692, 209402695, 209402712, 209402713, 209402714, 209402715, 209402891. **CHITTORGARH DISTRICT - CHITTORGARH:** 209300629, 209

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इंटिगनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना ध्है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	1. ब्राइट वेस्टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 2. प्रेम किशन सिंह 3. धनविजय सिंह लैन –HCFDeLMLN00001045493	डिमांड नोटिस की तिथि: 22/04/2025 नोटिस की राशि: रु. 2,865,437 22/04/2025 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरण:– निर्माता: JYYAUTOMATION TECHNOLOGIES PVT LTD, मॉडल: YAMAHAUSED PICK – PLACE MACHINE YG200 टैक्स इनवॉयस: 0335-JYY/22-23

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: गौतम बुद्ध नगर-नोएडा-उत्तर प्रदेश हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 08/05/2025 यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इंटिगनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

मांग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना ध्है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय–वस्तु नीचे उद्धृत की गई है:

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि
1	1. आशीष इंटरप्राइज 2. राम तीरथ पटेल 3. शकुंतला लैन – UGDeLMC0000019407, UGDeLMC0000038465	डिमांड नोटिस की तिथि: 22/04/2025 नोटिस की राशि: रु. 4,027,404/– 16/04/2025 तक

सुरक्षित संपत्ति(यों) का विवरण:– निर्माता: इलेक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीनें, मॉडल: P91080437248400n इंजन मोल्डिंग मशीन E–080b-0437, ठठव मशीन आंतरिक सीरियल नंबर: Ep00800246 मशीन सीरियल नंबर: 7844 8477 10 00 कर चालान: डी2327101935 निर्माता: S&T प्लास्टिक मशीनें प्राइवेट लिमिटेड, मॉडल: Stm/Pmd/V160/590/Std/T2h/Stm ब्रांड स्टैंडर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मॉडल V160/590 (Tech2h) मानक सहायक उपकरण के साथ कर चालान: 232400658

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन–देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान: गौतम बुद्ध नगर-नोएडा-उत्तर प्रदेश हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 08/05/2025 यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालय: प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग, 17, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना सरफैसी अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत

आप नीचे वर्णित कर्जदार ने अनुसूची उल्लिखित सम्पत्ति गिरवी रखकर ऋण लिया है और नीचे वर्णित आप ऋण अनुबन्ध हेतु कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के रूप में रहे। आप द्वारा चूक किये जाने के परिणामस्वरूप आपके खाते को प्रतिभूत हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के प्रावधानों (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) के तहत गैर-निष्पादन आस्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। हम **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** ने आप द्वारा प्रदत्त पते पर प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित धारा 13(13) के तहत माँग सूचना निर्गत की थी। कथित सूचनाओं की सामग्री यह है कि आपने आपको गारंटीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की थी। अतः वर्तमान प्रकाशन सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के सन्दर्भ के रूप में निकाली गयी हैं।

ऋण खाता सं./कर्जदार(रों) सहकर्जदार(रों), गारंटर(रों) तथा बंधककर्ता(ओं) के नाम तथा पता	माँग सूचना की तिथि	माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि
ऋण खाता संख्या – **ABNDLAP000000536241,** 1. मेसर्स सी. ग्रुप, इसके प्रोपराइटर लाल बाबू यादव के माध्यम से, ऊपरी तल, ए-53, सेक्टर- 85, फरीदाबाद- 121004, इसके अतिरिक्त - मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003. इसके अतिरिक्त - तृतीय तल, सी-214, पुल पहलादपुर, एम.बी. रोड, नई दिल्ली- 110044। साथ ही - डी2-26, ब्लॉक-डी, पार्कलैंड्स, सेक्टर-85, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005, 2. लाल बाबू यादव, मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003, साथ ही - डी2-26, ब्लॉक-डी, पार्कलैंड्स, सेक्टर-85, फरीदाबाद, हरियाणा- 121005, 3. किरण, मकान नंबर 127, सुभाष कॉलोनी, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003, साथ ही - मकान नं.- 109, आई ब्लॉक, शिव दुर्गा विहार, लक्कुरपुर, आइडियल पब्लिक स्कूल के पास, फरीदाबाद, हरियाणा- 121003	26.04.2025 एनपीए तिथि 15 अप्रैल, 2025	16.04.25 तक रु. 2,09,92,931.18/- (रुपये दो करोड़ नौ लाख बानवे हजार नौ सौ इकतीस और अठारह पैसे मात्र)

प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूत संपत्तियों का विवरण : अग्रलिखित का समस्त भागः आवासीय प्लॉट नंबर डी2-26, ब्लॉक डी, जिसका माप 291.806 वर्ग मीटर (349 वर्ग गज) है, जिसे पार्कलैंड के रूप में जाना जाता है, सेक्टर -85, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है। इसके साथ संलग्न ईजमेंट और साथ में अन्य सभी इमारतें और संरचनाएं जो वहां स्थित हैं और बनाई जानी हैं और सभी फिटिंग्स, फिक्सचर, प्लांट और मशीनरी जो धरती से जुड़ी हैं या धरती से जुड़ी किसी भी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, वर्तमान और भावी दोनों।

आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को ब्याज और लागत सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें, अन्यथा **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** कर्जदार/ सह-कर्जदार/ बंधककर्ता की प्रतिभूत संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने सहित सभी या किसी एक या अधिक प्रतिभूत संपत्तियों के खिलाफ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत **आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड** को उपलब्ध शक्तियों में शामिल हैं (1) कर्जदार/ सह-कर्जदार / बंधककर्ता की प्रतिभूत संपत्तियों को कब्जे में लेने की शक्ति, जिसमें प्रतिभूत संपत्तियों को जारी करने के लिए पट्टे, बिक्री के असाइनमेंट के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार शामिल हैं (2) पट्टे, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रतिभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लें और प्रतिभूत परिसंपत्तियों को प्राप्त करना तथा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड द्वारा प्रतिभूत परिसंपत्तियों के रूप में किसी भी हस्तांतरण में प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में सभी अधिकार और संबंध निहित होंगे, जैसे कि हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको **आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड** की पूर्व सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) ऊपर संदर्भित और दृष्टिबंधक/बंधक किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को **आदित्य बिरिया कैपिटल लिमिटेड** को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांक : 08.05.2025, स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा **अधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank — सिंडिकेट Syndicate

15 दिवसीय बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय : बी–35, साइबर मीडिया बिल्डिंग, सेक्टर– 32, गुड़गांव– 122022

एतदद्वारा आम जनता तथा उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा संबंधित केनरा बैंक शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित विवरणों के साथ आयोजित ई–नीलामी के तहत बेचा जाएगा।

ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि है 21.05.2025 को सायं 5.00 बजे (ऑफलाइन या ऑनलाइन)

ई–नीलामी की तिथि 23.05.2025 को अपराह्न 12:30 से अपराह्न 1:30 बजे तक है।

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

शाखा का नाम / ईमेल / दूरभाष सं.	चल / अचल संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण	निर्दिष्ट तिथि पर कुल देयताएँ	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (रु. में)	खाता सं. के विवरण आईएफएससी कोड कब्जे का प्रकार
केनरा बैंक पुन्हाना होडल रोड शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस राजंगम (मो.) 7082009439, 7082009432, ईमेल cb18225@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसका क्षेत्रफल 75 वर्ग गज है, जिसमें खेवट संख्या 68/84, रेक्ट संख्या 12, किला संख्या 22/2(4–17) का 5/194 हिस्सा है, जो ग्राम पटकपुर, उप–जिला पुन्हाना, जिला मेवात की राजस्व संपदा के भीतर स्थित है, जिसका स्वामित्व श्रीमती रहिसन के पास है। उत्तर: शेर मोहम्मद की जमीन, दक्षिण: रहीसन की जमीन, पूर्व: सड़क, पश्चिम: रास्ता और नाला। उधारकर्ता: कुमारी जीनत पुत्री श्री शेर मोहम्मद गांव पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा –122508 श्री जाफरूद्दीन पुत्र श्री यासीन मकान संख्या 20, वार्ड संख्या 10, ढाणी पटपर्वस, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508 श्रीमती रहीसन पत्नी श्री शेर मोहम्मद वार्ड नं. 02, गांव– पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508 श्री शेर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद वार्ड नं. 2, गांव पटकपुर, पुन्हाना, जिला मेवात, हरियाणा–122508	05.09.2022 को कुल देयताएँ : रु. 11,01,947/– प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 8,41,000/– / रु. 84,100/–	209272434 / CNRB0018225 / सांकेतिक
केनरा बैंक सोहना चौक सोहना शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7496973044, ईमेल cb18215@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	20.63 वर्ग गज की व्यावसायिक दुकान, नए वार्ड नं. 18, ग्राउंड फ्लोर, जैन मंदिर के पास, लोहियावाड़ा, सोहना–122103 उत्तर–पश्चिम: सड़क दक्षिण–पूर्व: अन्य संपत्ति उत्तर–पूर्व: अन्य दुकान दक्षिण–पश्चिम: अन्य दुकान उधारकर्ता: 1) सुश्री प्राची ट्रेडर्स प्रोप. श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार वर्मा वार्ड नं. 15, सोहना–1221032. श्री विश्वनाथ वर्मा (संपत्ति) श्री अशोक कुमार वर्मा के पुत्र, वार्ड नं. 15, लोहियावारा, सोहना–122103 3. श्री समीर वर्मा (गारंटर) श्री विश्वनाथ वर्मा के पुत्र, वार्ड नं. 15, लोहियावारा, सोहना–122103	02.04.2024 को कुल देयताएँ : रु. 13,93,791.17 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 14,54,000/– / रु. 1,45,400/–	209272434 / CNRB0018215 / भौतिक
केनरा बैंक रेजेंद्र पार्क शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 9971515056, ईमेल बइ5056/बंदतंइदाण्बवउए हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.in के माध्यम से	श्री ओम प्रकाश के नाम पर गुरुग्राम के विष्णु गार्डन (राजेंद्र पार्क) में स्थित खेवट नं. 1613 और खसरा नं. 11052/10258, बजघेड़ा रोड, चिराग अस्पताल के पास स्थित 105 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान नं. 3223/31 की ईएमटी। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: गली दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: जय भगवान का मकान पश्चिम: जितेंद्र का मकान उधारकर्ता: 1) मैसर्स श्री हरि इंजीनियरिंग वर्क्स (उधारकर्ता) प्रोपराइटर– श्री जसबीर पुत्र श्री। ओम प्रकाश न्यू पालम विहार, सराय अलावर्दी चौक बजघेरा रोड, गुड़गांव हरियाणा 122006 2. श्री जसबीर पुत्र श्री ओम प्रकाश (मालिक) आरआईओ एच नंबर 3223, वार्ड नंबर–1 विष्णु गार्डन, गुड़गांव–122006 3. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम चंद्र (गारंटर) एच नंबर 3223, वार्ड नंबर –31 विष्णु गार्डन, गुड़गांव हरियाणा 122006	03.05.2025 को कुल देयताएँ : रु. 16,26,309.92 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 64,33,000/– / रु. 6,43,300/–	209272434 / CNRB0005056 / सांकेतिक
केनरा बैंक हैली मंडी शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7082009430, ईमेल cb2041@canarabank.com हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	खेवट नंबर 880, खाता नंबर 932, खसरा नंबर 235/1/2 (2–19),1194 (0–2) में शामिल भूमि में 1/4वीं हिस्सेदारी के एसआरएम के माध्यम से पहला प्रभार, कुल माप 03 कनाल और 01 मरला, गैर मुमकिन यानी गैर गाँव जटौली, तहसील पटौदी, जिला गुड़गांव –122504 की राजस्व संपदा के भीतर स्थित कृषि भूमि। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: अन्य संपत्ति + सड़क पूर्व: सड़क लगभग 40 फीट पश्चिम: अन्य संपत्ति उधारकर्ता: 1) मैसर्स अरविंद इंडस्ट्रीज (प्रोप. श्री विक्रांत चौहान) खंडेवला मोड, वीपीओ जटौली हैली मंडी, गुड़गांव–122504, श्री आकाश चौहान (गारंटर) हाउस नंबर 85, वार्ड नंबर 10 वीपीओ–जटौली, हैली मंडी, गुड़गांव –122504 श्रीमती सुषमा देवी (गारंटर) नंबर 10, वीपीओ–जटौली हैली मंडी, गुड़गांव – 122504	04.07.2024 को कुल देयताएँ : रु. 20,54,086.35 प्लस अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 84,06,000/– / रु. 8,40,600/–	209272434 / CNRB0002041 / सांकेतिक
केनरा बैंक एसएमई ताउरू शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7096973043, ईमेल : cb18213@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	खेवट नंबर 620, रेक्ट नंबर 82, किला नंबर 4/2 (6–17) में शामिल संपत्ति का वह हिस्सा जो 90.75 वर्ग गज की दूरी पर स्थित है, जो टौरू, तहसील टौरू, जिला मेवात, हरियाणा की नगरपालिका सीमा में है और जिसका स्वामित्व अशोक कुमार शर्राना के पास है। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है: उत्तर: रास्ता आम दक्षिण: सुरेन्द्र कुमार का घर पूर्व: छोटू का प्लॉट पश्चिम: राजेश का प्लॉट उधारकर्ता: 1) श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल शर्मा, जीवन ज्योति क्लीनिक के सामने, पुलिस स्टेशन रोड के सामने, तौरू मेवात, हरियाणा– 122105 2. श्री किशन तनेजा पुत्र श्री चंदर मान (गारंटर) सुभाष मार्केट के पीछे, तौरू, मेवात– 122105	29.08.2022 को कुल देयताएँ : रु. 11,47,262/– प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 17,85,000/– / रु. 1,78,500/–	209272434 / CNRB0018213 / सांकेतिक
केनरा बैंक पुन्हाना शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 708209431, ईमेल : cb2053@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	ग्राम रनियाला खुर्द, तहसील हथीन, जिला–पलवल 122103 की राजस्व संपत्ति के भीतर खसरा नंबर 224(1–0), 585(0–2) वाली 685.50 वर्ग गज भूमि, उधारकर्ता : मैसर्स हरियाणा ऑटोमोबाइल्स (प्रॉपर हारून खान के माध्यम से) (उधारकर्ता) जुरहेरा मोड, पुन्हाना नूंह, हरियाणा– 122508, हारुन खान पुत्र स्व. सुलेमान (मालिक सह बंधककर्ता) उमर मोहम्मद पुत्र सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) असरुद्दीन पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) साहून पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) जफरूद्दीन पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) लियाकत अली पुत्र लेट सुलेमान (गारंटर सह बंधककर्ता) सभी निवासी ग्राम– रनियाला खुर्द, तहसील हथीन जिला पलवल, हरियाणा– 121103	16.05.2024 को कुल देयताएँ : रु. 12,51,713.94 प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 15,20,000/– / रु. 1,52,000/–	209272434 / CNRB0002053 / सांकेतिक
केनरा बैंक डीएलएफ फेज–III, गुड़गांव शाखा प्राधिकृत अधिकारी : श्री एस. राजंगम (मो.) 7082009439, 7496918181, ईमेल : cb18181@canarabank.com, हेल्पडेस्क नंबर मो.: 8291220220, ईमेल आईडी : Support.ebkray@psballiance.com वेबसाइट https://baanknet.com के माध्यम से	अरजी गाटा संख्या 384, खाता संख्या 0071 का डेढ़ हिस्सा ग्राम डूडा नहुआ, परगना, तहसील रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में स्थित है, जिसकी माप 1.390 हेक्टेयर है और यह तहसील–रसूलाबाद के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत है, सीमा– उत्तर: सड़क दक्षिण: नाला पूर्व: आराजी नंबर 384 का शेष भाग पश्चिम: ब्रज राज सिंह की भूमि। उधारकर्ता : मैसर्स मुन्नी देवी शिक्षा समिति ग्राम – डुंडा नहुवा, रसूलाबाद, कानपुर देहात – 211326 श्री। रमन कुमार राठौड़ यू–69/19, कमरा नंबर 10, डीएलएफ फेज–III, गुड़गांव –122002 श्री अमन कुमार राठौड़ यू–69/19, कमरा नंबर 10, डीएलएफ फेज–III, गुड़गांव – 122002 श्री राम कुमार हाउस नंबर 610, इंदरगढ़, तह– तिर्वा, जिला–कन्नौज, उत्तर प्रदेश – 209728 श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी श्री राम कुमार, मकान नं. 610, इंदरगढ़, तहसील– तिरवा, जिला–कन्नौज, उत्तर प्रदेश – 209728	22.05.2019 को कुल देयताएँ : रु. 72,66,232.42 प्लस भावी ब्याज और अन्य शुल्क (घटा वसूली, यदि कोई हो)	रु. 4,09,00,000/– / रु. 40,90,000/–	209272434 / CNRB0018181 / सांकेतिक

अन्य नियम एवं शर्तें :

क) संपत्ति/संपत्तियों को "जैसी है, जैसी है" स्थिति में बेचा जाएगा, यदि कोई हो तो उस पर कोई भार भी शामिल होगा। (बैंक के ज्ञान में कोई भार नहीं है। भार के विवरण के लिए, नीचे दिए गए 7(घ) में उल्लिखित बयाना राशि जमा करने से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें)।
ख) संपत्ति/संपत्तियों को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
ग) संपत्ति का निरीक्षण 19.05.2025 को सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
घ) इच्छुक बोलीदाता 21.05.2025 को शाम 05.00 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य की 10% बयाना राशि जमा करेंगे।
ङ) सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन, सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी।
च) सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसके पक्ष में बिक्री होने पर तुरंत जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
छ) सभी कवेयंस, स्टांप शुल्क और पंजीकरण आदि के लिए लागू शुल्क केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किए जाएंगे।
ज) रुपये 50 (पचास) लाख से अधिक की बिक्री आय के लिए, बिक्री राशि का 1% की दर से टीडीएस देय होगा, जो सफल खरीदार द्वारा अलग से देय होगा।
झ) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित / रद्द करने या उन्हें बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

दिनाँक : 08/05/2025 स्थान– गुड़गांव **प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ग्रेप गार्डन, नंबर 27 तीसरा "ए" क्रॉस, 18वां मुख्य, 6वां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु–560095
क्षेत्रीय कार्यालय:– जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नंबर डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (यूपी)
शाखा कार्यालय: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसकी शाखाएँ बूंदी, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा में हैं।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूति

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A NAVRATNA UNDERTAKING OF GOVT. OF INDIA)
CONCOR ANNEXE, NBCC New MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Metro Station), New Delhi-110020

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कॉनकॉर निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा की दो पैकेट प्रणाली में ई–निविदा आमंत्रित करता है:–

निविदा संख्या	CON/AREA-III/ENGG/VIZAG/E-46663/2025-26
कार्य का नाम	एमएमएलपी विजाग में आरओएच सुविधा और संबद्ध कार्यों के लिए सीसी फुटपाथ, गोदाम और सिक–लाइन शेड के विकास का निर्माण
अनुमानित लागत	रु. 5153.52 लाख (जीएसटी सहित)
पूर्ण होने की अवधि	18 (अट्ठारह) माह
बयाना राशि जमा	रु. 27,26,800/– (सत्ताईस लाख छब्बीस हजार आठ सौ रुपये मात्र)
निविदा दस्तावेज की लागत (गैर–वापसी योग्य)	शून्य
निविदा प्रसंस्करण शुल्क (गैर–वापसी योग्य)	रु. 3540/– (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्कों सहित)
निविदा बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	08.05.2025 (15:00 बजे से) से 28.05.2025 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	29.05.2025 17:00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि और समय	02.06.2025 15:00 बजे

विशेष पात्रता मानदंड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुभव आदि के लिए, कृपया वेबसाइट www.concorindia.co.in पर उपलब्ध विस्तृत निविदा सूचना देखें, लेकिन पूरा निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, इस निविदा के लिए शुद्धिपत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो केवल www.concorindia.co.in, www.tenderwizard.com/CCIL और केंद्रीय खरीद पोर्टल (CPP) पर प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्र प्रेस विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी निदेशक (परियोजना), दूरभाष: 011–41222500

प्रपत्र संख्या यूआरसी–2

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना देने का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार)

1. एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 को एक आवेदन किया गया है कि यशवर्धन फूड इंडस्ट्रीज नामक एक साझेदारी फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय के के भाग के के तहत शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाये।
2. **कंपनी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:**
क. कृषि, खेती और कृषि के सभी शाखाओं में व्यापार करना और फसलों, बीजों, फलों, सब्जियों, अनाज, खाद्य नट्स जैसे बादाम, काजू, हेजलनट्स आदि और मिट्टी के सभी प्रकार के संबंधित उत्पादों और उप–उत्पादों का उत्पादन, उगाना, पैदा करना, खरीदना, बेचना, आयात करना, निर्यात करना या अन्यथा व्यापार करना या व्यवहार करना, चाहे वह निर्मित रूप में हो या अन्य रूप में।
ख. भारत और विदेशों में सब्जियों, फलों, खाद्य नट्स, फास्ट फूड, पैक्ड खाद्य उत्पादों, स्वास्थ्य और आहार पेय पदार्थ, कन्फेक्शनरी आइटम, मिठाई, अनाज उत्पादों और विभिन्न अन्य कृषि उत्पादों के साथ सभी बीजों को सभी रूपों में, चाहे वह कच्चे रूप में हो, ताजा, निर्जलित, जमे हुए, सूखे, संसाधित या किसी अन्य रूप में, खेती, विनिर्माण, संरक्षण, पैकिंग, कैनिंग, सुखाने, फ्रीजिंग, निकालने, बॉटलिंग, तैयारी, व्यापार, विपणन, आयात, निर्यात, सुधार, उत्पादन, प्रसंस्करण, तैयारी, खरीद, विक्रीतथा व्यवसाय करना।
ग. पूरे भारत या कहीं और खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री, विपणन और वितरण के व्यवसाय की स्थापना करना, चलाना, प्रबंधित करना, संचालित करना और फ्रेंचाइजी देना।
3. प्रस्तावित कंपनी के ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मसौदा की एक प्रति ई–37, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015 स्थित कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचना दिया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में रजिस्ट्रार केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड 122050 को, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उसकी एक प्रति के साथ भेज सकता है।

दिनांक 7 मई, 2025

आवेदकों के नाम
1. श्री प्रवीण गोयल
2. श्री यशवर्धन गोयल
3. श्री महेश चंद्र गोयल

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

और

सलवान पोल्येस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
(सीआईएन: U74899DL2001PTC109452)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: डी–III/3402, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
में हैं, के मामले में

....आवेदक कंपनी/याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए **मंगलवार, 06 मई 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (पार्षद सीमा नियम) में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निदेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

डी–III/3402, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
सलवान पोल्येस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/–
कमल शर्मा (निदेशक)
डीआईएन: 00666391

दिनांक: 08.05.2025
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–II, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 एवं 13 के तहत नोटिस

टी.ए. सं. **81/2024** दिनांक **24.01.2025**

केनरा बैंक ....आवेदक

बनाम

नांगिया कंस्ट्रक्शन एवं इंटीरियर और अन्य ....प्रत्यार्थी

सेवा में,
प्रतिवादी
डी1. मैसर्स नांगिया कंस्ट्रक्शन एवं इंटीरियर इसके मालिक विनय नांगिया के माध्यम से सी–26, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–65 और – 182/183 गली रूई वाली तेलीवाडा सदर बाजार दिल्ली –06, और 260 गली नं. 22 शहीद भगत सिंह कॉलोनी वेस्ट करावल नगर दिल्ली
डी2. विनय नांगिया पुत्र श्री आई. डी. नांगिया सी–26, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–65, और – 182/183 गली रूई वाली तेलीवाडा सदर बाजार दिल्ली –06, और 260 गली नं. 22 शहीद भगत सिंह कॉलोनी वेस्ट करावल नगर दिल्ली–94

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रुपये **48,83,695/– (रुपये अड़तालीस लाख तिरासी हजार छः सौ पिचानवे)** की वसूली हेतु एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको **दिनांक 27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे** माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, बाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

सभी मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भौतिक के माध्यम से लिया जाएगा और उस उद्देश्य के लिए –
(i) सभी अधिवक्ता/वादी सिस्को वेबेक्स एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे;
(ii) माननीय पीठासीन अधिकारी/ रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुनवाई के मामलों की जगली तारीख के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" DRT के ऑफिशियल पोर्टल अर्थात drt.gov.in की दैनिक वाद की सूची में प्रदर्शित किया जाएगा।
(iii) किसी भी जानकारी हेतु एडवोकेट्स/ लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन **23748478** पर संपर्क कर सकते है।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **24 जनवरी 2025 को दिया गया।**

प्राधिकरण के आदेशानुसार,
अनुभाग अधिकारी, डीआरटी–II, दिल्ली

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(CIN:067110MH2006PLC305312)

पंजी. कार्यालय: वन इंटरनेशनल सेंटर, टावर–1, चौथी मंजिल, एस. बी. मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई–400013, दूरभाष: (022) 61891877 फैक्स: (022) 61899001
कार्पा. कार्यालय: प्लॉट नंबर 108, 5वीं मंजिल आईटी पार्क, उद्योग विहार, चरण I, गुरुग्राम– 122016 हरियाणा टेलीफोन/फैक्स: (0124) 6685800

डिमांड नोटिस
(प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत)

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस की गठित सेवाएं

उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित नोटिस दिया जाता है कि चूंकि उन्होंने एसाइनर **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार असाइनर बैंक (**इंडसइंड बैंक लिमिटेड**) की पुस्तकों में नीचे विस्तृत विवरण अनुसार "नॉन–परफॉर्मिंग एसेट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, **इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने 14 जुलाई, 2020 को सब रजिस्ट्रार, मुंबई के साथ विधिवत पंजीकृत असाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 30 मार्च, 2020 के तहत इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इंडियाबुल्स एआरसी–XIV ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना)** को ऋण खाता सौंपा, इंडियाबुल्स एआरसी के अधिकृत अधिकारी ने उक्त उधारकताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत 02 **मई**, 2025 को डिमांड नोटिस जारी किया, जिससे उन्हें उक्त मांग नोटिस में बताए गए अनुसार उक्त राशि और आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज सहित बकाया राशि का पूरा भुगतान करने की मांग की गई। हालाँकि, उक्त नोटिस सभी पक्षों को नहीं दिया जा सका और इसलिए हमारे द्वारा इस प्रकाशन के माध्यम से सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार सेवा की जा रही है।

खाते का नाम और कर्जदार के पते	एनपीए की तिथि/ नोटिस की तिथि	ऋण खाता सं./ को बकाया
1. मेसर्स एहसास फिलिंग स्टेशन (उधारकर्ता) अपने भागीदारों के माध्यम से: मुनीश मित्तल, कविता मित्तल खसरा नंबर 17//72/2 मेन खेवड़ा रोड, बहालगढ़ सोनीपत–131021, 2. **मुनीश मित्तल (सह–उधारकर्ता) पुत्र सुशील रतन मित्तल**, फ्लैट नंबर एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085, 3. **श्रीमती कविता मित्तल (सह–उधारकर्ता) पत्नी मुनीश मित्तल**, फ्लैट नंबर एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085, 4. **श्रीमती कांता रानी मित्तल (सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) पत्नी सुशील रतन मित्तल**, फ्लैट नं. एफ–247, 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्लॉट नं. डी 3, सेक्टर 14 एक्सटेंशन रोहिणी पश्चिम नई दिल्ली–110085	28.02.2020/ 02.05.2025	**रु. 3,34,76,653.73 (रुपये तीन करोड़ चौंतीस लाख छिहत्तर हजार छह सौ तिरेपन और तिहत्तर पैसे मात्र) (ऋण संख्या 700000003501)** 30.04.2025 तक और 01.05.2025 से संबंधित ऋण पर ऊपर निर्दिष्ट अतिरिक्त ब्याज और कोई अन्य लागत, प्रभार, व्यय।

प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरण

फ्लैट संख्या एफ–247, 9वीं मंजिल पर, न्यू टाउन को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में स्थित, प्लॉट संख्या डी 3 पर निर्मित, जिसे अंतरिक्ष अपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, सेक्टर XIV एक्सटेंशन, रोहिणी नई दिल्ली–110085, क्षेत्रफल: सुपर एरिया 1450 वर्ग फीट, मालिक: कांता रानी मित्तल, संदर्भ: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित दिनांक 02.01.2018 को हस्तांतरण विलेख और उक्त विलेख सब–रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस में दस्तावेज संख्या 36 के रूप में, बुक संख्या 1, खंड संख्या 6572 में पृष्ठ 52 से 54 पर पंजीकृत है, प्रकार: फ्रीहोल्ड और आवासीय।

हम एतद्द्वारा यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि के साथ उस पर ब्याज के साथ–साथ लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन लागत और परिणामों के रूप में पूरी तरह से आपके जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने और बेचने तक सीमित नहीं है।
कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को बिक्री, पट्टे या अन्यथा, पूर्वोक्त सुरक्षित संपत्ति को असाइनर की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा।

हस्ता/–
दिनांक: 08.05.2025 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान: सोनीपत (हरियाणा) **इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ट्रस्ट XIV**

केन फिन होम्स लिमिटेड

Can Fin Homes Ltd. (Sponsor: CANARA BANK)
CIN : L85110KA1987PLC008699,
केनरा बैंक बिल्डिंग के ऊपर, प्रथम तल, प्लॉट नं, सी–3, सेक्टर–1, नोएडा, उत्तर प्रदेश, पिन कोड– 201301
ई–मेल : noida@canfinhomes.com, फोन न. : 0120 – 2970164/65/67, 7625079126

परिशिष्ट–4–क [नियम 9(1) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, नोएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, **श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती सोनिया (उधारकर्ता) तथा श्री दलबीर सिंह (गारंटर)**, की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की **07.05.2025** तक बकाया राशि **रु. 34,31,965/– (रुपये चौंतीस लाख इकतीस हजार नौ सौ पैंसठ रुपये मात्र)** उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक **28–05–2025** को ई–नीलामी के आयोजन द्वारा **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य **रु– 7,00,000/– (सात लाख रुपये मात्र)** तथा धरोहर राशि जमा **रु– 70,000/– (सत्तर हजार रुपये मात्र) होगी।**

(अचल सम्पत्ति का वर्णन)

आवासीय फ्लैट संख्या एफएफ–4, पीछे की ओर, प्रथम तल (एलआईजी प्रकार, बिना छत के), प्लॉट संख्या जी–52 और 53, खसरा संख्या 1458, बालाजी एन्क्लेव कॉलोनी हदबस्त गांव–रईसपुर, परगना– डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद
सीमाएँ जी–52 और 53: पूर्व– प्लॉट नंबर जी–48 और 49, **पश्चिम** – सड़क 20 फीट चौड़ी, **उत्तर**– प्लॉट नंबर जी–54, **दक्षिण**– प्लॉट नंबर जी–51
ज्ञात ऋणभार – शून्य
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx) में उपलब्ध कराई गई हैं।
ई–नीलामी में भाग लेने हेतु लिंक : https://bankeauctionwizard.com

तिथि : 07–05–2025 हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नोएडा केन फिन होम्स लिमिटेड

फार्म सं. 1
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ
(क्षेत्राधिकार – उत्तर प्रदेश का भाग)
वसूली अधिकारी का कार्यालय 600/1 यूनिवर्सिटी रोड, हनुमान सेतु मंदिर के पास, लखनऊ–226007

डीआरसी सं.185/2023/आर.ओ.ए

ऋणों की वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 29 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम (2) के तहत नोटिस

केनरा बैंक (पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक)
(एसएमई, बी–117, सेक्टर 18, नोएडा 201301) .... सी.एच. बैंक

बनाम

मेसर्स हर्ष फैबटेक्स एवं अन्य ..न्यायिक देनदार/क्रेडिट देनदार।

सेवा में,
1. **मेसर्स हर्ष फैबटेक्स,** एक साझेदारी संस्था, अपने निम्न साझेदारों के माध्यम से
श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दया सिंह
श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह
श्री मनवीर सिंह रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत
पंजीकृत कार्यालय: डी–224, सेक्टर–63, नोएडा 201301
फैक्ट्री: एफ–466, सेक्टर–63, नोएडा 201301
2. **श्री अंकित कौशिक पुत्र स्वर्गीय श्री राजवीर कौशिक**
मेसर्स हर्ष फैबटेक्स के पूर्व साझेदार (सेवानिवृत्त)।
पता: निवासी 159, कृष्णा गली नंबर 4, बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली–110032
3. **श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री सुनील सिंह**
मेसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी डी–198, सेक्टर–47, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
दूसरा पता: निवासी डी 269, सेक्टर 17, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर
4. **श्री मनवीर सिंह रावत पुत्र श्री बचन सिंह रावत**
मैसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी मकान नंबर डी 1 ए, 11 श्याम पार्क एक्सटेंशन, ब्लॉक –डी, साहबाबाद, गाजियाबाद (यू. पी.)
5. **श्री सुनील सिंह पुत्र श्री दया सिंह**
मैसर्स हर्ष फैबटेक्स के भागीदार
पता: निवासी: पता: डी–224, सेक्टर–63, नोएडा–201301
दूसरा पता: निवासी: डी–198, सेक्टर–47, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर – 201301
6. **श्री सुनील अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन**
पता: निवासी: 48, ब्लॉक 1, चार्मवुड विलेज, फरीदाबाद (हरियाणा)
7. **मेसर्स पुष्पांजलि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड**
इसके साझेदारों श्री राज सिंह, ओम सिंह, कैलाश यादव और श्री सुशील मेल्ली के माध्यम से,
रजि. कार्यालय: 204–205, द्वितीय तल, मिलाप भवन, बहादुरशाह, जफर मार्ग, नई दिल्ली।
कॉर्पोरेट कार्यालय: ए–30/31, अशोक नगर, गाजियाबाद (यू. पी.)
तीसरा पता: 100 के बेसमेंट, मिलाप भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
8. **श्री राज सिंह पुत्र श्री भीम सिंह**
मेसर्स पुष्पांजलि बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक
निवासी: ए–30, अशोक नगर, गाजियाबाद (यू. पी.)।

यह सूचित किया जाता है कि **रू.2,95,91,422.10 (दो करोड़ पंचानबे लाख इक्यानबे हजार चार सौ बाईस रुपये तथा दस पैसे मात्र)** की राशि के साथ ही मूल आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि से मासिक शेष के साथ 12.00: प्रति वर्ष की दर से लंबित ब्याज और भावी ब्याज सहितका भुगतान करें, जब तक ऋण पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है और लागत सफल नहीं हो जाती है और प्रमाणपत्र देनदार संख्या 1 से 8 से इसकी वसूली तक संयुक्त रूप से और अलग–अलग लागत के साथ आपके पते के खिलाफ माननीय न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 849/2019 में पारित आदेश दिनांक 04.2022 के अनुसार एकपक्षीय रूप से अनुमति दी जाती है।
आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विफल रहने पर बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के बकाया ऋण की वसूली के अनुसार वसूली की जाएगी।
आपको **21/05/2025** को या उससे पहले हलफनामे पर संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
एतद्द्वारा आपको दिनांक **21.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे** निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
उपरोक्त राशि के अलावा आप निम्नलिखित राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे

लागत का विवरण

आवेदन शुल्क:–	**रु.1,50,010/–**
अधिवक्ता शुल्क:–	**रु.**
विविध खर्च:–	**रु.**
लिपिकीय :–	**रु.**
प्रकाशन प्रभार:–	**रु.**

आज दिनांक 04 मार्च,2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से नोटिस जारी किया गया।

वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत कार्यालय: संख्या 167–169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई–600015
शाखा कार्यालय: एफ–8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर –4, बैशाली, गाजियाबाद–201010

अचल संपत्ति के भौतिक कब्जे की सार्वजनिक सूचना

सेवा में, 1. श्री रवीन्द्र सिंह 2. सुश्री रचना देवी – दोनों: राम पार्क एक्सटेंशन, हकीकतपुर, लोनी, गाजियाबाद, यू.पी. 201102 जैसाकी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा पारित दिनांक: 10–10–2024 के आदेश के अनुसार, खसरा संख्या 402 एमआई से संबंधित, हदबस्त गांव खानपुर जाब्ती, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय मकान संख्या 28, एरिया माप 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर क्षेत्र के सभी भाग तथाहिस्से की संपत्ति का भौतिक कब्जा मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा 03.05.2025 को ले लिया गया है।
एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणकताओं और आम तौर पर जनता को सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार मैसर्स हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

दिनांक: 08/05/2025 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी– हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. 14
[विनियम 33(2) देखें]
पंजी. ए/डी, दस्ती द्वारा, इसकी विफलता पर प्रकाशन द्वारा

वसूली अधिकारी–I/II का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

प्रथम तल, एससीओ 33–34–35 सेक्टर–17 ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त स्थल आबंटित किया गया है)

माँग सूचना

ऋण वसूली एवं दिवालिया अधिनियम 1993 की धारा 25 से 28 तथा आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के अंतर्गत सूचना

आरसी/1043/2023 01–02–2025

भारतीय स्टेट बैंक
विरुद्ध
श्री राकेश मंगला एस/ओ

प्रति,
(सीडी 1) श्री राकेश मंगला पुत्र श्री राधेश्याम मंगला, निवासी फ्लैट नंबर 1274–ए एलआईजी फ्लैट्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर–29 फरीदाबाद, हरियाणा– 121008, **अन्य पता यहां पर भी :** राकेश मंगला पुत्र राधे श्याम मंगला द्वारा स्टार कनेक्ट, **अन्य पता यहां पर भी :** दुकान नं. 17–18, भूर कॉलोनी, रामा स्वीट रोड, पुराना फरीदाबाद– 121002 हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** राकेश मंगला पुत्र राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** निवासी मकान नंबर 589, सेक्टर– 19, फरीदाबाद– 121004, हरियाणा, फरीदाबाद
(सीडी 2) माया देवी पत्नी श्री राधे श्याम मंगला, निवासी फ्लैट नं. 1274–ए, एलआईजी फ्लैट्स, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर– 29, फरीदाबाद– 121008, हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** माया देवी पत्नी राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** द्वारा स्टार कनेक्ट, दुकान नं. 17–18, भूर कॉलोनी, रामा स्वीट रोड, पुराना फरीदाबाद– 121002, हरियाणा, **अन्य पता यहां पर भी :** माया देवी पत्नी राधे श्याम मंगला, **अन्य पता यहां पर भी :** निवासी– मकान नं. 589, सेक्टर– 19, फरीदाबाद– 121004, हरियाणा

यह अधिसूचित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) द्वारा ओए/72/2020 के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुसरण में जारी किए गए वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, बकाया राशि रु. 28,60,764.00 (रुपए अट्ठाईस लाख साठ हजार सात सौ चौंसठ मात्र) का तथा 13/12/2019 से वसूली तक 7: वार्षिक की साधारण ब्याज की दर पर पेंडेंटलाइट व भविष्य का ब्याज और रु. 31,005/– (रुपये इकतीस हजार पांच मात्र) की लागतें आपके विरुद्ध (संयुक्त रूप से और अलग–अलग / पूर्ण रूप से / सीमित रूप से) बकाया हो गई है।

2. आपको एतद्द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा करने में विफल रहने पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय बकाया ऋण वसूली अधिनियम 1993 और उसके अंतर्गत विरचित नियमों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको एतद्द्वारा सुनवाई की अगली तिथि को या उससे पहले एक शपथपत्र पर अपनी परिसंपत्तियों के विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको एतद्द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए 13/05/2025 को प्रातः 10:30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाता है।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा :
(क) प्रमाणपत्र / निष्पादन कार्यवाहियों की इस सूचना के तुरंत बाद आरंभ होनेवाली अवधि के लिए भुगतानयोग्य ब्याज।
(ख) इस सूचना और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं की

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट–15, छठी मंजिल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122002
शाखा कार्यालय: 173, नेहरू नगर, पहली मंजिल, बी.एस.एम. चौक, रुड़की – 247667

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जैसाकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सुरक्षा) अधिनियम, 2002 के तहत, इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित प्रत्येक खाते के सामने दर्ज तिथि पर एक मांग सूचना जारी कर उधारकर्ता और संपत्ति के मालिक/जमानतदार को उक्त सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का निर्देश दिया था। जैसाकि, संपत्ति के मालिक और अन्य इस राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए सर्वसाधारण और नीचे उल्लिखित उधारकताओं को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। अतः अब विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार न करें, और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार नीचे उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति का मालिक) एवं ऋण खाता संख्या:	प्रभारित गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण (संपत्ति का सभी भाग शामिल हैं)	मांग सूचना की तारीख, मांग सूचना की तारीख तक देय राशि	कब्जे की तारीख
1. श्री/श्रीमती महराना 2. श्री/श्रीमती सरफराज **पता:** इस्लाम नगर, रामपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड, रुड़की– 247667 **ऋण खाता संख्या:** LA24CLLONS000005001142 / AP-0907281	खसरा संख्या 809, 810 और 811 के प्लॉट का पूरा भाग, भूमि मापः पूर्व में: 23 फीट, पश्चिम में: 23 फीट, उत्तर में: 26.17 फीट, दक्षिण में: 26.17 फीट कुल क्षेत्रफलः 602 वर्ग फीट या 55.95 वर्ग मीटर, कुल कवर्ड एरियाः 754 वर्ग फीटजो मोह. माहिग्रान, रुड़की हदूद,नगर निगम रुड़की, हरिद्वार में स्थित है, सीमाएं: पूर्वः श्रीमती मीना की संपत्ति (वर्तमान में अय्यूब) पश्चिमः जुल्फकार की संपत्ति, उत्तरः भूरी पत्नी जमील की संपत्ति, दक्षिणः 10 फीट चौड़ा रास्ता	मांग सूचना की तारीखः 10.11.2022, राशिः रु. 706,450.54/ –(रु. सात लाख छह हजार चार सौ पचास मात्र)10–नवंबर–2022 तक तथा 11–नवंबर–2022 से आगे के ब्याज, लागत, शुल्क, एवं खर्चों सहित पूर्ण भुगतान तक	3–मई–2025 प्रतीकात्मक कब्जा

स्थान: रुड़की **दिनांक:** 08.05.2025 इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए (अधिकृत अधिकारी)

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101) से संपर्क करें।

मुथूट माइक्रोफिन लि. | स्वर्ण नीलामी सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 13th तल, परीनी क्रेस्केन्ज़ो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र-400051
प्रशासनिक कार्यालय: 5th तल, मुथूट टॉवर, M.G. रोड, कोच्चि, केरल-682035
दूरभाष: +91-484-4277500, फैक्स: +91-484-2351494. CIN: L65190MH1992PLC066228

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एमएसजीबी और एमएमजीएल ऋणों के तहत 14-03-2023, 19-03-2024, 08-04-2024, 22-04-2024 क्रमशः जिनकी समय पर पुनर्भुगतान नहीं की गई है और बार-बार सूचना देने के बावजूद अब तक पुनर्भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें नीचे दिए गए मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड की शाखाओं में प्रातः 10:00 बजे नीलाम किया जाएगा।

बदायूं जिला: नीलामी केंद्र: बदायूं - पहले मंज़िल, सिविल लाइन्स, 424, बरेली-गोरखपुर रोड, आई.डी.बी.आई. बैंक के ऊपर, बदायूं, उत्तर प्रदेश, 243601 नीलामी की तिथि: 28-05-2025 बदायूं एमएमएल: 1103770105152523 ककड़ाला एमएमएल: 1105960105142739 बिजनौर जिला: नीलामी केंद्र: नजीबाबाद - पहली मंज़िल, खसरा नंबर 371, पहली मंजिल की दुकान, वाराह कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार रोड, नजीबाबाद जिला, बिजनौर-246763, उत्तर प्रदेश नीलामी की तिथि: 30-05-2025 कीरतपुर एमएमएल: 1105560105153131, 1105560105153352.

कृपया ध्यान दें, यदि उपरोक्त उल्लिखित तिथि को किसी कारणवश नीलामी आयोजित नहीं की जाती है, तो वही मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड शाखाओं में सुबह 10:00 बजे आयोजित की जाएगी। 09-06-2025 को नीलामी केंद्र: बदायूं, 11-06-2025 को नीलामी केंद्र: सिविल लाइन्स - बिजनोर-ग्राउंड फ्लोर शॉप, ह.नं. 209 सिविल लाइन्स 1, बिजनोर, उत्तर प्रदेश-246701। यह सूचना उन संबंधित ऋण खातों पर लागू नहीं होगी जहाँ सोने के आभूषणों की मुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड के लिए
अधिकृत नीलामीकर्ता

Criminal Court, Ludhiana

(complaint-138 negotiable instrument act)

In The Cour t Of Ms. Jasleen Narang JMIC, Ludhiana
M/s UP Money Ltd
Vs.
Paramjit Kaur
CNR NO: PBLD03-023768-2021
COMA/10626/2021

Notice To: 1) Jagsir Singh S/o Banta Singh R/o House No. 76 Ward No. 8, Mudki Tehsil And distt. ferozpur 142060

Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you the accused above named cannot be served in the ordnary way of service. Hence this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 22-05-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence Given under my hand and the seal of the court. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी संबंधित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि up to 30.06.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction. गिरवी रखे सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाए नहीं गया है उन्कीं नीलामी 10-06-2025 और 11-06-2025 को 10.00 बजे से शुरु कर दी जाएगी।

Auction Date: 10-06-2025 - WEST DELHI DISTRICT - BINDAPUR: 4066000011, 4066000016, 4066000021, 4066000023, 4066000025, 4066000030, 4066000075, 406601040, 406601045, 406601049, 406601050, 406601055, 406601058, 406601062, 406601079, 406601084, 406601092, 406601103, 406601115, 406601122, 406601142, 406601159, 406601161, 406601181, 406601193, 406601199, 406601204, 406601206, 406601213, 406601214, 406601219, 406601220, 406601223, 406601224, 406601225, 406601226, 406601227, 406601228, 406601231, 406601232, 406601241, 406601246, 406601248, 406601249, 406601251, 406601258, 406601262, 406601268, 406601274, 406601278, 406601279, 406601281, 406601295, 406601302, 406601309, 406601311, 406601318, 406601322, 406601328, 406601336, 406601337, 406601349, 406601353, 406601366, 406601367, 406601373, 406601377, 406601387, 406601390, 406601394, 406601397, 406601411, 406601422, 406601431, 406601433, 406601446, 406601461, 406601463, 406601470, 406601497, 406601507, 406601516, 406601520, 406601539, 406601543, 406601551, 406601562, 406601564, 406601568, 406601569, 406601580, 406601581, 406601587, 406601588, 406601591, 406601594, 406601595, 406601610, 406601619, 406601638, 406601640, 406601641, 406601644, 406601647, 406601655, 406601659, 406601661, 406601666, 406601669, 406601673, 406601675, 406601687, 406601693, 406601701, 406601707, 406601709, 406601713, 406601731, 406601732, 406601739, 406601741, 406601742, 406601743, 406601744, 406601746, 406601753, 406601755, 406601757, 406601760, 406601765, 406601770, 406601771, 406601783, 406601789, 406601790, 406601791, 406601796, 406601800, 406601804, 406601805, 406601809, 406601813, 406601816, 406601817, 406601823, 406601824, 406601826, 406601828, 406601830, 406601831, 406601834, 406601846, 406601847, 406601854, 406601860, 406601863, 406601864, 406601866, 406601869, 406601881, 406601882, 406601886, 406601907, 406601935, 406601943, 406601955, 406601956, 406601958, 406601964. **CHANAKYA PLACE-DELHI:** 2851000242, 2851000243, 2851000246, 2851000260, 2851000268, 2851000283, 2851000303, 2851000304, 2851000311, 2851000322, 2851000327, 2851000341, 2851000343, 2851000360, 2851000361, 2851000371, 2851000395, 2851000398, 2851000410, 2851000418, 2851000424, 2851000475, 2851000478, 2851000516, 2851000559, 2851000562, 2851000564, 2851000568, 2851000573, 2851000617, 2851000624, 2851000631, 2851000633, 2851000635, 2851000642, 2851000651, 2851000654, 2851000664, 2851000669, 2851000677, 2851000704, 2851000714, 2851000718, 2851000742, 2851000839, 2851000871, 2851000900, 2851011137, 2851011145, 2851011158, 2851011159, 2851011182, 2851011190, 2851011194, 2851011228, 2851011243, 2851011284, 2851011309, 2851011321, 2851011334, 2851011342, 2851011345, 2851011349, 2851011393, 2851011394, 2851011401, 2851011409, 2851011413, 2851011420, 2851011428, 2851011429, 2851011432, 2851011477, 2851011484, 2851011500, 2851011506, 2851011519, 2851011543, 2851011560, 2851011573, 2851011577, 2851011614, 2851011616, 2851011621, 2851011651, 2851011656, 2851011661, 2851011669, 2851011688, 2851011698, 2851011706, 2851011718, 2851011724, 2851011735, 2851011755, 2851011756, 2851011758, 2851011761, 2851011763, 2851011767, 2851011768, 2851011776, 2851011780, 2851011786, 2851011792, 2851011793, 2851011797, 2851011803, 2851011807, 2851011815, 2851011817, 2851011819, 2851011821, 2851011823, 2851011824, 2851011829, 2851011833, 2851011834, 2851011839, 2851011863, 2851011867, 2851011872, 2851011877, 2851011878, 2851011891, 2851011909, 2851011912, 2851011922. **CHANCHAL PARK-NEW DELHI:** 4184000012, 4184000109, 4184000620, 4184000640, 4184000644, 4184000655, 4184000663, 4184000676, 4184000689, 4184000694, 4184000715, 4184000722, 4184000732, 4184000736, 4184000746, 4184000774, 4184000791, 4184000800, 4184000806, 4184000807, 4184000810, 4184000817, 4184000820, 4184000837, 4184000843, 4184000848, 4184000858, 4184000863, 4184000867, 4184000876, 4184000906, 4184000919, 4184000946, 4184000991, 4184000997, 4184001007, 4184001009, 4184001016, 4184001020, 4184001024, 4184001033, 4184001038, 4184001048, 4184001053, 4184001056, 4184001067, 4184001097, 4184001102, 4184001123, 4184001125, 4184001126, 4184001127, 4184001137, 4184001140, 4184001167, 4184001170, 4184001180, 4184001191, 4184001193, 4184001197, 4184001203, 4184001237, 4184001239, 4184001247, 4184001248, 4184001250, 4184001265, 4184001285, 4184001302, 4184001333, 4184001361, 4184000356, 4184000363, 4184000370, 4184000373, 4184000376, 4184000390, 4184000399, 4184000404, 4184000405, 4184000407, 4184000426, 4184000427, 4184000445, 4184000451, 4184000472, 4184000473, 4184000477, 4184000478, 4184000482, 4184000485, 4184000486, 4184000492, 4184000493, 4184000533, 4184000554, 4184000556, 4184000557, 4184000563, 4184000564, 4184000566, 4184000567, 4184000568, 4184000575, 4184000578, 4184000580, 4184000581, 4184000588, 4184000590, F5603. **DELHI-GANESH NAGAR:** 2826000012, 2826000027, 2826000030, 2826000033, 2826000034, 2826000043, 2826000051, 2826000061, 2826000070, 2826000074, 2826000082, 2826000085, 2826000091, 2826000097, 2826000099, 2826000108, 2826000109, 2826000110, 2826000116, 2826000128, 2826000134, 2826000142, 2826000167, 2826000213, 2826000215, 2826000218, 2826000219, 2826000242, 2826000243, 2826000245, 2826000271, 2826000273, 2826000284, 2826000285, 2826000286, 2826000317, 2826000324, 2826000325, 2826000328, 2826000333, 2826000349, 2826000353, 2826000375, 2826000379, 2826000380, 2826000383, 2826000385, 2826000391, 2826000393, 2826000406, 2826000411, 2826000862, 2826000883, 2826009020, 2826009024, 2826009047, 2826009056, 2826009089, 2826009091, 2826009097, 2826010015, 2826010027, 2826010028, 2826010034, 2826010035, 2826010043, 2826010052, 2826010054, 2826010063, 2826010067, 2826010070, 2826010074, 2826010077, 2826010082, 2826010083, 2826010085, 2826010163, 2826010167, 2826010170, 2826010174, 2826010177, 2826010185, 2826011136, 2826011142, 2826011171, 2826011175, 2826011177, 2826011185, 2826011187, 2826011191, 2826011197, 2826011203, 2826011207, 2826011208, 2826011209, 2826011215, 2826011218, 2826011219, 2826011220, 2826011221, 2826011222, 2826011230, 2826011236, 2826011239, 2826011240, 2826011244, 2826011245, 2826011246, 2826011250, 2826011252, 2826011253, 2826011275, 2826011276, 2826011287, 2826011295. **DWARAKA-DELHI:** 2403000206, 2403000209, 2403000211, 2403000213, 2403000228, 2403000231, 2403000245, 2403000252, 2403000262, 2403000270, 2403000271, 2403000279, 2403000281, 2403000288, 2403000292, 2403000298, 2403000311, 2403000312, 2403000313, 2403000323, 2403000324, 2403000333, 2403000351, 2403000365, 2403000367, 2403000370, 2403000372, 2403000374, 2403000376, 2403000380, 2403000388, 2403000390, 2403000396, 2403000474, 2403000758, 2403000769, 2403000785, 2403000805, 2403000833, 2403000837, 2403000838, 2403000853, 2403000876, 2403000884, 2403000896, 2403000920, 2403000938, 2403000940, 2403000946, 2403000947, 2403000948, 2403000949, 2403000953, 2403000962, 2403000967, 2403001008, 2403001032, 2403001046, 2403001081, 2403001097, 2403001105, 2403001122, 2403001125, 2403001126, 2403001129, 2403001130, 2403001153, 2403001168, 2403001175, 2403001176, 2403001181, 2403001183, 2403001188, 2403001195, 2403001202, 2403001210, 2403001211, 2403001215, 2403001217, 2403001218, 2403001220, 2403001224, 2403001229, 2403001249, 2403001258, 2403001279, 2403001280, 2403001290, 2403001291, 2403001304, 2403001307, 2403001309, 2403001322, 2403001323, 2403001330, 2403001332, 2403001340, 2403001342, 2403001343, 2403001347, 2403001350, 2403001355, 2403001359, 2403001364, 2403001368, 2403001370, 2403001373, 2403001375, 2403001377, 2403001391, 2403001392, 2403001395, 2403001396, 2403001402, 2403001403, 2403001404, 2403001408, 2403001407, 2403001409, 2403001414, 2403001419, 2403001433, 2403001434, 2403001436, 2403001438, 2403001441, 2403001442, 2403001451, 2403001456, 2403001462, 2403001466, 2403001471, 2403001480, 2403001492, 2403001507, 2403001511, 2403001513, 2403001526, 2403001530, 2403001558, 2403001562, 2403001580. **DWARKA MORE-DELHI:** 2442000343, 2442001159, 2442001167, 2442001173, 2442001176, 2442001178, 2442001190, 2442001207, 2442001227, 2442001229, 2442001319, 2442001322, 2442001323, 2442001969, 2442001993, 2442001996, 2442001997, 2442002008, 2442002009, 2442002010, 2442002016, 2442002028, 2442002046, 2442002049, 2442002058, 2442002060, 2442002081, 2442002089, 2442002094, 2442002102, 2442002126, 2442002181, 2442002182, 2442002202, 2442002225, 2442002240, 2442002248, 2442002252, 2442002271, 2442002272, 2442002292, 2442002297, 2442002298, 2442002307, 2442002316, 2442002320, 2442002322, 2442002343, 2442002351, 2442002358, 2442002368, 2442002370, 2442002375, 2442002393, 2442002399, 2442002406, 2442002408, 2442002416, 2442002422, 2442002424, 2442002440, 2442002447, 2442002449, 2442002453, 2442002461, 2442002467, 2442002469, 2442002479, 2442002488, 2442002489, 2442002490, 2442002493, 2442002499, 2442002500, 2442002501, 2442002504, 2442002513, 2442002517, 2442002521, 2442002523, 2442002530, 2442002535, 2442002542, 2442002555, 2442002560, 2442002567, 2442002568, 2442002571, 2442002573, 2442002576, 2442002577, 2442002578, 2442002579, 2442002586, 2442002594, 2442002596, 2442002600, 2442002602, 2442002612, 2442002617, 2442002621, 2442002627, 2442002628, 2442002641, 2442002644, 2442002664, 2442002669, 2442002681, 2442002687, 2442002688, 2442002695, 2442002696, 2442002697, 2442002704, 2442002725, 2442002731, 2442002733, 2442002741, 2442002746, 2442002750, 2442002755, 2442002757, 2442002758, 2442002760, 2442002770, 2442002772, 2442002800, 2442002802, 2442002807, 2442002812, 2442002824, 2442002843, 2442002844, 2442002850, 2442002860, 2442002879, 2442002893, 2442002899, 2442002903, 2442002908, 2442002911, 2442002924, 2442002938, 2442002953, 2442002954, 2442002955, 2442002961, 2442002963, 2442002967, 2442002986, 2442003004, 2442003022, 2442003026, 2442003032, 2442003036, 2442003042, 2442003044, 2442003049, 2442003051, 2442003065, 2442003069, 2442003071, 2442003073, 2442003075, 2442003086, 2442003088, 2442003093, 2442003095, 2442003104, 2442003105, 2442003107, 2442003111, 2442003130, 2442003131, 2442003133, 2442003135, 2442003138, 2442003140, 2442003144, 2442003149, 2442003156, 2442003160, 2442003167, 2442003168, 2442003176, 2442003201, 2442003216, 2442003221, 2442003227, 2442003241, 2442003258, 2442003278, 2442003298, 2442003327, 2442003347, 2442003379, 2442003387, 2442003394, 2442003399, 2442003404, 2442003411, 2442003419, 2442003442, 2442003485, 2442003499, 2442003512, 2442003544, 2442003546, 2442003557, 2442003559, 2442003572, 2442003581, 2442003585, 2442003616, 2442003633, 2442003650, 2442003655, 2442003663, 2442003672, 2442003673, 2442003684, 2442003688, 2442003689, 2442003692, 2442003709, 2442003721, 2442003733, 2442003740, 2442003745, 2442003751, 2442003752, 2442003757, 2442003774, 2442003784, 2442003785, 2442003800, 2442003810, 2442003815, 2442003816, 2442003817, 2442003825, 2442003827, 2442003828, 2442003831, 2442003833, 2442003836, 2442003842, 2442003848, 2442003851, 2442003852, 2442003854, 2442003860, 2442003863, 2442003865, 2442003874, 2442003875, 2442003884, 2442003887, 2442003899, 2442003905, 2442003907, 2442003918, 2442003919, 2442003920, 2442003922, 2442003923, 2442003924, 2442003926, 2442003928, 2442003931, 2442003932, 2442003935, 2442003939, 2442003946, 2442003953, 2442003954, 2442003955, 2442003956, 2442003957, 2442003958, 2442003960, 2442003966, 2442003968, 2442003969, 2442003970, 2442003971, 2442003972, 2442003979, 2442003984, 2442003988, 2442003989, 2442003992, 2442004008, 2442004015, 2442004033, 2442004043, 2442004044, 2442004047, 2442004051, 2442004053, 2442004063, 2442004067, 2442004072, 2442004073, 2442004074, 2442004083, 2442004085, 2442004087, 2442004090, 2442004091, 2442004094, 2442004107, 2442004115, 2442004117, 2442004122, 2442004136, 2442004138, 2442004151, 2442004164, 2442004165, 2442004174, 2442004175, 2442004193, 2442004220, 2442004228, 2442004241, 2442004243, 2442004247, 2442004252, 2442004253, 2442004258, 2442004261, 2442004263, 2442004264, 2442004265, 2442004284, 2442004287, 2442004271, 2442004274, 2442004278, 2442004280, 2442004281, 2442004297, 2442004302, 2442004305, 2442004308, 2442004309, 2442004310, 2442004311, 2442004312, 2442004314, 2442004315, 2442004316, 2442004318, 2442004326, 2442004328, 2442004331, 2442004334, 2442004336, 2442004339, 2442004357, 2442004359, 2442004368, 2442004376, 2442004381, 2442004383, 2442004394, 2442004398, 2442004404, 2442004419, 2442004433, 2442004437, 2442004438, 2442004439, 2442004442, 2442004448, 2442004460, 2442004463, 2442004470, 2442004493, 2442004497, 2442004510, 2442004511, 2442004519, 2442004522, 2442004527, 2442004532, 2442004533, 2442004542, 2442004551, 2442004552, 2442004554, 2442004562, 2442004588, 2442004611, 2442004617, 2442004623, 2442004627, 2442004640, 2442004654, 2442004657, 2442004685, 2442004686, 2442004704, 2442004717, 2442004725, 2442004728, 2442004736, 2442004773, 2442004782, 2442004791, 2442004810, 2442004822, 2442004823, 2442004830, 2442004860, 2442004864, 2442004912, 2442004919, 2442004954, 2442004959, 2442004961, 2442004966, 2442004969, 2442004973, 2442004998, 2442005004, 2442005027, 2442005033, 2442005038, 2442005043, 2442005056, 2442005062, 2442005082, 2442005094, 2442005114, 2442005135, 2442005138, 2442005159, 2442005160, 2442005171. **DWARKA-RANAJI ENCLAVE:** 4123000503, 4123000541, 4123000566, 4123000587, 4123000593, 4123000595, 4123000616, 4123000624, 4123000635, 4123000643, 4123000660, 4123000663, 4123000665, 4123000668, 4123000670, 4123000671, 4123000672, 4123000709, 4123000741, 4123000748, 4123000751, 4123000759, 4123000779, 4123000795, 4123000803, 4123000806, 4123000821, 4123000822, 4123000826, 4123000865, 4123000877, 4123000884, 4123000896, 4123000911, 4123000912, 4123000944, 4123000946, 4123000950, 4123000952, 4123000983, 4123000998, 4123000999, 4123001000, 4123001034, 4123001064, 4123001100, 4123001146, 4123001274, 4123001305, 4123001333, 4123001261, 4123001263, 4123001281, 4123001296, 4123001308, 4123001312, 4123001316, 4123001317, 4123001323, 4123001326, 4123001340, 4123001364, 4123001370, 4123001388, 4123001407, 4123001419, 4123001463, 4123001469, 4123001481, 4123001482, 4123001484, 4123001486, 4123001490, 4123001499, 4123001500, 4123001518, 4123001525, 4123001526, 4123001530, 4123001545, 4123001546, 4123001547, 4123001554, 4123001555, 4123001560, 4123001561, 4123001563, 4123001564, 4123001571, 4123001572, 4123001575, 4123001581, 4123001583, 4123001584, 4123001591, 4123001593, 4123001620, 4123001625, 4123001632, 4123001643, 4123001679, 4123001704, 4123001713, 4123001718, 4123001728, 4123001734, 4123001765, 4123001774, 4123001784, 4123001790, 4123001808, 4123001829, 4123001837, 4123001860, 4123001861, 4123001866, 4123001867, 4123001872, 4123001877, 4123001884, 4123001892, 4123001901, 4123001906, 4123001908, 4123001915, 4123001920, 4123001923, 4123001933, 4123001951, 4123001952, 4123001956, 4123001957, 4123001959, 4123001963, 4123001966, 4123001971, 4123001979, 4123001981, 4123001986, 4123001995, 4123001997, 4123001999, 4123002007, 4123002012, 4123002019, 4123002031, 4123002045, 4123002048, 4123002051, 4123002055, 4123002057, 4123002068, 4123002069, 4123002070, 4123002080, 4123002090, 4123002102, 4123002103, 4123002117, 4123002120, 4123002125, 4123002153, 4123002156, 4123002159, 4123002166, 4123002169, 4123002178, 4123002186, 4123002187, 4123002189, 4123002191, 4123002193, 4123002202, 4123002205, 4123002215, 4123002216, 4123002237, 4123002281, 4123002282, 4123002283. **DWARKA-SEC-19:** 2815000235, 2815000239, 2815000252, 2815000264, 2815000274, 2815000282, 2815000285, 2815000297, 2815000305, 2815000309, 2815000319, 2815000325, 2815000336, 2815000344, 2815000345, 2815000347, 2815000361, 2815000367, 2815000371, 2815000380, 2815000381, 2815000383, 2815000392, 2815000396, 2815000399, 2815000418, 2815000425, 2815000426, 2815000427, 2815000439, 2815000448, 2815000450, 2815000452, 2815000455, 2815000456, 2815000460, 2815000465, 2815000476, 2815000479, 2815000485, 2815000934, 2815000938, 2815000945, 2815000950, 2815000952, 2815000957, 2815000969, 2815000992, 2815001018, 2815001030, 2815001038, 2815001041, 2815001059, 2815001064, 2815001065, 2815001078, 2815001089, 2815001097, 2815001101, 2815001103, 2815001133, 2815001135, 2815001146, 2815001147, 2815001156, 2815001184, 2815001187, 2815001211, 2815001219, 2815001225, 2815001245, 2815001248, 2815001282, 2815001289, 2815001297, 2815001304, 2815001337, 2815001338, 2815001339, 2815001348, 2815001350, 2815001355, 2815001367, 2815001372, 2815001374, 2815001376, 2815001377, 2815001378, 2815001380, 2815001391, 2815001396, 2815001406, 2815001413, 2815001414, 2815001421, 2815001423, 2815001427, 2815001428, 2815001429, 2815001430, 2815001431, 2815001435, 2815001441, 2815001443, 2815001450, 2815001452, 2815001465, 2815001470, 2815001507, 2815001508, 2815001513, 2815001516, 2815001519, 2815001530, 2815001532, 2815001534, 2815001536, 2815001550, 2815001559, 2815001563, 2815001565, 2815001576, 2815001579, 2815001582, 2815001584, 2815001587, 2815001589, 2815001604, 2815001605, 2815001609, 2815001610, 2815001617, 2815001619, 2815001627, 2815001630, 2815001634, 2815001635, 2815001636, 2815001642, 2815001646, 2815001647, 2815001659, 2815001661, 2815001664, 2815001685, 2815001667, 2815001669, 2815001673, 2815001674, 2815001677, 2815001678, 2815001684, 2815001686, 2815001687, 2815001688, 2815001689, 2815001696, 2815001698, 2815001706, 2815001707, 2815001708, 2815001712, 2815001714, 2815001717, 2815001718, 2815001719, 2815001720, 2815001721, 2815001722, 2815001726, 2815001728, 2815001729, 2815001739, 2815001746, 2815001751, 2815001771, 2815001774, 2815001776, 2815001789, 2815001797, 2815001809, 2815001816, 2815001823, 2815001830, 2815001831, 2815001844, 2815001875, 2815001877, 2815001899, 2815001917, 2815001960, 2815001973, 2815001978, 2815001989, 2815002004, 2815002017, 2815002020, 2815002029, 2815002033, 2815002034, 2815002141, 2815002363, 2815002367, 2815002377, 2815002391, 2815002394, 2815002401, 2815002411, 2815002414, 2815002421, 2815002424, 2815002441, 2815002447, 2815002460, 2815002473, 2815002477, 2815002479, 2815002489, 2815002502, 2815002504, 2815002505, 2815002520, 2815002522, 2815002523, 2815002533, 2815002539, 2815002547, 2815002551, 2815002569, 2815002571, 2815002574, 2815002576, 2815002580, 2815002581, 2815002582, 2815002584, 2815002585, 2815002586, 2815002588, 2815002589, 2815002596, 2815002598, 2815002605, 2815002606, 2815002613, 2815002616, 2815002617, 2815002618, 2815002625, 2815002642. **TILAK NAGAR NEW DELHI:** 1390000538, 1390000999, 1390001000, 1390001137, 1390001177, 1390001200, 1390001201, 1390001204, 1390001207, 1390001209, 1390001210, 1390001219, 1390001227, 1390001234, 1390001239, 1390001241, 1390001263, 1390001275, 1390001279, 1390001280, 1390001287, 1390001293, 1390001303, 1390001318, 1390001323, 1390001326, 1390001337, 1390001341, 1390001345, 1390001346, 1390001354, 1390001355, 1390001373, 1390001378, 1390001380, 1390001394, 1390001395, 1390001402, 1390001426, 1390001437, 1390001442, 1390001460, 1390001472, 1390001473, 1390001479, 1390001546, 1390001587, 1390001588, 1390001610, 1390001639, 1390001644, 1390001652, 1390001665, 1390001667, 1390001688, 1390001700, 1390001719, 1390001725, 1390001728, 1390001734, 1390001738, 1390001740, 1390001748, 1390001751, 1390001753, 1390001758, 1390001759, 1390001767, 1390001781, 1390001782, 1390001796, 1390001797, 1390001803, 1390001808, 1390001812, 1390001828, 1390001840, 1390001841, 1390001860, 1390001895, 1390001896, 1390001928, 1390001967, 1390001968, 1390001976, 1390002130, 1390002184, 1390002185, 1390003096, 1390003099, 1390004027, 1390004029, 1390004060, 1390004061, 1390004063, 1390004066, 1390004068, 1390004070, 1390004072, 1390004075, 1390004077, 1390004078, 1390004080, 1390004085, 1390004086, 1390004087, 1390004097, 1390005563, 1390005582, 1390005585, 1390006004, 1390006017. **UTTAM NAGAR:** 0686000084, 0686000740, 0686001241, 0686001258, 0686001267, 0686001326, 0686001353, 0686001365, 0686001380, 0686001390, 0686001412, 0686001444, 0686001446, 0686001457, 0686001473, 0686001490, 0686001495, 0686001500, 0686001501, 0686001506, 0686001512, 0686001550, 0686001551, 0686001556, 0686001557, 0686001572, 0686001589, 0686001590, 0686001618, 0686001621, 0686001637, 0686001662, 0686001673, 0686001699, 0686001700, 0686001722, 0686001759, 0686001781, 0686001783, 0686001789, 0686001813, 0686001823, 0686001829, 0686001831, 0686001834, 0686001844, 0686001848, 0686001869, 0686001906, 0686001908, 0686001910, 0686001925, 0686001938, 0686001944, 0686001946, 0686001949, 0686001961, 0686001966, 0686001968, 0686001986, 0686001998, 0686002001, 0686002004, 0686002006, 0686002010, 0686002011, 0686002017, 0686002030, 0686002040, 0686002043, 0686002049, 0686002072, 0686002073, 0686002085, 0686002087, 0686002092, 0686002099, 0686002100, 0686002107, 0686002122, 0686002126, 0686002127, 0686002134, 0686002137, 0686002144, 0686002150, 0686002153, 0686002184, 0686002221, 0686002223, 0686002234, 0686002238, 0686002297, 0686002818, 0686002824, 0686002836, 0686002863, 0686002870, 0686002872, 0686002883, 0686002892, 0686002893, 0686002894, 0686002915, 0686002922, 0686002927, 0686002929, 0686002945, 0686002959, 0686002963, 0686002964, 0686002968, 0686002969, 0686002972, 0686002973, 0686002977, 0686002981, 0686002997, 0686002998, 0686011003, 0686011007, 0686011030, 0686011031, 0686011035, 0686011041, 0686011042, 0686011051, 0686011053, 0686011056, 0686011061, 0686011070, 0686011084, 0686011085, 0686011086, 0686011101, 0686011106, 0686011108, 0686011109, 0686011110, 0686011113, 0686011119, 0686011125, 0686011126, 0686011127, 0686011128, 0686011129, 0686011131, 0686011132, 0686011133, 0686011135, 0686011138, 0686011139, 0686011148, 0686011150, 0686011152, 0686011153, 0686011154, 0686011156, 0686011158, 0686011159, 0686011161, 0686011162, 0686011164, 0686011167, 0686011168, 0686011170, 0686011171, 0686011172, 0686011173, 0686011174, 0686011176, 0686011177, 0686011180, 0686011182, 0686011183, 0686011184, 0686011185, 0686011186, 0686011187, 0686011188, 0686011189, 0686011191, 0686011192, 0686011193, 0686011194, 0686011195, 0686011196, 0686011197, 0686011198, 0686011199, 0686011200, 0686011201, 0686011202, 0686011203, 0686011204, 0686011205, 0686011206, 0686011207, 0686011208, 0686011209, 0686011210, 0686011211, 0686011212, 0686011213, 0686011214, 0686011215, 0686011216, 0686011217, 0686011218, 0686011219, 0686011220, 0686011221, 0686011222, 0686011223, 0686011224, 0686011225, 0686011226, 0686011227, 0686011228, 0686011229, 0686011230, 0686011231, 0686011232, 0686011233, 0686011234, 0686011235, 0686011236, 0686011237, 0686011238, 0686011239, 0686011240, 0686011241, 0686011242, 0686011243, 0686011244, 0686011245, 0686011246, 0686011247, 0686011248, 0686011249, 0686011250, 0686011251, 0686011252, 0686011253, 0686011254, 0686011255, 0686011256, 0686011257, 0686011258, 0686011259, 0686011260, 0686011261, 0686011262, 0686011263, 0686011264, 0686011265, 0686011266, 0686011267, 0686011268, 0686011269, 0686011270, 0686011271, 0686011272, 0686011273, 0686011274, 0686011275, 0686011276, 0686011277, 0686011278, 0686011279, 0686011280, 0686011281, 0686011282, 0686011283, 0686011284, 0686011285, 0686011286, 0686011287, 0686011288, 0686011289, 0686011290, 0686011291, 0686011292, 0686011293, 0686011294, 0686011295, 0686011296, 0686011297, 0686011298, 0686011299, 0686011300, 0686011301, 0686011302. **NIHAL VIHAR-DELHI:** 4103000481, 4103000484, 4103000486, 4103000490, 4103000494, 4103000498, 4103000512, 4103000517, 4103000520, 4103000526, 4103000527, 4103000534, 4103000550, 4103000560, 4103000567, 4103000570, 4103000585, 4103000601, 4103000603, 4103000608, 4103000613, 4103000623, 4103000627, 4

इंडोक्युबिक्स क्लाउडटेक प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत : मकान नं. 2390/2, सेक्टर–2, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा– 121004
सीआईएन : U72200HR2022PTC103936
ईमेल आईडी : ramsingh.kajla@indoqubix.com

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30(6) (ए) के प्रकरण में

और

मैसर्स इंडोक्युबिक्स क्लाउडटेक प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन : U72200HR2022PTC103936) के प्रकरण में, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नं. 2390/2, सेक्टर–2, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा– 121004 में स्थित है

..... **याचिकादाता**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें याचिकादाता कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन के खंड ।। की पुष्टि करने की मांग की जाती है, जो गुरुवार 17 अप्रैल 2025 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार है, ताकि याचिकादाता कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय की स्थिति मकान नं. 2390/2, सेक्टर– 2, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, हरियाणा– 121004 से वीवर्क एल्डिको सेंटर, मालवीय नगर, एल्डिको सेंटर, ब्लॉक ए, शिवालिक कॉलोनी, मालवीय नगर, दिल्ली, डीएल 110017 में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एसोसिएशन के ज्ञापन में प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्तियों को अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों, यदि कोई हो, को एक शपथपत्र द्वारा अनुसमर्थित करके क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली– 110003 को, याचिकादाता कंपनी को एक प्रति प्रेषित करते हुए, इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर प्रेषित या सूचित कर सकता है, और मूल रूप से इसे उक्त क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर) को भेजा जाना चाहिए, जिसकी एक प्रति याचिकादाता को उपरोक्त वर्णित उसके पंजीकृत कार्यालय में भेजनी होगी।

कृते इंडोक्युबिक्स क्लाउडटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./–
सुरेंद्र काजला
निदेशक
डीआईएन : 09650396

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :यूनिट 2009-14, 20वीं मंजिल, टावर 2, मैग्नम ग्लोबल पार्क गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-58, गुरुग्राम (हरियाणा)-122011,
सीआईएन: U65922HR2016PTC057984

घरेलू वस्तुओं को हटाने के लिए अंतिम एवं आखिरी नोटिस

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (रों) को नोटिस दिया जाता है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/प्रभारित की गई है। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 27.02.2025 को मेसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है।

उधारकर्ता (ओं)/सह–उधारकर्ता(ओं) और गारंटर (ओं)	संपत्ति का विवरण
1. विक्रम कुमार पुत्र रुला राम (उधारकर्ता) 2. सीमा रानी पत्नी विक्रम कुमार (सह–उधारकर्ता) निवास–प्लॉट नंबर 19 बसंत विहार सैनी धर्मशाला बैंक के पास कॉलोनी टाउन पार्क के पास कॉलोनी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा 135001, इसके अलावा यहाँ भी:– कंसापुर रोड, बैंक कॉलोनी, यमुना नगर हरियाणा–135001	मौजा रतोली एचबी नंबर 422, जिसे अब बसंत विहार कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, तहसील जगाधरी यमुना नगर में स्थित संपत्ति प्लॉट नं.19 (दक्षिणी भाग) पर निर्मित, जिसका नगरपालिका संपत्ति आईडी नंबर **258C96U284B** है, जिसकी माप 02 मरला यानी 60 वर्ग गज है, जिसमें खेवट/खतौनी नंबर 68/89खसरा नंबर 34//8(8–0)1/80 हिस्सा यानी 02 मरला है,परिबद्ध :उत्तर– प्लॉट नंबर 19 का शेष भाग, दक्षिण– अन्य प्लॉट, पूर्व– अन्य एस प्लॉट, पश्चिम– 20'' चौड़ा रास्ता ।

ऋण का विवरण: लैन नं. LXYMN02823&240026565, ऋण अनुबंध तिथि: 20–जुलाई–2023, ऋण राशि रु. 550000–/

हमने इससे पहले 27.02.2025 को पत्र जारी किया था और 01.03.2025 को प्रकाशन जारी किया था,ताकि उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता को उनके सामान/बिना किराए के घरेलू सामान का दावा करने/प्राप्त करने के लिए सूचित किया जा सके, जो गिरवी/नीलामी संपत्ति पर पड़े हैं, लेकिन वे इसका दावा करने नहीं आए। हम उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 07 दिनों के भीतर उपरोक्त परिसर से अपने सामान/घरेलू सामान को हटाने के लिए अंतिम और आखिरी अवसर देते हैं और लिखित संचार में हमें सूचित करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं कि आप निर्धारित समय के भीतर किसी भी तरीके से इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर अपने घरेलू सामान को हटाने के लिए तैयार रहें,ऐसा न करने पर उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस किसी भी नुकसान या क्षति या चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और प्रस्तावित उच्चतम सफल बोली लगाने वालों के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार इसे "जैसा है जहां है", जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर निपटाया/बेचा जाएगा।

दिनांक :08 मई 2025, **प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी, मोबाइल– 9650055701**
स्थान : गुरुग्राम, हरियाणा **उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड,**

रोडवेज इंडिया लिमिटेड

CIN संख्या: L63090DL1987PLC319212
पंजीकृत कार्यालय: स्टोर संख्या: 53-ए/8, रामा रोड औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015
दूरभाष संख्या: 011-47192065, फैक्स संख्या: 011-25815456,
ईमेल आईडी: corporate@roadwaysindia.com, वेबसाइट: www.roadwaysindia.com

सूचना

एतद्वारा **रोडवेज इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि अ- साधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 4 जून 2025 को दोपहर 01.00 बजे प्लॉट संख्या 53-ए/8, रामा रोड औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015 में आयोजित की जाएगी, जिसमे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भेजी गयी सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगे कंपनी अधिनियम, 2013 की धरा 108 के साथ पठित कंपनी प्रबंध तथा प्रशासन नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनिमियन, 2015 के विनिमियन 44 के अनुसार कंपनी अपने सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही

सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि:

ए) ईजीएम में वर्णित व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से निष्पादित किया जायेगा
ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय: **1 जून 2025, सुबह 09:00 बजे**
ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने की तारीख और समय: **3 जून 2025, शाम 05:00 बजे**
घ) ईजीएम में मतपत्र द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि **बुधवार, 28 मई 2025** है।
ई) कोई भी व्यक्ति, जो सूचना की तारीख के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करता और सदस्य बनता है, वह अपने फोलियो नंबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर का उल्लेख कर **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। लेकिन, यदि ऐसा शेयरधारक पहले से ही सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
च) रिमोट ई-वोटिंग **3 जून 2025, शाम 5:00 बजे** के बाद उपलब्ध नहीं होगी।
छ) जिन सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम स्थल पर मतपत्रों में अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी ईजीएम स्थल पर मतपत्रों की व्यवस्था करेगी।
ज) जिन सदस्यों ने मीटिंग से पहले ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल दिया है, वे आम बैठक में भाग लेने के हकदार होंगे, लेकिन ईजीएम में फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
झ) जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी **28 मई, 2025** को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग (**1 जून, 2025 से 3 जून, 2025 के बीच**) और ईजीएम में वोट डालने की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।
ञ) ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.roadwaysindia.com** और **ttps://www.evotingindia.com** पर उपलब्ध हेल्प एंड एफएक्यू अनुभाग पर जा सकते हैं या **टोल फ्री नंबर 1800225533 और टेलीफोन नंबर: 022-23058738/022-23058543** पर सीडीएसएल से संपर्क कर सकते हैं।

रोडवेज इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
दीक्षा बजाज
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 07.05.2025
स्थान: नई दिल्ली

उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
अंचल/शाखा कार्यालय : 9बी, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड-110 060
पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.-221 105.

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदारों ने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और ऋण को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत उनके द्वारा बैंक को प्रदान किए गए उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे, इसके अलावा के प्रयोजनों के लिए उक्त कर्जदारों की जानकारी नीचे दी गई है, उक्त कर्जदारों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी)	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1	गाजियाबाद	ग्राहक का नाम- अलीजार पुत्र आरिफ हसन खान **खाता संख्या-** 1522050000006074	श्री अलीजार पुत्र श्री आरिफ हसन खान (कर्जदार) श्री अजीम अब्बास पुत्र श्री आरिफ हसन खान (सह-कर्जदार) श्रीमती शमीम फातिमा पत्नी श्री आरिफ हसन खान (कर्जदार/बंधककर्ता)	06/04/2025	रु. 88,33,313/- (रुपये अठासी लाख तैंतीस हजार तीन सौ तेरह मात्र)

संपत्ति/संपत्तियों का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय मकान का वह हिस्सा जिसका नाम नंबर-एन-56 है, जिसका क्षेत्रफल 111.48 वर्ग मीटर है और जिसका कवर्ड एरिया 60.32 वर्ग मीटर है, जो ब्लॉक-एन, सेक्टर-12, जीएमपी आवासीय कॉलोनी प्रताप विहार तहसील और जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। **संपत्ति की सीमाएँ- पूर्व:** संपत्ति नंबर-एन-55 **उत्तर:** सड़क **पश्चिम:** संपत्ति नंबर-एन-57 **दक्षिण:** संपत्ति नंबर-एन-74

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी)	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
2	नोएडा	ग्राहक का नाम- बत्रा ट्रेडर्स **खाता संख्या-** 1514060000007814	मेसर्स बत्रा ट्रेडर्स इसके प्रोपराइटर (कर्जदार) के माध्यम से 2. श्री कदम बत्रा पुत्र श्री सतीश कुमार बत्रा (सह-कर्जदार/बंधककर्ता) श्रीमती बांक ए बत्रा पत्नी श्री सतीश कुमार बत्रा (सह-कर्जदार)	05/04/2025	रु. 26,86,453/- (रुपये छब्बीस लाख छियासी हजार चार सौ तिरेपन मात्र)

संपत्ति/संपत्तियों का विवरण: फ्री होल्ड आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, फ्लैट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल पर, एमआईजी प्लॉट नंबर-255, सुपर एरिया 83.61 वर्ग मीटर, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1 में स्थित, गांव- पासोंडा परगना लोनी तहसील और जिला- गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। **संपत्ति की सीमाएँ- पूर्व:** सड़क **उत्तर:** प्लॉट नंबर-254 **पश्चिम:** सर्विस लेन **दक्षिण:** प्लॉट नंबर-256

उपरोक्त कर्जदारों और/या उनके गारंटरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया का भुगतान करें, ऐसा न करने पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हस्ता/-
तिथि : 08/05/2025 (अधिकृत प्राधिकारी)
स्थान : दिल्ली रा.रा.क्षे. (शरवनु दत्ता)

UFSL

उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L74899DL1995PLC068604
पंजीकृत कार्यालय: 73, प्रथम तल, फेक्सनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092
कॉर्पोरेट कार्यालय: तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 40, वेव सिनेमा के पास, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

सार्वजनिक सूचना

यह नोटिस **उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी")** द्वारा जारी किया जा रहा है, जो एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो बेस लेयर (बीएल) श्रेणी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत है, जो कंपनी के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति द्वारा प्रबंधन में बदलाव के अनुमोदन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी मास्टर निर्देश (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-स्केल आधारित विनियमन) निर्देश, 2023 के पैरा 42 के अनुपालन में है।

पृष्ठभूमि: कंपनी के प्रबंधन ने बोर्ड को मजबूत करने तथा इसके प्रशासन और रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक गैर-कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति की थी।

आरबीआई अनुमोदन: कंपनी ने आरबीआई से प्रबंधन में बदलाव के लिए पत्र **S36/NBFC-BL/05.21.036/2025-26 दिनांक 22 अप्रैल, 2025** के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त किया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और उक्त निर्देशों के पैरा 42 के अनुसार है।

इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण/आपत्ति इस नोटिस की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी **सुश्री कृतिका** को या ईमेल **usha.nbfc@gmail.com** पर भेजी जा सकती है।

इस नोटिस की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.ushafinancial.com** पर भी उपलब्ध है।

कृते उषा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./-
सुश्री कृतिका, सीएस एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 08 मई, 2025

आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

RACL Geartech
पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 (भारत)
दूरभाष नं.: 011-66155129 | **फैक्स नंबर:** 0120-4588513
ईमेल: Investor@raclgeartech.com | **वेबसाइट:** www.raclgeartech.com
CIN: L34300DL1983PLC016136
RAUNAQ GEARS

31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

(ईपीएस को छोड़कर ₹ लाख में)

विवरण	कंसोलिडेटेड				स्टैंडअलोन			
	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	वर्ष से आज तक आकड़ें	समाप्त पूर्व वर्ष
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	92.23	107.24	424.99	415.27	106.03	114.92	427.29	423.04
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो से पूर्व)	8.83	11.50	32.65	53.44	8.95	11.53	34.37	53.74
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	8.83	11.50	32.65	53.44	8.95	11.53	34.37	53.74
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण एंव/अथवा विशिष्ट मदो के बाद)	6.50	8.41	23.74	39.40	6.67	8.42	25.60	39.81
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	6.12	8.09	23.40	38.96	6.48	8.22	25.11	39.40
इक्विटी शेयर पूंजी	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20	11.20
आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है	215.40	193.62	215.40	193.62	217.56	194.06	217.56	194.06
आय प्रति शेयर (सम मूल्य रू. 10/- प्रति का) अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) बेसिक तथा डायल्यूटिड	6.03	7.80	22.02	36.54	6.19	7.81	23.74	36.92

नोट्स :

1 उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेबी सर्क्युलर CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैंडएलॉन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अंकेक्षित स्टेण्डएलॉन एवं कंसोलिडेटेड तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाईट अर्थात **www.raclgeartech.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट अर्थात **www.nseindia.com और www.bseindia.com** पर उपलब्ध है।

2 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के विस्तृत अंकेक्षित स्टैंडअलोन एवं कंसोलिडेटेड वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की "सीमित समीक्षा" कमिटी द्वारा की गई तथा 07 मई, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

स्थान : नोएडा
दिनांक : 07 मई, 2025

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड
गुरशरण सिंह
अध्यक्ष व प्रबंध निदेषक

सार्वजनिक नोटिस

केंद्र सरकार, कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली और हरियाणा के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3)
और
सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 उप-धारा (3) के मामले में
और

श्रीवासा लीगल एलएलपी

जिसका पंजीकृत कार्यालय **एस-557, द्वितीय तल, कार्यालय संख्या-4 स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली, भारत** में है, के मामले में।

.....आवेदक

आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त एलएलपी कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा को अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश"** राज्य में बदलने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन करने का प्रस्ताव करती है और प्रस्तावित पंजीकृत पता **ए-1102, टॉवर-ए, एटीएस बुकेट, सेक्टर-132 नोएडा-201304, उत्तर प्रदेश, भारत।**

कोई भी व्यक्ति जिसका हित एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपनी आपत्तियों को हलफनामे द्वारा समर्थित करके, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों को बताते हुए इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **21 (इक्कीस) दिनों** के भीतर **रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एनसीटी ऑफ दिल्ली और हरियाणा** को वितरित करना सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे सकता है। और इसकी एक प्रति एलएलपी को ऊपर उल्लिखित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में भेजनी होगी।

आवेदक के लिए और की ओर से
श्रीवासा लीगल एलएलपी
हस्ताक्षर/-
सत्यपाल सिंह भाटी
(नामित भागीदार)

दिनांक: 07.05.2025
स्थान : नई दिल्ली

SHRIRAM

श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, हिमालया हाऊस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011 23315941, फैक्स : 011 23311203, Website : www.shrirampistons.com
E-mail : compliance.officer@shrirampistons.com, CIN : L29112DL1963PLC004084, PAN : AAACS0229G

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(प्रति आथों रू. में प्रति शेयर विवरण के सिवाय)

	विवरण	समेकित				
		तीन माह समाप्त मार्च 31, 2025	तीन माह समाप्त दिसंबर 31, 2024	तीन माह समाप्त मार्च 31, 2024	वर्ष समाप्त मार्च 31, 2025	वर्ष समाप्त मार्च 31, 2024
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	**1,01,579**	87,513	87,949	**3,66,123**	3,17,460
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण मदों से पहले)	**20,107**	15,910	15,791	**68,166**	58,913
3.	अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**20,107**	15,910	15,791	**68,166**	58,913
4.	अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**15,154**	12,098	11,646	**51,556**	43,866
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय {अवधि हेतु लाभ/ (हानी) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)}	**15,392**	12,223	12,004	**52,082**	44,517
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	**4,405**	4,405	4,405	**4,405**	4,405
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	–	–	–	**2,35,531**	1,87,190
8.	आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रू. 10/-) संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु					
	(i) मूल	**33.27**	27.22	27.15	**115.02**	100.47
	(ii) तरल	**33.27**	27.22	27.15	**115.02**	100.47

स्टेंडअलोन वित्तीय परिणामों की जानकारी नीचे दी गई है :

(प्रति आथों रू. में प्रति शेयर विवरण के सिवाय)

	विवरण	स्वतंत्र				
		तीन माह समाप्त मार्च 31, 2025	तीन माह समाप्त दिसंबर 31, 2024	तीन माह समाप्त मार्च 31, 2024	वर्ष समाप्त मार्च 31, 2025	वर्ष समाप्त मार्च 31, 2024
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	**87,864**	79,560	80,293	**3,28,271**	3,03,506
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानी) (कर, असाधारण मदों से पहले)	**18,575**	16,152	16,170	**66,799**	59,887
3.	अवधि हेतु कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**18,575**	16,152	16,170	**66,799**	59,887
4.	अवधि हेतु कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानी) (असाधारण मदों के बाद)	**13,850**	12,035	12,055	**49,780**	44,678
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय {अवधि हेतु लाभ/ (हानी) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)}	**14,083**	12,198	12,413	**50,327**	45,335
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	**4,405**	4,405	4,405	**4,405**	4,405
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	–	–	–	**2,35,531**	1,89,608
8.	आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य रू. 10/-) संचालन के जारी रखने और छोड़ने हेतु					
	(i) मूल	**31.44**	27.32	27.37	**113.01**	101.42
	(ii) तरल	**31.44**	27.32	27.37	**113.01**	101.42

टिप्पणियां : 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही व वर्ष समाप्त के वित्तीय परिणामों परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेवसाईट NSE (www.nseindia.com) एवं BSE (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेवसाईट (www.shrirampistons.com) पर भी उपलब्ध है।

2. उपरोक्त लेखापरीक्षित परिणामों की समीक्षा की गई हैं और लेखापरिक्षक समिति द्वारा 07 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में सिफारिश की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 07 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया है।

SCAN ME

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : मई 07, 2025

हस्ता./–
(प्रेम प्रकाश राठी)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता./–
(कृष्णाकुमार श्रीनिवासन)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSE ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQURE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INTIAL PUBLIC OFFER OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED

(Please scan this QR Code to view the Prospectus)

Accretion Pharmaceuticals Limited

ACCRETION PHARMACEUTICALS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): U21004GJ2023PLC146545

Accretion Pharmaceuticals was incorporated in the year 2012, our Promoters Mr. Harshad Nanubhai Rathod, Mr. Vivek Ashok Kumar Patel, Mr. Mayur Popatlal Sojitra and Mr. Hardik Mukundbhai Prajapati, came together to establish a pharmaceutical manufacturing unit, with vision to provide health care products that match international quality standards at competitive price. Thus, the foundation of "Accretion Pharmaceuticals" was laid down, which was started as a Partnership Firm under the Partnership Act, 1932 ("Partnership Act") in the name and style of "M/s Accretion Pharmaceuticals", pursuant to a deed of partnership dated December 18, 2012. Our manufacturing facility which is currently located at 28 & 29 Xcelon Ind Park 1, B/H, Intas Pharmaceuticals, Vasna Chacharvadi, Ahmedabad, Sanand, Gujarat 382213, commenced its manufacturing operations in year 2014. Thereafter, pursuant to a resolution passed by the partners of M/s Accretion Pharmaceuticals on October 16, 2023, the Partnership Firm was converted into a Limited Company under Part I (Chapter XXI) of the Companies Act, 2013 in the name of "Accretion Pharmaceuticals Limited" and a certificate of incorporation dated November 29, 2023 was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre, for and on behalf of the jurisdictional Registrar of Companies.

Regd. Office : 29 Xcelon Ind Park 1, B/H, Intas Pharmaceuticals, Vasna Chacharvadi, Ahmedabad, Sanand, Gujarat, India, 382213;
Tel No.: +91-97148 82929; **E-mail:** compliance@accretionpharma.com ; **Website**: http://www.accretionpharma.com
Contact Person: Ms. Bhavika Dhaval Makadia, Company Secretary & Compliance Officer•

**THE PROMOTER OF THE COMPANY ARE MR. HARSHAD NANUBHAI RATHOD, MR. VIVEK ASHOK K

कोटा : कार हादसे में एक परिवार के तीन लोगों समेत चार की मौत

कोटा, 7 मई, (भाषा)।

राजस्थान के कोटा जिले में मंगलवार रात एक कार के खंभे से टकरा जाने से एक परिवार के तीन लोगों सहित चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि यह हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उस समय हुआ जब कार में सवार एक दंपति और उनकी बेटी, कार चालक और एक अन्य व्यक्ति गुजरात से उत्तर प्रदेश जा रहे थे।

रामगंज मंडी थानाधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि कार सन खेड़ी पुलिया के पास एक्सप्रेस वे पर एक खंभे (स्पीडोमीटर पोल) से टकरा गई।

उन्होंने बताया कि हादसे में सतीश चंद गोयल (45), उनकी पत्नी कुसुम और कार चालक शैलेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दंपति की बेटी रितिका (20) की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई।

भारत में 300 से अधिक उड़ानें रद्द, 25 हवाई अड्डे अस्थाई रूप से बंद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली/मुंबई, 7 मई।

भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण 300 से अधिक उड़ाने रद्द कर दी गई हैं और श्रीनगर समेत कम से कम 25 हवाई अड्डों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है।

एअर इंडिया, इंडिगो, स्पाइसजेट, एअर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एअर और कुछ विदेशी एअरलाइन ने विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी सेवाएं रद्द कर दी हैं। सूत्रों ने बताया कि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में कम से कम 25 हवाई अड्डों को अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है। इनमें श्रीनगर, लेह, जम्मू, अमृतसर, पठानकोट, चंडीगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, शिमला, धर्मशाला और जामनगर शामिल हैं। यहां एक सूत्र के अनुसार, एअरलाइन द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों से आने-जाने वाली 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

इंडिगो ने कहा कि उसने हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 10 मई की सुबह तक अमृतसर और श्रीनगर सहित विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों से 165 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं।

सूत्रों ने बताया कि एअर इंडिया समूह - एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस - की लगभग 140 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एअरलाइन ने कहा, 'जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट हवाई अड्डों के बंद होने की विमानन अधिकारियों की अधिसूचना के बाद इन स्टेशन से आने-जाने वाली एअर इंडिया की उड़ानें 10 मई को भारतीय समयानुसार सुबह पांच बजकर 29 मिनट तक रद्द की जा रही हैं।'

इंडिगो ने एक बयान में कहा, 'हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों पर सरकारी अधिसूचना के कारण, कई हवाई अड्डों (अमृतसर, बीकानेर, चंडीगढ़, धर्मशाला, ग्वालियर, जम्मू, जोधपुर, किशनगढ़, लेह, राजकोट और श्रीनगर) से 165 से अधिक इंडिगो उड़ानें 10 मई 2025 को सुबह पांच बजकर 29 मिनट तक रद्द कर दी गई हैं।' इंडिगो प्रतिदिन लगभग 2,200 उड़ानों का परिचालन करती है।

बम की धमकी के बाद इंडिगो के विमान की मुंबई में आपात लैंडिंग

चंडीगढ़ से उड़ान भरने वाले इंडिगो के एक विमान ने बम होने की धमकी मिलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात लैंडिंग की। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के अनुसार, हवाई अड्डे के 'हाटलाइन नंबर' पर मंगलवार को बम होने की धमकी वाला फोन आया था। मुंबई हवाई अड्डे के सूत्र ने बताया, 'इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-6382 में बम होने संबंधी धमकी के कारण हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष ने मंगलवार को अपराह्न 2:32 बजे पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया।' सूत्र ने विमान में मौजूद लोगों की संख्या का खुलासा किए बिना बताया कि विमान दोपहर 14.57 बजे सुरक्षित रूप से उतरा और सुरक्षा प्रोटोकाल के अनुसार जांच के लिए उसे एक अलग स्थान पर ले जाया गया।

कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद मध्यप्रदेश में पांच छात्रों ने दी जान

भोपाल, 7 मई (भाषा)।

मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पांच छात्रों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (एमपीबीएसई) ने मंगलवार सुबह कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। कुल 74.48 फीसद छात्र कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद विदिशा जिले में दो और भिंड, सतना और दमोह जिलों में एक-एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि विदिशा में कक्षा 12वीं के छात्र शशांक शर्मा ने सलामतपुर के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली।

उसके पिता ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि शशांक परिणाम घोषित होने के बाद किसी काम से विदिशा के पूरनपुरा इलाके में स्थित अपने घर से बाहर निकला था। उन्होंने बताया कि 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' (नीट) की तैयारी कर रहे शशांक को 12वीं कक्षा में गणित में कम अंक मिले थे। विदिशा में एक अन्य घटना में, जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर गंज बासौदा में 12वीं के छात्र अतुल सेन ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी कलक्टर से कहा, जेल जाओ या अवनति स्वीकारो

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार या नायब तहसीलदार बनने का प्रस्ताव दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गरीबों के घर गिराने का है मामला।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा है कि अगर वह नीचे के पद पर जाने के लिए सहमत नहीं तो दो महीने के लिए जेल जाने को तैयार रहें। हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गरीबों के घर गिराने के मामले में इस अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त रवैया अपनाया है। टाटा मोहन राव ने आठ जनवरी, 2014 को गुंटूर में तहसीलदार के पद पर काम करते समय 80 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ जाकर गरीबों के घर गिरवाए थे। इन लोगों को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी हुई थी। हाई कोर्ट ने इसे अपनी अवमानना करार देते हुए राव को दो महीने की सजा दी थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में पीठ ने पूछा था कि इस अधिकारी की भर्ती किस पद पर हुई थी।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा — प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की **माँग सूचना 13(2)**

दिलशाद गार्डेन शाखा, सी-14, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली-110095

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से नीचे वर्णित ऋणधारकों/गारंटरों द्वारा प्राप्त की गई ऋणों के संदर्भ में जो नीचे वर्णित तिथि को शेष वर्णित बकाया देयता के साथ एनपीए हो गया है। हमने नीचे वर्णित रूप में आपको पंजीकृत डाक/स्पीड डाक/उपयुक्त अभिस्वीकृति के साथ कूरियर द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को विस्तृत मांग सूचना जारी की थी जो अनडिलीवर्ड वापस आ गई / अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। आपके द्वारा 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि के भुगतान में विफल होने की स्थिति में हमने अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व की प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने की अपनी मंशा दर्शाई थी। यहाँ ऊपर निर्दिष्ट देयताओं को आपके द्वारा निष्पादित नहीं करने की स्थिति में बैंक/प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जायेगा तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत वांछित रूप में कब्जा सूचना/नीलामी सूचना इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रूप से प्रकाशित करने के समय में बैंक/प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा आपका फोटोग्राफ भी प्रकाशित किया जा सकता है। विवरण इस प्रकार है:

प्रतिभूत परिसम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	ऋणधारक / गारंटर का नाम एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	उधारकर्ता: मैसर्स एसके एंटरप्राइजेज प्रोप.: फातमा बेगम पता: एच. नं. 371 बी, गली नं. 5, केएच नं. 370 न्यू कर्दमपुरी उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली-94 श्रीमती फातमा बेगम (मालकिन) पता: ए-2/16, गली नं. 3, विशाल मेगा मार्ट के पास, कबीर नगर, गोकलपुर, दिल्ली-94 पता: एच-126, खसरा संख्या 728/127, गली नंबर 5, कबीर नगर, ग्राम सिकंदरपुर, शाहदरा, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110094 (खाता संख्या 31680400000476) ऋण खाता को 27.04.2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	मांग नोटिस दिनांक 30.04.2025 रु.39,99,945.01 (रुपये उन्तालीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ पैंतालीस और एक पैसा मात्र) 28.04.2025 से प्रभावी अप्रयुक्त ब्याज अप्रदत्त ब्याज, भावी ब्याज प्लस एनपीए की तिथि यानी 27.04.2025 से वसूली तक अन्य लागत, शुल्क और व्यय।	स्टॉक और बुक ऋणों का दृष्टिबंधन स्टॉक की प्रकृति - कपड़ों का विनिर्माण और ऑनलाइन व्यापार, यूनिट का पता : एच. नं.371 बी, गली नं.5, केएच नं.370 न्यू कर्दमपुरी उत्तर पूर्व दिल्ली, दिल्ली-110094

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

उपरोक्त ऋणधारकों / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक एवं सम्पूर्ण विवरणों के लिए मूल सूचना अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें तथा (2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्यवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि, ब्याज एवं लागतों आदि का भुगतान करें।

दिनांक: 07/05/2025 स्थान: नई दिल्ली — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिलशाद गार्डेन शाखा, नई दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा — प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की **माँग सूचना 13(2)**

दिलशाद गार्डेन शाखा, सी-14, दिलशाद कॉलोनी, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली-110095

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना।

बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से नीचे वर्णित ऋणधारकों/गारंटरों द्वारा प्राप्त की गई ऋणों के संदर्भ में जो नीचे वर्णित तिथि को शेष वर्णित बकाया देयता के साथ एनपीए हो गया है। हमने नीचे वर्णित रूप में आपको पंजीकृत डाक/स्पीड डाक/उपयुक्त अभिस्वीकृति के साथ कूरियर द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित तिथि को विस्तृत मांग सूचना जारी की थी जो अनडिलीवर्ड वापस आ गई / अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। आपके द्वारा 60 दिनों के भीतर नीचे वर्णित राशि के भुगतान में विफल होने की स्थिति में हमने अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व की प्रतिभूतियों को कब्जे में लेने की अपनी मंशा दर्शाई थी। यहाँ ऊपर निर्दिष्ट देयताओं को आपके द्वारा निष्पादित नहीं करने की स्थिति में बैंक/प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के माध्यम से प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग किया जायेगा तथा सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत वांछित रूप में कब्जा सूचना/नीलामी सूचना इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य रूप से प्रकाशित करने के समय में बैंक/प्रतिभूत क्रेडीटर द्वारा आपका फोटोग्राफ भी प्रकाशित किया जा सकता है। विवरण इस प्रकार है:

प्रतिभूत परिसम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	ऋणधारक / गारंटर का नाम एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि एवं बकाया राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	ऋणधारक: मैसर्स दा बुल इंटरनेशनल प्रो.: सौरभ दयाल पता: ग्राउंड फ्लोर, 10/120, शंकर गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032श्री सौरभ दयाल (प्रोप्राइटर) पता: 73 घोंडली गाँव, गीता कॉलोनी थाने के पास, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110051(खाता संख्या: 31680400000465) ऋण खाता को 27.04.2025 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	मांग नोटिस दिनांक 30.04.2025 रु. 20,10,809.93(बीस लाख दस हजार आठ सौ नौ रुपये तिरानबे पैसे मात्र) + बिना लागू किया गया ब्याज + अप्रदत्त ब्याज + भविष्य का ब्याज दिनांक 28.04.2025 से + अन्य लागतें, शुल्क और खर्च एनपीए की तिथि 27.04.2025 से वसूली तक।	स्टॉक और बुक डेब्ट्स पर हाइपोथीकेशन स्टॉक का प्रकार - बच्चों की ट्राइसाइकल, बेबी कार्ट और अन्य वस्तुओं का व्यापार पता: ग्राउंड फ्लोर, 10/120, शंकर गली, विश्वास नगर, नई दिल्ली, शाहदरा, दिल्ली-110032

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

उपरोक्त ऋणधारकों / गारंटरों को सलाह दी जाती है कि (1) अधिक एवं सम्पूर्ण विवरणों के लिए मूल सूचना अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें तथा (2) सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्यवाई से बचने के लिये उपरोक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि, ब्याज एवं लागतों आदि का भुगतान करें।

दिनांक: 07/05/2025 स्थान: नई दिल्ली — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, दिलशाद गार्डेन शाखा, नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

अंचल कार्यालय : गाजियाबाद अंचल, पता: बी-32, सेक्टर-62, नोएडा-201307

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी ऐक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है।

यह मांग सूचना वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि आपको जो हाउसिंग लोन की स्वीकृत हुई थी उसमें बकाया राशि को मांग सूचना की तिथि **02-05-2025** बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान कर दें। हमने निम्नलिखित पते पर जो कि बैंक के रिकार्ड में हैं पर सूचित किया है परन्तु वापस आ गए हैं। अतः यह सूचना प्रकाशित की गई है।

यह सूचना आपके ऋण खाते में मूल एवं ब्याज के न चुकाने के कारण जारी की जा रही है एवं आर. बी. आई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपके खाते में देय बैंक द्वारा एन.पी.ए. के रुप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

यदि आप नीचे दर्शाई गयी राशि भविष्य में लगने वाले ब्याज एवं अन्य खर्चों आदि के साथ, धारा 13(2) के मांग सूचना पत्र के अनुसार बैंक को चुकाने में असमर्थ रहते हैं तो बैंक उपरोक्त एक्ट की धारा 13 के उपनियम 4 के अंतर्गत प्राप्त सभी या किसी भी प्रदत्त अधिकार का उपयोग खाते में वसूली हेतु कर सकता है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार, सुरक्षित परिसंपत्तियों के रिडेम्शन का अधिकार केवल सार्वजनिक नीलामी के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख तक या सार्वजनिक या निजी संधि से हस्तांतरण के लिए उद्धरण या सुरक्षित परिसंपत्तियों के पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री निविदा आमंत्रित करने तक ही उपलब्ध होगा

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप धारा 13 के अंतर्गत आप निम्नांकित सम्पत्तियों का बैंक से पूर्व लिखित स्वीकृती के बिना संबंधित सौदा न करें (जैसे कि संपत्ति को बेचना, पटटे पर देना या किसी और तरीके से)। यह सूचना बैंक बिना किसी पुर्वाग्रह के जारी कर रहा है एवं बैंक डी.आर.टी. अथवा अन्य किसी न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकता है।

कर्जदार/गारन्टर के नाम एवं पता	बंधक/दृष्टिबंधक संपत्ति का विवरण	बकाया राशि (रुपये में)
1.) श्रीमती अनीता देवी पत्नी स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ (उधारकर्ता स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ की कानूनी वारिस) 2.) श्री शिवम जाखड़ पुत्र स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ (उधारकर्ता स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ के कानूनी वारिस) 3.) श्रीमती राखी पुत्री स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ (उधारकर्ता स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ की कानूनी वारिस) 4.) श्रीमती पूजा पुत्री स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ (उधारकर्ता स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ की कानूनी वारिस) 5.) श्रीमती भावना पुत्री स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ (उधारकर्ता स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ की कानूनी वारिस) सभी का पता : पता 1- बी 202/22, आवास विकास कॉलोनी हापुड़, यूपी-245101 पता 2- प्लॉट नं. 33मी का हिस्सा, खसरा नं. 2292मी, 2293मी, 2293मी, 2291मी, 2291मी, 2295/1मी, 2290मी और 2296/2मी, मोहल्ला-सर्वोदय कॉलोनी, असौदा, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिला हापुड़, यूपी-245101 पता 3-प्लॉट नं. 32, खसरा नं. 2292मी, 2293मी, 2293मी, 2291मी, 2291मी, 2295/1मी, 2290मी और 2296/2मी, मोहल्ला-सर्वोदय कॉलोनी, असौदा, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिला हापुड़, यूपी-245101 पता 4- प्लॉट नं. 41, खसरा नं. 2291मी और 2296मी, मोहल्ला- सर्वोदय कॉलोनी, असौदा, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिला हापुड़, यूपी-245101 पता 5- मकान / प्लॉट नं.2877, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड़ यूपी-245101 सम्पत्ति समक्ष ऋण खाता सं. 720762610000010 & 720762610000020 मांग सूचना की तारीख : 02-05-2025 एनपीए की तिथि : 29-12-2024	i.) फ्रीहोल्ड स्कूल भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट सं. 33मी का भाग, खसरा सं. 2292मी, 2293मी, 2293मी, 2291मी, 2291मी, 2295/1मी, 2290मी और 2296/2मी, मोहल्ला-सर्वोदय कॉलोनी, असौड़ा, जिला हापुड़, क्षेत्रफल 229.278 वर्ग मी. (लगभग) स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ पुत्र रिछ पाल सिंह के नाम पर (बिक्री विलेख 2256-दिनांक 11.05.2001 के अनुसार)। सीमाएं- विलेख के अनुसार - उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, भुजा 21.50 फीट, दक्षिण: ट्यूबवेल कॉलोनी, भुजा 21.50 फीट, पूर्व: अन्य का प्लॉट/भुजा 117 फीट, पश्चिम: अनीता देवी के नाम पर प्लॉट नं.33मी, भुजा 112.50 फीट ii.) फ्रीहोल्ड स्कूल भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट सं. 33मी का भाग, खसरा सं. 2292मी, 2293मी, 2293मी, 2291मी, 2291मी, 2295/1मी, 2290मी और 2296/2मी, मोहल्ला-सर्वोदय कॉलोनी, असौड़ा, जिला हापुड़, क्षेत्रफल 220.287 वर्ग मी. (लगभग) श्रीमती अनीता देवी पत्नी सरजीत सिंह जाखड़ के नाम पर (बिक्री विलेख 2255 दिनांक 11.05.2001 के अनुसार) सीमाएं:- विलेख के अनुसार उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, भुजा 21.50 फीट, दक्षिण: ट्यूबवेल कॉलोनी, भुजा 21.50 फीट, पूर्व: सरजीत सिंह/भुजा के नाम पर 33मी का प्लॉट 112.50 फीट, पश्चिम: प्लॉट नं. 32, भुजा 108 फीट iii.) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं.32, खसरा नं.2292मी, 2293मी, 2293मी, 2291मी, 2291मी, 2295/1मी, 2290मी और 2296/2मी, मोहल्ला-सर्वोदय कॉलोनी, असौदा, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश-245101, क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर (लगभग) स्वर्गीय सरजीत सिंह जाखड़ पुत्र रिछ पाल सिंह के नाम पर (बिक्री विलेख 2696 दिनांक 31.05.2002 के अनुसार) सीमाएं:- विलेख के अनुसार - उत्तर: रास्ता 30 फीट चौड़ा, भुजा 45 फीट, दक्षिण: ट्यूबवेल कॉलोनी, भुजा 45 फीट, पूर्व: अन्य की संपत्ति/भुजा 20.00 फीट, पश्चिम: प्लॉट नं.33, भुजा 20 फीट iv.) फ्रीहोल्ड स्कूल भवन का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट सं. 41 का हिस्सा, खसरा सं. 2291मी और 2296मी, मोहल्ला- सर्वोदय कॉलोनी, असौदा, होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल, जिला हापुड़, यूपी-245101 50.00 वर्ग गज (लगभग) श्रीमती अनीता देवी पत्नी सरजीत सिंह जाखड़ के नाम पर (बिक्री विलेख 15252 दिनांक 04.12.2009 के अनुसार)। सीमाएं: विलेख के अनुसार - उत्तर: श्रीमती प्रेमवती के नाम पर प्लॉट सं. 41 का शेष भाग, भुजा 30 फीट, दक्षिण: होली चाइल्ड स्कूल/भुजा के नाम पर प्लॉट का शेष भाग 30 फीट, पूर्व: सावित्री देवी का प्लॉट/भुजा 15 फीट, पश्चिम: अन्य का प्लॉट/भुजा 15 फीट	रु. 16,44,704.94 (रु. सोलह लाख चौवालीस हजार सात सौ चार और पैसे चौरान्वे मात्र) (नोटिस की तिथि तक संविदात्मक बकाया) और भविष्य का ब्याज इत्यादि

दिनांक : 07-05-2025, स्थान : हापुड़ — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया (संजय विहार, शाखा)

उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक
आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

आंचलिक कार्यालय: 9बी, पूसा रोड, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली, पिनकोड-10060,
पंजीकृत कार्यालय: उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.- 221105

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता/गण अपने द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधान एवं ब्याज का प्रतिभुगतान करने में चूक कर चुके हैं और इसीलिए ऋण अनिष्पादनीय परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिए गए हैं। उनके द्वारा बैंक को उपलब्ध कराए गए अनुसार उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उन्हें सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जो कि निम्नवर्णित उक्त ऋणकर्ताओं की जानकारी के उद्देश्यों हेतु सूचना के अतिरिक्त है, और इसीलिए उक्त ऋणकर्ताओं को उसके बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाता का नाम	ऋणकर्ता/गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी)	एन.पी.ए. तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1.	हरिद्वार	आशीष भाटिया खाता संख्या 1397060000006021	श्री आशीष भाटिया पुत्र श्री ओमप्रकाश भाटिया (उधारकर्ता), सुश्री अदिति भाटिया पत्नी श्री ओमप्रकाश भाटिया (उधारकर्ता/बंधककर्ता)	05.04.2025	रु. 63,33,453/-

संपत्ति/यों का विवरण: आवासीय संपत्ति का वह समस्त हिस्सा एवं अंश जिसमें भूतल पर एक दुकान है, जिसका क्षेत्रफल 309.9 वर्ग फीट यानी 28.80 वर्ग मीटर है, खाता संख्या-2/2,मोहल्ला कुट्टीमारन, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर तहसील और जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-249407 में स्थित है। संपत्ति की **सीमाएँ- पूर्व:** जैन मंदिर की संपत्ति **उत्तर:** सड़क **पश्चिम:** राकेश का घर, **दक्षिण:** बिजेंद्र शर्मा का घर।

उपरोक्त ऋणकर्ता/ओं तथा/अथवा उनके गारंटरों (जहां कहीं लागू हैं) को सलाह है कि वे धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के निर्गतन की तिथि से 60 दिवसों की अवधि के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर धारा 13(2) के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार सूचना के निर्गतन की तिथि से 60 दिवसों की समाप्ति के उपरांत भावी कार्रवाइयां की जाएंगी।

दिनांक: 08.05.2025 — हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: उत्तराखंड — (शरवणु दत्ता)

उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक
आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट मार्ग), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221 105

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(2) के अंतर्गत

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना

एतद्द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने यहाँ इसमें इसके बाद निम्न तालिका में वर्णितानुसार प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर एक माँग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ताओं को बकाया राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। चूंकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा अधोवर्णित ऋणकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्तियों का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथि पर अधिग्रहण कर लिया है। अतः अब ऋणकर्ताओं को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप से सावधान किया जाता है कि संपत्तियों का लेन-देन न करें तथा संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहाँ इसमें निम्न तालिका में प्रत्येक खाता के समक्ष निम्नानुसार अंकित बकाया धनराशि और इस राशि पर नियत ब्याज हेतु उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	खाता का नाम	उधारकर्ता / गारंटर का नाम (संपत्ति के स्वामी)	माँग सूचना की तिथि	अधिग्रहण सूचना की तिथि	माँ सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि
1	1363050000000035 & 1363050000000043	श्री राज बहादुर मौर्य (उधारकर्ता / बंधककर्ता) श्रीमती रीता (सह-उधारकर्ता)	04/02/2025	03/05/2025	रु. 7,99,171/- और रु. 3,91,664/- दिनाँक 03/02/2025 के अनुसार

संपत्ति / यों का विवरण : (संपत्ति के समस्त भागों एवं अंशों में निम्न समाविष्ट है) : चकबंदी के दौरान अरजी संख्या 485/-11 दशमलव वाली भूमि के

मीठी नदी गाद निकासी घोटाले में दो गिरफ्तार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

महाराष्ट्र में मीठी नदी गाद निकासी घोटाले के सिलसिले में कथित बिचौलिये सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान केतन कदम और जय जोशी के रूप में हुई है।

मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा की विशेष जांच टीम ने मंगलवार को कदम और जोशी के आवास तथा कार्यालय के साथ-साथ बीएमसी अधिकारियों प्रशांत रामगुडे और गणेश बेंद्रे एवं कुछ ठेकेदारों के आवास और कार्यालय पर भी छापेमारी की थी। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के बाद कदम और जोशी को हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कदम और जोशी कथित तौर पर मैटप्राप नामक कंपनी की गाद निकालने वाली मशीनों को ठेकेदारों को किराए पर देने की प्रक्रिया में शामिल थे। मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है। आरोप है बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) अधिकारियों ने गाद निकालने के ठेके के लिए निविदा को इस तरह से तैयार किया कि इससे मशीनों के एक विशेष आपूर्तिकर्ता को लाभ पहुंचे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला

पांच आइआइटी की शैक्षणिक क्षमता व ढांचा बढ़ाने को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 7 मई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्थापित पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता (चरण-बी निर्माण) के विस्तार को स्वीकृति दी। आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रस्तावित विस्तार की कुल लागत 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में 11,828.79 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्रिमंडल ने इन आइआइटी में प्रोफेसर स्तर के 130 संकाय पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी।

बयान के अनुसार, उद्योग-अकादमिक संबंधों को मजबूत करने के लिए पांच नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क बनाए जा रहे हैं। ये आइआइटी आंध्र प्रदेश (आइआइटी तिरुपति), केरल (आइआइटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आइआइटी भिलाई), जम्मू कश्मीर (आइआइटी जम्मू) व कर्नाटक (आइआइटी धारवाड़) हैं।

इनमें विद्यार्थियों की संख्या चार वर्षों में 6,500 से अधिक बढ़ेगी, जिसमें स्नातक (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी कार्यक्रम में प्रथम वर्ष में 1,364 विद्यार्थी, द्वितीय वर्ष में 1,738 विद्यार्थी, तृतीय वर्ष में 1,767 विद्यार्थी और चतुर्थ वर्ष में 1,707 विद्यार्थी बढ़ेंगे। बयान में कहा गया है कि निर्माण पूरा होने पर, ये पांच

> *2025-26* से 2028-29 की अवधि में प्रस्तावित विस्तार कुल लागत 11,828.79 करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्रिमंडल ने इन आइआइटी में प्रोफेसर स्तर के 130 संकाय पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी। पांच नए अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क बनाए जा रहे हैं।

आइआइटी 7,111 की वर्तमान विद्यार्थी संख्या की तुलना में 13,687 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे, यानी 6,576 विद्यार्थियों की वृद्धि होगी।

सीट की संख्या में वृद्धि के साथ, अब 6,500 से अधिक अतिरिक्त छात्र देश के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह कार्यबल का निर्माण करके, नवाचार को बढ़ावा देकर व आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देगा। यह सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता है, शैक्षिक असमानता को कम करता है व भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है।

आइआइटी परिसरों के विस्तार से आवास, परिवहन व सेवाओं की मांग बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में इनके विस्तार की घोषणा की थी। पलक्कड़ और तिरुपति में आइआइटी का शैक्षणिक सत्र 2015-16 में व शेष तीन आइआइटी का शैक्षणिक सत्र 2016-17 में उनके अस्थायी परिसरों से शुरू हुआ था।

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
क्षेत्रीय कार्यालयः अलीगढ़

(अचल सम्पत्ति का कब्जा नोटिस)

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित बकाएदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणीयों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणी/गारंटर को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार केनरा बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज व अन्य व्यय आदि हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लखित किया गया है के अध्याधीन होगा। अधिनियम के नियम 13 के उप नियम (8) के प्रावधान की ओर ऋणी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी सम्पत्ति को छुड़ा लें।

ऋणी/गारंटर का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	दि. मांग नोटिस	दि. कब्जा नोटिस	बकाया राशि (रू)
शाखाः गांधी पार्क, अलीगढ़				
ऋणी- श्री मनी राम पुत्र सुख राम, **सह-ऋणी/बंधककर्ता**- श्रीमती रिंकी देवी पत्नी मनी राम, **दोनों का पता**- पोस्ट देवी का नगला, असदपुर कयाम, अलीगढ़	संपत्ति जो कि गाटा नं. 620 का भाग, असदपुर कयाम, परगना एवं तहसील कोल, अलीगढ़, **एरिया**- 54.34 वर्ग मीटर, संपत्ति श्रीमती रिंकी देवी पत्नी श्री मनीराम के नाम, **चौहद्दीः** पूर्वः दीगर की संपत्ति, पश्चिमः रोशन लाल की संपत्ति, उत्तरः रास्ता 20 फीट चौड़ा, दक्षिणः दीगर की संपत्ति	18.12.2024	02.05.2025	13,23,374.44 दि. 15-12-2024 तक + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 08.05.2025 प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

दिल्ली आंचलिक कार्यालयः ग्राउंड फ्लोर, प्लेट बी ब्लॉक 04, एनबीसीसी ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली 110023, कानूनी विभाग फोनः (011) 26164817 / 26197769, फैक्स (011) 26171554; ई-मेलः legal_del@mahabank.co.in
मुख्य कार्यालयः लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे- 411005

Azadi Ka Amrit Mahotsav

अप्राप्त मांग सूचना

शाखा का नाम	उधारकर्ता का नाम और पता	सुरक्षा का विवरण	मांग नोटिस की तिथि
करोल बाग शाखा	1. **मैसर्स सय्याम इंटरप्राइजेज प्रोप : श्री. अंकुश मिगलानी पुत्र स्व. हरीश मिगलानी,** डब्लुजेड 105/बी/3, न्यू ए-157, ऋषि नगर, शकूरबस्ती, दिल्ली-110034 **इसके अलावाः मेसर्स सैयम एंटरप्राइजेज प्रोप.: श्री. अंकुश मिगलानी,** मकान नं. 261, चौथी मंजिल, सैनिक विहार, पीतम पुरा, दिल्ली-110034 **इसके अलावाः मेसर्स सैयम एंटरप्राइजेज प्रोप.: श्री. अंकुश मिगलानी,** फ्लैट नंबर 5-6, ज्वालाहेड़ी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063 **इसके अलावाः मेसर्स सैयम एंटरप्राइजेज प्रोप.: श्री. अंकुश मिगलानी,** 9-बी, ग्राउंड फ्लोर, जनक पैलेस शॉपिंग मॉल, जनकपुरी जिला केंद्र, दिल्ली-110058 **इसके अलावाः मेसर्स सैयम एंटरप्राइजेज प्रोप.: श्री. अंकुश मिगलानी,** एफ-9, प्रथम तल, जनक पुरी, दिल्ली-110058 2. **श्री. राजन मिगलानी पुत्र स्व. हरीश मिगलानी** मकान नंबर 261, चौथी मंजिल, सैनिक विहार, पीतम पुरा, दिल्ली-110034	**प्राथमिक सुरक्षाः** फर्म की संपूर्ण चालू परिसंपत्तियों का बंधक जिसमें कच्चा माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक और तैयार माल शामिल है जो फर्म के परिसर में और अन्यत्र पड़ा है, जिसका प्रतिनिधित्व माल के स्वामित्व के दस्तावेजों या किसी अन्य माध्यम से किया जाता है और तैयार माल जो माल के आपूर्तिकर्ताओं को किसी अन्य माध्यम से स्वामित्व के दस्तावेजों द्वारा दर्शाया जाता है, फर्म के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम और बुक डेट/प्राप्तियां आदि। **संपार्श्विक सुरक्षाः** ब्लॉक 5, WEA, करोल बाग, दिल्ली-110005' में म्यूनिसिपल नंबर 10530, प्लॉट नंबर 36 वाली संपत्ति के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर (छत के अधिकार के बिना) पर स्थित वाणिज्यिक संपत्ति/दुकान के समतुल्य बंधक के माध्यम से अतिरिक्त प्रभार **CERSAI ASSET ID: 200032910069**	25.04.2025 **मांग नोटिस के प्रेषण की तिथि पंजीकरण/स्पीड पोस्ट के अनुसार** 25.04.2025 **मांग नोटिस के अनुसार देय कुल राशि** **रु. 50,32,454/- (पचास लाख बत्तीस हजार चार सौ चौवन रुपये मात्र) + 25.04.2025 से आगे 10.55% प्रति वर्ष की दर से ब्याज + एनपीए की तिथि अर्थात 15.04.2025 से अब तक की लागत, शुल्क एवं व्यय** *** संपत्ति पर श्री अंकुश मिगलानी और श्री राजन मिगलानी की करोल बाग शाखा से दिनांक 24.07.2019 को लिए गए टर्म लोन के लिए 70.00 लाख रुपये का प्राथमिक प्रभार है।**

हमने आपको वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के अंतर्गत स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक द्वारा विस्तृत मांग नोटिस पहले ही जारी कर दिया है, जिसे बिना वितरित किए/अस्वीकार कर दिया गया है। आप अपने लिए संबोधित मूल नोटिस/कवर को नीचे हस्ताक्षरकर्ता और/या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करोल बाग शाखा, दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं और आपको यह भी सलाह दी जाती है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त उल्लिखित कुल बकाया राशि ब्याज और लागत आदि के साथ 60 दिनों के भीतर चुका दें। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम-2002 के प्रावधान के अनुसार हमारी आगे की कार्रवाई बैंक के कुल बकाया राशि के पुनर्भुगतान तक जारी रहेगी।

दिनांकः 07.05.2025 हस्ता/-
स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

नई दिल्ली

Bank of India
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : दिल्ली एनसीआर जोन
बत्रा हाउस, प्लॉट नंबर 52, सेक्टर 32,
इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम-122003, हरियाणा
फोन : 0124-2388404/2388409

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

चल सम्पत्तियों के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के परंतुक और अचल सम्पत्तियों के लिए नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित निम्नवर्णित चल/अचल सम्पत्ति(यां), जिसका/जिनका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा प्रत्याभूत लेनदार के रूप में बैंक ऑफ इंडिया की निम्नवर्णित शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, संबंधित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) की तरफ बैंक/प्रत्याभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली के लिए 27-05-2025 को **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है", "जो भी है वहां है" तथा "कोई उपाय नहीं"** आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा नीचे तालिका में संबंधित खाते/सम्पत्ति के सामने वर्णित की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बिक्री वेब पोर्टल https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय
फरीदाबाद एसएमई शाखाः एससीओ, 60, हुडा मार्केट, सेक्टर 31, फरीदाबाद 121003, मोबाइलः 9567348600 ई-मेलः faridabadsme.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोडः BKID0006703, खाता संख्या 670390200000033 खाता नाम : इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट					
1	उधारकर्ताः श्री थांडी राम (मृतक) श्रीमती मीरा (गारंटर)	एमसीएफ 1021, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, जो कि रमेश कॉलोनी, सेहतपुर एक्सटेंशन, तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित रेक्ट नं. 23, किला नं. 13/1 का हिस्सा जो स्वर्गीय श्री ठंडी राम के नाम पर है। उत्तर में - गली, दक्षिण में - अन्य संपत्ति, पूरब में - अन्य संपत्ति, पश्चिम में - अन्य संपत्ति	रु. 27.91 लाख + ब्याज + अन्य शुल्क 02.08.2022 23.01.2023 / सांकेतिक कब्जा	रु. 84.40 लाख रु. 8.44 लाख रु. 10,000/-	27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे
2	सुश्री सुवती शर्मा	मकान संख्या 1169/744, दया कॉलोनी, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से युक्त संपत्ति का वह सारा भाग संपत्ति आईडी पी07005900397, माप 40 वर्ग गज क्षेत्रफल, नगर निगम फरीदाबाद की सीमा के भीतर स्थित, राजस्व संपदा मौजा ऊंचागांव की सीमा के भीतर स्थित, मुस्तकिल नंबर 55, किला नंबर 22, 21/1/12, 23/2 मुस्तकिल नंबर 58, किला नंबर 1, 2 मुस्तकिल नंबर 55, किला नंबर 3, 20/1, मुस्तकिल नंबर 57, किला नंबर 6, मुस्तकिल नंबर 55, किला नंबर 8/1, 8/2, 13, 18, 21/2, का स्वामित्व और कब्जा सुवती शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा के पास है। सीमाएं उत्तर अन्य की संपत्ति, दक्षिण : सड़क, पूर्व : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : अन्य की संपत्ति	रु. 10,08,000/- + ब्याज + अन्य शुल्क 04.12.2023 02.03.2024 / सांकेतिक कब्जा	रु. 10,73,000/- रु. 1,07,300/- रु. 10,000/-	27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे
फरीदाबाद (एम) शाखा :- 1जी/52, बीपी एनआईटी फरीदाबाद- 121101 एम : 8839100471, ई-मेल : faridabad.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोड : BKID0006700] खाता नंबर : 670090200000033, खाता नाम : इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट					
3	श्रीमती प्रीति शर्मा एवं श्री वीरेश शर्मा	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 1424/87, गली नंबर 3, निकट चाचा चौक, संजय कालोनी, सोहना रोड, फरीदाबाद (हरियाणा), परिमाप 80 वर्ग गज, श्रीमती प्रीति शर्मा पत्नी श्री वीरेश शर्मा तथा श्री वीरेश शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा द्वारा स्वाधिकृत। चौहद्दी - पूरब : मकान नंबर 1423/87, पश्चिम : खाली प्लॉट, उत्तर : रास्ता 18 फीट, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति	रू. 17,24,695.12 + ब्याज + उस पर अन्य प्रभार 10-10-2023 01-06-2024 /सांकेतिक कब्जा	रू. 19.42 लाख रू. 1,94,200/- रू. 10,000/-	27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे
4	श्री अनिल कुमार सिंघला एवं श्रीमती बबीता	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय सम्पत्ति मकान नंबर 2240 का दक्षिणी भाग, खेवट खाता नंबर 68/334 में शामिल, रेक्ट नंबर 7, किला नंबर 23, न्यू पर्वतीय कालोनी-I, मौजा गौंची, उप-तहसील गौंची, जिला फरीदाबाद (हरियाणा), परिमाप 47 वर्ग गज, श्रीमती बबीता पत्नी श्री अनिल कुमार सिंघला द्वारा स्वाधिकृत। चौहद्दी - पूरब : रोड, पश्चिम : सम्पत्ति का शेष भाग, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रोड	रू. 19,27,806.47 + ब्याज + उस पर अन्य प्रभार 06-04-2021 21-03-2022 /सांकेतिक कब्जा	रू. 14.85 लाख रू. 1,48,500/- रू. 10,000/-	27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे
पलवल शाखा : बाला जी निवास, निकट राहुल नर्सिंग होम, 59 क्लब दिल्ली मथुरा रोड, पलवल, 121102 एम : 7042176228, ई-मेल : palwal.delhincr@bankofindia.co.in आईएफएससी कोड : BKID0006735] खाता नंबर : 673590200000033, खाता नाम : इंटरमीडियरी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस अकाउंट					
5	मैसर्स महेन्द्र जनरल स्टोर (स्वामी : श्री महेन्द्र सिंह चौहान) एवं श्री महेन्द्र सिंह चौहान, गारंटर - श्रीमती प्रेम बती	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खसरा नंबर 1451/1/1/3 (12-10) देव नगर, बाईपास रोड, इलाहाबाद बैंक (अब इंडियन बैंक) के दक्षिण, पलवल, कुल क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, पलवल नगर परिषद की सीमांतर्गत, तहसील एवं जिला पलवल, श्री महेन्द्र सिंह पुत्र फकीर चंद द्वारा स्वाधिकृत। चौहद्दी - पूरब : मुकेश कुमार का मकान, पश्चिम : रेवती प्रशाद का मकान, उत्तर : अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : रास्ता	रू. 38,65,918.85 + ब्याज + उस पर अन्य प्रभार 05-06-2021 29-12-2021 /सांकेतिक कब्जा	रू. 29.70 लाख रू. 2,97,000/- रू. 10,000/-	27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
1. बिक्री **"जैसी है जहां है", "जैसी है जो है आधार", "जो भी है वहां है आधार" तथा "कोई उपाय नहीं आधार"** पर की जाएगी तथा ई-नीलामी पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से "ऑनलाइन" संचालित की जाएगी।
2. ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें वेबसाइट (क) https://www.bankofindia.co.in, (ख) https://baanknet.com में उपलब्ध हैं। बोलीदाता https://baanknet.com देखें जिसमें बोलीदाताओं के लिए "दिशानिर्देश" शिक्षा-वीडियोज के साथ उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पर्याप्त अग्रिम में पूरी करनी होंगी :
स्टेप 1. बोलीदाता/क्रेता पंजीकरण : बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी का उपयोग करते हुए ई-नीलामी प्लेटफार्म (लिंक ऊपर दिया गया है) पर पंजीकरण करवाना होगा।
स्टेप 2: ईएमडी राशि का बिडर ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में अंतरण : निधियों का ऑनलाइन/ऑफलाइन अंतरण, एनईएफटी/अंतरण विधि का प्रयोग करते हुए, ई-नीलामी प्लेटफार्म पर जनित चालान का प्रयोग करते हुए।
स्टेप 3 : बोलीदाता प्रक्रिया और नीलामी परिणाम : इच्छुक पंजीकृत बोलीदाता स्टेप 1 तथा 2 पूरा करने के बाद ई-नीलामी प्लेटफार्म पर ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार सम्पत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया तथा सम्पत्ति के स्वामित्व, ऋणभारों इत्यादि के संबंध में स्वयं स्वतंत्र रूप से जांच कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ऐसा करता माना जाएगा। सम्पत्ति सभी ज्ञात एवं अज्ञात वर्तमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकार/प्रतिभूत लेनदार किसी भी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री के लिए प्रस्तुत सम्पत्ति के संबंध में ऑनलाइन बोली देने के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. ऑनलाईन ई-नीलामी की तिथि **27.05.2025 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच होगी।**
5. ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की **अंतिम तिथि एवं समय 26.05.2025।**
6. निरीक्षण की **तिथि 26.05.2025 को या उससे पहले होगी दोपहर 1.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच। उपयुक्त शाखा में पूर्वअनुमति के साथ।**
7. बोली केवल ऑनलाइन विधि से प्रस्तुत की जाएगी।
8. बोली मूल्य सुरक्षित मूल्य से अधिक प्रस्तुत किया जाएगा तथा बोलीदाता अपनी बोली उपरिवर्णितानुसार गुणजों में बढ़ा सकते हैं।
9. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली देने तथा ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी के विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।
10. यह माना जाएगा कि बोलीदाता बिक्री के नियम एवं शर्तें पढ़ चुके हैं और उनसे बाध्य होंगे।
11. अपनी बोली देने से पहले सम्पत्ति का निरीक्षण करने और अपनी संतुष्टि करने की जिम्मेदारी स्वयं इच्छुक बोलीदाताओं की होगी।
12. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्रतिफल के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
13. धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री राशि की 25 प्रतिशत राशि (पहले जमा की जा चुकी ईएमडी सहित) नीलामी उसके पक्ष में छूटते ही तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी तथा शेष राशि बिक्री की तिथि से 15वें दिन को या पहले जमा करनी होगी। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि सफल बोलीदाता क्रय मूल्य की अदायगी निर्धारित अवधि के भीतर करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की जा चुकी पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति की नीलामी दोबारा की जाएगी। चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति/राशि के संबंध में सभी दावे जब्त माने जाएंगे।
14. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा ई-नीलामी सेवा प्रदाता किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली फेल होने/किसी अन्य तकनीकी गड़बड़ी/विफलता इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से ई-नीलामी आयोजन में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए पर्याप्त पावर बैक इत्यादि सहित तकनीकी दृष्टि से समुचित तैयारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।
15. क्रेता को लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क/नीलामी मूल्य पर टीडीएस/अन्य प्रभार इत्यादि, अन्य प्रभार, तथा किसी निकाय को देय सभी सांविधिक/गैर-सांविधिक देयताएं, कर, आकलन प्रभार आदि वहन करने होंगे।
16. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा उसका, अपने विवेकानुसार बिना कोई कारण बताए, कोई भी या सभी बोलियां अस्वीकार करने अथवा ई-नीलामी निश्चित अथवा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने/निरस्त करने, सम्पत्ति या उसका कोई भाग नीलामी से वापस लेने अथवा नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।
17. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता(ओं)/आवेदक(कों) के नाम में जारी किया जाएगा तथा किसी भी अन्य नाम(मों) को जारी नहीं किया जाएगा।
18. बिक्री वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। बिक्री के नियमों/शर्तों के संबंध में इसके अतिरिक्त विवरण/पूछताछ यदि कोई है, संबंधित शाखाओं से, उनके दिए गए सम्पर्क नंबरों पर, की जा सकती है।
19. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः https://www.bankofindia.co.in / https://baanknet.com में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के तहत
कर्जदार/रों तथा गारंटर/रों को वैधानिक 15 दिन की वैधानिक बिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरी को, बैंक ऑफ इंडिया का प्राधिकृत होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और तदधीन विरचित नियमों के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा बिक्री की यह सूचना जारी करने हेतु पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आपने बैंक द्वारा मंजूर की गई उपरिवर्णित अग्रिम राशियों के संबंध में बकाया राशि, मासिक अंतराल पर ब्याज, लागत एवं प्रभार इत्यादि चुकाने में चूक की है। अतएव बैंक द्वारा धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की है तथा उपरिवर्णित राशि का भुगतान 60 दिन के भीतर करने की मांग की है। आप 60 दिन के भीतर भुगतान करने में असफल रहे हैं। अतएव, प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर तालिका में वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा ले लिया है। एतद्द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णितानुसार राशि का भुगतान बिक्री हेतु निर्धारित तिथि से पहले कर दें, जिसमें विफल रहने पर सम्पत्ति बेच दी जाएगी और यदि कोई राशि बकाया रह जाएगी, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। कृपया नोट करें कि बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से सबसे पहले मांग सूचना जारी करने, कब्जा लेने, आस्तियों के मूल्यांकन तथा बिक्री से संबंधित सभी खर्चे काटे जाएंगे और शेष राशि आपकी देयता में समायोजित की जाएगी। आप धरोहर राशि जमा करने सहित सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए नीलामी में भाग लेने हेतु स्वतंत्र हैं।

तिथि : 07.05.2025 स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी

pnb पंजाब नैशनल बैंक .....भरोसे का प्रतीक punjab national bank ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

सर्किल सस्त्र केन्द्र : पूर्वी दिल्ली, पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091, ईमेल : cs8075@pnb.co.in, दूरभाष : 011.22779758, 22785289

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका रचनागत/भौतिक/सांकेतिक अधिग्रहण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा कर लिया गया है, का विक्रय संबंधित ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(रों) से बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता को देय-भुगतेय इनकी बकाया देयराशियों की वसूली के लिए, यहां इसमें निम्न तालिका में अंकितानुसार तिथि पर "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के समक्ष निम्न तालिका में अंकितानुसार होंगे।

प्रतिभूत परिसंपत्तियों के विक्रय की अनुसूची

| क्र. सं. | शाखा का नाम / खाता का नाम / ऋणकर्ता/गारंटरों का नाम एवं पता, खाता | क) सरफॉएसि अधि. 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / ख) मांग

खबर कोना

आइपीएल अंक तालिका

टीम	मैच	जीत	हार	अंक
गुजरात टाइटंस	11	8	3	16
रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु	11	8	3	16
पंजाब किंग्स	11	7	3	15
मुंबई इंडियंस	12	7	5	14
दिल्ली कैपिटल्स	11	6	4	13
कोलकाता नाइट राइडर्स	12	5	6	11
लखनऊ सुपर जायंट्स	11	5	6	10
सनराइजर्स हैदराबाद	11	3	7	7
राजस्थान रायल्स	12	3	9	6
चेन्नई सुपर किंग्स	12	3	9	6

अमेरिका : ट्रूइस्ट पार्क में बेसबाल खेल की नौवीं पारी में अटलांटा ब्रेव्स के खिलाफ सिनसिनाटी रेड्स के एमिलियो पैगन गेंद फेंकते हुए।

सैफ अंडर-19 : बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान अरुणाचल पहुंचे

यूपिया, 7 मई (भाषा)।

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआइएफएफ) ने कहा कि दक्षिण एशियाई फुटबाल महासंघ अंडर-19 चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पांच में से चार देश शुक्रवार को टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले बुधवार को यहां पहुंच गए। पांचवी टीम मालदीव गुरुवार को पहुंचेगी। अरुणाचल प्रदेश नौ से 18 मई तक सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप के रूप में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। एआइएफएफ के उप महासचिव एम सत्यनारायण ने बताया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान ईटानगर पहुंच चुके हैं।

प्रणव एशियाई महाद्वीपीय शतरंज के पहले मैच में हारे

अल ऐन, 7 मई (भाषा)।

विश्व जूनियर चैंपियन भारत के वी प्रणव बुधवार को एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप के पहले दौर में फिलिपींस के अनुभवी ग्रैंडमास्टर जान इमैनुएल गार्सिया से हार गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन भी फिलिपींस के पाउलो बस-मिना के साथ ड्रा खेलने से पहले संघर्ष करते दिखे। चौथी वरीयता प्राप्त मुरली कार्तिकेयन ने आसानी से जीत हासिल की और चीन के काओ किंगफेन को हराया। भारतीय खिलाड़ियों के लिए बुधवार का दिन मिला-जुला रहा। प्रतियोगिता में 18 भारतीय ग्रैंडमास्टर्स और कई अन्य खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ने की उम्मीद के साथ उतरे हैं।

निशानेबाज माहेश्वरी, अभय स्कीट फाइनल में पहुंचने में विफल

निकोसिया, 7 मई (भाषा)।

ओलंपियन माहेश्वरी चौहान और अभय सिंह सेखों बुधवार को यहां आइएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में क्रमशः महिला और पुरुष स्कीट फाइनल में पहुंचने में विफल रहे। माहेश्वरी और अभय ने क्रमशः 25 और 23 अंक बनाए और वे फाइनल में पहुंचने से चूक गए। माहेश्वरी कुल 118 अंक से संयुक्त छठे स्थान से दो अंक कम रह गईं, जबकि अभय के 121 अंक भी करीब रहे क्योंकि आयरलैंड के जैक फेयरक्लो ने 122 अंक के साथ छठा और अंतिम क्वालीफाइंग स्थान हासिल किया। परिनाज धालीवाल 16वें स्थान पर रहीं, जबकि यशस्वी राठौर अपने पहले विश्व कप में 35वें स्थान पर रहीं।

रोहित ने तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

67 टेस्ट में 12 शतक व 18 अर्धशतक की मदद से 4301 रन बनाए

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

रोहित शर्मा ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे सबसे लंबे प्रारूप में उनके भविष्य को लेकर सभी अटकलें खत्म हो गईं।

38 वर्षीय खिलाड़ी अपने करिअर के दूसरे हिस्से में भारत के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक था। रोहित ने 67 टेस्ट में 12 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए। पिछले साल विश्व कप के बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित अब भारत के लिए केवल एकदिवसीय प्रारूप में ही नजर आएंगे।

रोहित ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी टेस्ट कैप के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'सभी को नमस्कार, मैं बस यह साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है।'

उन्होंने लिखा, 'इतने सालों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आपका शुक्रिया। मैं वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा।' रोहित ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की कप्तानी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर पिछली श्रृंखला और आस्ट्रेलिया के खिलाफ बोर्डर-गावस्कर श्रृंखला के अलावा कप्तान के रूप में उनका प्रदर्शन प्रभावी रहा।

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए भारत के पास एक नया टेस्ट कप्तान होगा, जिसके संभावित उम्मीदवार जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो सकते हैं। रोहित ने बार्डर-गावस्कर ट्राफी के दौरान कठिन दौर का सामना किया, जहां उन्हें खराब फार्म के कारण अंतिम एकादश से बाहर होने का फैसला करना पड़ा। पर उन्होंने उस समय संन्यास लेने से इनकार कर दिया था। मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ उनके मतभेदों की भी काफी अटकलें रही थीं जिन्होंने पिछले साल जुलाई में कार्यभार संभालने के बाद भारतीय क्रिकेट में 'स्टार संस्कृति' खत्म करने की बात की थी।

दोनों ने लगातार इस बात का खंडन किया। लेकिन गंभीर ने बार बार स्पष्ट किया है कि केवल प्रदर्शन ही टीम में चयन सुनिश्चित करेगा।

अब सिर्फ एकदिवसीय प्रारूप खेलेंगे

रोहित ने लिखा, 'सभी को नमस्कार, मैं बस यह साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है।'

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला के लिए भारत के पास एक नया टेस्ट कप्तान होगा, जिसके संभावित उम्मीदवार जसप्रीत बुमराह, लोकेश राहुल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो सकते हैं।

आपरेशन सिंदूर

खिलाड़ियों ने कहा : एकता में निडर, शक्ति में असीम

नई दिल्ली, 7 मई (भाषा)।

पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना के 'आपरेशन सिंदूर' की भारतीय खेल जगत ने सराहना की है और चैंपियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने तो कहा, 'एकता में निडर, शक्ति में असीम।'

भारतीय सशस्त्र बलों ने बुधवार तड़के पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीदके शामिल है। यह कार्रवाई पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और अधिकांश पर्यटक थे। तेंदुलकर ने 'एक्स ' पर लिखा कि एकता में निडर, शक्ति में असीम। भारत की ढाल उसके लोग हैं। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हम एक टीम हैं। जय हिंद।'

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंके तो उस पर फूल फेंको लेकिन गमले के साथ। जय हिंद। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने लिखा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा कि जय हिंद। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और भाजपा के पूर्व सांसद गौतम गंभीर ने आपरेशन सिंदूर तस्वीर के साथ लिखा, 'जय हिंद।' तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आपरेशन सिंदूर की तस्वीर के साथ लिखा कि भारतीय सशस्त्र बल ने प्रतिकूलता को सशक्त फतेह में बदल दिया।

प्रतिक्रिया

"भारतीय सेना अपनी जान की बाजी लगाकर देश पर हुए आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत मां की रक्षा और हम सब की सुरक्षा और शांति के लिए इस लड़ाई में आपके जज्बे और बहादुरी को मैं सलाम करती हूं।

- विनेश फोगाट, पूर्व पहलवान

"मुझे खुशी है कि भयानक पहलगाम हमले के बाद भारत ने आपरेशन सिंदूर के जरिए माकूल जवाब दिया। आतंकवाद का जवाब दिया ही जाना चाहिए। आपरेशन का कितना सुंदर नाम। भारत माता की जय।

- विदित गुजराती, शतरंज खिलाड़ी

"हमारे देश की ताकत इसके लोगों की एकता और सही की रक्षा करने के हमारे संकल्प में है। हम एक देश ही नहीं बल्कि एक टीम के रूप में हर उस ताकत के खिलाफ साथ है, जो अमन के लिए खतरा है। समरसता चाहने वाले विश्व में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती।

- युवराज सिंह, पूर्व क्रिकेटर

जेमिमा का शतक, भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराया

फाइनल में अब श्रीलंका से भिड़ेगी हरमनप्रीत की टीम

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाने के बाद जश्न मनाती जेमिमा रौड्रिग्स।

रौड्रिग्स की 123 रन, दीप्ति शर्मा के 93 रन और स्मृति मंधाना की 51 रन की पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। *लक्ष्य* का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम सात विकेट पर 314 रन ही बना पाई। तेज गेंदबाज अमनजोत कौर ने तीन विकेट और दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिए।

कोलंबो, 7 मई (भाषा)।

जेमिमा रौड्रिग्स की करिअर की सर्वश्रेष्ठ 123 रन की पारी तथा सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना (51 रन) और दीप्ति शर्मा (93 रन) के अर्धशतक की बदौलत भारत ने बुधवार को दक्षिण अफ्रीका को 23 रन से हरा कर फाइनल में प्रवेश किया, जिसमें उसका सामना श्रीलंका से होगा।

चौबीस वर्ष की रौड्रिग्स की 15 चौकों और एक छक्के जड़ित 101 गेंद की पारी की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 337 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर अपनी तेज गेंदबाज अमनजोत कौर (59 रन देकर तीन विकेट) और आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा (57 रन देकर दो विकेट) की मदद से दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट पर 314 रन ही बनाने दिए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनेरी डर्कसेन की 81 रन और कप्तान क्लो ट्रायोन की 67 रन की पारी भी काम नहीं आ सकी। भारत ने राउंड राबिन चरण का अंत चार मैच में छह अंक के साथ समाप्त किया। श्रीलंका के तीन मैच में चार अंक हैं और शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका को हरा कर वह दो अंक और हासिल कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका लगातार तीन मैच गंवाकर फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया जबकि उसे अभी श्रीलंका के खिलाफ एक मैच खेलना है। इससे पहले रौड्रिग्स ने मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 99 गेंद में 88 रन की साझेदारी की। इसके बाद दीप्ति के साथ 115 गेंद में 122 रन जोड़े।

दक्षिण अफ्रीका के लिए तेज गेंदबाज मसाबाता क्लास, एन डि क्लेर्क और स्पिनर नोंकुलुलेको एमब्लाबा ने दो दो विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल (एक) जल्दी आउट हो गई। उन्हें डि क्लेर्क ने पवेलियन भेजा।

हरलीन दयोल भी टिक नहीं सकी और उनके आउट होने पर भारत का स्कोर दो विकेट पर 18 रन था। कप्तान हरमनप्रीत कौर 28 रन बनाकर एनेरी डर्कसेन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठी। इसके बाद मंधाना और रौड्रिग्स ने पारी को संभाला। मंधाना ने शोल ट्रायोन की गेंद पर डीप मिडविकेट में खराब पूल शाट खेलकर अपना विकेट गंवाया। रौड्रिग्स को 43वें ओवर में क्लास ने पवेलियन भेजा।

त्रिकोणीय श्रृंखला

ब्राजील : कोपा सुदमेरिकाना फुटबाल टूर्नामेंट में कोरिंथियंस के आंद्रे कैरिलो और अमेरिका डे कैलिस के डुवन वर्गारा (बाएं) गेंद के लिए जूझते हुए।

मुकाबला

चेन्नई ने कोलकाता को दो विकेट से हराया

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे नूर अहमद को मिली चार सफलताएं

कोलकाता, 7 मई (भाषा)।

नूर अहमद की फिरकी के जादू के बाद डेवाल्ड ब्रेविस के तूफानी अर्धशतक से चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियर प्रीमियर लीग के 57वें मुकाबले में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 विकेट से हरा कर मेजबान टीम की प्लेआफ में जगह बनाने की राह बेहद मुश्किल कर दी।

इस जीत के साथ सुपरकिंग्स ने लगातार चार हार के क्रम को तोड़ा दिया लेकिन टीम अब भी 12 मैच में छह अंक के साथ अंतिम पायदान पर है। नाइट राइडर्स की टीम 12 मैच में 11 अंक के साथ छठे स्थान पर है और अधिकतम 15 अंक जुटा सकती है।

कप्तान अजिंक्य रहाणे (48), आंद्रे रसेल (38) और मनीष पांडे (नाबाद 36) की पारियों से नाइट राइट राइडर्स ने छह विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके जवाब में सुपरकिंग्स ने 60 रन पर पांच विकेट गंवाने के बावजूद डेवाल्ड ब्रेविस (52 रन, 25 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के अर्धशतक और शिवम दुबे (45 रन, 40 गेंद, तीन छक्के, दो चौके) के साथ उनकी छठे विकेट की 67 रन की साझेदारी से 19.4 ओवर में आठ विकेट पर 183 रन बनाकर जीत दर्ज की। रहाणे ने 33 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े, जबकि रसेल ने अपनी ताबड़तोड़ पारी के दौरान 21 गेंद का सामना करते हुए तीन छक्के और चार चौके मारे।

नाइट राइडर्स की ओर से वैभव अरोड़ा ने 48 रन देकर तीन जबकि वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने क्रमशः 18 और 43 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए। इससे पहले सुपरकिंग्स की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर नूर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 31 रन देकर चार विकेट चटकाए।

इंडियन प्रीमियर लीग : 57वां मुकाबला

बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई

बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के आधिकारिक अकाउंट पर भेजे गए बम की धमकी वाले ईमेल से मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कैब अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली ने कहा, 'दोपहर में बम की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसके बाद हमने कोलकाता पुलिस को सूचित किया। स्टेडियम के अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।'

पेरिस ओलंपिक में शामिल रिकर्व वर्ग में हाथ लगी निराशा | तीरंदाजी | धीरज बोम्मादेवरा ही शीर्ष दस में जगह बना सके

भारतीय पुरुष, महिला टीम दूसरे चरण के फाइनल में

शंघाई, 7 मई (भाषा)।

भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीमें बुधवार को विश्व कप के दूसरे चरण के फाइनल में पहुंच गई, जिससे भारत के कम से कम दो पदक पक्के हो गए। कंपाउंड तीरंदाजों ने जहां अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं ओलंपिक में शामिल रिकर्व वर्ग में निराशा हाथ लगी। धीरज बोम्मादेवरा ही शीर्ष दस में जगह बना सके, जबकि बाकी का क्वालीफाइंग दौर में स्कोर खराब रहा।

भारत के ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव की नंबर एक टीम ने ब्रिटेन को क्वार्टर फाइनल में 239-232 से हराया। इसके बाद डेनमार्क को 232-231 से मात दी।

महिला कंपाउंड वर्ग में भारत की मधुरा धमनगांवकर, चिकिता तानीपर्थी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कजाखस्तान की टीम को क्वार्टर फाइनल में हराया। इसके बाद ब्रिटेन को हरा कर फाइनल में जगह बनाई जहां शनिवार को उसका सामना मैक्सिको से होगा। ब्रिटेन के खिलाफ पुरूष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में भारत ने पहली सीरिज 59-60 से गंवा दी जिसके बाद 60-58 से जीता।

तीसरी सीरीज में भारत 60-57 से विजयी रहा और चौथा सेट भी इसी अंतर से जीता। सेमीफाइनल में भारत ने पहली सीरीज 57-60 से गंवाई, जबकि दूसरी में स्कोर 58-58 रहा। तीसरी सीरीज भारत ने 115-118 से गंवाई। इसके बाद भारत ने 57-56 से जीत दर्ज की। भारत ने कजाखस्तान को 232-229 से और ब्रिटेन को 232-230 से हराया।

रिकर्व वर्ग में विश्व कप कांस्य पदक विजेता धीरज 677 अंक लेकर क्वालीफाइंग दौर में नौवे स्थान पर रहे। वह शीर्ष दस में रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। एशियाई खेल 2010 के रजत पदक विजेता तरूणदीप राय 666 स्कोर करके 28वें स्थान पर रहे।

ओलंपियन अतनु दास 57वें स्थान पर रहे। पुरुष टीम वर्ग में भारत सातवें स्थान पर रहा। महिला वर्ग में दीपिका कुमारी 12वें, अंकिता भकत 17वें और अंशिका कुमारी 29वें स्थान पर रही। धीरज और दीपिका रिकर्व मिश्रित वर्ग में आठवें स्थान पर रहे। महिला कंपाउंड वर्ग में भारत ने कजाखस्तान को 232-229 से और ब्रिटेन को 232-230 से हराया।

महिला कंपाउंड वर्ग में मधुरा धमनगांवकर, चिकिता तानीपर्थी और ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कजाखस्तान की टीम को क्वार्टर फाइनल में हराया। ब्रिटेन को हरा कर फाइनल में जगह बनाई। अब शनिवार को सामना मैक्सिको से होगा।

रिकर्व वर्ग में विश्व कप कांस्य पदक विजेता धीरज 677 अंक लेकर क्वालीफाइंग दौर में नौवे स्थान पर रहे। वह शीर्ष दस में रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। एशियाई खेल 2010 के रजत पदक विजेता तरूणदीप राय 666 स्कोर करके 28वें स्थान पर रहे।

आइपीएल : वानखेड़े में हो सकता है मुंबई बनाम पंजाब का मुकाबला

नई दिल्ली/धर्मशाला, 7 मई (भाषा)।

पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत के मिसाइल हमले के बाद धर्मशाला हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद होने के कारण मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आइपीएल का मैच मुंबई में कराया जा सकता है क्योंकि दोनों टीमों का यात्रा कार्यक्रम बाधित हो गया है।

बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि इसकी पूरी संभावना है कि हवाई अड्डा बंद रहने पर मैच मुंबई में ही कराया जाए। वहीं, दिल्ली और पंजाब का मैच धर्मशाला में ही होगा क्योंकि दोनों टीमें वहां पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) के एक सूत्र ने बताया, हमें बीसीसीआइ या केंद्र और राज्य सरकारों से आज के मैच को रद्द करने के बारे में कोई लिखित सूचना नहीं मिली है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 42, अंक 171

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com,

बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज*, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।